जम्मू
पाकिस्तान
पश्चिम-पाकिस्तान
पंजाब

भारत

(वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ)

1963

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार, के
गवेषणा और सन्दर्भ विभाग द्वारा अंग्रेजी में संकलित

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भाद्र 1885 (अगस्त 1963)

मूल्य तीन रु. पचास नये पैसे

निदेशक प्रकाशन विभाग पुराना सचिवालय, दिल्ली-8 द्वारा प्रकाशित
तथा प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

आमुख

भारत के राष्ट्रीय जीवन और उसकी बहुमुखी गतिविधियों के सम्बन्ध में आधिकारिक जानकारी सुलभ कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम सन् 1954 में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग ने 'भारत : वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ' प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया था। पाठकों के विभिन्न वर्गों ने इस अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ का जो हार्दिक स्वागत किया उससे प्रोत्साहित होकर प्रकाशकों को इस ग्रन्थ के आगामी अंकों के कलेवर में वृद्धि करने की प्रेरणा मिली।

इस सन्दर्भ-ग्रन्थ में संकलित समस्त सामग्री सरकारी तथा अन्य आधिकारिक स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। परन्तु स्थान-संकोच के कारण कुछ विषयों का केवल संक्षिप्त विवरण ही दिया जा सका है। ग्रन्थ के इस संस्करण का आकार, संकटकालीन स्थिति के कारण मितव्ययिता की दृष्टि से पूर्वापेक्षा छोटा कर दिया गया है। परिस्थितियों के अनुकूल होते ही आकार को पूर्ववत् कर दिया जाएगा।

इस बार जो नए परिवर्तन किए गए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—'संविधान', 'विधान मण्डल', 'कार्यपालिका' और 'न्यायपालिका' शीर्षक चार अध्यायों को संक्षिप्त करके 'सरकार' शीर्षक एक अध्याय के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है; 'सहायता और पुनर्वास' शीर्षक अध्याय को 'समाज-कल्याण' शीर्षक अध्याय में मिला दिया गया है; कुछ परिशिष्टों को हटा दिया गया है; और दूसरी ओर 'भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' शीर्षक अध्याय को विस्तृत रूप देकर उसका नया नामकरण 'भारत और संसार' कर दिया गया है।

ग्रन्थ में राष्ट्रीय संकटकाल के सम्बन्ध में भी एक परिशिष्ट दिया गया है जिसमें भारत-चीन विवाद सम्बन्धी जनवरी 1962 से अप्रैल 1963 तक की घटनाओं की तालिका भी प्रस्तुत की गई है।

विषय-सूची

अध्याय | पृष्ठ

अध्याय | पृष्ठ

अध्याय 1

भारतभूमि और उसके निवासी

भारत पर्वतों और समुद्रों द्वारा शेष एशिया महाद्वीप से अलग किया हुआ एक बिल्कुल स्वतंत्र और भौगोलिक दृष्टि से अखंड देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। सारा-का-सारा देश भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 4 28 से 37 17 53 अक्षांश रेखाओं तथा 68 7′ 33 से 97 24 47″ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई लगभग 2,000 मील तथा पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई लगभग 1 850 मील है। भारत का कुल क्षेत्रफल 12,61 597 वर्गमील* है। लम्बाई-चौड़ाई की दृष्टि से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसकी स्थल सीमा की लम्बाई 9 425 मील तथा समुद्री किनारे की लम्बाई 3,536 मील है।

प्राकृतिक पृष्ठभूमि

भारत के उत्तर में हिमालय की प्राचीर है, जिसके उस पार चीन देश है। भारत की उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर हिमालय की गोद में नेपाल सिक्किम और भूटान† देश हैं। पूर्व में कुछ पर्वतश्रेणियां भारत को बर्मा से अलग करती हैं। भारत के पूर्व में पश्चिम-बंगाल असम और त्रिपुरा द्वारा घिरा हुआ पूर्व-पाकिस्तान है। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर पश्चिम-पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान हैं। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी तथा पाक-जलडमरूमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह भी भारत के अंग हैं।

प्राकृतिक रचना

प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से सम्पूर्ण देश को मुख्यतः तीन प्रदेशों में बांटा जा सकता है (1) हिमालय का विस्तृत पहाड़ी प्रदेश (2) सिन्धु-गंगा का मैदान तथा (3) दक्षिण प्रायद्वीप।

हिमालय प्रायः तीन समानान्तर पर्वतश्रेणियों से मिल कर बना है जिनके बीच में लम्बे-चौड़े पठार और घाटियां हैं। इनमें कश्मीर तथा कुलू की घाटियां बड़ी उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। हिमालय की इन पर्वतश्रेणियों में संसार की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। अधिक ऊंचाई के कारण केवल कुछ ही दर्रों से आना-जाना सम्भव है, जिनमें जेलेप दर्रा तथा नाटू दर्रा प्रमुख हैं। ये दार्जिलिंग के पूर्वोत्तर में चुम्बी घाटी से होकर जानेवाले भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर हैं। यह गिरिमाला लगभग 1 500 मील लम्बी है।

---

*यह श्रेवयल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अप्रैल 1963 में प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है। ये आंकड़े अभी अन्तिम नहीं हैं।

†सिक्किम और भूटान राज्य विशेष संधियों द्वारा भारत से सम्बद्ध हैं।

सिन्धु-गंगा का मैदान 1,500 मील लम्बा तथा 150 से 200 मील तक चौड़ा है तथा सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन तीन नदी-क्षेत्रों से मिल कर बना है। इसकी गणना संसार के सबसे अधिक लम्बे-चौड़े उपजाऊ मैदानों तथा सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्रों में की जाती है। दिल्ली के पास बहनेवाली यमुना नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के लगभग 1,000 मील लम्बे क्षेत्र में भूमि-स्तर की समुद्रतल से ऊंचाई में सिर्फ 700 फुट का अन्तर आता है।

दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार पर्वतों और पर्वतश्रेणियों के कारण (जिनकी ऊंचाई 1,500 से 4,000 फुट तक की है) सिन्धु-गंगा के मैदान से अलग पड़ जाता है। इन श्रेणियों में प्रमुख हैं—अरावली विन्ध्य सतपुड़ा मैकल तथा अजन्ता। प्रायद्वीप के एक ओर पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं हैं जिनकी औसत ऊंचाई 2,000 फुट है तथा दूसरी ओर पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं हैं जिनकी औसत ऊंचाई 3,000 से 4,000 फुट तक है, पर कहीं-कहीं ये 8,000 फुट तक भी ऊंची हैं। प्रायद्वीप के दक्षिण में नीलगिरि की पहाड़ियां हैं। यहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट कार्डमम पहाड़ियों तक फैला हुआ है।

नदियां

भारत की नदियों को इन वर्गों में बांटा जा सकता है (1) हिमालय से निकलनेवाली नदियां (2) दक्षिणी पठार की नदियां (3) तटीय नदियां तथा (4) आन्तरिक नदी-क्षेत्र की नदियां। हिमालय से निकलनेवाली नदियों में पानी बर्फ पिघलने से आता है। इसलिए उनमें वर्ष-भर पानी रहता है। वर्षा ऋतु में हिमालय पर मूसलधार वर्षा होती है जिससे इस ऋतु में इन नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी आ जाया करती है। दक्षिणी पठार की नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम तो कभी अधिक रहता है। इनमें से बहुत-सी नदियां तो वर्ष के अधिकांश समय में सूखी ही रहती हैं। तटीय नदियां विशेषकर पश्चिमी तट की नदियां छोटी हैं और इनका जलक्षेत्र भी सीमित है। इनमें से भी अधिकांश नदियां काफी समय तक सूखी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक नदी-क्षेत्रवाली नदियां बहुत कम हैं। ये अपने-अपने नदी-क्षेत्रों में ही अथवा सांभर झील-जैसी नमक की झीलों तक जाकर सूख जाती हैं—किसी समुद्र तक नहीं पहुंच पातीं। लूनी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है।

गंगा का नदी-क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसे भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य पर्वत हैं। इस क्षेत्र में नदियां भी काफी हैं। भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप में गंगा हिमालय से निकलती है। यमुना घाघरा गण्डक तथा कोसी नदियां हिमालय से निकल कर गंगा में मिल जाती हैं। गंगा के नदी-क्षेत्र के सुदूर पश्चिम में यमुना है जिसका उद्गम-स्थल यमुनोत्तरी है और प्रयाग में यह गंगा में आ मिलती है। मध्यवर्ती भारत से पूर्व की ओर यमुना या गंगा में जाकर मिलनेवाली नदियों में चम्बल बेतवा तथा सोन उल्लेखनीय हैं।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र गोदावरी का है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग दसवां भाग इसके अन्तर्गत है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सिन्धु के नदी-क्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायद्वीपवाले भाग में कृष्णा का नदी-क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र है। प्रायद्वीपवाले भाग के तीसरे सबसे बड़े नदी-क्षेत्र से होकर महानदी बहती है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा सुदूर दक्षिण में कावेरी के नदी-क्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का ताप्ती नदी-क्षेत्र तथा दक्षिण का पेन्नार नदी-क्षेत्र म [illegible] की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

जलवायु

भारतीय मौसम विभाग ने इस देश की ऋतुओं को चार भागों में बांटा है (1) शीत ऋतु (दिसम्बर से मार्च) (2) ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल से मई) (3) वर्षा ऋतु (जून से सितम्बर) तथा (4) दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वापसी की ऋतु (अक्तूबर-नवम्बर)।

वर्षा के आधार पर भारत के चार मुख्य जलवायु प्रदेश हैं। असम का प्राय सम्पूर्ण भाग और पश्चिमी घाटों के बीच का पश्चिमी तट, जो उत्तर में बम्बई से लेकर त्रिवेन्द्रम तक फैला हुआ है बहुत अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। इसके विपरीत कच्छ तक फैला राजस्थान मरुस्थल और पश्चिम के [illegible] तक फैला हुआ कश्मीर का ऊंचा लद्दाख पठार बहुत कम वर्षावाले क्षेत्र हैं। वर्षानुक्रम के इन दोनों परस्पर विरोधी क्षेत्रों के बीच क्रमश पर्याप्त वर्षावाला और कम वर्षावाला क्षेत्र हैं। पूर्वोक्त में प्रायद्वीप के पूर्वी भाग की चौड़ी पट्टी शामिल है, जो उत्तर की ओर [illegible] मैदानी इलाके में और दक्षिण की ओर पूर्वी तटीय मैदानों में जा मिलती है। उत्तरोक्त [illegible] मैदानों से शुरू होकर विन्ध्य पर्वत के पार दक्षिण के पश्चिमी भाग तक जिसमें मैसूर [illegible] बड़ा भाग सम्मिलित है फैला हुआ है।

शक्ति-संसाधन

कोयला—भारत में कोयला मुख्यत गोंडवाना और टेर्शियरी युगों [illegible] अनुमान है कि हमारे देश में सभी प्रकार के कोयले का कुल भण्डार लगभग 11,5 [illegible]

भूरा कोयला—भूरा कोयला (लिग्नाइट) कश्मीर, मद्रास [illegible] पाया जाता है। अनुमान है कि मद्रास राज्य के दक्षिण आरकाट जिले में [illegible] के क्षेत्र में 2 अरब टन भूरे कोयले का भण्डार है।

तेल—मोटे तौर पर लगाए गए एक अनुमान के अनुसार भारत के [illegible] क्षेत्र में तेल उपलब्ध है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम-बंगाल [illegible] कश्मीर, राजस्थान, खम्भे-कच्छ, गंगा-घाटी, मद्रास तट, आन्ध्र तट, [illegible] निकोबार द्वीपसमूह तेल के क्षेत्र हैं।

जल-शक्ति—भारत के नदी-स्रोतों के क्षमता सम्बन्धी अध्ययन [illegible] जल बिजली-क्षमता 4.11 करोड़ किलोवाट है।

खनिज संसाधन

खनिज लोहा—अनुमान है कि भारत में लोहे का भण्डार [illegible] के कुल भण्डार का एक-चौथाई है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार [illegible] रक्तवर्ण खनिज लोहा (हेमाटाइट) काफी मात्रा में पाया जाता है [illegible] और लोहा (मैग्नटाइट) उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मैसूर तथा हिमाचल [illegible] और बंगाल में ऐविक लोहे (कार्बोनेट) का काफी बड़ा भण्डार है। [illegible] देशी लोहे का कुल ज्ञात भण्डार लगभग 7 10 अरब टन का है।

मैंगनीज—मैंगनीज के भण्डारों की दृष्टि से भारत संसार के देशों में तीसरे नम्बर पर है। अनुमान है कि 18 करोड़ टन के कुल भण्डार में से लगभग 14 करोड़ टन मैंगनीज गुजरात, मध्य-प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है।

क्रोमाइट—क्रोमाइट मुख्यतः उड़ीसा बिहार, मद्रास तथा मैसूर में पाया जाता है। अनुमान है कि भारत में क्रोमाइट का कुल भण्डार 48 लाख टन का है।

अल्प-प्राप्य धातुएं—आन्ध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश मद्रास मैसूर तथा राजस्थान के कई स्थानों में मैग्नेसाइट प्राप्त हुआ है। इसका कुल भण्डार 11 68 करोड़ टन होने का अनुमान है। अग्निसह मिट्टी लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, किन्तु पश्चिमी-बंगाल तथा बिहार इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। क्यानाइट संसार में सबसे अधिक बिहार में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र मैसूर तथा राजस्थान में भी यह धातु थोड़ी-बहुत मात्रा में मिलती है। ठोस व्यापारिक महत्व की सिलीमेनाइट धातु असम में पाई जाती है। यह केरल मध्यप्रदेश तथा मैसूर में भी पाई जाती है। कारण्डम असम मध्य-प्रदेश मैसूर तथा राजस्थान में पाया जाता है। अकेले मध्यप्रदेश में ही इस धातु का करीब 4 लाख टन का भण्डार है, जिसमें से 1 लाख टन बहुत बढ़िया किस्म का है।

सोना—अनुमान है कि मैसूर राज्य की कोलार सोना-खानों में लगभग 37 लाख टन सोने का भण्डार है।

तांबा—भारत में तांबे की दो महत्वपूर्ण पट्टियां हैं यथा बिहार में सिंहभूमि और राजस्थान में खेतड़ी और दरीबो।

जस्ता—राजस्थान के उदयपुर जिले की जावार खान ही एक ऐसा स्थान है जहां खनिज जस्ता बड़ी मात्रा में मौजूद है। यहां लगभग 60 लाख से 1 करोड़ टन तक खनिज जस्ते के भण्डार का अनुमान है।

बाक्साइट—बाक्साइट भारत में लगभग सभी स्थानों में मिलता है। जम्मू, बिहार, मद्रास मध्यप्रदेश मैसूर, गुजरात तथा महाराष्ट्र इसके मुख्य क्षेत्र हैं यहां कुल मिला कर इसका लगभग 25 करोड़ टन का भण्डार है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में बढ़िया किस्म के बाक्साइट का 7 28 करोड़ टन का भण्डार है।

अभ्रक—भारत में अभ्रक आन्ध्रप्रदेश (600 वर्गमील) बिहार (1 600 वर्गमील) तथा राजस्थान (1,200 वर्गमील) में प्राप्त होता है। बिहार में प्राप्त होनेवाला अभ्रक संसार में सबसे बढ़िया किस्म का माना जाता है।

इल्मेनाइट—यह धातु मुख्यतः भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रतटों की रेत में पाई जाती है। अनुमान है कि भारत में करीब 35 करोड़ टन इल्मेनाइट का भण्डार है।

नमक—भारत में नमक मुख्यतः समुद्रतट-स्थित नमक के कारखानों, गुजरात तथा राजस्थान की झीलों और हिमाचलप्रदेश की सेंधा नमक की खानों से प्राप्त होता है।

बढ़िया मिट्टी—बढ़िया मिट्टी गुजरात मद्रास और राजस्थान में पाई जाती है। जम्मू-कश्मीर म भी इसके मिलने की सम्भावना है। अनुमान है कि भारत में करीब 98 करोड़ टन बढ़िया मिट्टी का भण्डार है।

इनके अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य खनिज पदार्थ भी थोड़ी-बहुत मात्रा में पाए जाते हैं।

जनसंख्या*

1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 43,90 72,893 है।

नीचे की सारणी में भारत अलग-अलग राज्यों और संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल जनसंख्या तथा जन-घनत्व का विवरण दिया गया है

सारणी 1

भारत—अलग अलग राज्यों और संघीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल जनसंख्या तथा जन-घनत्व

	क्षेत्रफल** (वर्गमील)	जनसंख्या†	जन-घनत्व
भारत	12,61 597	43 90 72 893	370‡
राज्य			
असम	78,529	1 2..09 330	155
आन्ध्रप्रदेश	1 06,286	3,59 83,447	339
उड़ीसा	60 164	1 75 46,846	292
उत्तरप्रदेश	1 13,654	7 37 46 401	649
केरल	15,002	1 69,03,715	1 127
गुजरात	72,245	2,06 33 350	286
जम्मू-कश्मीर	86,023	35,60 976	उपलब्ध नहीं‡
पंजाब	47 108	2,03,06,812	430
पश्चिम-बंगाल	33,829	3,49 26,279	1 032
बिहार	67 196	4,64 55,610	691

*इस अध्ययन में तथा अन्यत्र दिए गए जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े 1961 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं। जनसंख्या के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके परिणाम अभी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। ऐसी परिस्थिति में 1951 की जनगणना पर आधारित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**यह क्षेत्रफल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अप्रैल 1963 में प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है। ये आंकड़े अभी अन्तिम नहीं हैं।

†जनसंख्या के आंकड़ों में जम्मू-कश्मीर राज्य के इस समय विदेशी कब्जे के क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है।

‡भारत का जन-घनत्व निकालते समय सिक्किम का क्षेत्रफल (2,744 वर्गमील और जनसंख्या (1 62,189) सम्मिलित की गई है परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि 1961 की जनगणना में वहां के विदेशी कब्जे के अधीन क्षेत्र की जनगणना नहीं की जा सकी।

सारणी 1 (क्रमशः)

	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या	जन-घनत्व
मद्रास	50,331	3,36,86,953	669
मध्यप्रदेश	1 71 217	3,23,72,408	189
महाराष्ट्र	1 18,717	3,95,53 718	333
मैसूर	47 108	2,35,86,772	318
राजस्थान	1 3~162	2,01 55 602	153
संघीय क्षेत्र और अन्य इलाके			
अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह	3,215	63,548	20
दिल्ली	573	26,58,612	4,640
हिमाचलप्रदेश	10 885	13,51 144	1 4
लकद्वीप मिनिकाय और अमीन-दीवी द्वीपसमूह	11	24 108	~,192
मणिपुर	8,628	7 80,037	90
त्रिपुरा	4,036	11 42,005	283
दादरा और नगरहवेली	189	57 963	307
गोआ दमन और दीव	1 426	6,26,978	440
नागालैंड	6,366	3,69,200	58
पांडिचेरी	185	3,69,079	1 995

जन्म-दर तथा मृत्यु-दर

जन्म तथा मृत्यु के अधिकांश केस दर्ज न कराए जाने के कारण पंजीकृत अंकों पर आधारित जन्म तथा मृत्यु के आंकड़ों तथा जनगणना के आंकड़ों में अन्तर है। जनगणना के आंकड़ों की सहायता से किए गए अध्ययन के अनुसार 1941 तथा 1951 के बीच भारत में जन्म की औसत दर प्रति वर्ष एक हजार व्यक्तियों के पीछे 40, मृत्यु-दर प्रति वर्ष एक हजार व्यक्तियों के पीछे 27 तथा जनसंख्या म वृद्धि प्रति वर्ष एक हजार व्यक्तियों के पीछे 13 रही। सबसे ऊंची जन्म-दर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में (44) और सबसे नीची जन्म-दर दक्षिण-भारत में (36 अथवा 37) थी। इसी प्रकार, सबसे ऊंची मृत्यु-दर भी भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में (34) और सबसे नीची मृत्यु-दर दक्षिण-भारत में (21 22) थी।

भारत में 14 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों का अनुपात बहुत अधिक है और 65 वर्ष तथा उससे अधिक की अवस्था के लोगों की संख्या बहुत कम है। 1951 की जनगणना के अनुसार ये क्रमशः अमश 38 3 प्रतिशत तथा 8.3 प्रतिशत हैं।

1951 में 1,000 पुरुषों के पीछे 946 स्त्रियां थीं। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 941 स्त्रियां हैं। भारत के राज्यों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों का अनुपात पंजाब में सबसे कम (864) है और केरल में सबसे अधिक (1 022) है। संघीय क्षेत्रों में अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक हजार पुरुषों के पीछे केवल 617 स्त्रियां हैं। गोआ दमन और दीव में एक हजार पुरुषों के पीछे 1 070 स्त्रियां हैं।

जन-घनत्व

भारत तथा उसके विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में जन-घनत्व का विवरण सारणी 1 में दिया जा चुका है। 1921 में जन-घनत्व 193 था जो 1961 में 370 हो गया। इस प्रकार, 1921 से 1961 तक के 40 वर्षों में जन-घनत्व प्रायः दुगुना हो गया है।

सामाजिक ढांचा

धर्म

भारत के निवासी विभिन्न धर्मावलम्बी हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार इनमें हिन्दू 84 प्रतिशत मुसलमान 10.2 प्रतिशत ईसाई 2.4 प्रतिशत सिख 1 8 प्रतिशत बौद्ध 0.82 प्रतिशत और जैन 0.52 प्रतिशत थे। इस प्रकार, 1961 में हिन्दुओं की कुल संख्या 36 61 62,693 मुसलमानों की 4,69 11 731 ईसाइयों की 1 04 96,077 सिखों की 78,46,074 बौद्धों की 32,52,804 और जैनों की 20 27 246 थी।

भाषाएं

1951 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 845 भाषाएं अथवा बोलियां बोली जाती थीं। 91 प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित 14 भाषाओं में से किसी-न-किसी भाषा को बोलती है। संविधान में उल्लिखित विभिन्न भाषाएं तथा हिन्दुस्तानी बोलनेवाले लोगों की संख्या का विवरण नीचे सारणी म दिया गया है।

सारणी 2

संविधान में उल्लिखित भाषाएं बोलनेवालो की संख्या*

भाषा	बोलनेवालों की संख्या
हिन्दी उर्दू हिन्दुस्तानी पंजाबी	14 99 44,311†
तेलुगु	3,29 99,916

*जम्मू-कश्मीर तथा असम के भाग 'ख' के आदिम जातीय निवासियों की संख्या इसमें सम्मिलित नहीं की गई क्योंकि 1951 में इन स्थानों पर जनगणना नहीं की गई थी।

†1951 की जनगणना में हिन्दी उर्दू हिन्दुस्तानी और पंजाबी भाषियों के अधिकृत भारतीय आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हुए। पंजाब दिल्ली तथा हिमाचलप्रदेश को छोड़ कर शेष भारत में हिन्दी-भाषियों की संख्या 10 67 60 966 तथा उर्दू हिन्दुस्तानी और पंजाबी बोलनेवालों की संख्या क्रमशः 1 35,71 321 61 60 683; तथा 8 37 747 थी।

भाषा	बोलनेवालों की संख्या
मराठी	2,70,49,522
तमिल	2,65,46,764
बंगला	2,51,21 674
गुजराती	1,63,10,771
कन्नड़	1 44,71 764
मलयालम	1 33,80,109
उड़िया	1 31 53,909
असमिया	48,88,226
कश्मीरी	5,086*
संस्कृत	555

नगरों और गांवों की जनसंख्या

गोवा, दमन और दीव के नगरों और गांवों की जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। 1961 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल 43.86 करोड़ की जनसंख्या में से 7.88 करोड़ अर्थात् 18 प्रतिशत लोग नगरों और कस्बों में तथा शेष 35.98 करोड़ अर्थात् 82 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। 1921–61 के बीच नगरों की जनसंख्या में बराबर वृद्धि होती रही है।

1961 की जनगणना (अन्तःकालीन आंकड़े) के अनुसार सिक्किम सहित भारत में 107 बड़े नगर (एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या) 2,682 छोटे नगर तथा कस्बे और 5,64,258 गांव हैं।

*इसमें जम्मू-कश्मीर के कश्मीरी-भाषी लोगों की संख्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 1951 में वहां जनगणना नहीं हुई थी।

अध्याय 2

राष्ट्र के प्रतीक

राष्ट्रीय चिह्न

भारत का राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ स्थित अशोक के उस सिंह-स्तम्भ की अनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल रूप में इसमें चार सिंह हैं जो स्तम्भ के शीर्ष भाग में एक चौरस पट्टी पर एक-दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। स्तम्भ के चारों ओर की इस चौरस पट्टी में एक हाथी दौड़ते हुए एक घोड़े एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं जिनके बीच-बीच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर चक्र बने हुए हैं। स्तम्भ के शीर्ष पर एक ही पत्थर से काट कर बनाया हुआ 'धर्मचक्र' भी था।

भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रीय चिह्न अपनाया। इसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं चौथा सिंह दृष्टिगोचर नहीं है। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। राष्ट्रीय चिह्न के नीचे मुण्डकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है—केवल सत्य की ही विजय होती है।

राष्ट्रीय झण्डा

भारत के राष्ट्रीय झण्डे में तीन समानान्तर आयताकार पट्टियां हैं। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की, मध्य की पट्टी सफेद रंग की तथा नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की है। झण्डे की लम्बाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का है। सफेद पट्टी पर चर्खे की जगह सारनाथ के सिंह-स्तम्भवाले धर्मचक्र की अनुकृति है, जिसका रंग गहरा नीला है। चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई जितना है और इसमें 24 आरे हैं।

झण्डे का उपयोग

झण्डे का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने झण्डा-संहिता—भारत' शीर्षक एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की है। इस संहिता में उल्लिखित निर्देशों में झण्डे को किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के सामने झुकाने का निषेध है।

दूसरा कोई भी झण्डा अथवा चिह्न राष्ट्रीय झण्डे के ऊपर अथवा इसके दाहिनी ओर नहीं लगाया जाना चाहिए। एक पंक्ति में ही अनेक झण्डे फहराने हों, तो अन्य सभी झण्डे राष्ट्रीय झण्डे के बाईं ओर रहेंगे। जब अन्य झण्डों को ऊंचा उठाया जाए, तो राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए। राष्ट्रीय झण्डे के साथ-साथ एक ही रस्सी से और कोई झण्डा नहीं फहराया जाएगा। जहां एक ही बल्ली पर अलग-अलग रस्सियां लगी हों और सभी रस्सियां शिखर तक न पहुंचती हों वहां राष्ट्रीय झण्डा उस बल्ली की सबसे ऊंची रस्सी से फहराया जाएगा।

यदि झण्डे को किसी खिड़की, छज्जे अथवा मकान के मुख्य-भाग से किसी डण्डे पर झुकी हुई स्थिति में फहराना हो, तो केसरिया भाग सबसे अगली ओर रहना चाहिए।

जब राष्ट्रीय झण्डा बल्ली के अलावा अन्य किसी ढंग से फहराया जाना हो, तो दीवार पर आड़ा फहराए जाने की स्थिति में केसरिया पट्टी ऊपर रहनी चाहिए, और सीधा लटकाए जाने की स्थिति में यह पट्टी झण्डे की दृष्टि से दाईं ओर रहनी चाहिए अर्थात् केसरिया पट्टी झण्डे की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति के बाईं ओर होगी। जब यह झण्डा पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण की ओर जानेवाली सड़क के बीचों बीच फहराया जाना हो, तब यह सीधा इस प्रकार लटकाया जाए कि केसरिया पट्टी पूर्व अथवा उत्तर की ओर रहे।

जुलूस या परेड में राष्ट्रीय झण्डा मार्च की दाईं ओर होना चाहिए और यदि झण्डों की पंक्ति हो तो पंक्ति के बीच ठीक आगे हो।

सामान्यतः राष्ट्रीय झण्डा समस्त महत्वपूर्ण सरकारी भवनों यथा उच्च न्यायालयों सचिवालयों, आयुक्तों के कार्यालयों, कलक्टरों के कार्यालयों, जेलों और जिला बोर्डों या जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं के कार्यालयों पर फहराया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ विशेष स्थानों पर भी राष्ट्रीय झण्डा फहराया जा सकता है।

भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के अपने निजी झण्डे हैं।

विशेष अवसरों पर—जैसे गणतन्त्र-दिवस, स्वतन्त्रता-दिवस, महात्मा गांधी जन्म-दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा राष्ट्रीय उल्लास के अन्य अवसरों पर—राष्ट्रीय झण्डे के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है। परन्तु इन अवसरों पर भी मोटर कारों पर इसके फहराने की खुली छूट नहीं है।

केन्द्रीय सरकार से पूर्व-अनुमति लिए बिना किसी व्यापारिक, कारोबारी अथवा व्याव सायिक उद्देश्य के लिए अथवा किसी व्यापार चिह्न या आकल्पन (डिजाइन) के रूप में राष्ट्रीय झण्डे का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है।

राष्ट्रीय गान

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित 'जन गण मन' को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसम्बर, 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था तथा सर्वप्रथम जनवरी 1912 में *'तत्वबोधिनी पत्रिका' में प्रकाशित हुआ था। कवीन्द्र रवीन्द्र ने 1919 में स्वयं* इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूरे गीत में पांच पद हैं। इसका प्रथम पद, जिसे भारत की अस्थिरता सेनाओं ने अपना लिया है तथा जो साधारणतया समारोहों में गाया जाता है, इस प्रकार है:

> जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
> पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग
> विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग
> तव शुभ नामे जागे *तव शुभ आशिष मांगे*
> गाहे तव जय गाथा।

1

अध्याय 3

सरकार

संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को भारत का संविधान अन्तिम रूप में स्वीकार किया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया।

संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के इस संकल्प को स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, तथा समान सामाजिक स्थिति और अवसर प्राप्त होंगे और सबमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करनेवाले भ्रातृभाव को बढ़ावा दिया जाएगा।

संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है, जिसके राज्य क्रम में असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान राज्य तथा अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगरहवेली, गोवा दमन और दीव, दिल्ली, मणिपुर, लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र हैं।

नागरिकता तथा मताधिकार

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एकल तथा एकसमान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पांच वर्ष तक भारत का निवासी होने की शर्त पूरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों के लिए भारत के नागरिक बनने की व्यवस्था है। विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं बशर्ते कि वे अपने निवासवाले देश में स्थित भारतीय राजनयिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा लें।

संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है, जो भारत का नागरिक हो तथा निर्धारित तिथि को, जो उपयुक्त विधानमण्डल द्वारा नियत की जाएगी 21 वर्ष से कम उम्र का न हो, तथा जिसको संविधान के किसी कानून द्वारा अन्यत्र वास, पागलपन, अपराध, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्य के आधार पर अयोग्य न ठहराया गया हो।

मूल अधिकार

संविधान में मोटे तौर पर सात प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। ये हैं (1) समता का अधिकार (2) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (3) शोषण से रक्षा का अधिकार

(4) धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार (5) अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति भाषा आदि के संरक्षण और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (6) सम्पत्ति का अधिकार तथा (7) सांविधानिक उपचारों का अधिकार ।

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते तथापि "देश के शासन में उनका ध्यान रखना आवश्यक" माना जाता है। इनमें कहा गया है 'सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो। इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सबको काम करने का समान अधिकार दे और बेरोजगारी बुढ़ापे तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे ।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करने ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने मादक पेयों और औषधियों पर रोक लगाने 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने ग्राम-पंचायतें बनाने तथा रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की व्यवस्था है ।

केन्द्र

कार्यपालिका

केन्द्रीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है ।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा एक निर्वाचक-मण्डल करता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक हो कम-से कम 35 वर्ष की अवस्था का हो तथा लोक-सभा का सदस्य बनने का पात्र हो। राष्ट्रपति का कार्य काल 5 वर्ष होता है और वह राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार भी चुना जा सकता है। अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति संविधान को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। संविधान के विरुद्ध कार्य करने पर उसे अनुच्छेद 61 में विहित कार्यविधि के

अध्याय 3

सरकार

संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को भारत का संविधान अन्तिम रूप में स्वीकार किया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया।

संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के इस संकल्प को स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, तथा समान सामाजिक स्थिति और अवसर प्राप्त होंगे और सबमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करनेवाले भ्रातृभाव को बढ़ावा दिया जाएगा।

संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है जिसके राज्य क्षेत्र में असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान राज्य तथा अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगरहवेली, गोवा, दमन और दीव, दिल्ली, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र हैं।

नागरिकता तथा मताधिकार

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एकल तथा एकसमान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पांच वर्ष तक भारत का निवासी होने की शर्त पूरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों के लिए भारत के नागरिक बनने की व्यवस्था है। विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं बशर्ते कि वे अपने निवासवाले देश में स्थित भारतीय राजनयिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा लें।

संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है, जो भारत का नागरिक हो तथा निर्धारित तिथि को, जो उपयुक्त विधानमण्डल द्वारा नियत की जाएगी, 21 वर्ष से कम वय का न हो, तथा जिसको संविधान के किसी कानून द्वारा अन्यथा नाम, पागलपन, अपराध, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्य के आधार पर अयोग्य न ठहराया गया हो।

मूल अधिकार

संविधान में मोटे तौर पर सात प्रकार के मूल अधिकार गिनाए गए हैं। वे हैं (1) समता का अधिकार (2) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (3) शोषण से रक्षा का अधिकार

पूर्वोक्त तिथि के ही अनुसार केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी निम्नलिखित महानुभाव हैं

कैबिनेट मन्त्री	विभाग
1 जवाहरलाल नेहरू	प्रधान मन्त्री विदेशी मामले और परमाणु-शक्ति
2 मुरारजी देसाई	वित्त
3 जगजीवन राम	परिवहन तथा संचार
4 गुलजारीलाल नन्दा	आयोजना श्रम तथा रोजगार
5 टी टी कृष्णमाचारी	आर्थिक तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी तालमेल
6 लाल बहादुर शास्त्री	गृह
7 सरदार स्वर्ण सिंह	रेल
8 के सी रेड्डी	वाणिज्य और उद्योग
9 एस के पाटील	खाद्य तथा कृषि
10 हाफिज मुहम्मद इब्राहिम	सिंचाई और बिजली
11 अशोक कुमार सेन	कानून
12 वाई बी चह्वाण	प्रतिरक्षा
13 केशवदेव मालवीय	खानें और ईंधन
14 बी गोपाल रेड्डी	सूचना और प्रसारण
15 सी सुब्रह्मण्यम्	इस्पात और भारी उद्योग
16 कालूलाल श्रीमाली	शिक्षा
17 हुमायूं कबीर	वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति
18 सत्यनारायण सिंह	संसदीय मामले
राज्य मन्त्री	
19 मेहरचन्द खन्ना	निर्माण-कार्य आवास और पुनर्वास
20 मनुभाई शाह	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
21 नित्यानन्द कानूनगो	उद्योग
22 राजबहादुर	जहाजरानी
23 एस के डे	सामुदायिक विकास और सहकारिता
24 श्रीमती सुशीला नय्यर	स्वास्थ्य
25 जयसुखलाल हाथी	आपूर्ति
26 श्रीमती लक्ष्मी एन मेनन	विदेशी मामले
27 कोत्ता रघुरामय्या	प्रतिरक्षा उत्पादन
28 सी बी अलगेसन	सिंचाई और बिजली
29 रामसुभग सिंह	खाद्य और कृषि
30 आर एन हजरनवीस	गृह
उप-मन्त्री	
31 बलिराम भगत	वित्त
32 मनमोहन दास	वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति

अनुरूप राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। राज्याध्यक्ष होने की हैसियत से राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने संसद् का अधिवेशन बुलाने उसको स्थगित करने उसमें भाषण देने और उसे सन्देश भेजने तथा लोक-सभा को भंग करने संसद् की अनुपस्थिति में अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी करने धन-विधेयक पेश करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने क्षमा-दान करने तथा रोकने अथवा उसमें कमी करने आदि के अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के इन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा सरकारी अधिकारियों के माध्यम से करता है।

उप-राष्ट्रपति

उप-राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संसद् के दोनो सदनों के सदस्य करते है। उप-राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे कम-से-कम 35 वर्ष की अवस्था का होना चाहिए तथा राज्य-सभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। उप-राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वह राज्य-सभा का पदेन सभापति होता है। इसके अतिरिक्त, बीमारी अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के कार्य न कर सकने की अवस्था में अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने के परिणामस्वरूप पद रिक्त होने के बाद जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता तब तक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यकाल में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा और उसके सभी कर्तव्य निभाएगा। इस कार्यकाल में वह राज्य-सभा के सभापति पद से अलग हो जाएगा।

मन्त्रिपरिषद्

राष्ट्रपति को कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यद्यपि मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है, तथापि वह लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधान मन्त्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् द्वारा केन्द्रीय प्रशासन-कार्यों तथा नए कानूनों के सम्बन्ध में लिए जानेवाले निर्णयों से अवगत कराता रहे।

इस समय भारी मन्त्रिपरिषद् में (1) कैबिनेट पद के मन्त्री (2) वे मन्त्री जो कैबिनेट के सदस्य नहीं परन्तु राज्य मन्त्री का पद धारण करते है और (3) उप-मन्त्री सम्मिलित है।

30 अप्रैल 1963 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् तथा उप-राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन है।

मन्त्रालय के मुख्य प्रशासन-अधिकारी को सचिव कहते हैं जो मन्त्रालय के प्रशासन तथा नीति सम्बन्धी सभी मामलों में मन्त्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। जब किसी मन्त्रालय का काम इतना अधिक हो जाता है कि उसे अकेला सचिव नहीं निबटा सकता तब सुगमता की दृष्टि से एक संयुक्त सचिव के नियन्त्रण में एक अथवा अधिक विभाग स्थापित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक मन्त्रालय विभागों शाखाओं तथा अनुभागों में विभाजित होता है, जिनका कार्य संचालन क्रमश: उप-सचिव (डिप्टी सेक्रेटरी) अवर सचिव (अण्डर सेक्रेटरी) तथा अनुभागाधिकारी (सेक्शन अफसर) के अधीन होता है।

शासन तथा प्रबन्ध विभाग

मार्च 1954 में स्थापित शासन तथा प्रबन्ध विभाग के मुख्य कार्य ये हैं प्रशासनिक सुधारों के प्रति चेतना पैदा करना ऐसे कामों में तालमेल बैठाना और ऐसी नई योजनाएं शुरू करना जो मन्त्रालयों को अनुवर्ती सुधारों की ओर प्रवृत्त करें। इस विभाग की पहले चरण की गतिविधियों का सम्बन्ध सचिवालय के काम को जल्दी निबटाने के लिए सरकारी प्रलेखों तथा अन्य पत्रों की सुव्यवस्थित सम्भाल आदि से था।

अपने कार्य के दूसरे चरण में जो इसने वित्त मन्त्रालय की विशेष पुनर्गठन टुकड़ी के सहयोग से 1961 में आरम्भ किया इस विभाग के जिम्मे सरकार की कार्यक्षमता में सुधार करने शासन संगठनों के बारे में कार्य सम्बन्धी अध्ययन की व्यवस्था करने तथा परियोजनाओं पर व्यय में कमी करने का काम है।

सार्वजनिक सेवाएं

केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अधीन नियुक्त एक स्वतन्त्र निकाय है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस समय (30 अप्रैल 1963) केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष-पद पर श्री बी एन झा आसीन हैं। आयोग के अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं सर्वश्री एच एच वाहीर, बी एन महाजनी ए टी सेन एम एल चतुर्वेदी एम ए वैंकटरमन नायडू, ए बी रामस्वामी तथा बदुक सिंह।

संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार आयोग (1) लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं और पदोन्नति द्वारा केन्द्रीय सरकार की सभी असैनिक सेवाओं तथा अन्य पदों के लिए उम्मीदवार चुनता है तथा (2) नियुक्ति के तरीकों असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयोग में लाए जानेवाले सिद्धान्तों और पदोन्नति तथा तबादले से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देता है।

संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की किसी असैनिक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त कोई भी कर्मचारी उसे नियुक्त करनेवाले अधिकारी से छोटे पद के अधिकारी द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके अतिरिक्त उस कर्मचारी को पद से हटाने या उसका दर्जा घटाने से पहले उसे अपना बचाव करने के लिए उपयुक्त अवसर देना भी आवश्यक है। परन्तु कुछ विशेष स्थितियों में यह विशेषाधिकार देना अनिवार्य नहीं है।

33. शाहनवाज खां	रेल
34. ए एम थामस	खाद्य और कृषि
35. सुब्रेम वेंकटप्प रामस्वामी	रेल
36. मुहम्मद मोहिउद्दीन	परिवहन और संचार
37. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	वित्त
38. पूर्णेन्दु शेखर नस्कर	निर्माण-कार्य आवास और पुनर्वास
39. बैया सूर्यनारायण मूर्ति	सामुदायिक विकास और सहकारिता
40. श्रीमती सुन्दरम रामचन्द्रन	शिक्षा
41. डी आर चह्वाण	प्रतिरक्षा
42. सी आर पट्टाभिरमण	श्रम रोजगार और आयोजना
43. श्रीमती एम चन्द्रशेखर	गृह
44. जगन्नाथ राव	आर्थिक और प्रतिरक्षा सम्बन्धी तालमेल
45. शामनाथ	सूचना और प्रसारण
46. डी एस राजू	स्वास्थ्य
47. दिनेश सिंह	विदेशी मामले
48. बिबुधेन्द्र मिश्र	कानून
49. बी भगवती	परिवहन और संचार
50. श्यामधर मिश्र	सामुदायिक विकास और सहकारिता
51. प्रकाशचन्द्र सेठी	इस्पात तथा भारी उद्योग
52. रतनलाल किशोरीलाल मालवीय	श्रम और रोजगार

संसदीय सचिव

1. अन्ना साहब शिन्दे	खाद्य और कृषि
2. डी एरिंग	विदेशी मामले
3. एस सी जमीर	विदेशी मामले
4. एस अहमद मेहदी	सिंचाई और बिजली
5. कोंडा तिमय्या	खान और ईंधन
6. एम आर कृष्ण	शिक्षा

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी तथा सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। किन्तु राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद अधिक-से-अधिक 15 वर्ष तक जारी रहेगा।

प्रशासनिक संगठन

प्रत्येक मन्त्री का काम प्रधान मन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक मन्त्री को एक मन्त्रालय अथवा किसी मन्त्रालय का एक भाग अथवा एक से अधिक मन्त्रालयों का भार सौंपा जाता है। मन्त्रियों की सहायता के लिए प्राय उप-मन्त्री भी नियुक्त किए जाते हैं।

विधानमण्डल

भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है तथा प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न जनता में निहित है। कार्यपालिका अपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलाप के लिए विधानमण्डल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है।

केन्द्रीय विधानमण्डल में जिसे 'संसद्' कहते हैं, राष्ट्रपति तथा संसद् के दोनों सदन—राज्य-सभा तथा लोक-सभा—शामिल हैं।

राज्य-सभा

राज्य-सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या 250 है जिसमें से 12 सदस्य कला, साहित्य विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में अपनी ख्याति के कारण राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य-सभा भंग नहीं होती। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्य-सभा के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष प्रणाली से होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी अनुसूची में निर्धारित सदस्य-संख्या का निर्वाचन उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद् द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते हैं। राज्य सभा का सदस्य अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक हो और वह 30 वर्ष से कम आयु का न हो।

लोक-सभा

लोक-सभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 है। ये सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि उस राज्य के विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोक-सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 25 होगी जो संसद् के कानून द्वारा विहित ढंग से चुने जाएंगे। यदि राष्ट्रपति यह समझे कि आंग्ल भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह 1970 तक उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोक-सभा में दो आंग्ल-भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोक-सभा की अवधि यदि वह पहले भंग न कर दी जाए, उसकी पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

अभी राज्य-सभा की कुल सदस्य-संख्या 236 है। इनमें से 224 राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। लोक-सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 509 है। इनमें से 500 सदस्य पन्द्रह राज्यों (जम्मू-कश्मीर राज्य के छः सदस्यों सहित जो वहां के विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए) और चार संघीय क्षेत्रों—दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचलप्रदेश—द्वारा सीधे चुने गए हैं और 9 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीयों, छठी अनुसूची के 'ख' भाग में निर्दिष्ट इलाकों, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा गोआ, दमन और दीव के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए गए हैं।

अगले पृष्ठ की सारणी में दोनों सदनों के सदस्यों की राज्यवार बांट तथा लोक-सभा में राजनीतिक पार्टियों की सदस्य-संख्या (31 जनवरी 1963 की स्थिति के अनुसार) दी गई है।

58. मदनमोहन सिंह सिद्धू
59 महावीर प्रसाद भार्गव
60. मुकुट बिहारी लाल
61 मुस्तफा रशीद शेरवानी
62. मुहम्मद इब्राहीम
63. रामगोपाल गुप्त
64. सीताधर मस्ताना
65. श्यामसुन्दर नारायण टंखा
66. सत्याचरण
67 सी डी पाण्डे
68. सीताराम जयपुरिया
69 हीरावल्लभ त्रिपाठी

केरल (9)

70 इब्राहिम सुलेमान सेट
71 ए सुब्बाराव
72 एम एन गोविन्द नायर
73. श्रीमती के भारती
74. के माधव मेनन
75. जोसफ माथन
76. श्रीमती देवकी गोपीदास
77 पी ए सोलोमन
78. बाफ्ट कुन्हीकोया

गुजरात (11)

79. भाई टी मोदाणी
80. चन्दूभाई के देसाई
81 खेमचन्दभाई सोमाभाई चावडा
82. जयसुखलाल लालशंकर हाथी
83. चेठलाल हरिकृष्ण जोशी
84 डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल
85. मगनभाई शंकरभाई पटेल
86. माणिकलाल चुन्नीलाल शाह
87 महीपत मुकुन्दशंकर मेहता
88. रोहित मनुशंकर दवे
89. सुरेश जे देसाई

जम्मू-कश्मीर (4)

90. ए० एम तारीक
91 कृष्णदत्त
92. बुद्ध सिंह
93. पीर मुहम्मद खां

पंजाब (11)

94. श्रीमती अमृत कौर
95. अब्दुल गनी
96. चमन लाल
97 जगन्नाथ कौशल
98. दर्शन सिंह फेरूमान
99. नेकीराम
100. बंसीलाल
101 माधोराम शर्मा
102. मोहन सिंह
103. रघुबीर सिंह पंजहजारी
104. सुरजीत सिंह अटवाल

पश्चिम-बंगाल (16)

105. अस्साउद्दीन अहमद
106. निकुंजबिहारी मैती
107 नीरेन घोष
108. नीहार रंजन राय
109. नौशेर अली
110. पन्नालाल सरावगी
111 बीरेन राय
112. भूपेश गुप्त
113. श्रीमती माया देवी छेत्री
114. मुहम्मद इशाक
115. मृगांक मोहन सूर
116 राजपतसिंह दूगर
117 रामप्रसन्न राय
118. सन्तोषकुमार बसु
119. सुधीर घोष
120. सुरेन्द्रमोहन घोष

31 जनवरी 1963 की स्थिति के अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं

राज्य-सभा

सभापति जाकिर हुसैन उप-सभापति श्रीमती वायलेट अल्वा

असम (7)

1 ए थांगलूर
2 एम हम्पुम्मा
3 एस सी देव
4 महबूल इस्लाम
5 रवीन्द्रनाथ गोस्वामी
6 लीलाधर बरुआ
7 श्रीमती बेदवती बरगोहेन

आन्ध्रप्रदेश (18)

8 अकबर अली खां
9 ए चक्रधर
10 एम वेंकटेश्वर राव
11 एन नरोत्तम रेड्डी
12 एम एच सैम्युअल
13 एम चेन्ना रेड्डी
14 के एल नरसिंहम
15 के एल नरसिंह राव
16 के वी रघुनाथ रेड्डी
17 के वेंकन रेड्डी
18 कोटा पुन्नय्य
19 जे सी नागि रेड्डी
20 पी के कुमारन
21 मक्किनेनी बासवपुन्नय्य
22 बी रामकृष्ण राव
23 वी सी केशवराव
24 श्रीमती सी अम्मन्ना राजा
25 श्रीमती सीता युधवीर

उड़ीसा (10)

26 दिवाकर पटनायक
27 धनंजय महन्ती
28 नन्दकिशोर दास
29 श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
30 बी सी पटनायक
31 बैरागी द्विवेदी
32 मन्मथनाथ मिश्र
33 लोकनाथ मिश्र
34 सत्यानन्द मिश्र
35 सुन्दरमणि पटेल

उत्तरप्रदेश (34)

36 अटल बिहारी वाजपेयी
37 श्रीमती अनीस किदवई
38 अर्जुन अरोड़ा
39 श्रीमती उमा नेहरू
40 उमाशंकर दीक्षित
41 ए सी गिल्बर्ट
42 महावीर प्रसाद शुक्ल
43 कृष्णचन्द्र
44 गौड़ मुरहरि
45 चन्द्रशेखर
46 जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
47 जवाहरलाल रोहतगी
48 जी एस पाठक
49 जोगेशचन्द्र चटर्जी
50 तारकेश्वर पांडे
51 धर्मप्रकाश
52 नफीसुल हसन
53 नवाब सिंह चौहान
54 प्यारेलाल कुरील
55 पी एन सप्रू
56 फरीदुलहक अन्सारी
57 भागवत नारायण भार्गव

58. मदनमोहन सिंह सिपृष्
59. महावीर प्रसाद भार्गव
60. मुकुट विहारी लाल
61. मुस्तफा रशीद शेरवानी
62. मुहम्मद इब्राहीम
63. रामगोपाल गुप्त
64. लीलाधर अस्थाना
65. श्यामसुन्दर नारायण तंखा
66. सत्याचरण
67. सी डी पाण्डे
68. सीताराम जयपुरिया
69. हीरावल्लभ त्रिपाठी

केरल (9)

70. इब्राहिम सुलेमान सेट
71. ए सुब्बाराव
72. एम एन गोविन्द नायर
73. श्रीमती के भारथी
74. के माधव मेनन
75. जोसफ मावन
76. श्रीमती देवकी गोपीदास
77. पी ए सोलोमन
78. पासट कुन्हीकोया

गुजरात (11)

79. आई टी लोहानी
80. कन्धुभाई के देसाई
81. खेमचन्दभाई सोमाभाई चावडा
82. जयसुखलाल लालशंकर हाथी
83. जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
84. डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल
85. मगनभाई शंकरभाई पटेल
86. माणिकलाल चुन्नीलाल शाह
87. महीपत मूलशंकर मेहता
88. रोहित मनुशंकर दवे
89. सुरेश जे देसाई

जम्मू-कश्मीर (4)

90. ए एम तारीक
91. कृष्णदत्त
92. बुद्ध सिंह
93. पीर मुहम्मद खां

पंजाब (11)

94. श्रीमती अमृत कौर
95. अब्दुल गनी
96. चमन लाल
97. जगन्नाथ कौशल
98. दर्शन सिंह फेरूमान
99. नेकीराम
100. बंसीलाल
101. मामोराम शर्मा
102. मोहन सिंह
103. रघुबीर सिंह पंजहजारी
104. सुरजीत सिंह अटवाल

पश्चिम-बंगाल (16)

105. अब्दुर्रहीम अहमद
106. निकुंजबिहारी मैती
107. नीरेन घोष
108. नीहार रंजन राय
109. नीरेन घोष
110. पन्नालाल सरावगी
111. बीरेन राय
112. भूपेश गुप्त
113. श्रीमती माया देवी छेत्री
114. मुहम्मद इशाक
115. मृगांक मोहन सूर
116. राजपतसिंह दूगर
117. रामप्रसन्न राय
118. सन्तोषकुमार बसु
119. सुधीर घोष
120. सुरेन्द्रमोहन घोष

बिहार (22)

121 अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
122 ए मुहम्मद
123 कामता सिंह
124 गंगाशरण सिन्हा
125 जगत किशोर प्रसाद नारायण सिंह
126 श्रीमती महानाथ जयपाल सिंह
127 देवेन्द्र प्रसाद सिंह
128 धीरेन्द्र चन्द्र मलिक
129 प्रफुल चन्द्र मित्र
130 बिपिन बिहारी वर्मा
131 ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा
132 महावीर दास
133 महेश शरण
134 मोहन सिंह ओबेराय
135 राजेन्द्र प्रताप सिन्हा
136 राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
137 रामधारी सिंह दिनकर
138 रामबहादुर सिन्हा
139 श्रीमती लक्ष्मी एन मेनन
140 श्यामनन्दन मिश्र
141 शीलभद्र याजी
142 सैयद महमूद

मद्रास (18)

143 आर गोपाल कृष्णन
144 एन एम अनवर
145 एन एम लिंगम
146 एन रामकृष्ण अय्यर
147 एम ए मणिक्कवेल नायकर
148 एम जे जमाल मोहीदीन
149 एम रत्नस्वामी
150 एम कतनाथ करयालर
151 के सन्तानम
152 के एस रामस्वामी
153 श्रीमती जी पार्थसारथी
154 जी राजगोपालन
155 जे शिवषण्मुगम पिल्लै
156 टी एस अविनाशिलिंगम चेट्टियार
157 टी एस पट्टाभिरमन
158 वामन श्रीनिवासन
159 पी राममूर्ति
160 सी एन अन्नादुरई

मध्यप्रदेश (16)

161 आर एस खाण्डेकर
162 ए डी मणि
163 गुरुदेव गुप्त
164 गोपीकृष्ण विजयवर्गीय
165 दयालदास कुर्रे
166 निरंजन सिंह
167 प्रकाश चन्द्र सेठी
168 बनारसीदास चतुर्वेदी
169 भानुप्रताप सिंह
170 रतनलाल किशोरीलाल मालवीय
171 राम सहाय
172 लक्ष्मीनारायण दास
173 विमलकुमार मन्नालालजी चोरडिया
174 विष्णु विनायक सर्वटे
175 सईद अहमद
176 श्रीमती सीता परमानन्द

महाराष्ट्र (19)

177 आबिद अली
178 गोवरदास कासिमदास शाह
179 गणपत राव देवजी तापसे
180 डी बी देसाई
181 श्रीमती तारा रामचन्द्र साठे
182 देवकीनन्दन नारायण
183 धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार
184 पंढरीनाथ सीताराम पाटील
185 बाबासाहेब सावनेकर
186 बापूभाई चिनाय
187 भाऊराव कृष्णराव गायकवाड
188 भाऊराव देवजी खोब्रागडे

लोक-सभा

अध्यक्ष हुकम सिंह — उपाध्यक्ष एस वी कृष्णमूर्ति राव

निर्वाचन-क्षेत्र	सदस्य	दल*
	असम (12)	
1 कछार	श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	कांग्रेस
2 करीमगंज	*निहार रंजन लश्कर*	कांग्रेस
3 ग्वालपाड़ा	धरणीधर बसुमतारी	कांग्रेस
4 गौहाटी	हेम बरुआ	प्रजा समाजवादी
5 जोरहाट	*राजेन्द्र नाथ बरुआ*	*प्रजा समाजवादी*
6 डिब्रूगढ़	जोगेन्द्रनाथ हजारिका	कांग्रेस
7 दारंग	विजयचन्द्र भगवती	कांग्रेस
8 धुबरी	गयासुद्दीन अहमद	कांग्रेस
9 नौगांव	लीलाधर कोटकी	कांग्रेस
10 बरपेटा	श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी	कांग्रेस
11 शिवसागर	प्रफुल्लचन्द्र बरुआ	कांग्रेस
12 स्वायत्तशासी जिले (सु)†	जी जिलबर्ट स्वैल	निर्दलीय
	आन्ध्रप्रदेश (43)	
13 ओंगोल	मदाला नारायणस्वामी	कम्युनिस्ट
14 अनकापली	मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति	कांग्रेस
15 अदोनी	पार्देकान्ति वेंकटसुब्बैया	कांग्रेस
16 अनन्तपुर	उसमान अली खां	कांग्रेस
17 अमलापुरम	बय्या सूर्यनारायण मूर्ति	कांग्रेस
18 आदिलाबाद	*जी नारायण रेड्डी*	*कांग्रेस*
19 एलुरु	श्रीमती वी विमला देवी	कम्युनिस्ट
20 कडप्पा	येद्दुला ईश्वर रेड्डी	कम्युनिस्ट
21 करीमनगर	जे रमापति राव	कांग्रेस
22 काकीनाडा	एम तिरुमल राव	कांग्रेस
23 कावेली	बी गोपाल रेड्डी	कांग्रेस
24 कुरनूल	श्रीमती यशोदा रेड्डी	कांग्रेस
25 खम्मम	श्रीमती टी लक्ष्मीकान्तम्मा	कांग्रेस
26 गढ़वाल	जे रामेश्वर राव	कांग्रेस
27 गुडिवाडा	मगन्टी अंकिनीडु	कांग्रेस

*चुनाव के समय सम्बन्धित दल

†अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सुरक्षित स्थानों के लिए कोष्ठकों में (सु) प्रकट किया हुआ है।

189 रामराव माधवराव देशमुख
190. मासजी पेन्डसे
191 रिक्त
192. विट्ठल तुकाराम कुलकर्णी
193. विट्ठलराव तुकाराम नागपुरे
194. श्रीपाद कृष्ण लिमये
195. सोनुसिंह धर्मसिंह पाटील

मैसूर (12)

196. श्रीमती यशपूर्णा देवी तिम्मरड्डी
197 एन श्रीराम रेड्डी
198. एम एस गुरुपदस्वामी
199. एम गोविन्द रेड्डी
200. ज वेंकटप्प
201 बी पी करमरकर
0_ बी पी वासप्प शेट्टी
203. वी सी मंजलय्या
04. पाटील पुलप्प
05. मुल्क गोविन्द रेड्डी
206. श्रीमती यायमेर घमवा
07 शेर खां

राजस्थान (10)

08. यमुना ठाकूर
209. कुम्भा राम
210. केसरानन्द
211 रिक्त
21_ नेमिचन्द कासलीवाल
12. पी एन काटजू
214 रमेश चन्द्र
215 विजय सिंह

216. सवाई मानसिंह
217 सादिक अली

दिल्ली (3)

218. महमूद अली
219. कुमारी शान्ता वसिष्ठ
220. सन्तोष सिंह

हिमाचलप्रदेश (2)

221 आनन्द चन्द
222 शिवानन्द रमौल

मणिपुर (1)

223. ललामयुम ललित माधव शर्मा

त्रिपुरा (1)

224. तड़ित मोहन दास गुप्त

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (1_)

225. आर आर दिवाकर
226. ए आर वाडिया
227 एम सत्यनारायण
2_8. काका साहेब कालेलकर
_29 मोराम सिंह
_30. जयरामदास दौलतराम
_31 ताराचन्द
232. ताराशंकर बनर्जी
233 बी बी (मामा) वरेरकर
234 मैथिलीशरण गुप्त
_235 मोहनलाल सक्सेना
236 बी टी कृष्णमाचारी

लोक-सभा

अध्यक्ष : हुकम सिंह

उपाध्यक्ष : एस. वी. कृष्णमूर्ति राव

निर्वाचन-क्षेत्र	सदस्य	दल*
असम (12)		
1 कछार	श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	कांग्रेस
2 करीमगंज	निहार रंजन लसकर	कांग्रेस
3 ग्वालपाड़ा	धरणीधर बसुमतारी	कांग्रेस
4 गौहाटी	हेम बरुआ	प्रजा समाजवादी
5 जोरहाट	राजेन्द्र नाथ बरुआ	प्रजा समाजवादी
6 डिब्रूगढ़	जोगेन्द्रनाथ हजारिका	कांग्रेस
7 दारंग	विजयचन्द्र भगवती	कांग्रेस
8 धुबरी	गयासुद्दीन अहमद	कांग्रेस
9 नौगांव	लीलाधर कोटकी	कांग्रेस
10 बरपेटा	श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी	कांग्रेस
11 शिवसागर	प्रफुल्लचन्द्र बरुआ	कांग्रेस
12 स्वायत्तशासी जिले (सु)†	जी. गिलबर्ट स्वेल	निर्दलीय
आन्ध्रप्रदेश (43)		
13 अंगोल	मदाला नारायणस्वामी	कम्युनिस्ट
14 अनकापल्ली	मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति	कांग्रेस
15 अदोनी	पाण्डेकान्ति वेंकटसुबैया	कांग्रेस
16 अनन्तपुर	उसमान अली खां	कांग्रेस
17 अमलापुरम	बय्या सूर्यनारायण मूर्ति	कांग्रेस
18 आदिलाबाद	जी. नारायण रेड्डी	कांग्रेस
19 एलुरु	श्रीमती वी. विमला देवी	कम्युनिस्ट
20 कडप्पा	येद्दुला ईश्वर रेड्डी	कम्युनिस्ट
21 करीमनगर	जे. रमापति राव	कांग्रेस
22 काकीनाडा	एम. तिरुमल राव	कांग्रेस
23 कावेली	बी. गोपाल रेड्डी	कांग्रेस
24 कुरनूल	श्रीमती यशोदा रेड्डी	कांग्रेस
25 खम्मम	श्रीमती टी. लक्ष्मीकान्तम्मा	कांग्रेस
26 गदवाल	जे. रामेश्वर राव	कांग्रेस
27 गुडिवाडा	मगन्ती अंकिनीडु	कांग्रेस

*चुनाव के समय सम्बन्धित दल

†अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सुरक्षित स्थानों के लिए कोष्ठकों में (सु) अंकित किया हुआ है।

1	2	3
94 गोण्डा	रामरतन गुप्त	कांग्रेस
95 गोरखपुर	सिंहासन सिंह	कांग्रेस
96 घाटमपुर (सु)	तुलाराम	कांग्रेस
97 घोसी	जय बहादुर सिंह	कम्युनिस्ट
98 चन्दौली	बालकृष्ण सिंह	कांग्रेस
99 चैल (सु)	मसूरिया दीन	कांग्रेस
100 जलेसर	कृष्णपाल सिंह	स्वतन्त्र
101 जालौन (सु)	राम सेवक	कांग्रेस
102 जौनपुर	रिक्त	—
103 झांसी	श्रीमती सुशीला नय्यर	कांग्रेस
104 टेहरी-गढ़वाल	मानवेन्द्र शाह	कांग्रेस
105 डुमरियागंज	कृपाशंकर	कांग्रेस
106 देवरिया	विश्वनाथ राय	कांग्रेस
107 देहरादून	महावीर त्यागी	कांग्रेस
108 नैनीताल	कृष्णचन्द्र पन्त	कांग्रेस
109 प्रतापगढ़	अजितप्रताप सिंह	जन संघ
110 पीलीभीत	मोहनस्वरूप	प्रजा समाजवादी
111 फतेहपुर	गौरीशंकर कक्कड़	निर्दलीय
112 फर्रुखाबाद	रिक्त	—
113 फिरोजाबाद	शम्भुनाथ चतुर्वेदी	कांग्रेस
114 फूलपुर	जवाहरलाल नेहरू	कांग्रेस
115 फैजाबाद	ब्रजवासी लाल	कांग्रेस
116 बांसगांव (सु)	महादेव प्रसाद	कांग्रेस
117 बांसी (सु)	शिव नारायण	कांग्रेस
118 बदायूं	ओंकार सिंह	जन संघ
119 बरेली	बृजराज सिंह	जन संघ
120 बलरामपुर	श्रीमती सुभद्रा जोशी	कांग्रेस
1 1 बलिया	मुरली मनोहर	कांग्रेस
1 2 बस्ती	केशवदेव मालवीय	कांग्रेस
123 बहराइच	राम सिंह	स्वतन्त्र
124 बांदा	श्रीमती सावित्री निगम	कांग्रेस
1 5 बाराबंकी	रामसेवक यादव	समाजवादी
126 बिजनौर	प्रकाशवीर शास्त्री	निर्दलीय
127 बिल्हौर	ब्रज बिहारी मेहरोत्रा	कांग्रेस
128 बिसौली	अन्सार हरवानी	कांग्रेस

1	2	3
61 क्योंझर	लक्ष्मीनारायण भंजदेव	कांग्रेस
62 कनपुर	अनन्त त्रिपाठी शर्मा	कांग्रेस
63 जाजपुर (सु)	रामचन्द्र मलिक	कांग्रेस
64 ढेंकानाल	वैष्णव चरण पटनायक	कांग्रेस
65 नौरंगपुर	जगन्नाथ राव	कांग्रेस
66 पुरी	विबुधेन्द्र मिश्र	कांग्रेस
67 फूलबनी (सु)	राजेन्द्र कोहर	स्वतन्त्र
68 बालासोर	गोकुलानन्द महन्ती	कांग्रेस
69 बोलांगीर (सु)	हृषीकेश महानन्द	स्वतन्त्र
70 भंजनगर	मोहन नायक	कांग्रेस
71 भद्रक (सु)	कान्हू चरण जेना	कांग्रेस
72 भुवनेश्वर	पूरणचन्द्र देवभंज	कांग्रेस
73 मयूरभंज (सु)	महेश्वर नायक	कांग्रेस
74 सम्बलपुर	किशन पटनायक	समाजवादी
75 सुन्दरगढ़ (सु)	यज्ञनारायण सिंह	स्वतन्त्र

उत्तरप्रदेश (86)

1	2	3
76 अकबरपुर	पन्ना लाल	कांग्रेस
77 अमरोहा	रिक्त	—
78 अल्मोड़ा	जंगबहादुर सिंह बिष्ट	कांग्रेस
79 अलीगढ़	बी पी मौर्य	रिपब्लिकन
80 आगरा	अचल सिंह	कांग्रेस
81 आजमगढ़	रामहर्ष यादव	कांग्रेस
82 इटावा	बोलीनाथ दीक्षित	कांग्रेस
83 इलाहाबाद	लालबहादुर शास्त्री	कांग्रेस
84 उन्नाव	कृष्णदेव त्रिपाठी	कांग्रेस
85 एटा	बिशन चन्द्र सेठ	हिन्दू महासभा
86 करीमगंज	पी के कमा	कांग्रेस
87 कानपुर	एस एम बनर्जी	निर्दलीय
88 कैराना	यशपाल सिंह	स्वतन्त्र
89 कैसरगंज	श्रीमती बसन्त कुंवरी	स्वतन्त्र
90 खुरजा (सु)	कन्हैया लाल बाल्मीकि	कांग्रेस
91 खेरी	बालगोविन्द वर्मा	कांग्रेस
92 गढ़वाल	भक्तदर्शन	कांग्रेस
93 गाजीपुर	विश्वनाथ सिंह गहमरी	कांग्रेस

1		2	3
228	कलकत्ता (उ प)	अशोक कुमार सेन	कांग्रेस
229	कलकत्ता (द प)	इन्द्रजीत गुप्त	कम्युनिस्ट
230	कलकत्ता (म)	हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी	कम्युनिस्ट
231	कलकत्ता (पू)	रणेन सेन	कम्युनिस्ट
232	कूचबिहार (सु)	देवेन्द्रनाथ करजी	फारवर्ड ब्लाक
233	कोन्टाई	बसन्त कुमार दास	कांग्रेस
234	घाटल	सचीन्द्रनाथ चौधरी	कांग्रेस
235	जलपाईगुड़ी	नलिनी रंजन घोष	कांग्रेस
236	जयनगर (सु)	परेशनाथ कायल	कांग्रेस
237	झारग्राम (सु)	सुबोध हसदा	कांग्रेस
238	डायमण्ड हार्बर	सुधांशुभूषण दास	कांग्रेस
239	तामलूक	सतीशचन्द्र सामन्त	कांग्रेस
240	दार्जिलिंग	टी मनायन	कांग्रेस
241	नवद्वीप	हरिपद चटर्जी	निर्दलीय
242	पुरुलिया	भजहरि महतो	निर्दलीय
243	बर्दवान	गुरुगोविन्द बसु	कांग्रेस
244	बरहमपुर	त्रिदिब कुमार चौधरी	क्रान्तिकारी
45	बेलूरघाट (सु)	सरकार मुरमू	कम्युनिस्ट
246	बसीरहाट	हुमायूं कबिर	कांग्रेस
247	बारासत	अरुणचन्द्र गुह	कांग्रेस
248	बांकुरा	रामगति बनर्जी	कांग्रेस
249	वीरभूम (सु)	शिशिरकुमार साहा	कांग्रेस
250	बैरकपुर	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कम्युनिस्ट
251	मालदा	श्रीमती रेणुका रे	कांग्रेस
252	मथुरापुर (सु)	पूर्णेन्दु शेखर नस्कर	कांग्रेस
253	मिदनापुर	गोविन्द कुमार सिन्हा	कांग्रेस
254	मुर्शिदाबाद	सैयद बदरुद्दीन	निर्दलीय
255	रायगंज	चपलाकान्त भट्टाचार्य	कांग्रेस
256	विष्णुपुर (सु)	पशुपति मण्डल	कांग्रेस
57	सिरामपुर	दिनेन भट्टाचार्य	कम्युनिस्ट
58	हावड़ा	मुहम्मद इलियास	कम्युनिस्ट
259	हुगली	प्रभात कर	कम्युनिस्ट
		बिहार (53)	
260	औरंगाबाद	श्रीमती ललिता राज्यलक्ष्मी	स्वतन्त्र
61	कटिहार	प्रिय गुप्त	प्रजा समाजवादी

	1	2	3
196	मेहसाना	मानसिंह पृथ्वीराज पटेल	कांग्रेस
197	राजकोट	यू एन ढेबर	कांग्रेस
198	साबरकांठा	गुलजारीलाल नन्दा	कांग्रेस
199	साबरमती (सु)	मूलदास भूधरदास वैश्य	कांग्रेस
200	सुरेन्द्रनगर	घनश्यामभाई सी ओझा	कांग्रेस
201	सूरत	मोरारजी देसाई	कांग्रेस
		पंजाब (22)	
202	अम्बाला (सु)	चुन्नीलाल	कांग्रेस
203	अमृतसर	गुरमुख सिंह मुसाफिर	कांग्रेस
204	ऊना (सु)	दलजीत सिंह	कांग्रेस
205	करनाल	रामेश्वरानन्द	जन संघ
206	कांगड़ा	हेमराज	कांग्रेस
207	कैथल	देवदत्त पुरी	कांग्रेस
208	गुड़गांव	गजराज सिंह राव	कांग्रेस
209	गुरदासपुर	दीवानचन्द शर्मा	कांग्रेस
210	जालन्धर	स्वर्ण सिंह	कांग्रेस
211	झज्जर	जगदेवसिंह सिद्धान्ती	निर्दलीय
212	तरनतारन	सुरजीत सिंह मजीठिया	कांग्रेस
213	पटियाला	हुकम सिंह†	कांग्रेस
214	फिरोजपुर	इकबाल सिंह	कांग्रेस
215	फिल्लौर (सु)	साधुराम	कांग्रेस
216	भटिण्डा (सु)	धन्ना सिंह गुलशन	स्वतन्त्र
217	महेन्द्रगढ़	युधवीर सिंह चौधरी	जन संघ
218	मोगा (सु)	बूटा सिंह	स्वतन्त्र
219	रोहतक	लहरी सिंह	जन संघ
220	लुधियाना	कपूर सिंह	स्वतन्त्र
221	संगरूर	रणजीत सिंह	कांग्रेस
222	हिसार	मनिराम बागड़ी	समाजवादी
223	होशियारपुर	अमरनाथ विद्यालंकार	कांग्रेस
		पश्चिम-बंगाल (36)	
224	आसनसोल	अतुल्य घोष	कांग्रेस
225	औसग्राम (सु)	मनमोहन दास	कांग्रेस
226	उलूबेरिया	पूर्णेन्दु नारायण खान	कांग्रेस
227	कटवा	सरदीश राय	कम्युनिस्ट

† हुकम सिंह कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे परन्तु लोक-सभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद नियमानुसार, किसी भी राजनीतिक दल से उनका सम्बन्ध नहीं रह गया ।

1		2	3
297	मोतिहारी	विभूति मिश्र	कांग्रेस
298	रांची (प) (सु)	जयपाल सिंह	झारखण्ड
299	रांची (पू)	प्रशान्त कुमार घोष	स्वतन्त्र
300	राजमहल (सु)	ईश्वर मरांडी	झारखण्ड
301	रोसड़ा (सु)	रामेश्वर साहु	कांग्रेस
302	लोहारडग्गा	डेविड मुंजनी	प्रजा समाजवादी
303	शाहाबाद	बलिराम भगत	कांग्रेस
304	समस्तीपुर	सत्यनारायण सिन्हा	कांग्रेस
305	सहर्षा	भूपेन्द्र नारायण मण्डल	समाजवादी
306	सासाराम (सु)	जगजीवन राम	कांग्रेस
307	सिवान	मुहम्मद यूसुफ़	कांग्रेस
308	सिंहभूम (सु)	हरिचरण सोय	झारखण्ड
309	सीतामढ़ी	नगेन्द्र प्रसाद यादव	कांग्रेस
310	सोनबर्सा (सु)	तुलमोहन राम	कांग्रेस
311	हजारीबाग	बसन्त नारायण सिंह	स्वतन्त्र
312	हाजीपुर	राजेश्वर पटेल	कांग्रेस

मद्रास (41)

313	अरुप्पुकोट्टई	यू मुत्तु रामलिंग तेवर	स्वतन्त्र
314	इरोड	एम के परमशिवम्	कांग्रेस
315	कडलूर	टी रामबद्रन	द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम
316	करूर	आर रामनाथन चेट्टियार	कांग्रेस
317	कुम्भकोणम	सी आर पट्टाभिरमण	कांग्रेस
318	कृष्णगिरि	के राजाराम	द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम
319	कोयम्बतूर	पी आर रामकृष्णन्	कांग्रेस
320	कोविलपट्टि (सु)	एस सी बालकृष्णन्	कांग्रेस
321	गोबिचेट्टिपालयम	पी जी करुतिरुमन	कांग्रेस
322	चिंगलपट	ओ वी अलगेसन	कांग्रेस
323	चिदम्बरम	आर कनकसबाई	कांग्रेस
324	डिण्डीगल	श्रीमती एस रामचन्द्रम	कांग्रेस
325	तंजोर	वी वैरव तेवर	कांग्रेस
326	तिण्डिवनम	आर वेंकट सुब्बारेड्डियार	कांग्रेस
327	तिरुप्पूर (सु)	एल एलायपेरुमाल	कांग्रेस
328	तिरुच्चिरापल्लि	आनन्द नम्बियार	कम्युनिस्ट
329	तिरुचेंगोड	एस कन्दप्पन	द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम

1	2	3
262 किशनगंज	मुहम्मद ताहिर	कांग्रेस
263 केसरिया	भीष्म प्रसाद यादव	कांग्रेस
264 खगड़िया	जियालाल मण्डल	कांग्रेस
265 गया	ब्रजेश्वर प्रसाद	कांग्रेस
266 गिरिडीह	बटेश्वर सिंह	स्वतन्त्र
267 गोड्डा	प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका	कांग्रेस
268 गोपालगंज	द्वारकानाथ तिवारी	कांग्रेस
269 चतरा	श्रीमती विजया राजे	स्वतन्त्र
270 छपरा	रामेश्वर प्रसाद सिंह	कांग्रेस
271 जमशेदपुर	उदयकर मिश्र	कम्युनिस्ट
272 जमुई (सु)	नयनतारा दास	कांग्रेस
273 जयनगर	यमुना प्रसाद मण्डल	कांग्रेस
274 जहानाबाद	श्रीमती सत्यभामा देवी	कांग्रेस
275 दरभंगा (सु)	श्रीनारायण दास	कांग्रेस
276 दुमका (सु)	सत्यचरण बेसरा	कांग्रेस
277 धनबाद	पी आर चक्रवर्ती	कांग्रेस
278 नवादा (सु)	रामधनी दास	कांग्रेस
279 नालन्दा	सिद्धेश्वर प्रसाद	कांग्रेस
280 पटना	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	कांग्रेस
281 पलामू	श्रीमती शशांक मंजरी	स्वतन्त्र
282 पुपरी	[illegible] प्रसाद शाह	कांग्रेस
283 पूर्णिया	फणिगोपाल सेन	कांग्रेस
284 बांका	श्रीमती शकुन्तला देवी	कांग्रेस
285 बक्सर	अनन्तप्रसाद शर्मा	कांग्रेस
286 बगहा	कमलानाथ तिवारी	कांग्रेस
287 [illegible] (सु)	भोला राउत	कांग्रेस
288 बाढ़	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	कांग्रेस
289 बिक्रमगंज	रामसुभग सिंह	कांग्रेस
290 बेगूसराय	मथुरा प्रसाद मिश्र	कांग्रेस
291 भागलपुर	भागवत झा आजाद	कांग्रेस
292 मधुबनी	योगेन्द्र झा	प्रजा समाजवादी
293 महाराजगंज	कृष्णकान्त सिंह	कांग्रेस
294 महुआ (सु)	चन्द्रमणि लाल चौधरी	कांग्रेस
95 मुंगेर	बनारसी प्रसाद सिंह	कांग्रेस
296 मुजफ्फरपुर	दिग्विजय नारायण सिंह	कांग्रेस

1		2	3
330	तिरुचेन्दूर	टी टी कृष्णमाचारी	कांग्रेस
331	तिरुनेल्वेलि	पी मुतैया	कांग्रेस
332	तिरुप्पत्तूर	आर मुत्तु गौण्डर	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
333	तिरुवन्नमलाइ	आर धर्मलिंगम	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
334	तिरुवल्लूर	वी गोविन्दस्वामी नायडू	कांग्रेस
335	तन्काशी	एम पी स्वामी	कांग्रेस
336	नागपट्टिनम्	गोपाल स्वामी तेनकोण्डर	कांग्रेस
337	नागरकोइल	ए नेसमणि	कांग्रेस
338	नामक्कल (सु)	वी के रामस्वामी	कांग्रेस
339	नीलगिरी	श्रीमती अक्कम्मा देवी	कांग्रेस
340	पुदुकोटइ	आर उमानाथ	कम्युनिस्ट
341	पेराम्बुदूर	ऐरा सेझीयन	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
342	पेरियकुलम	एम मलाइचामी	कांग्रेस
343	पोल्लाची	सी सुब्रह्मण्यम्	कांग्रेस
344	मद्रास (द)	पी श्रीनिवासन	कांग्रेस
345	मद्रास (उ)	के मनोहरन	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
346	मदुरइ	एन एम आर सुब्बरमन	कांग्रेस
347	मयूरम् (सु)	श्रीमती एम चन्द्रशेखरन	कांग्रेस
348	मेलूर (सु)	पी मरुतैया	कांग्रेस
349	रामनाथपुरम्	एन अरुणाचलम	कांग्रेस
350	वन्दीवाश	जय रमन	कांग्रेस
351	वेल्लोर	टी अब्दुल वहीद	कांग्रेस
352	श्रीपेरुमबुदूर (सु)	पी शिवशंकरन	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
353	सलम	एस वी रामस्वामी	कांग्रेस

मध्यप्रदेश (36)

354	इन्दौर	होमी एफ दाजी	कम्युनिस्ट
355	उज्जैन	राधेलाल व्यास	कांग्रेस
356	खजुराहो	रामसहाय तिवारी	कांग्रेस
357	खण्डवा	महेशदत्त मिश्र	कांग्रेस
358	खरगोन	रामचन्द्र बड़े	जन संघ
359	गुना	रामसहाय शिवप्रसाद पाण्डेय	कांग्रेस
360	ग्वालियर	श्रीमती विजया राजे सिंधिया	कांग्रेस
361	छिन्दवाड़ा	बी एल चाण्डक	कांग्रेस
362	जंजगीर	अमरसिंह सहगल	कांग्रेस

1	2	3
396. कोपरगाँव	अण्णासाहब पी शिन्दे	कांग्रेस
397. कोलाबा	भास्कर नारायण दिघे	कांग्रेस
398. कोल्हापुर	विश्वनाथ तुकाराम पाटील	कांग्रेस
399. खामगाँव (सु)	लक्ष्मणराव श्रवणजी भाटकर	कांग्रेस
400. खेड़	रघुनाथ के खाडिलकर	कांग्रेस
401. गोंदिया (सु)	बालकृष्ण आर वासनीक	कांग्रेस
402. चान्दा	एल शा लाल	निर्दलीय
403. जलगाँव	जे एस पाटील	कांग्रेस
404. जालना	रामराव नारायणराव सोनीकर	कांग्रेस
405. ठाणा	सोनुभाऊ डी बसवन्त	कांग्रेस
406. धुलिया	सी ए रवसे	कांग्रेस
407. नन्दुरबार (सु)	लक्ष्मण वेडु वल्वी	कांग्रेस
408. नागपुर	एम एस अणे	निर्दलीय
409. नान्देड़	तुलसीदास सुभानराव जाधव	कांग्रेस
410. नासिक	गोविन्दहरि देशपाण्डे	कांग्रेस
411. पन्धरपुर (सु)	तयप्पा हरि सोनवणे	कांग्रेस
412. परभनी	शिवाजी राव एस देशमुख	कांग्रेस
413. पूना	शंकर राव मारुतराव मोरे	कांग्रेस
414. बम्बई नगर (उ)	वी के कृष्णमेनन	कांग्रेस
415. बम्बई नगर (द)	एस के पाटील	कांग्रेस
416. बम्बई नगर (म उ)	वी बी गांधी	कांग्रेस
417. बम्बई नगर (म) (सु)	एन एस काजरोलकर	कांग्रेस
418. बारामती	गुलाबराव के जेधे	कांग्रेस
419. बुलढाना	शिवराम आर राणे	कांग्रेस
420. भण्डारा	आर एम हाजरनवीस	कांग्रेस
421. भिवण्डी (सु)	यशवन्तराव मार्तण्डराव मुकाने	कांग्रेस
422. भीर	द्वारका दास मन्त्री	कांग्रेस
423. मालेगाँव	माधव राव एल जाधव	कांग्रेस
424. मिरज	विजयसिंहराव रामराव डफले	कांग्रेस
425. यवतमाल	देवराव शिवराम पाटील	कांग्रेस
426. रत्नागिरि	श्रीमती शारदा मुखर्जी	कांग्रेस
427. राजापुर	नाथ पाई	प्रजा समाजवादी
428. रामटेक	माधवराव बी पाटील	कांग्रेस
429. लातूर (सु)	तुलसीराम दशरथ काम्बले	कांग्रेस
430. वर्धा	कमलनयन बजाज	कांग्रेस

1	2	3
462. उदयपुर (सु)	धुलेश्वर मीना	कांग्रेस
463. कोटा (सु)	ओंकारलाल बेरवा	जन संघ
464. गंगानगर (सु)	पन्नालाल बारूपाल	कांग्रेस
465. चित्तौड़गढ़	माणिक्य लाल वर्मा	कांग्रेस
466. जयपुर	श्रीमती गायत्री देवी	स्वतन्त्र
467. जालोर	हरिश्चन्द्र माथुर	कांग्रेस
468. जोधपुर	लक्ष्मीमल सिंघवी	निर्दलीय
469. झालावाड़	ब्रजराज सिंह	कांग्रेस
470. झुंझनू	राधेश्याम आर मोरारका	कांग्रेस
471. दौसा	पृथ्वीराज	स्वतन्त्र
472. नागौर	सुरेन्द्र कुमार डे	कांग्रेस
473. पाली	जसवन्त राज मेहता	कांग्रेस
474. बाड़मेर	तनसिंह	रामराज्य परिषद
475. बांसवाड़ा (सु)	रतनलाल	कांग्रेस
476. बीकानेर	करणी सिंह	निर्दलीय
477. भरतपुर	राजबहादुर	कांग्रेस
478. भीलवाड़ा	के एल श्रीमाली	कांग्रेस
479. सवाई माधोपुर (सु)	केसर लाल	स्वतन्त्र
480. सीकर	रामेश्वर टांटिया	कांग्रेस
481. हिण्डौन	टीकाराम पालीवाल	कांग्रेस

दिल्ली (5)

482. करोलबाग (सु)	नवल प्रभाकर	कांग्रेस
483. चांदनी चौक	श्यामनाथ	कांग्रेस
484. दिल्ली सदर	शिवचरण गुप्त	कांग्रेस
485. नई दिल्ली	मेहरचन्द खन्ना	कांग्रेस
486. बाह्य दिल्ली	ब्रह्मप्रकाश	कांग्रेस

मणिपुर (2)

487. आन्तरिक मणिपुर	एस टी सिंह	कांग्रेस
488. बाह्य मणिपुर (सु)	आर कीशिंग	समाजवादी

त्रिपुरा (2)

489. त्रिपुरा पश्चिम	बीरेन दत्त	कम्युनिस्ट
490. त्रिपुरा पूर्व (सु)	दशरथ देव	कम्युनिस्ट

सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा प्रमाणित दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पास इस आशय का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिए जाने के बाद राष्ट्रपति उसके हटाए जाने का आदेश न दे दे।

इस समय (30 अप्रैल 1963) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद को श्री बी पी सिन्हा सुशोभित करते हैं। अन्य न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार हैं—सर्वश्री जे इमाम एस के दास पी बी गजेन्द्रगडकर, अमल कुमार सरकार, के सुब्बराव के एन वांचू एम हिदायतुल्ला के सी दास गुप्त जे सी शाह, रघुबर दयाल एन राजगोपाल अय्यंगार तथा जे आर मधोलकर।

भारत सरकार के विधि-अधिकारी ये हैं

एटार्नी जनरल :	सी के दफ्तरी
सालिसिटर जनरल	एच एन सान्याल
अतिरिक्त सालिसिटर जनरल :	एस बी गुप्त

न्यायाधिकार-क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय को सीधे मुकदमे लेने तथा अपील सुनने का अधिकार है। केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के झगड़े अथवा दो या अधिक राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निर्णय करने का अधिकार भी एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू करवाने के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठने की सम्भावनावाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जारी की गई डिग्री अथवा अन्तिम आदेश के सम्बन्ध में अथवा ऐसे दीवानी मामलों में जिनमें झगड़े के विषय से सम्बन्धित राशि 20 000 रु से कम न हो अथवा जिसके निर्णय डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो उपर्युक्त उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणपत्र दिए जाने पर कि अमुक मामले को अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति प्रदान किए जाने पर अपील सुन सकता है। फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड सुना दे (ख) किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड सुना दे अथवा (ग) यह प्रमाणपत्र दे दे कि अमुक मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिए गए निर्णय डिग्री दण्ड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 143

संसद् के कार्य तथा शक्तियां

देश के लिए कानून बनाना तथा सरकार की आवश्यकताओं और राज्य की सेवाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार्य हैं। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है और यही सदन मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों की स्वीकृति देता है। लोक-सभा सरकार के बजट को अथवा उसके किसी अन्य बड़े वैधानिक प्रस्ताव को पास करने से इन्कार करके अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है। संसद् को राष्ट्रपति पर दोषारोपण करने तथा संविधान में बताई कार्यविधि के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा लेखा नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त है।

प्रत्येक कानून के लिए संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यद्यपि वित्त सम्बन्धी सभी प्रकार के कानूनों की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, तथापि अनुदानों, कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक-सभा ही दे सकती है। संसद् को सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन* परिस्थितियों में संसद् को राज्य-सूची वाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है।

संसदीय समितियां

संसदीय समितियां संसद् के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों के तीन वर्ग हैं (1) वे समितियां जो मुख्यतः सदन के संगठन तथा अधिकारों सम्बन्धी कार्यों के लिए नियुक्त की जाती हैं (2) वे समितियां जो सदनों को कानून-निर्माण के कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं तथा (3) वे समितियां जिन्हें वित्तीय कार्य सौंपे जाते हैं। तीसरे वर्ग की समितियों में सार्वजनिक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति विशेष उल्लेखनीय हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण समिति सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित है।

न्यायपालिका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक-से-अधिक तेरह न्यायाधिपति होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधिपति 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा वह किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश अथवा किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में कम-से-कम दस वर्ष तक वकील रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की सम्मति में वह कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

---

*चीनी आक्रमण से भारत की सुरक्षा को खतरा हो जाने के कारण भारत के राष्ट्रपति ने 26 अक्तूबर, 1962 को देश में पहली बार संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की।

विभाग का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। अधिकांश राज्यों में राज्य आयोजना बोर्ड स्थापित किए गए हैं। इन बोर्डों में प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्ति भी होते हैं।

विधानमण्डल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त दो सदन होते हैं किन्तु असम उड़ीसा केरल गुजरात तथा राजस्थान में केवल एक-एक सदन की ही व्यवस्था है। उच्च सदन विधान-परिषद् कहलाता है तथा निचला सदन विधान-सभा। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संसद् किसी वर्तमान विधान-परिषद् को समाप्त करने अथवा किसी राज्य में उसकी स्थापना करने की व्यवस्था कर सकती है।

विधान-परिषद्

प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। परिषद् के लगभग एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं, जो विधान-सभा के सदस्य नहीं हैं एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिकाओं जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक-मण्डल करते हैं $\frac{1}{12}$ सदस्य शिक्षा संस्थाओं (माध्यमिक स्तर से नीचे की नहीं) के रजिस्टर्ड अध्यापक निर्वाचित करते हैं तथा $\frac{1}{12}$ सदस्य वे रजिस्टर्ड स्नातक निर्वाचित करते हैं, जिन्हें डिग्री प्राप्त किए 3 वर्ष से अधिक अवधि हो गई हो। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं, जिन्होंने साहित्य विज्ञान कला सहकारिता तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। राज्य-सभा की भांति ही विधान-परिषदें भी स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं।

विधान-सभा

संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधान-सभा का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।

दो-दो सदनों के विधानमण्डलोंवाले दस राज्यों में विधान-परिषदों की सदस्य संख्या तथा राज्यों की विधान-सभाओं और समीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों की संख्या और उनमें विभिन्न पार्टियों की सदस्य-संख्या 31 जनवरी 1963 की स्थिति के अनुसार, अगले पृष्ठ की सारणी में दी गई है

के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए मामलों में परामर्श देने का विशेष अधिकार भी प्राप्त है।

राज्य

जैसा कि संविधान के छठे भाग में उपबन्ध किया गया है, राज्यों की शासन-पद्धति केन्द्रीय सरकार के अनुरूप है।

कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रि-परिषद् होती है।

राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के लिए करता है, किन्तु उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 35 वर्ष से अधिक वयवाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है और कार्यपालिका सम्बन्धी सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को इस सम्बन्ध में कुछ स्वेच्छाधीन शक्तियां प्राप्त हैं कि वह (1) अपने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों यदि कोई हों, के बारे में तथा (2) संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करे।

मन्त्रिपरिषद्

संविधान के अधीन मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है, जो राज्यपाल को कार्य-पालन में सलाह तथा सहायता देती है। मुख्य मन्त्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मन्त्री भी मुख्य मन्त्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मन्त्रि-परिषद् सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त के अनुरूप कार्य करती है और वह राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रशासनिक इकाइयां

प्रशासन की मुख्य इकाई जिला है, जो कलक्टर तथा जिलाधीश के अधीन होता है। कलक्टर की हैसियत से यह अधिकारी राजस्व उगाहने तथा भूमि-प्रबन्ध की सब बातों (सिंचाई, कृषि और वन सम्बन्धी तकनीकी पहलुओं तथा पंजीकरण को छोड़ कर) की व्यवस्था करने के लिए डिवीजन के प्रधान कमिश्नर अथवा राजस्व-बोर्ड (बोर्ड आफ रेवन्यू) के प्रति तथा उसके माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिलाधीश के रूप में वह जिले में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने और उसके सब प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य के लिए जिलाधीश के नियन्त्रण में एक पुलिस विभाग होता है जिसका प्रधान अधिकारी 'पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट' कहलाता है। अधिकारी अथवा डिप्टी कलक्टरों और मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए कार्यकारी इंजीनियर तथा वन-अधिकारी-जैसे कई अन्य जिला-अधिकारी भी होते हैं।

विभिन्न विकास-विभागों के सचिवों की एक अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विकास-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाता है। मुख्य सचिव अथवा आयोजना

हिमाचलप्रदेश	—	41	33	4	1	—	—	—	—	3	41
मणिपुर	—	30	22	—	—	—	—	3	—	5	30
त्रिपुरा	—	30	17	—	13	—	—	—	—	—	30
	750	3,297	1 968	168	201	178	115	62	300	270	3,260‡

*अन्य दलों में ये सम्मिलित हैं असम—हिल मंतर्दलीय कान्फ्रेंस 4, क्रान्तिकारी साम्यवादी दल 1 उड़ीसा—गणतन्त्र परिषद् 38 उत्तरप्रदेश—हिन्दू महासभा 2 रिपब्लिकन 8 केरल—मुस्लिम लीग 11 जम्मू-कश्मीर—नेशनल कान्फ्रेंस 70 प्रजा परिषद् 3 पंजाब—अकाली दल 21 पश्चिम-बंगाल—फारवर्ड ब्लाक 31 बिहार—झारखण्ड 20 मद्रास—द्रविड़ मुनेत्र कषगम 50 फारवर्ड ब्लाक 3 महाराष्ट्र कृषक मजदूर पार्टी 15 रिपब्लिकन 3 मध्यप्रदेश—रामराज्य परिषद् 10 हिन्दू महासभा 6 मैसूर—महाराष्ट्र एकीकरण समिति 1 राजस्थान—रामराज्य परिषद् 3।

†कोष्ठकों में दिए गए अंक उन दलों के उस राज्य या संघीय क्षेत्र की सदस्य-संख्या के बारे में हैं जहाँ उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षित चिह्न प्रदान करने के लिए मान्यता नहीं दी गई।

‡इसमें 37 रिक्त स्थान शामिल नहीं हैं।

सारणी 4

राज्य विधानमण्डलों में स्थानों का बटवारा और विभिन्न दलों की सदस्य-संख्या

राज्य/संघीय क्षेत्र	विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या	विधान-सभा/क्षेत्रीय परिषद्									
		स्थानों की संख्या	कांग्रेस	स्वतन्त्र	कम्यु-निस्ट	प्रजा-समाज-वादी	जनसंघ	समाजवादी	अन्य दल*	निर्दलीय	जोड़
असम	—	105	79	—	—	6	—	—	5	8	98
आन्ध्रप्रदेश	90	300	177	18	52	—	—	2	—	49	298
उड़ीसा	—	140	77	—	4	11	—	—	38	7	137
उत्तरप्रदेश	108	430	248	15	14	38	48	23	10	31	427
केरल	—	126	62	—	29	16	—	—	11	3	123
गुजरात	—	154	113	24	—	7	—	—	—	8	152
जम्मू-कश्मीर	36	75	—	—	—	—	—	—	73	2	75
मद्रास	63	206	138	6	2	—	—	(1)†	53	5	205
महाराष्ट्र	78	264	213	—	6	9	—	(1)	18	15	262
मध्यप्रदेश	90	288	141	(2)	(1)	33	41	14	16	37	285
मैसूर	63	208	137	(9)	(3)	20	—	(1)	1	36	207
पंजाब	51	154	89	(3)	9	—	8	(5)	21	18	153
पश्चिम-बंगाल	75	252	153	—	50	5	—	—	31	9	248
बिहार	96	318	183	49	12	29	4	7	20	12	316
राजस्थान	—	176	88	(38)	5	2	14	8	3	22	176

अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू कराने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति सत्ता अथवा सरकार के नाम निदेश अथवा आदेश आदि जारी करने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय

कुछ स्थानीय भिन्नता के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों का ढांचा तथा उनके कर्तव्य देश भर में बहुत-कुछ एक-से ही हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बंटा होता है जो जिला-न्यायाधीशों की अध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उसके नीचे दीवानी न्यायालयों के विभिन्न अधिकारी होते हैं।

फौजदारी मुकदमों की सुनवाई मजिस्ट्रेट करते हैं। परन्तु गम्भीर मुकदमें सेशन के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए जिला-न्यायाधीश सेशन्स जज की हैसियत से काम करता है। न्याय सम्बन्धी सभी कार्यों में मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट सहित) उच्च न्यायालय के नियन्त्रण में है।

स्वायत्त शासन

स्थानीय निकाय मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं नागरिक तथा ग्रामीण। बड़े नगरों में इन निकायों को निगम और मध्यम तथा छोटे नगरों में नगरपालिकाएं (म्युनिसिपल कमेटियां अथवा म्युनिसिपल बोर्ड) कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वायत्त शासन में अब कुछ परिवर्तन किया गया है तथा विभिन्न राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज लागू किया जा रहा है।

निगम (कारपोरेशन)

नगर निगमों के अध्यक्ष 'महापौर' (मेयर) कहलाते हैं जो निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निगम के अन्तर्गत नगर के प्रशासन का कार्य निगम की इन तीनों सत्ताओं के अधीन होता है—(1) निगम की सामान्य परिषद् (2) परिषद् की स्थायी समिति तथा (3) आयुक्त (कमिश्नर) या कार्यकारी अफसर। निगम की कार्यपालिका-शक्ति आयुक्त (कमिश्नर) में निहित होती है, जो विभिन्न निकायों के कर्तव्यों का निश्चय करता है तथा उनके काम की देखभाल करता है।

नगरपालिकाएं

निर्वाचित अध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाओं का कार्य संचालन भी समितियों के माध्यम से होता है। इनके नित्यप्रति के कार्य का संचालन एक कार्यकारी अफसर करता है।

जिलों में स्वायत्त शासन

पंचायती राज अथवा लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण की नई प्रणाली के अधीन ग्राम खण्ड (ब्लाक) तथा जिला स्तरों पर त्रि-स्तरीय स्वायत्तशासी निकाय कायम किए गए हैं। पंचायती राज संस्था को विकास कार्यक्रम तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित अनेक शक्तियां तथा कर्तव्य सौंपे गए हैं। असम आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा उत्तरप्रदेश मैसूर, मद्रास महाराष्ट्र पंजाब तथा राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की जा चुकी है और शेष राज्यों में इस सम्बन्ध में कानून लागू किए जा चुके हैं अथवा किए जा रहे हैं।

अधिकार तथा कार्य

राज्य विधानमण्डलों को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची सं 2 में उल्लिखित विषयों पर एकान्तिक अधिकार प्राप्त है तथा सूची सं 3 में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है तथा मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उस पर विचार करने का अधिकार केवल विधान-सभा को है। विधान-परिषद् परिवर्तन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है—वह भी विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन के अन्दर-अन्दर। परन्तु विधान-सभा उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

विधेयकों को रोके रखना

राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोके रखने के अधिकार के साथ राज्यपाल को कुछ विधेयकों को उन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने के लिए भी रोक रखने का अधिकार है।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण

कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा राज्य विधानमण्डलों में कार्य-संचालन की सभी प्रचलित पद्धतियां उपयोग में आती हैं। इस प्रकार, राज्य का विधानमण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन पर निगरानी रखता है। इसकी अपनी प्राक्कलन तथा सार्वजनिक लेखा समितियां भी होती हैं।

न्यायपालिका

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधिपति होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्त करे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, तथा अन्य न्यायाधिपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उक्त विधि के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श लिया जाता है। मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधिपति न्यायालय 60 वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। इन्हें अपने पद से हटाने की विधि भी वही है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों को पद से हटाने के लिए निर्धारित है।

अध्याय 4

प्रतिरक्षा

भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन तथा कार्य-संचालन पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा तीनों सेनाओं के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय का मुख्य कार्य इस बात की व्यवस्था करना है कि सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियों तथा उनके विकास में समुचित सामंजस्य रहे नीति विषयक जिन मामलों का निर्णय सरकार करती है, उनसे तीनों मुख्यालयों को अवगत कराया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए तथा संसद् से प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति ली जाए।*

संगठन

यद्यपि सेना की तीनों शाखाओं पर प्रतिरक्षा मन्त्रालय का नियन्त्रण है तथापि उनका कार्य संचालन सामान्यतः सीधे तौर पर उनके अपने-अपने सेनाध्यक्षों के नियन्त्रण में होता है। 30 अप्रैल 1963 को निम्नलिखित महानुभाव सेनाध्यक्ष के पद पर आसीन थे

स्थल-सेनाध्यक्ष	जनरल जे० एन० चौधरी
नौ-सेनाध्यक्ष	वाइस-ऐडमिरल बी० एस० सोमान
वायु-सेनाध्यक्ष	एयर-मार्शल ए० एम० इंजीनियर

इनके अतिरिक्त हर शाखा में एक-एक उप-सेनाध्यक्ष भी होता है।

स्थल-सेना

स्थल-सेना तीन कमानों में संगठित है—दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान तथा पश्चिमी कमान। प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेण्ट-जनरल के पद का एक 'जनरल आफिसर कमांडिंग इन-चीफ' होता है। प्रत्येक कमान विभिन्न शाखाओं में बंटी होती है तथा प्रत्येक शाखा मेजर-जनरल के पद के एक 'जनरल आफिसर कमांडिंग' के अधीन होती है। ये शाखाएं भी उप-शाखाओं में बंट जाती हैं और प्रत्येक उप-शाखा एक 'ब्रिगेडियर' के अधीन होती है।

स्थल-सेना का मुख्यालय जो दिल्ली में है, स्थल-सेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। इसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक लेफ्टिनेण्ट-जनरल के पद के *'मुख्य स्टाफ अधिकारी'* के अधीन काम करती है। ये शाखाएं हैं— जनरल स्टाफ शाखा' 'एडजुटेण्ट-जनरल की शाखा' 'क्वार्टरमास्टर जनरल की शाखा' तथा 'आर्डनेन्स मास्टर-जनरल की शाखा'। दो अन्य शाखाएं हैं—'इंजीनियर इन-चीफ की शाखा' तथा 'सैनिक सचिव की शाखा' जो एक-एक मेजर-जनरल के अधीन हैं।

---

*चीनी आक्रमण के कारण उत्पन्न संकटकाल से निबटने के लिए गठित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

अकादेमी में तीनों सेनाओं के प्रशिक्षार्थियों के लिए 3 वर्ष के मिले-जुले पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, जिसके बाद सैन्य-शिक्षार्थी अपने-अपने सैन्य-सेवा-प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा-सेवाएं स्टाफ कालेज

दक्षिण-भारत के वेलिंग्टन स्थित प्रतिरक्षा-सेवाएं स्टाफ कालेज में प्रतिवर्ष सेना की तीनों शाखाओं के लगभग 100 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां का पाठ्यक्रम 10 माह का है।

सशस्त्र सेनाएं चिकित्सा कालेज

पूना स्थित सशस्त्र सेनाएं चिकित्सा कालेज में नए राजादिष्ट चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स की भी व्यवस्था है। यहां कुछ विशिष्ट विषयों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय भारतीय सेना कालेज

देहरादून स्थित इस कालेज में उन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बाद में सेना में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं।

स्थल-सेना कालेज तथा स्कूल

देहरादून स्थित भारतीय सैनिक अकादेमी स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रधान केन्द्र है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी से उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त करने के पूर्व यहां एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं। अकादेमी में सैन्य-शिक्षार्थियों को बड़ा कठोर और असाध्य प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उन्हें सैनिक जीवन के मूल ज्ञान से जो प्रत्येक सैनिक अधिकारी के लिए आवश्यक होता है, अवगत करा दिया जाए।

स्थल-सेना के संकटकालीन राजादेशजन्य उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए दो अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल क्रमश: पूना और मद्रास में खोले गए हैं। यहां 6 महीने का प्रशिक्षण पाने के बाद उम्मीदवार भारतीय सैनिक अकादेमी या अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में जाते हैं।

किर्की स्थित सैनिक इंजीनियरी कालेज में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सैनिक इंजीनियरी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इनके अतिरिक्त स्थल-सेना के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल आफ सिग्नल्स देवलाली का स्कूल आफ आर्टिलरी मऊ का इनफैन्ट्री स्कूल जबलपुर का आर्डनेन्स स्कूल तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर सेण्टर तथा स्कूल।

नौ-सेना प्रशिक्षण-केन्द्र

विशिष्ट तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़ कर नौ-सेना के सभी अफसरों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापट्टनम स्थित नौ-सेना प्रशिक्षण-केन्द्रों में होता है। कोचीन-स्थित आई एन एस वेन्डुरुथि तथा नौ-सेना विमान-केन्द्र गरुड़ नौ-सेना

नौ-सेना

नौ-सेना का भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। नौ-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए चार मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं। नौ-सेनाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित चार कार्य-संचालन और प्रशासनिक कमानें (एक समुद्र पर तथा तीन तट पर) हैं—(1) फ्लैग आफिसर कमांडिंग भारतीय जहाजी बेड़ा (2) फ्लैग आफिसर, बम्बई (3) कमोडोर-इन-चार्ज कोचीन तथा (4) कमोडोर, पूर्वी तट, विशाखापट्नम।

भारतीय जहाजी बेड़े में इस समय 'आई एन एस विक्रांत' (नौ-सेना का फ्लैगशिप) 'आई एन एस मैसूर' 'आई एन एस दिल्ली' दो ध्वंसक स्क्वैड्रन और आधुनिकतम पनडुब्बीमार तथा हवा-मार फ्रिगेटों सहित अनेक फ्रिगेट स्क्वैड्रन हैं।

नौ-सेना के लिए छोटे आकार के जहाज अब भारत में ही बनाए जाने लगे हैं। अब तक ऐसे चार जहाज बनाए जा चुके हैं। बम्बई-स्थित नौ-सैनिक गोदी-क्षेत्र में एक नवनिर्मित 'सूपर-डॉकिंग' गोदी जनवरी 1962 में इस्तेमाल के लिए खोल दी गई। इस गोदी में नौ-सेना के विमान-वाहक जहाज भी स्थान पा सकेंगे।

वायु-सेना

वायु-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए पांच मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं, जिनके नियन्त्रण में वायु-सेना के मुख्यालय की मुख्य शाखाएं हैं।

वायु-सेना के मुख्यालय के अधीन चार बड़ी कमानें हैं जो 'कार्य-संचालन कमान' 'प्रशिक्षण कमान' 'अनुरक्षण कमान' तथा 'पूर्वी वायु कमान' कहलाती हैं। 1952 में संसद् द्वारा स्वीकृत भारतीय तथा सहायक वायु-सेना-अधिनियम के अन्तर्गत सात सहायक वायु-सेना टुकड़ियां स्थापित की गई हैं।

प्रशिक्षण-संस्थान

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज

1960 में नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को युद्ध सम्बन्धी सैनिक वैज्ञानिक औद्योगिक सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक पहलुओं तथा युद्ध-कला के उच्च निर्देशन तथा सैन्य-संचालन की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी

खड़कवासला-स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग की लिखित और मौखिक परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। ये परीक्षाएं साल में दो बार होती हैं तथा पन्द्रह से साढ़े-सत्रह वर्ष की अवस्था के मैट्रिक पास अविवाहित लड़के इसमें प्रवेश पा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं है।

अकादेमी में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले शिक्षार्थियों के लिए 30 रुपये मासिक जेबखर्च को छोड़ कर अन्य सभी व्यय की व्यवस्था सरकार स्वयं करती है। जिन शिक्षार्थियों के संरक्षकों की मासिक आय 300 रुपये से कम होती है, उनके जेबखर्च की भी व्यवस्था सरकार करती है।

अकादेमी में तीनों सेनाओं के विद्यार्थियों के लिए 3 वर्ष के मिले-जुले पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, जिसके बाद सैन्य-विद्यार्थी अपने-अपने सैन्य-सेवा प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा-सेवाएं स्टाफ कालेज

दक्षिण-भारत के वेलिंगटन स्थित प्रतिरक्षा-सेवाएं स्टाफ कालेज में प्रतिवर्ष सेना की तीनों शाखाओं के लगभग 100 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां का पाठ्यक्रम 10 मास का है।

सशस्त्र सेनाएं चिकित्सा कालेज

पूना स्थित सशस्त्र सेनाएं चिकित्सा कालेज में नए राजादिष्ट चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स की भी व्यवस्था है। यहां कुछ विशिष्ट विषयों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय भारतीय सेना कालेज

देहरादून स्थित इस कालेज में उन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बाद में सेना में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं।

स्थल-सेना कालेज तथा स्कूल

देहरादून स्थित भारतीय सैनिक अकादेमी स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रधान केन्द्र है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सेना में नियुक्त करने के पूर्व यहां एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं। अकादेमी में सैन्य-विद्यार्थियों को बड़ा कठोर और श्रमसाध्य प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उन्हें सैनिक जीवन के मूल ज्ञान से जो प्रत्येक सैनिक अधिकारी के लिए आवश्यक होता है, अवगत करा दिया जाए।

स्थल-सेना के संकटकालीन राजादेशजन्य उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए दो अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल क्रमशः पूना और मद्रास में खोले गए हैं। यहां 6 महीने का प्रशिक्षण पाने के बाद उम्मीदवार भारतीय सैनिक अकादेमी या अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में जाते हैं।

किर्की स्थित सैनिक इंजीनियरी कालेज में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सैनिक इंजीनियरी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इनके अतिरिक्त स्थल-सेना के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल आफ सिग्नल्स देवलाली का स्कूल आफ आर्टिलरी मऊ का इनफैन्ट्री स्कूल जबलपुर का आर्डनेन्स स्कूल तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर सेन्टर तथा स्कूल।

नौ-सेना प्रशिक्षण-कार्य

विशिष्ट तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़ कर नौ-सेना के सभी अफसरों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन बम्बई तथा विशाखापट्टनम स्थित नौ-सेना प्रशिक्षण-केन्द्रों में होता है। कोचीन-स्थित आई एन एस वेंदुरुथि तथा नौ-सेना विमान-केन्द्र गरुड़ नौ-सेना

नौ-सेना

नौ-सेना का भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। नौ-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए चार मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं। नौ-सेनाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित चार कार्य-संचालन और प्रशासनिक कमानें (एक समुद्र पर तथा तीन तट पर) हैं—(1) फ्लैग आफिसर कमांडिंग भारतीय जहाजी बेड़ा (2) फ्लैग आफिसर, बम्बई (3) कमोडोर-इन-चार्ज कोचीन तथा (4) कमोडोर, पूर्वी तट विशाखापट्नम।

भारतीय जहाजी बेड़े में इस समय 'आई एन एस विक्रांत' (नौ-सेना का फ्लैगशिप) 'आई एन एस मैसूर' 'आई एन एस दिल्ली' दो ध्वंसक स्क्वैड्रन और आधुनिकतम पनडुब्बीमार तथा हवा-मार फ्रिगेटों सहित अनेक फ्रिगेट स्क्वैड्रन हैं।

नौ-सेना के लिए छोटे आकार के जहाज अब भारत में ही बनाए जाने लगे हैं। अब तक ऐसे चार जहाज बनाए जा चुके हैं। बम्बई-स्थित नौ-सैनिक गोदी-क्षेत्र में एक नवनिर्मित 'ड्राई-डॉकिंग गोदी' जनवरी 1962 में इस्तेमाल के लिए खोल दी गई। इस गोदी में नौ-सेना के विमान-वाहक जहाज भी स्थान पा सकेंगे।

वायु-सेना

वायु-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए पांच मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं, जिनके नियन्त्रण वायु-सेना के मुख्यालय की मुख्य शाखाएं हैं।

वायु-सेना के मुख्यालय के अधीन चार बड़ी कमानें हैं, जो 'कार्य-संचालन कमान' 'प्रशि॰ कमान' 'अनुरक्षण कमान' तथा 'पूर्वी वायु कमान' कहलाती हैं। 1952 में संसद् द्वारा ए॰ पारित तथा सहायक वायु-सेना-अधिनियम के अन्तर्गत सात सहायक वायु-सेना टुकड़िया ए॰ की गई हैं।

प्रशिक्षण-संस्थान

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज

1960 में नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज में तीनों सेनाओं अधिकारियों को युद्ध सम्बन्धी सैनिक, वैज्ञानिक औद्योगिक सामाजिक आर्थिक तथा पहलुओं तथा युद्ध-कला के उच्च निर्देशन तथा सैन्य-संचालन की विधियों का प्रशिक्षण दि॰

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी

खड़कवासला-स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी में प्रवेश पाने के लिए सं॰ आयोग की लिखित और मौखिक परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। ये परीक्षाएं साल हैं तथा पन्द्रह से साढ़े-सत्रह वर्ष की अवस्था के मैट्रिक पास अविवाहित लड़के इसमें प्रव प्रशिक्षण के दौरान इन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं है।

अकादेमी में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए 30 रुपये मासि छोड़ कर अन्य सभी व्यय की व्यवस्था सरकार स्वयं करती है। जिन विद्यार्थियों मासिक आय 300 रुपये से कम होती है, उनके जेबखर्च की भी व्यवस्था सरकार क

हिन्दुस्तान विमान कारखाना

बंगलोर-स्थित हिन्दुस्तान विमान कारखाना लिमिटेड में भारतीय वायु-सेना के विमानों की मरम्मत के अतिरिक्त विमानों का निर्माण भी किया जाता है। यह कारखाना 1952 से अनेक प्रकार के विमान तैयार कर रहा है। यह कारखाना ध्वनि की गति से तेज चलनेवाले जेट विमान (एच एफ-24) भी बना रहा है जिसके पहले प्रोटोटाइप विमान ने जुलाई 1961 में अपनी टैस्ट उड़ान भरी।

विमानों के अतिरिक्त इस कारखाने में पूर्ण धातु के सवारी-डिब्बे तथा बसों के ढांचे आदि भी बनते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ विशेष प्रकार के विमान बनाने के लिए दो विदेशी कम्पनियों के साथ करार किए हैं।

भारतीय वायु-सेना के कानपुर स्थित विमान-निर्माण डिपो ने एवरो-748 विमान बनाने का काम शुरू किया है। यह परिवहन विमान वायु-सेना के डकोटा विमानों का स्थान ले लेगा।

भारत इलेक्ट्रानिक्स

बंगलोर के निकट जलाहल्ली स्थित भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में प्रारम्भिक उत्पादन कार्य दिसम्बर 1955 में आरम्भ हुआ। इसमें असैनिक उड्डयन विभाग आकाशवाणी रेलवे मौसम विभाग पुलिस अग्निशमन सेवाओं सशस्त्र सेनाओं आदि के लिए सामान बनाया जाता है।

विशेष कार्य

देश की रक्षा करने के अपने कर्तव्य के अतिरिक्त भारत की सशस्त्र सेनाएं समय-समय पर कई अन्य आपत्ति-कार्यों में भी हाथ बंटाती हैं। इनमें मुख्य हैं (क) बाढ़ अकाल तथा भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता (ख) पन-बिजली तथा अन्य योजनाओं के निर्माण तथा विकास के लिए उपयोगी फोटो-सर्वेक्षण तथा (ग) बेकार भूमि का पुनरुद्धार। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से भारतीय सेनाओं ने कोरिया युद्धविराम-सन्धि करार तथा 20 जुलाई, 1954 को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के अन्तर्गत स्थापित वियतनाम लाओस और कम्बोडिया अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण तथा अधीक्षण सम्बन्धी आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। 16 नवम्बर, 1956 को संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपात-सेना में सम्मिलित होने के लिए एक भारतीय सैन्य टुकड़ी मिस्र भी भेजी गई जहां उसने शान्ति-स्थापना में पर्याप्त योगदान किया। 1958 में लगभग 70 सैनिक अधिकारियों ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक दल के साथ कार्य किया। कांगो में संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना के साथ कार्य कर रहे लगभग 700 भारतीय सैन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त मार्च 1961 में लड़ाका फौजियों का एक ब्रिगेड वहां भेजा गया। अक्तूबर 1961 में भारत ने वायु-सेना कर्मचारियों की निगरानी में छः कैनबरा जेट विमान कांगो भेजे।

क्षेत्रीय सेना

क्षेत्रीय सेना सर्वप्रथम अक्तूबर 1949 में संगठित की गई थी। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों को अवकाश के समय सैनिक प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकटकाल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए बलाया जा सकता है।

के प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। लोनावा (महाराष्ट्र) स्थित 'भाई एन एस शिवाजी' पर मेकैनिकल इंजीनियरों तथा मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नौ-सेना के जामनगर स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल 'भाई एन एस वलसूरा' में बिजली सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। नौ-सेना में भर्ती होनेवाले नए रंगरूटों को विशाखापट्नम स्थित 'भाई एन एस सिरकार्स' पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सप्लाई और सचिवालय शाखा के अफसरों तथा कर्मचारियों को बम्बई स्थित भाई एन एस हमला' में प्रशिक्षण दिया जाता है। समुद्री प्रशिक्षण जहाजी बेड़े द्वारा प्रदान किया जाता है।

वायु-सेना कालेज तथा स्कूल

विमान चलाने की शिक्षा ग्रहण करनेवाले चालकों को जोधपुर स्थित वायु-सेना उड़ान कालेज में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके आगे का प्रशिक्षण हैदराबाद के वायु सेना-केन्द्र के जेट प्रशिक्षण तथा परिवहन प्रशिक्षण विभागों में दिया जाता है।

कोयम्बतूर स्थित वायु-सेना प्रशासनिक कालेज में वायु-सेना के प्रशासनिक अफसरों को तथा बंगलोर में स्थापित हवाबाजी चिकित्सा स्कूल में चिकित्सा अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जलाहल्ली-स्थित वायु-सेना तकनीकी कालेज में इंजीनियरी अफसरों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उड़ान प्रशिक्षकों को ताम्बरम स्थित एक स्कूल में अलग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा उत्पादन

1962 के मध्य में भारत सरकार ने एक प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास परिषद् स्थापित की जिसके अध्यक्ष प्रतिरक्षा मन्त्री हैं। इस परिषद् का काम आधुनिक अस्त्रास्त्रों के विकास और प्रभावशाली प्रशिक्षण तथा कार्य-संचालन-कुशलता की वैज्ञानिक तकनीकों एवं विधियों सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान का समन्वय तथा निदेशन करना है।

उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेना की तीनों शाखाओं के तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों और प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन को मिला कर जनवरी 1958 में प्रतिरक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता के अधीन एक अनुसन्धान और विकास संगठन स्थापित किया गया। प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियन्त्रक के अधीनस्थ उत्पादन संगठन के साथ इसका सीधा सम्बन्ध है और इसका मुख्य उद्देश्य सेना की तीनों शाखाओं के लिए आवश्यक सैन्य-सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त करना है।

शस्त्रास्त्र कारखाने

1961-62 के दौरान शस्त्रास्त्र कारखानों में 41 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का उत्पादन किया गया। इसके मुकाबले में 1960-61 में 30.36 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ था। 1962-63 के अन्त तक 58 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन होने की आशा है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं के बढ़ रहे उत्पादन से जो इसके पहले बाहर से मंगवाई जाती थीं काफी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

अभी चार नए शस्त्रास्त्र कारखाने—तीन मद्रास में और एक चण्डीगढ़ में—स्थापित किए जा रहे हैं।

प्राथमिकता दी जाती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों और निजी संगठनों के मिले-जुले प्रयास के फलस्वरूप विगत 12 वर्षों में 1 63,187 भूतपूर्व सैनिकों को काम दिलाया जा चुका है।

'सैनिक नाविक तथा वायु-सैनिक बोर्ड' नामक एक गैर-सरकारी संगठन भी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारवालों को उपयोगी सहायता प्रदान करने में बड़ा महत्वपूर्ण योग दे रहा है। बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह राज्य बोर्डों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करता है। राज्य बोर्ड जिला बोर्डों के कार्यों की देख-रेख करते हैं। उपर्युक्त बोर्ड की निधि के अतिरिक्त (जिसमें से भूतपूर्व अन्य सैनिकों को विशेष पेंशनें दी जाती हैं) कई अन्य केन्द्रीय निधियां भी हैं जिनमें झण्डा-दिवस निधि सशस्त्र सेना-उपकार निधि तथा सशस्त्र सेना पुनर्निर्माण निधि प्रमुख हैं।

आवश्यक योग्यता रखनेवाला 18 से 35 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति क्षेत्रीय सेना में भर्ती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है—देहाती तथा शहरी। रंगरूटों का प्रशिक्षण देहाती सेना में 30 दिन का तथा शहरी सेना में 32 दिन का होता है। शहरी सेना में प्रशिक्षण प्रायः सप्ताहान्त में अथवा छुट्टियों के दिन दिया जाता है। प्रशिक्षण लेते हुए अथवा अन्य प्रकार से नियुक्त क्षेत्रीय सेना के अधिकारियों तथा जवानों को लगभग वही वेतन भत्ता राशन तथा चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती हैं, जो नियमित सेना के उनके समान पदाधिकारियों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ शर्तों के अधीन उपदान (ग्रेच्युटी) निर्योग्यता-पेंशन और परिवार-पेंशन भी प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय सेना के कर्मचारी पदक तथा पुरस्कार, आदि भी प्राप्त कर सकते हैं।

सहायक क्षेत्रीय सेना जो 1954 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के रूप में पुनर्गठित की गई थी अब लोक-सहायक सेना कहलाती है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य-शिक्षार्थियों को छोड़ कर 18 से 40 वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष लोक-सहायक सेना में भर्ती हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस सेना में नाम लिखानेवाले लोगों को सैनिक सेवा करनी ही पड़ेगी। एक नई योजना के अन्तर्गत सीमान्त प्रदेशों में रहनेवाले लोगों को भी सैन्य-शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मई 1955 से दिसम्बर 1962 की अवधि में लोक-सहायक सेना योजना के अन्तर्गत 1 495 शिविर लगाए गए और 6,71 238 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल

इस दल में स्कूलों तथा कालेजों के छात्र और छात्राएं भर्ती हो सकती हैं। इसमें तीन टुकड़ियां होती हैं सीनियर, जूनियर और बालिका। प्रथम दोनों टुकड़ियों की स्थल भी तथा वायु-शाखाएं हैं।

कुछ सैन्य शिक्षार्थियों को सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 1 जनवरी 1963 को इस दल में कुल 3,28,250 सैन्य शिक्षार्थी थे। 1960 में इस संगठन में अधिकारी-प्रशिक्षण विभाग तथा राइफल विभाग नामक दो नए विभाग स्थापित किए गए।

सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल

सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है जिन्हें राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल में प्रवेश नहीं मिलता। यह दल देश के युवकों और युवतियों में अनुशासन देश-भक्ति तथा सहयोग की भावना पैदा करने का प्रयास करता है। 1962 के अन्त में सहायक सैन्य शिक्षार्थियों की संख्या लगभग 12,73,440 थी।

भूतपूर्व सैनिकों की भलाई

भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकरियों, व्यावसायिक और तकनीकी धन्धों कृषि-भूमि तथा परिवहन-सेवाओं में काम दिलाने के लिए प्रतिरक्षा मन्त्रालय में एक पुनर्वास निदेशालय है। भूतपूर्व सैनिकों को कृषि की भी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे सामुदायिक विकास योजनाओं में ग्रामसेवक के रूप में नियुक्त किए जा सकें। पुलिस चौकसी तथा आबकारी विभागों में जहां सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नियुक्तियां करते समय भूतपूर्व सैनिकों को

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

1950-51 में पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की संख्या 303 थी उनमें 21 640 विद्यार्थी और 866 अध्यापक थे तथा उन पर 11 98 लाख रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* में इन स्कूलों की संख्या 1950-51 के मुकाबले में छ: गुना से भी अधिक बढ़ गई अर्थात् पूर्व प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1 900 हो गई उनमें 1 20,747 विद्यार्थी और 4,007 अध्यापक थे तथा उन पर 58 47 लाख रुपये व्यय हुए।

प्राथमिक शिक्षा

1950-51 में प्राथमिक शिक्षा के मान्यता-प्राप्त स्कूलों की संख्या 2,09,671 थी जिनमें 1 82,93,967 विद्यार्थी तथा 5,37 918 अध्यापक थे और इन पर 36 49 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* में इन स्कूलों की संख्या 3,30,304 हो गई उनमें 2,85,98,550 विद्यार्थी और 7 39 577 अध्यापक थे तथा उन पर 72 21 करोड़ रुपये व्यय हुए। प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए एक अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की दिशा में आन्ध्रप्रदेश गुजरात दिल्ली पंजाब मध्यप्रदेश और मैसूर में कानून बना दिए गए हैं। स्कूलों में भरपूर दाखिले की योजनाएं तैयार की गई हैं तथा 1966 तक 15 लाख अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की योजना बनाई गई है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1950-51 में कुल 20,884 माध्यमिक स्कूल 52,32,009 विद्यार्थी 2,12,000 अध्यापक तथा 30 74 करोड़ रुपये की व्यय-राशि थी वहां 1960-61* में स्कूलों की संख्या 66,916, विद्यार्थियों की संख्या 1 80,26,594, अध्यापकों की संख्या 6,38,417 तथा व्यय-राशि 110 24 करोड़ रुपये तक जा पहुँची।

अभी हाल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है, जो एक सामान्य अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा की व्यवस्था करेगा। यह बोर्ड केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करेगा और भारत या विदेश का कोई भी माध्यमिक स्कूल इस बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी तैयार कर सकता है।

बुनियादी शिक्षा

शिक्षा-प्रणाली के प्रारम्भिक स्तर पर अब बुनियादी शिक्षा ही दी जाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। यह शिक्षा कताई, बुनाई, बागवानी बढ़ईगीरी आदि-जैसे उत्पादक कार्यों के माध्यम से दी जाती है।

जूनियर तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले विद्यार्थियों के लिए बुनियादी ढंग की माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करने के हेतु उत्तर-बुनियादी स्कूल स्थापित किए

*प्रारम्भिक आंकड़े

अध्याय 5

शिक्षा

भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार शिक्षा सुविधाओं में तालमेल स्थापित करती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा के स्तर निश्चित करती है और अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करती है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा में तालमेल अखिल भारतीय परिषदों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अलीगढ़, दिल्ली, बनारस तथा विश्वभारती विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की अन्य ऐसी संस्थाओं के जिनके बारे में संसद् निदेश करे, संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है।

1960-61* में भारत में कुल 4,72,362 शिक्षालय थे जिनमें 478 11 लाख विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे। अध्यापकों की संख्या 16 02 लाख थी और उन शिक्षालयों पर कुल 335 49 करोड़ रुपये खर्च हुए।

साक्षरता

1961 की जनगणना के अनुसार, भारत में साक्षर लोगों की संख्या 10,53,33,281 (24 00 प्रतिशत) है। इनमें से 7 78,28,163 (अर्थात् 34 4 प्रतिशत) पुरुष और 2,75,05,118 (अर्थात् 12 9 प्रतिशत) स्त्रियां हैं।

योजना तथा शिक्षा

पहली दूसरी और तीसरी योजना के दौरान शिक्षा पर व्यय का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है

सारणी 5

योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

(करोड़ रुपयों में)

	पहली योजना (वास्तविक खर्च)	दूसरी योजना (अनुमानित खर्च)	तीसरी योजना (नियत राशि)
प्रारम्भिक शिक्षा	85	87	209
माध्यमिक शिक्षा	20	48	88
विश्वविद्यालय शिक्षा	14	45	82
शिक्षा की अन्य योजनाएं	14	24	29
जोड़	133	204	408

*प्रारम्भिक आंकड़े

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

1950-51 में पूर्व प्राथमिक स्कूलों की संख्या 303 थी उनमें 21 640 विद्यार्थी और 866 अध्यापक थे तथा उन पर 11 98 लाख रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* में इन स्कूलों की संख्या 1950-51 के मुकाबले में छः गुना से भी अधिक बढ़ गई, अर्थात् पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1 900 हो गई उनमें 1 20,747 विद्यार्थी और 4,007 अध्यापक थे तथा उन पर 88 47 लाख रुपये व्यय हुए।

प्राथमिक शिक्षा

1950-51 में प्राथमिक शिक्षा के मान्यता-प्राप्त स्कूलों की संख्या 2,09 671 थी जिनमें 1 82,93,967 विद्यार्थी तथा 5 37 918 अध्यापक थे और इन पर 36 49 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* मे इन स्कूलों की संख्या 3,30 304 हो गई उनमें 2,65 98,850 विद्यार्थी और 7 39 577 अध्यापक थे तथा उन पर 72 21 करोड़ रुपये व्यय हुए। प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए एक अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की दिशा में आन्ध्रप्रदेश गुजरात दिल्ली पंजाब मध्यप्रदेश और मैसूर में कानून बना दिए गए हैं। स्कूलों में भरपूर दाखिले की योजनाएं तैयार की गई हैं तथा 1966 तक 15 लाख अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की योजना बनाई गई है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां 1950-51 में कुल 20,884 माध्यमिक स्कूल 52,32,009 विद्यार्थी 2,12,000 अध्यापक तथा 30 74 करोड़ रुपये की व्यय-राशि थी वहां 1960-61* में स्कूलों की संख्या 66,916, विद्यार्थियों की संख्या 1 80,26 594, अध्यापकों की संख्या 6,38,417 तथा व्यय-राशि 110 24 करोड़ रुपये तक जा पहुंची।

अभी हाल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है, जो एक सामान्य अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा की व्यवस्था करेगा। यह बोर्ड केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करेगा और भारत या विदेशों का कोई भी माध्यमिक स्कूल इस बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी तैयार कर सकता है।

बुनियादी शिक्षा

शिक्षा-प्रणाली के प्रारम्भिक स्तर पर अब बुनियादी शिक्षा ही दी जाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। यह शिक्षा कताई, बुनाई, बागबानी बढ़ईगीरी आदि-जैसे उत्पादक कार्यों के माध्यम से दी जाती है।

जूनियर तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले विद्यार्थियों के लिए बुनियादी ढंग की माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करने के हेतु उत्तर-बुनियादी स्कूल स्थापित किए

*प्रारम्भिक आंकड़े

पए हैं। ऐसे विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक समान परीक्षा की योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार उत्तर-बुनियादी स्कूलों में सिखाए जानेवाले विषयों को बहुद्देशीय स्कूलों के वैकल्पिक विषयों के समान माना जाएगा।

1950-51 में जूनियर बुनियादी स्कूलों तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः 33,379 और 351 थी जिनमें क्रमशः 28,46,240 और 66,382 विद्यार्थी थे। इन पर क्रमशः 394 लाख और 21 लाख रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* में जूनियर, सीनियर और उत्तर बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः 65,959 14,309 और 30 थी तथा इनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 64,99,870 32,35,628 और 4,301 थी तथा इन पर क्रमशः 15 93 12 36 और 0 05 करोड़ रुपये व्यय हुए।

1958 में स्थापित राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान करने तथा अध्यापकों, आदि का पथ-प्रदर्शन करने में संलग्न है।

व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा

1950-51 में कृषि कला तथा शिल्प वाणिज्य इंजीनियरी वन उद्योग चिकित्सा शारीरिक शिक्षा अध्यापक-प्रशिक्षण पशु-चिकित्सा आदि की शिक्षा के लिए 2,339 संस्थान थे जिनमें 1 87 194 विद्यार्थी और 11 598 अध्यापक थे। इन पर लगभग 3 69 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* में ऐसे संस्थानों की संख्या 4,130 हो गई इनमें 3,98,609 विद्यार्थी और 26,799 अध्यापक थे तथा इन पर 10 96 करोड़ रुपये व्यय हुए।

विशिष्ट स्कूल शिक्षा

विशिष्ट शिक्षा संस्थानों के अन्तर्गत विकलांगों के स्कूल तथा संगीत नृत्य ललित कला, प्रौढ़-शिक्षा आदि के स्कूल आते हैं। 1950-51 में देश में इस प्रकार के 52,813 संस्थान थे जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमश 14,04,443 और 16,686 थी और इन पर 2 33 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* में इन संस्थानों विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः 86,956 16,69,498 और 31 643 हो गई तथा इन पर 3 10 करोड़ रुपये व्यय हुए।

उत्तर-माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय-शिक्षा

भारत में उत्तर-माध्यमिक शिक्षा के लिए कला तथा विज्ञान कालेज व्यावसायिक शिक्षा के कालेज विशिष्ट शिक्षा के कालेज अनुसन्धान-संस्थान तथा विश्वविद्यालय हैं। जिन राज्यों में उत्तर-माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड हैं, वहां इण्टरमीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में है।

1925 में स्थापित अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

*प्रारम्भिक आंकड़े

विश्वविद्यालयों के अलावा देश में ऐसे अनेक संस्थान हैं, जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं। दिल्ली के भारतीय कृषि-अनुसन्धान संस्थान बंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के जामिया-मिलिया नई दिल्ली के भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल और हरिद्वार के गुरुकुल-कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय माना गया है हालांकि विश्वविद्यालय के रूप में इनकी स्थापना किसी केन्द्रीय या राज्यीय अधिनियम के अनुसार नहीं हुई थी। 'वैज्ञानिक अनुसन्धान' शीर्षक अध्याय में उल्लिखित कई प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने उच्चतर अनुसन्धान केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है। इनके अलावा कुछ राष्ट्रीय संस्थान भी हैं—जैसे गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन और काशी विद्यापीठ वाराणसी—जिनके द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को भारत सरकार ने नौकरियों के मामले में मान्यता प्रदान की है।

1950-51 में देश में 27 विश्वविद्यालय 7 शिक्षा बोर्ड 18 अनुसन्धान-संस्थान 92 विशिष्ट शिक्षा कालेज 208 व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कालेज तथा 498 कला और विज्ञान कालेज थे जिनमें कुल 4,03,519 विद्यार्थी और 24,453 अध्यापक थे तथा उन पर 17 68 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। 1960-61* में 46 विश्वविद्यालय 13 शिक्षा बोर्ड 41 अनुसन्धान संस्थान 160 विशिष्ट शिक्षा कालेज 842 व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के कालेज तथा 1 034 कला और विज्ञान कालेज थे जिनमें 9 76,999 विद्यार्थी और 61 743 अध्यापक थे तथा उन पर 55 87 करोड़ रुपये व्यय हुए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1948 में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इस सम्बन्ध में 1956 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय-शिक्षा की उन्नति और समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापन परीक्षण और अनुसन्धान के मानदण्ड निश्चित करने और उनका पालन करवाने का काम सौंपा गया। आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का भी अधिकार दिया गया। इस समय (20 जनवरी 1963 को) डा डी एस कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं तथा सर्वश्री हृदयनाथ कुंजरू बी शिवराव ए सी जोशी ए आर वाडिया डा सी० पाकरे पी एन कृपाल बी टी थडेनिया तथा एस आर दास इसके सदस्य हैं। श्री एस मथाई आयोग के सचिव हैं।

भारत के विश्वविद्यालय

1962 में भारत में निम्नलिखित 54 विश्वविद्यालय थे। उनकी स्थापना-तिथि कोष्ठकों में दी गई है

अन्नमलाई विश्वविद्यालय अन्नमलाईनगर (1929) अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ (1921) आगरा विश्वविद्यालय आगरा (1927) आन्ध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर (1926) इन्दिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ (1956) इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

*प्रारम्भिक आंकड़े

(1887) उड़ीसा कृषि और टेक्नालाजी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर (1962) उत्कल विश्वविद्यालय कटक (1943) उत्तरप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, नैनीताल (1960) उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय सिलीगुड़ी (1961) उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद (1918) एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय बम्बई (1951) कल्याणी विश्वविद्यालय कल्याणी पश्चिम बंगाल (1960) कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता (1857) कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ (1949) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा (1961) करल विश्वविद्यालय त्रिवेन्द्रम् (1937) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (1956) गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद (1949) गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (1957) गौहाटी विश्वविद्यालय गौहाटी (1948) जबलपुर विश्वविद्यालय जबलपुर (1957) जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर (1948) जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर (1955) जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर (1962) दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली (1922) नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर (1923) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना (1961) पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ (1947) पटना विश्वविद्यालय पटना (1917) पूना विश्वविद्यालय पूना (1949) बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा (1949) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (1916) बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई (1857) बर्दवान विश्वविद्यालय बर्दवान (1960) बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर (1952) भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, (1960) मगध विश्वविद्यालय गया (1962) मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास (1857) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद (1958) मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर (1916) रवीन्द्र भारती कलकत्ता (1961) रांची विश्वविद्यालय, रांची (1960) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (1962) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (1947) रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की (1949) लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ (1921) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी (1958) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (1957) विश्वभारती विश्वविद्यालय शान्तिनिकेतन (1951) शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर (1962) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति (1954) सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ वल्लभनगर, आनन्द (1955) तथा सागर विश्वविद्यालय सागर (1946)।

उच्च तकनीकी शिक्षा

देश में तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरी तथा टेक्नोलाजी) की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार हो रहा है। 1951 में देश में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की शिक्षा देनेवाले कुल 53 डिग्री संस्थान और 89 डिप्लोमा संस्थान थे जिनमें क्रमश 4,788 और 6,216 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था थी। 1962 में इन संस्थानों की संख्या क्रमश 114 और 231 हो गई, जिनमें 17 074 और 30,826 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था थी। 1962 में इन संस्थानों से क्रमश 8,426 और 12,046 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकले।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक तकनीकी कर्मचारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 19 इंजीनियरी कालेज, (7 क्षेत्रीय कालेज सहित) और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 81 संस्थान स्थापित करने की योजना थी। इनमें से 11 कालेजों तथा 33 पालिटेक्निकों में काम आरम्भ कर

किया है। चण्डीगढ़ में एक वास्तुकला कालेज स्थापित किया गया है और अन्य कालेजों को स्नातकोत्तर सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

खड़गपुर-स्थित भारतीय टेक्नोलाजी संस्थान का कार्य 1951 में प्रारम्भ हुआ। बम्बई तथा मद्रास के भारतीय टेक्नोलाजी संस्थानों में विद्यार्थियों को सबसे पहले क्रमश: 1958 और 1959 में प्रवेश दिया गया और कानपुर के संस्थान में 1960 में। जब ये संस्थान पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तब प्रत्येक में स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमश: 1 600 और 300 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति के सुझाव पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा परिषद् 1956 में स्थापित की गई थी। परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए 13 संस्थाएं चुनीं जिन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

सामाजिक शिक्षा

सामाजिक शिक्षा देश में चल रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए शिक्षा का एक आधार तैयार करती है। सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता पुस्तकालयों का उपयोग नागरिकता की शिक्षा सांस्कृतिक और मनोरंजन-कार्य दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग तथा सामुदायिक विकास के लिए युवक और महिला-मण्डल संगठित करने की व्यवस्था की जाती है।

उच्च कर्मचारियों को सामाजिक शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा विशिष्ट समस्याओं पर समुचित अनुसन्धान करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय मूल-शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित पुस्तकालय-संस्थान पुस्तकालयों के क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों को निरन्तर शिक्षा-सुविधाएं जुटाने के लिए जनता कालेजों और विद्यापीठों की व्यवस्था है।

विकलांगों की शिक्षा

मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा उनको काम दिलाने से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की व्यवस्था है। देहरादून में नेत्रहीन लोगों की सेवा के लिए एक राष्ट्रीय नेत्रहीन केन्द्र है। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय भी स्थापित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यत: इस केन्द्र के प्रेस से प्रकाशित साहित्य रहेगा।

हैदराबाद में वयस्क बधिरों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। विकलांग लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बम्बई, दिल्ली हैदराबाद और मद्रास में विशेष केन्द्र हैं।

नेत्रहीन बालकों और बालिकाओं के लिए जनवरी 1959 से देहरादून में स्थापित एक स्कूल में किण्डरगार्टन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इसे यथासमय माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

अनुसन्धान और प्रशिक्षण

अनुसन्धान और प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों के विकास के लिए सन् 1961 में एक राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसन्धान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया। परिषद् की प्रशासन समिति की सहायता शैक्षणिक अध्ययन बोर्ड केन्द्रीय शैक्षणिक साहित्य समिति और नियुक्ति वित्त तथा कार्य समितियां करती हैं। बोर्ड तीन स्थायी उप-समितियों के माध्यम से काम करता है और अनुसन्धान प्रशिक्षण तथा विस्तार सम्बन्धी परियोजनाओं की जांच करने के अलावा परिषद् की अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय करता है। परिषद् ने दो प्रकाशन-मालाएं भी आरम्भ की हैं।

हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है

(1) पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ-समितियां 3,03,787 पारिभाषिक शब्दों की रचना कर चुकी हैं।

(2) हिन्दी टाइप मशीनों तथा दूरमुद्रकों (टेलीप्रिंटरों) के मसूदपट्टों का एक रूप निर्धारित किया जा रहा है।

(3) हिन्दी आशुलिपि (शार्टहैंड) की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार की जा रही है।

(4) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में क्षेत्रीय आधार पर हिन्दी-अध्यापक प्रशिक्षण कालेज शुरू किए जा रहे हैं।

(5) अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी पुस्तकें दी जा रही हैं।

(6) विभिन्न स्थानों पर हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य की प्रदर्शनियां की गईं।

(7) नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 10 खण्डों में एक हिन्दी विश्वकोष तैयार किया जा रहा है। इसके पहले दो खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं।

(8) विभिन्न विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार किए जा रहे हैं।

(9) हिन्दी की 14 प्रामाणिक रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएं तैयार करने और 16 प्रसिद्ध लेखकों की चुनी हुई रचनाओं के संकलन प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

(10) हिन्दी-भाषी तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की व्याख्यान-यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है।

(11) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी अध्यापकों के लिए पुस्तकों आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए गए।

(12) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में पाए जानेवाले समान शब्दों की सूचियां तैयार की जा रही हैं।

(13) द्विभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोष तैयार किए जा रहे हैं।

(14) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में द्विभाषी वर्णमाला चार्ट तैयार किए जा रहे हैं।

(15) उत्कृष्ट हिन्दी ग्रन्थों पर पुरस्कार दिए जाते हैं।

(16) विदेशी भाषाओं की ख्यातिप्राप्त पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है।

(17) देवनागरी लिपि का सर्वमान्य रूप निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(18) कला और शिल्प की विशिष्ट शब्दावली के संकलन तथा अनुक्रमण का कार्य किया जा रहा है।

(19) अन्य प्रादेशिक भाषाओं की ध्वनियों के सुचारु लेखन के लिए देवनागरी लिपि में उपयुक्त चिह्न बनाए जा रहे हैं।

(20) द्विभाषी प्रवेशिकाएं और रीडर तैयार किए जा रहे हैं।

(21) विदेशियों के लिए प्रवेशिकाएं तैयार की जा रही हैं।

(22) हिन्दी-भाषी राज्यों में अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों के सेमिनार कराए जाते हैं और अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों के सेमिनार कराए जाते हैं।

(23) सामान्य पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद और प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है।

(24) प्रामाणिक हिन्दी ग्रन्थों के संशोधित तथा आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(25) हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के सहित एक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय स्थापित किया गया है।

(26) वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली के लिए एक स्थायी आयोग बनाया गया है।

युवा-कल्याण

युवा-कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में से उल्लेखनीय हैं (क) 1954 से प्रतिवर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय समारोह आयोजित किए जाते हैं तथा अन्त कालेज समारोह संगठित करने के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता की जाती है (ख) युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं जिनमें अध्यापकों को इन कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है (ग) एतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की यात्रा करने के लिए युवकों को किराए में रियायत तथा वित्तीय सहायता दी जाती है (घ) देश में युवा विश्रामगृह स्थापित करने के लिए युवा विश्रामगृह संस्था तथा राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है (ङ) विश्वविद्यालयों को युवा-कल्याण बोर्ड तथा समितियां संगठित करने के लिए सहायता दी जाती है (च) विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति प्रतिष्ठा-भाव जाग्रत करने का प्रयास किया जाता है (छ) एक राष्ट्रीय युवक केन्द्र स्थापित किया गया है।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाओं के विकास के लिए एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा-पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करना शारीरिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देना व्यायामशालाओं

तथा संस्थाओं को सहायता प्रदान करना शारीरिक क्षमता सप्ताहों और समारोहों का आयोजन करना तथा शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी चलचित्र आदि तैयार करवाना है।

1957 में ग्वालियर में पहला राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज स्थापित किया गया जिसमें शारीरिक शिक्षा के त्रिवर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है।

खेल-कूद

खेल-कूद विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से (क) राष्ट्रीय खेल-कूद संगठनों को सहायता दी जाती है, भारतीय टीमों को विदेशों में खेलने के लिए भेजा जाता है, विदेशी टीमों को भारत में आकर खेलने के लिए आमन्त्रित किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा (ख) अधिकांश राज्यों में राज्य खेल-कूद परिषदें स्थापित की गई हैं।

पटियाला में एक केन्द्रीय शिक्षण संस्था स्थापित की गई है। देश में खेल-कूद के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा खेल-कूद संघ को परामर्श देने के लिए अखिल भारत खेल-कूद परिषद् विद्यमान है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

देश के युवकों में अनुशासन की भावना पैदा करने तथा उन्हें नागरिकता के आदर्शों का भली भांति ज्ञान कराने के उद्देश्य से जुलाई 1954 में विस्थापित बालक-बालिकाओं के लिए शारीरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षा योजना आरम्भ की गई थी। इसका आरम्भ सर्वप्रथम दिल्ली के कस्तूरबा निकेतन में हुआ। यह योजना अन्य शिक्षा संस्थाओं में भी लागू की जा चुकी है और विभिन्न राज्यों में आठ लाख से अधिक बच्चे इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं।

अध्याय 6

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

कला और संस्कृति की अभिवृद्धि तथा जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्कृति न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति ललित कला अकादेमी संगीत-नाटक अकादेमी तथा साहित्य अकादेमी के माध्यम से की जाती है। सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति जनता को जागरूक बनाए रखने के लिए सरकार जन-सम्पर्क के उपलब्ध साधनों का भी यथासम्भव उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाएं भी परम्परागत कला-शिल्पों के प्रचार प्रसार में योग दे रही हैं।

कला

ललित कला अकादेमी

1954 में स्थापित ललित कला अकादेमी ललित कलाओं की अभिवृद्धि में योग देने के अतिरिक्त चित्रकला मूर्तिकला आदि के विकास तथा पोषण के कार्यक्रम भी बनाती है। साथ ही यह अकादेमी प्रादेशिक अथवा राज्यीय अकादेमियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है, विभिन्न कला-शैलियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने के साथ-साथ प्रदर्शनियों तथा कलाकारों और कलाकृतियों का आदान-प्रदान करके अन्तःप्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में योग देती है।

ललित कला अकादेमी प्रतिवर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन करती है जो बाद में विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह भारत में प्राच्य तथा पाश्चात्य देशों की कलाओं एवं शिल्पों तथा विदेशों में भारतीय कलाओं एवं शिल्पों की प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। समय-समय पर कला की विभिन्न विधाओं के विषय में विचार-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। अकादेमी राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी में भाग लेनेवाले प्रमुख कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है। 1963 के पुरस्कार-विजेताओं की सूची परिशिष्ट में देखिए।

प्रकाशन

ललित कला अकादेमी अब तक कला सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है, जिनमें मुग़ल अजन्ता मेवाड़ किशनगढ़ बूंदी आदि की चित्रकला पर प्रकाशित पुस्तकें विशेष महत्व की हैं। समसामयिक भारतीय कला-माला के अधीन बावड़ा चविक्कर, पी दास गुप्त बेन्द्रे रवि वर्मा राम किंकर, हलदार, हुसेन तथा हेब्बार-जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं। अकादेमी 'ललित कला' (प्राचीन) और 'ललित कला' (समसामयिक) नामक अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है।

M13DPD/63—4

तथा सभाओं को सहायता प्रदान करना, शारीरिक समता संस्थाओं और समारोहों का आयोजन करना तथा शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी चलचित्र आदि तैयार करवाना है।

1957 में ग्वालियर में पहला राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज स्थापित किया गया जिसमें शारीरिक शिक्षा के त्रिवर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है।

खेल-कूद

खेल-कूद विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से (क) राष्ट्रीय खेल-कूद संगठनों को सहायता दी जाती है, भारतीय टीमों को विदेशों में खेलने के लिए भेजा जाता है, विदेशी टीमों को भारत में आकर खेलने के लिए आमन्त्रित किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा (ख) अधिकांश राज्यों में राज्य खेल-कूद परिषदें स्थापित की गई हैं।

पटियाला में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गई है। देश में खेल-कूद के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा खेल-कूद संघ को परामर्श देने के लिए अखिल भारत खेल-कूद परिषद् विद्यमान है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

देश के युवकों में अनुशासन की भावना पैदा करने तथा उन्हें नागरिकता के आदर्शों का सर्वांगीण बोध कराने के उद्देश्य से जुलाई 1954 में विस्थापित बालक-बालिकाओं के लिए शारीरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षा योजना आरम्भ की गई थी। इसका आरम्भ सर्वप्रथम दिल्ली के कस्तूरबा निकेतन में हुआ। यह योजना अन्य शिक्षा संस्थाओं में भी लागू की जा चुकी है और विभिन्न राज्यों में आठ लाख से अधिक बच्चे इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं।

रागिनियों में वादन प्रस्तुत करवाता है। इसके साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक वार्षिक संगीत-प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है जिसमें प्रतिभाशाली नवयुवक कलाकार पुरस्कृत किए जाते हैं। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें संगीत के विकास से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम

1952 में आरम्भ किए गए आकाशवाणी के संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में चोटी के कलाकार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के बीच अधिक-से-अधिक तादात्म्य स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रादेशिक संगीत लोक-संगीत और गीति-नाट्यों का भी प्रसारण होता रहता है।

राष्ट्रीय गीति-नाट्य कार्यक्रम

यह कार्यक्रम प्रत्येक दो महीने में एक बार दिल्ली केन्द्र से प्रसारित किया जाता है, जिसे आकाशवाणी के अन्य सभी केन्द्र रिले करते हैं। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गीति-नाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं।

वाद्यवृन्द

1952 में स्थापित आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्यवृन्द वाद्य-संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत रागों और लोक-धुनों पर आधारित रचनाएं प्रसारित की जाती हैं।

अन्य आकाशवाणी कार्यक्रम

थोड़े समय के शास्त्रीय संगीत-कार्यक्रम (सुबह संगीत) भी प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी द्वारा वृन्दगान सुगम संगीत लोक-संगीत तथा भक्ति-संगीत और बम्बई, मद्रास कलकत्ता और दिल्ली केन्द्रों से पश्चिमी संगीत के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

साहित्य

साहित्य अकादेमी

1954 में स्थापित साहित्य अकादेमी एक राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय वाङ्मय का विकास तथा उच्च साहित्यिक मानदंड स्थिर करना सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाना है।

भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची तैयार करना साहित्य अकादेमी का एक प्रमुख कार्य है। इस ग्रन्थ-सूची में बीसवीं शताब्दी में रचित 14 भारतीय भाषाओं के साहित्यिक महत्व

सूचना और प्रकाशन मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग ने भी कला सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं जिनमें 'कांगड़ा शैली पेंटिंग' 'द मे मार्क ब बुद्ध' 'बसोली-पेंटिंग' 'भारतीय कला का सिंहावलोकन' 'भारत की वास्तु तथा मूर्तिकला' आदि उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय कला-संग्रहालय

1954 में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगभग तीन हजार कलाकृतियां संगृहीत हैं, जो विगत सौ वर्षों की कला-प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराती हैं। इस संग्रहालय में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय डी पी राय चौधरी अमृता शेरगिल तथा सुधीर खास्तगीर-जैसे लब्धप्रतिष्ठ कलाकारों तथा अन्य अनेक आधुनिक कलाकारों और शिल्पकारों की कृतियां संगृहीत हैं।

नृत्य नाटक तथा संगीत

संगीत-नाटक अकादेमी

1953 में स्थापित तथा 1961 में संस्था के रूप में पंजीकृत संगीत-नाटक अकादेमी नृत्य, नाटक तथा संगीत को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। यह अकादेमी अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देती है, नाटक-केन्द्रों तथा प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना में सहयोग देती है विचार-गोष्ठियों तथा समारोहों का आयोजन करती है पुरस्कार और सम्मान देती है, साहित्य प्रकाशित करती है संस्थाओं को सहायता-अनुदान देती है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है।

अकादेमी अपने द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्थाओं तथा अपने से सम्बद्ध असम आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा जम्मू-कश्मीर, केरल पश्चिम-बंगाल बिहार, मद्रास मध्यप्रदेश मैसूर तथा राजस्थान की प्रादेशिक अकादेमियों के साथ निकट सम्पर्क रखती है। ये प्रादेशिक अकादेमियां राष्ट्रीय उपक्रम को देश की विभिन्न कलाओं का सर्वेक्षण करने में सहयोग देती हैं। नाटकों को प्रोत्साहन देने के लिए अकादेमी नाटक-प्रतियोगिताओं की भी व्यवस्था करती है।

अकादेमी नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय तथा एशियाई रंगमंच संस्था और इम्फाल में मणिपुर नृत्य कालेज का संचालन कर रही है।

संगीत-नाटक अकादेमी प्रतिवर्ष संगीत नृत्य नाटक तथा चलचित्रों के क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों को पुरस्कार भी देती है। 1963 के पुरस्कार-विजेताओं की सूची परिशिष्ट में देखिए।

रेडियो नाटक

आकाशवाणी के नाटकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में विगत 75 वर्षों के सर्वोत्तम नाटकों का प्रसारण किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से समस्त प्रादेशिक भाषाओं में एक साथ प्रसारित किया जाता है। अब तक ऐसे 80 नाटक प्रसारित किए जा चुके हैं।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन

आकाशवाणी के इस नियमित वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के कलाकारों द्वारा विभिन्न रागों तथा

सृजनात्मक साहित्य की विभिन्न विधाओं से सम्बद्ध साहित्यकारों का एक अखिल भारतीय समारोह पहले-पहल 1956 में आयोजित किया गया था। अब यह समारोह हर वर्ष होता है। 1962 में हुए समारोह का विषय था—'भाषाओं की परस्पर सद्भावना'।

1960 से आरम्भ किए गए राष्ट्रीय समसामयिक साहित्य कार्यक्रम में भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक रचनाओं के सम्बन्ध में श्रोताओं को अवगत कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक तीन महीने के बाद अन्तिम गुरुवार को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है और इसमें कविताओं छोटी कहानियों तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं का समावेश रहता है।

1955 से प्रतिवर्ष पटेल स्मारक व्याख्यानमाला में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिए जाने-वाले व्याख्यानों का उद्देश्य लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना है। 1958 से आयोजित आझ-स्मारक व्याख्यान मराठी में मराठी-भाषी क्षेत्र के प्रसारण-केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट)

उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ करने के उद्देश्य से 1957 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की गई थी। अब तक इसके 68 प्रकाशन निकल चुके हैं। यह न्यास शिक्षा विज्ञान संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों के उत्कृष्ट ग्रन्थ भी प्रकाशित करेगा तथा भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों और विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद तथा एक प्रादेशिक भाषा से दूसरी प्रादेशिक भाषा में भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित करने की ओर भी ध्यान देगा। इसकी ओर से प्रकाशन का काम सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग करता है।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक सद्भावना प्रसार

सांस्कृतिक दलों का आदान-प्रदान

1959-60 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा चुने गए सांस्कृतिक दल अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं।

कलाकारों का आदान-प्रदान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों के संगीत तथा नृत्य आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कलाकारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना है।

खुले रंगमंच

ग्रामीण क्षेत्रों में नाटकों नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए खुले रंगमंचों की व्यवस्था की जा रही है।

के समस्त ग्रन्थों तथा भारत में प्रकाशित अथवा भारतीयों द्वारा रचित अंग्रेजी ग्रन्थों का उल्लेख रहेगा। हाल ही में अकादेमी ने 'भारतीय लेखक-परिचय ग्रन्थ' प्रकाशित किया है।

साहित्य अकादेमी अब तक ये ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकी है : कालिदास रचित 'कुमारसम्भवम्' 'मेघदूतम्' और 'विक्रमोर्वशीयम्' के आलोचनात्मक संस्करण, 'उड़िया साहित्य का इतिहास' 'बंगला साहित्य का इतिहास', 'असमिया साहित्य का इतिहास', 'एन्थालाजी आफ संस्कृत लिटरेचर' के दो खण्ड, असमिया, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगु कविताओं के काव्य-संग्रह, असम और बंगाल का वैष्णव गीति-काव्य, गुजराती के एकांकी, गुजराती, तमिल तथा तेलुगु की कहानियां, भारती की चुनी हुई कविताओं का संग्रह (तमिल में), राजवाडे तथा आगरकर के गद्य संग्रह (मराठी में), भरतचन्द्र और प्रेमानन्द की चुनी हुई रचनाएं (बंगला में) और दीवान-ए-गालिब के पद्य का संग्रह (सिन्धी में), समसामयिक भारतीय साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन, समसामयिक भारतीय कहानियों का संग्रह, तथा रूसी-हिन्दी शब्दकोश। इसके अतिरिक्त, कालिदास-रचित 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्', 'मालविकाग्निमित्रम्' तथा 'रघुवंशम्' के आलोचनात्मक संस्करण, असमिया, कन्नड़ तथा तेलुगु साहित्य के इतिहास तथा 'एन्थालाजी आफ संस्कृत लिटरेचर' के दो और भाग तथा एक तिब्बती-हिन्दी शब्दकोश भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएंगे।

'भारतीय कविता—1953' शीर्षक से एक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 14 मुख्य भाषाओं की कविताओं तथा उनके हिन्दी पद्यानुवाद का संग्रह है। दूसरा काव्य-संग्रह (1954-55) भी प्रकाशित हो चुका है तथा तीसरा काव्य-संग्रह (1956-57) प्रकाशित हो रहा है।

अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और वे प्रकाशित भी हो चुके हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएं (मूल बंगला भाषा तथा देवनागरी लिपि में) आठ खण्डों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो खण्ड 'एकोत्तरशती' तथा 'गीत-पंचशती' शीर्षक से प्रकाशित किए जा चुके हैं। 'एकोत्तरशती' (21 अनु-क्रमाएं) के गुजराती, पंजाबी, मराठी तथा उड़िया संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य गोष्ठी के अवसर पर एक रवीन्द्र शताब्दी ग्रन्थ प्रकाशित किया गया, जिसमें विश्व के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों के लेख प्रकाशित किए गए। रोम्यां रोलां के ग्रन्थ 'द लाइफ आफ विवेकानन्द' के अनुवाद भी शीघ्र ही प्रकाशित होंगे।

साहित्य अकादेमी अंग्रेजी तथा संस्कृत में क्रमशः 'इण्डियन लिटरेचर' और 'संस्कृतप्रतिभा' नामक दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रही है।

साहित्य अकादेमी प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट ग्रन्थों पर पुरस्कार भी प्रदान करती है। 1962 के पुरस्कार-विजेताओं की सूची परिशिष्ट में देखिए।

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

1956 के प्रारम्भ में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने महात्मा गांधी के भाषणों, पत्रों तथा लेखों का एक सम्पूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की योजना पर कार्य प्रारम्भ किया था। 1884 से 1908 तक की रचनाओं के प्रथम आठ खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं।

साहित्यिक प्रसारण

1956 में आकाशवाणी द्वारा पहली बार एक सर्वभाषा कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कवि-सम्मेलन अब प्रतिवर्ष होता है, जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

सृजनात्मक साहित्य की विभिन्न विधाओं से सम्बद्ध साहित्यकारों का एक मखिल भारतीय समारोह पहले-पहल 1956 में आयोजित किया गया था। अब यह समारोह हर वर्ष होता है। 1962 में हुए समारोह का विषय था—'भाषाओं की परस्पर सद्भावना'।

1960 से प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय समसामयिक साहित्य कार्यक्रम में भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक रचनाओं के सम्बन्ध में श्रोताओं को अवगत कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक तीन महीने के बाद अन्तिम गुरुवार को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है और इसमें कविताओं छोटी कहानियों तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं का समावेश रहता है।

1955 से प्रतिवर्ष पटेल स्मारक व्याख्यानमाला में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिए जाने-वाले व्याख्यानों का उद्देश्य लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना है। 1958 से आयोजित वाड-स्मारक व्याख्यान मराठी में मराठी-भाषी क्षेत्र के प्रसारण-केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट)

उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ करने के उद्देश्य से 1957 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की गई थी। अब तक इसके 68 प्रकाशन निकल चुके हैं। यह न्यास शिक्षा विज्ञान संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों के उत्कृष्ट ग्रन्थ भी प्रकाशित करेगा तथा भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों और विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद तथा एक प्रादेशिक भाषा से दूसरी प्रादेशिक भाषा में भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित करने की ओर भी ध्यान देगा। इसकी ओर से प्रकाशन का काम सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग करता है।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक सद्भावना प्रसार

सांस्कृतिक दलों का आदान-प्रदान

1959-60 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा चुने गए सांस्कृतिक दल अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं।

कलाकारों का आदान-प्रदान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों के संगीत तथा नृत्य आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कलाकारों के आदान प्रदान की व्यवस्था करना है।

खुले रंगमंच

ग्रामीण क्षेत्रों में नाटकों, नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए खुले रंगमंचों की व्यवस्था की जा रही है।

रंगमंच संस्थाओं को सहायता

1960-61 में प्रारम्भ की गई एक योजना के अधीन पंजीकृत रंगमंच मण्डलियों तथा उन मण्डलियों को जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम-से-कम 3 नाटक तैयार किए हों और जिनके कम-से-कम 50 अभिनय किए हों अनुदान दिए जाते हैं।

ऐसी रंगमंच मण्डलियों को अन्य स्थानों की रंगमंच मण्डलियों द्वारा अपनाई गई तकनीकों का अध्ययन करने के उद्देश्य से पात्र व्यक्ति भेजने के लिए भी वित्तीय सहायता मिल सकती है। एक और योजना के अधीन व्यावसायिक रंगमंचों को घाटा पूरा करने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं।

सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं को भवन बनाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। उन्हें अपने प्रोग्रामों को कार्यान्वित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

वैदेशिक सम्पर्क विभाग

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय में एक वैदेशिक सम्पर्क-विभाग स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

प्रदर्शनियां

विदेशों में समय-समय पर भारतीय कला और संस्कृति सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार, भारत में अन्य देशों की कला और संस्कृति-सम्बन्धी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।

सांस्कृतिक करार

यूनान नार्वे जापान इण्डोनेशिया रूमानिया पोलैण्ड तुर्की इराक संयुक्त अरब गणराज्य ईरान चेकोस्लोवाकिया सोवियत संघ युगोस्लाविया हंगरी और मंगोलिया के साथ भारत के सांस्कृतिक करार हैं।

अनुदान

भारत तथा अन्य देशों के बीच निकट सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगी भारत तथा विदेश स्थित बीस से अधिक समितियों तथा संस्थाओं को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी गई।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास

दिल्ली और शान्तिनिकेतन में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास लन्दन में वाई एम सी ए भारतीय छात्र संघ एवं छात्रावास लन्दन में अवसचाई हाल कैम्ब्रिज में न्यू हाल और पेरिस के सिटे यूनिवर्सिटियर में भारत-भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्

भारत तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अप्रैल 1949 में इस परिषद् की स्थापना की गई थी। यद्यपि इसका सारा खर्च भारत सरकार उठाती है तथापि यह परिषद् अपने-आप में एक स्वतन्त्र संस्था है। यह परिषद् एक त्रैमासिक पत्रिका अंग्रेजी में तथा दूसरी अरबी भाषा में प्रकाशित करती है। दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा भारत सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन और भारतीय प्रकाशनों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराने का भी काम यह परिषद् कर रही है।

रंगमंच संस्थाओं को सहायता

1960-61 में प्रारम्भ की गई एक योजना के अधीन पंजीकृत रंगमंच मण्डलियों तथा उन मण्डलियों को जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम-से-कम 3 नाटक तैयार किए हों और पिछले वर्ष कम-से-कम 50 प्रदर्शन किए हों, अनुदान दिए जाते हैं।

ऐसी रंगमंच मण्डलियों को अन्य स्थानों की रंगमंच मण्डलियों द्वारा अपनाई गई तकनीकों का अध्ययन करने के उद्देश्य से यात्रा व्यय करने के लिए भी वित्तीय सहायता मिल सकती है। एक और योजना के अधीन व्यावसायिक रंगमचों को घाटा पूरा करने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं।

सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं को भवन बनाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। उन्हें अपने प्रोग्रामों को कार्यान्वित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

वैदेशिक सम्पर्क विभाग

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय में एक वैदेशिक सम्पर्क-विभाग स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

प्रदर्शनियां

विदेशों में समय-समय पर भारतीय कला और संस्कृति सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार, भारत में अन्य देशों की कला और संस्कृति-सम्बन्धी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।

सांस्कृतिक करार

यूनान नार्वे जापान इण्डोनेशिया रूमानिया पोलैण्ड तुर्की इराक संयुक्त अरब गणराज्य ईरान चेकोस्लोवाकिया सोवियत रूस युगोस्लाविया हंगरी और मंगोलिया के साथ भारत के सांस्कृतिक करार हैं।

अनुदान

भारत तथा अन्य देशों के बीच निकट सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगी भारत तथा विदेश स्थित मैत्री से सम्बद्ध समितियों तथा संस्थाओं को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी गई।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास

दिल्ली और शान्तिनिकेतन में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास लन्दन में वाई एम सी ए भारत में छात्र संघ एव छात्रावास लन्दन में कलकत्ता हाल कैम्ब्रिज में न्यू हाल और पेरिस के सिते यूनिवर्सितियर में भारत-भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

(पश्चिम-बंगाल) (21) केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था नागपुर (22) राष्ट्रीय उड्डयन प्रयोगशाला बंगलोर (23) प्रादेशिक अनुसन्धानशाला जोरहाट (24) केन्द्रीय भारतीय औषध वनस्पति संगठन नई दिल्ली (25) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन नई दिल्ली (26) भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून (27) राष्ट्रीय भू-भौतिकी शोध संस्था हैदराबाद तथा (28) विश्वेश्वरय्य औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय बंगलोर। इनके अतिरिक्त परिषद् ने नई दिल्ली में वर्षा तथा बादल भौतिकी अनुसन्धान यूनिट भी स्थापित किया है। इसने भारतीय राष्ट्रीय समुद्र-शोध समिति का काम भी अपने हाथ में ले लिया है।

अनुसन्धान-काम को प्रोत्साहन

अन्य तकनीकी संस्थाओं औद्योगिक प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी सहायता-अनुदान दिए जाते हैं। सहायता-अनुदान देने की 495 से अधिक योजनाएं चल रही हैं। व्यावहारिक परिणामों के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी हो रहा है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से युवक अनुसन्धानकर्ताओं को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान-कार्य के लिए क्रियाशील केन्द्रों का विकास होता है। अवकाशप्राप्त वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त होनहार नवयुवकों को जूनियर तथा सीनियर छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

सहकारी अनुसन्धान संस्थाएं

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सहकारी अनुसन्धान संस्थाओं को पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय तकनीकी परामर्श और योजनाएं बनाने तथा विशेषज्ञ और सामग्री जुटाने के रूप में सहायता दी जाती है। इस प्रकार की आठ संस्थाएं कपड़ा रबड़ रेशम नकली रेशम सीमेंट प्लाईवुड तथा सीमेंट उद्योग में काम कर रही हैं। चाय फाउण्डरी सीमेंट अभ्रक, आटोमोबाइल रेडियो और इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए भी ऐसी संस्थाएं बनाई जा रही हैं।

जन-सम्पर्क

उद्योग औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं सरकारी विभागों और अन्य अनुसन्धान उपयोक्ताओं के साथ सम्पर्क कायम करने के लिए प्रयोगशालाओं में जन-सम्पर्क यूनिट स्थापित किए गए हैं जो उन्हें वैज्ञानिक जानकारी के बारे में बताते हैं। लोगों को वैज्ञानिक जानकारी सुलभ कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के लोकोपयोगी संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं।

विज्ञान-मन्दिर

सामुदायिक विकास परियोजना-क्षेत्रों में 'विज्ञान-मन्दिर' नामक 48 ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीणों में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते हैं तथा उन्हें वैज्ञानिक जानकारी के उपयोग के बारे में बताते हैं।

अध्याय 7

वैज्ञानिक अनुसन्धान

विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति 13 मार्च 1958 को संसद् में प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव में स्पष्ट की गई थी। सरकार की इस नीति का प्रधान उद्देश्य विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान की अभिवृद्धि करना देश में उच्च कोटि के वैज्ञानिक तैयार करना जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना व्यक्तिगत तौर पर वैज्ञानिक खोज तथा वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना तथा देशवासियों को विज्ञान से होनेवाले लाभ उपलब्ध कराना।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्

भारत में सरकारी तत्वावधान में वैज्ञानिक अनुसन्धान का काम मुख्यतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अथवा संस्थाएं और उससे सहायता-प्राप्त विश्वविद्यालय तथा संस्थाएं करती हैं। यह परिषद् योग्य व्यक्तियों को शोध-वृत्तियां देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करने का कार्य करती है। विदेशों से लौटनेवाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम पर लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् पर है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद परिषद् ने देश के विभिन्न स्थानों में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं

(1) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना (2) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली (3) केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था जीलगोड़ा (बिहार) (4) केन्द्रीय कांच और चीनी बर्तन अनुसन्धान संस्थान जादवपुर (5) केन्द्रीय खाद्य टेक्नालाजिकल अनुसन्धान संस्था मैसूर (6) राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर (7) केन्द्रीय भेषज अनुसन्धान संस्था लखनऊ (8) केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था नई दिल्ली (9) केन्द्रीय इलेक्ट्रो-केमिकल अनुसन्धान संस्था कराईकुडी (मद्रास) (10) केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था मद्रास (11) केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्था रुड़की (12) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था पिलानी (राजस्थान) (13) राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ (14) केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रासायनिक अनुसन्धान संस्था भावनगर (15) केन्द्रीय खनिज अनुसन्धान केन्द्र धनबाद (16) प्रादेशिक अनुसन्धान-शाला हैदराबाद (17) भारतीय जीव-रसायन तथा परीक्षणात्मक औषध संस्था कलकत्ता (18) बिड़ला औद्योगिक तथा टेक्नालाजिकल संग्रहालय कलकत्ता (19) प्रादेशिक अनुसन्धान शाला जम्मू-तवी (जम्मू-कश्मीर) (20) केन्द्रीय मेकैनिकल इंजीनियरी संस्था दुर्गापुर

राजस्थान में तथा प्रतापसागर में स्थापित किया जाएगा। तीसरे केन्द्र के लिए मद्रास राज्य में महाबलीपुरम् के निकट 'कालपक्कम' नामक स्थान को चुना गया है।

अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग से सम्बन्धित नीतियां तैयार करने तथा उनको कार्यान्वित करने में परामर्श तथा सहायता देने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष शोध समिति स्थापित की गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय वायुविज्ञान तथा अन्तरिक्ष प्रशासन के सहयोग से केरल में राकेट उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है।

अन्य विभागों द्वारा अनुसन्धान कार्य

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड के तत्वावधान में देश में 11 जलगति (हाइड्रालिक) अनुसन्धान केन्द्र हैं। पूना के निकट खड़कवासला स्थित केन्द्रीय जल-बिजली तथा सिंचाई अनुसन्धान केन्द्र इनमें प्रमुख है।

संचार मन्त्रालय के असैनिक उड्डयन महानिदेशालय के अधीन स्थापित अनुसन्धान तथा विकास निदेशालय विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देश की वनस्पति-सम्पत्ति से सम्बन्धित कार्य करता है। इलाहाबाद में एक केन्द्रीय वनस्पति प्रयोगशाला और कलकत्ता में सूखे पौधों और वनस्पति के राष्ट्रीय संग्रहालय के अतिरिक्त देहरादून कोयमुत्तूर, पूना और शिलांग में इसके प्रादेशिक केन्द्र हैं। इसकी ओर से शिवपुर (हावड़ा) में भी एक भारतीय वनस्पति उद्यान है।

भारत का प्राणिविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्यालय प्राणिविज्ञान सम्बन्धी मानक वस्तुओं का तथा भारत की भौगोलिक प्राणीविज्ञान सम्बन्धी जानकारी का संग्रह करता है। जबलपुर, जोधपुर, देहरादून पूना तथा शिलांग में इसके पांच प्रादेशिक केन्द्र हैं।

भारत का भू-विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्यालय भारत के भू-विज्ञान सम्बन्धी मानचित्र तैयार करता है। इसके अधीन 8 प्रादेशिक केन्द्र हैं।

कलकत्ता का पुरातत्वशास्त्र विभाग देश में तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अनुसन्धान कार्य भी करता है।

सर्वप्रथम 1875 में पूरे देश के आधार पर संगठित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम सम्बन्धी स्थितियों की पूर्वसूचना देने का कार्य करता है।

देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग तलरूप सर्वेक्षण करता है तथा भारत का यथाविधि मानचित्र तैयार करता है।

देहरादून की वन अनुसन्धान-संस्था भवन-निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के उपयोग से सम्बन्धित अनुसन्धान-कार्य करती है।

नई दिल्ली में आकाशवाणी का एक अनुसन्धान यूनिट है जो रेडियो-तरंगों तथा रेडियो रिसीवरों के डिजाइन तथा कार्यकुशलता सम्बन्धी समस्याओं की जांच करता है।

रेल-कारखानों की समस्याओं के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने के लिए रेल बोर्ड ने लखनऊ में एक अनुसन्धान केन्द्र खोल रखा है जिसके दो उपकेन्द्र लोनावला तथा चित्तरंजन में हैं।

परमाणु शक्ति तथा अन्तरिक्ष शोध

परमाणु शक्ति आयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम की योजना बनाने तथा उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए उत्तरदायी है। यह कार्यक्रम परमाणु शक्ति विभाग के अधीन है।

परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा विकास कार्य करने का राष्ट्रीय केन्द्र बम्बई के निकट ट्राम्बे स्थित परमाणु शक्ति प्रतिष्ठान है। ट्राम्बे प्रतिष्ठान में तीन परमाणविक भट्ठियां हैं—पहली 'अप्सरा' दूसरी चालीस मेगावाट क्षमता की कनाडा-भारत भट्ठी तथा तीसरी परीक्षणात्मक भट्ठी 'जरलीना'। ट्राम्बे प्रतिष्ठान में एक थोरियम संयन्त्र तथा एक यूरेनियम धातु संयन्त्र भी है।

प्रतिष्ठान पांच मुख्य बड़े विभागों—भौतिकी रासायनिक, इलेक्ट्रानिक धातुविज्ञान तथा जीवविज्ञान—में बंटा हुआ है जिसके अधीन आगे चल कर 15 विभाग हैं। परमाणु शक्ति प्रतिष्ठान रेडियो आइसोटोपों के सम्बन्ध में राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। इलेक्ट्रानिक विभाग अपने तथा परमाणु शोध में लगी अन्य संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण तैयार करता है।

खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए विकिरण प्रणालियों के विकास के लिए भी प्रयोग किए जा रहे हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं में से प्रमुख हैं (1) विकिरण औषधि केन्द्र की स्थापना (2) कैंसर तथा अन्य कई रोगों के विभिन्न पहलुओं पर आधारभूत शोध कार्य का विस्तार।

परमाणविक खनिज विभाग विस्तृत भू-गर्भीय सर्वेक्षण कार्य के संचालन के लिए उत्तरदायी है।

बिहार में जादूगुडा में भारत की यूरेनियम की मुख्य खानों का पता लगा है। तत्सम्बन्धी कार्यक्रम के संचालन के लिए जादूगुडा खान संस्था नामक एक नई परियोजना की स्थापना की गई है। खानों से निकले यूरेनियम के विधायन के लिए भी जादूगुडा में एक कारखाना स्थापित किया जाना है।

परमाणु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई है। बम्बई स्थित टाटा मूल अनुसन्धान संस्था परमाणु विज्ञान और गणितमूलक अनुसन्धान के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केन्द्र है। कलकत्ता की साहा परमाणु भौतिकी संस्था तथा अहमदाबाद की भौतिक अनुसन्धान प्रयोगशाला को सहायता प्राप्त होती है। कश्मीर में 9,000 फुट की ऊंचाई पर गुलमर्ग में परमाणु किरणों, जीव-विज्ञान और शरीर-विज्ञान पर उच्चस्तरीय शोध प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। मद्रास राज्य के कोडइकनाल नामक स्थान में भी एक ऐसी ही प्रयोगशाला स्थापित की जायगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा विज्ञान-संस्थाओं में इस विभाग की ओर से छात्रवृत्तियां दिए जाने की भी व्यवस्था है।

बम्बई से 60 मील दूर तारापुर में सर्वप्रथम परमाणु शक्ति संयन्त्र लगाने की दिशा में काफी कार्य किया जा चुका है। इस संयन्त्र की क्षमता 380 मेगावाट होगी तथा 1966 से इसमें कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है। आरम्भ में 200 मेगावाट की क्षमता का दूसरा परमाणु शक्ति केन्द्र

सड़क विकास तथा सड़क निर्माण सामग्री राजपथों तथा पुलों का निर्माण और रखरखाव सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य परिवहन मन्त्रालय के अधीन स्थापित सड़क संगठन करता है।

भारतीय मानक संस्था जो उद्योग मन्त्रालय के अधीन है सामग्री तथा उत्पादनों के मानक स्थिर करने की दिशा में कार्य करती है।

अन्य संस्थाएं

वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में देश में और भी कई अनुसन्धान संगठन कार्य कर रहे हैं जिनके लिए वित्त की व्यवस्था या तो गैर-सरकारी संस्थाएं करती हैं अथवा सरकार उन्हें सहायता देती है। इनमें बीरबल साहनी वनस्पतिविज्ञान संस्था लखनऊ बोस संस्था कलकत्ता भारतीय विज्ञान प्रोत्साहन संघ कलकत्ता भारतीय विज्ञान संस्था बंगलोर भौतिक अनुसन्धान-शाला अहमदाबाद तथा श्रीराम औद्योगिक अनुसन्धान संस्था दिल्ली प्रमुख हैं।

चिकित्सा-अनुसन्धान

1912 में स्थापित भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान परिषद् देश में होनेवाले चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

परिषद् की पौष्टिक आहार परामर्श समिति पौष्टिक आहार अनुसन्धान योजनाओं को धन देती है और दिल्ली का राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान मलेरिया को समाप्त करने के लिए उपायों के बारे में अनुसन्धान करता है।

चिकित्सा कालेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावा देश में विशेष अध्ययन के लिए अनेक संस्थाएं हैं। कलकत्ता की अखिल भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा लोक-स्वास्थ्य संस्था में उन दोनों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी तथा निरोधात्मक औषधि के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है, जो भारत के लिए नई हैं। कलकत्ता के उष्णप्रदेशीय (ट्रापिकल) औषधि-विद्यालय में उष्णप्रदेशीय क्षेत्रों के रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाता है।

गिण्डी (मद्रास) स्थित किंग निरोधात्मक औषधि संस्था में कीटाणुओं से फैलनेवाले रोगों के बारे में अनुसन्धान किया जाता है तथा टीके तैयार किए जाते हैं।

दिल्ली की वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्था में क्षय-रोग तथा अन्य वक्ष-रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाता है। चिंगलपट के लेडी विलिंगडन कोढ़ सैनेटोरियम तथा सैदापेट के सिल्वर जुबिली बाल क्लिनिक को मद्रास सरकार के नियन्त्रण से लेकर उनके स्थान पर केन्द्रीय कोढ़ अनुसन्धान संस्था स्थापित कर दी गई है।

बम्बई की हाफकिन संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किए जाते हैं। प्लेग की रोकथाम तथा इलाज का यह प्रमुख केन्द्र है। अब पौष्टिक आहार, मलेरिया तथा विषाणु (वायरस)-जनित रोगों के क्षेत्र में भी इस संस्था ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

बम्बई के भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र में कैंसर के सम्बन्ध में खोज की जाती है। इस केन्द्र ने भारत में कैंसर की व्यापकता का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है।

कसौली की अनुसन्धान संस्था में जीव-रसायन आदि की समस्याओं की जाँच-पड़ताल की जाती है। इस संस्था का एक संग्रहालय भी है।

कुनूर स्थित पैस्चोर संस्था में इन्फ्लुएंजा तथा पागल कुत्ते के काटे (रैबीज) आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य किया जाता है।

केन्द्रीय भेषज प्रयोगशाला कलकत्ता में ओषधियों का रासायनिक अनुसन्धान किया जाता है।

इनके अलावा कई गैर-सरकारी अनुसन्धान संगठन हैं, जिनमें बंगाल व्याधि-उन्मुक्ति अनुसन्धान संस्था विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

कृषि-अनुसन्धान

1929 में स्थापित भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् कृषि तथा पशु-पालन सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन देती है।

दिल्ली की भारतीय कृषि-अनुसन्धान संस्था कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य करने वाली सबसे पुरानी संस्था है। खाद्य फसलों के बारे में जाँच करने के लिए इस संस्था के पास एक प्रयोगशाला तथा विस्तृत खेत है। इज्जतनगर की भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था में पशुओं के रोगों का अध्ययन और उपचार होता है। करनाल की राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था में क्वालिटी नियन्त्रण के उद्देश्य से दूध के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। कलकत्ता की केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था तथा शिमला की केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था में क्रमशः चावल तथा आलू सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाता है। भारतीय मवेशियों के विकास के लिए एक बर्सी फार्म और एक केन्द्रीय भेड़ अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का सुझाव है।

कपास पटसन नारियल तम्बाकू, तेलहन सुपारी तथा लाख के बारे में अनुसन्धान करने के लिए 9 जिन्स समितियाँ हैं। इनकी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएं तथा अनुसन्धान संस्थाएं हैं।

मण्डपम स्थित केन्द्रीय तटवर्ती मछली अनुसन्धान केन्द्र में समुद्र तट पर पाई जानेवाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त बम्बई, कच्छ की खाड़ी विशाखापट्टनम तथा अर्नाकुलम में भी अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कलकत्ते का केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली अनुसन्धान केन्द्र तालाबों तथा नदियों में पाई जानेवाली (अन्तर्देशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है।

कोचीन तथा एर्णाकुलम के केन्द्रीय मछली टैक्नालाजिकल अनुसन्धान केन्द्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री तथा मछली और मछली-उत्पादकों के परिरक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है।

अध्याय 8

स्वास्थ्य

पिछले तीन वर्षों में देश के लोगों के स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नीचे की सारणी में इसका विवरण दिया गया है

सारणी 6

जीवन-मरण के आंकड़े

	(प्रति हजार व्यक्ति)		शिशु-मृत्यु दर (प्रति हजार)		जन्म के समय अनुमानित आयु	
	जन्म दर	मृत्यु दर	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1941–51	39.9	27.4	190.0	175.0	32.45	31.66
1951–56	41.7	25.9	161.4	146.7	37.78	37.40
1956–61	40.7	21.6	142.3	127.9	41.68	42.06

मूलतः स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। केन्द्रीय सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने की बड़ी योजनाएं शुरू करती है तथा उनके लिए सहायता देती है। स्वास्थ्य और परिवार आयोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना, लोगों के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार करना तथा अधिकाधिक कार्यकुशलता तथा उत्पादन क्षमता के लिए उपयुक्त वातावरण जुटाना है। पहली और दूसरी योजना में स्वास्थ्य तथा परिवार आयोजन कार्यक्रमों पर क्रमशः 140 करोड़ रुपये तथा 225 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। तीसरी योजना में लगभग 342 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 207 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं और बाकी केन्द्रीय योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।

रोगों की रोकथाम और उनका नियन्त्रण

मलेरिया

1953 में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम 1 अप्रैल 1958 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया। यह कार्यक्रम केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों के योग और अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुसन्धान तथा कर्मचारियों को मलेरिया-उन्मूलन का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान पर है। कटक, बंगलोर, बड़ौदा, लखनऊ, शिलांग और हैदराबाद में छः प्रादेशिक समन्वय संगठन स्थापित किए गए हैं।

सम्पूर्ण देश में 391 मलेरिया यूनिट काम कर रहे हैं जिनमें से 140 यूनिट कार्यक्रम के समेकन चरण' में हैं। 1964 तक 70-80 यूनिट 'संधारण चरण' में कार्य करने लगेंगे।

मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद से अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में मलेरिया के रोगियों की संख्या जो 1953-54 में कुल उपचार-अधीन रोगियों का 10.8 प्रतिशत थी 1962-63 के दौरान 0.4 प्रतिशत रह गई।

फाइलेरिया

1955 में प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रोग से पीड़ित रोगियों को ओषधियाँ बाँटी जाती हैं तथा मच्छरों का नाश करने के उपाय किए जाते हैं। इस समय 47 नियन्त्रण यूनिट तथा 22 सर्वेक्षण यूनिट काम कर रहे हैं। जनवरी 1963 के अन्त तक लगभग 266 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या के क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ जिससे प्रकट हुआ कि देश में 644 लाख से अधिक व्यक्ति फाइलेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। एक व्यावहारिक प्रयत्न तथा प्रशिक्षण केन्द्र कोझीकोड में तथा एक नया प्रशिक्षण केन्द्र राजमुन्द्री में खोला जा रहा है।

क्षयरोग

अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख व्यक्ति क्षयरोग से पीड़ित हैं। 1948 में प्रारम्भ हुए बी सी जी टीका-आन्दोलन के अन्तर्गत दूसरी योजना के अन्त तक 18.4 करोड़ व्यक्तियों को जिनमें 7.8 करोड़ व्यक्ति 15 वर्ष से कम वय के थे क्षयरोग से सुरक्षा प्रदान की गई। दिसम्बर 1962 के अन्त तक 19.30 करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई तथा 6.87 करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए। इस काम में 175 क्षयरोग निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं। तीसरी योजना के दौरान 15 वर्ष तक की वय के 10 करोड़ से अधिक बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

मद्रास के क्षयरोग केमोथेरेपी केन्द्र तथा मदनपल्ले के क्षयरोग शोध यूनिट में शोध कार्य चल रहा है। बंगलोर, नई दिल्ली, नागपुर, पटना, पटियाला, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में आठ प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में लालबहादुर पटेल वक्ष संस्थान-जैसी अन्य कई संस्थाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण कक्षों में भी चिकित्सकों को क्षयरोग सम्बन्धी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल के अन्तर्राष्ट्रीय दान तथा कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बंगलौर में भी राष्ट्रीय क्षय संस्थान स्थापित किया गया है।

1962 के अन्त में देश में क्षयरोग की चिकित्सा सम्बन्धी 140 आरोग्यगृह तथा अस्पताल 225 क्लिनिक 152 वार्ड तथा रोगियों के लिए 27 000 से अधिक बिस्तर थे। क्षयरोग से मुक्ति पानेवाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास के लिए देश में 15 ग्रामीण बस्तियाँ हैं। घरेलू उपचार व्यवस्था के सम्बन्ध में मद्रास में रोगियों को तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देने का एक केन्द्र खोला जा चुका है और अमृतसर दिल्ली पुर्लिया नेहरूग्राम पूना मैसूर मसाणक तथा हैदराबाद में और केन्द्र खोले जा रहे हैं। गम्भीर स्थिति में पहुँचे हुए रोगियों के अलग उपचार के लिए कुछ कक्ष स्थापित करने की एक योजना के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब और मैसूर में 430 ऐसे बिस्तर खोलने की मंजूरी दी गई है।

अध्याय 8

स्वास्थ्य

पिछले बीस वर्षों में देश के लोगों के स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नीचे की सारणी में इसका विवरण दिया गया है

सारणी 6

जीवन-मरण के आंकड़े

	(प्रति हजार व्यक्ति)		शिशु-मृत्यु दर (प्रति हजार)		जन्म के समय प्रत्याशित आयु	
	जन्म दर	मृत्यु दर	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1941–51	39.9	27.4	190.0	175.0	32.45	31.66
1951–56	41.7	25.9	161.4	146.7	37.76	37.49
1956–61	40.7	21.6	142.3	127.9	41.68	42.06

मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। केन्द्रीय सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने की बड़ी योजनाएं शुरू करती है तथा उनके लिए सहायता देती है। स्वास्थ्य और परिवार आयोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना लोगों के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार करना तथा अधिकाधिक कार्यकुशलता तथा उत्पादन क्षमता के लिए उपयुक्त वातावरण जुटाना है। पहली और दूसरी योजना में स्वास्थ्य तथा परिवार आयोजन कार्यक्रमों पर क्रमश 140 करोड़ रुपये तथा 225 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। तीसरी योजना में लगभग 342 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 207 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं और बाकी केन्द्रीय योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।

रोगों की रोकथाम और उनका नियन्त्रण

मलेरिया

1953 में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम 1 अप्रैल 1958 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया। यह कार्यक्रम केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों के योग और अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुसन्धान तथा कर्मचारियों को मलेरिया-उन्मूलन का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान पर है। कटक बंगलोर, बड़ौदा लखनऊ, शिलांग और हैदराबाद में छ. प्रादेशिक समन्वय संगठन स्थापित किए गए हैं।

सम्पूर्ण देश में 391 मलेरिया यूनिट काम कर रहे हैं जिनमें से 140 यूनिट कार्यक्रम के 'समेकन चरण' में हैं। 1964 तक 70-80 यूनिट 'संधारण चरण' में कार्य करने लगेंगे।

मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद से अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में मलेरिया के रोगियों की संख्या जो 1953-54 में कुल उपचार-प्राप्त रोगियों का 10.8 प्रतिशत थी 1962-63 के दौरान 0.4 प्रतिशत रह गई।

फ़ाइलेरिया

1955 में आरम्भ किए गए राष्ट्रीय फ़ाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रोग से पीड़ित रोगियों को औषधियां बांटी जाती हैं तथा मच्छरों का नाश करने के उपाय किए जाते हैं। इस समय 47 नियन्त्रण यूनिट तथा 22 सर्वेक्षण यूनिट कार्य कर रहे हैं। जनवरी 1963 के अन्त तक लगभग 266 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या के क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ जिससे प्रकट हुआ कि देश में 644 लाख से अधिक व्यक्ति फ़ाइलेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। एक व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र कोजीकोड में तथा एक नया प्रशिक्षण केन्द्र राजमुन्द्री में खोला जा रहा है।

क्षयरोग

अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख व्यक्ति क्षयरोग से पीड़ित हैं। 1948 में प्रारम्भ हुए बी सी जी टीका-आन्दोलन के अन्तर्गत दूसरी योजना के अन्त तक 16.4 करोड़ व्यक्तियों को जिनमें 7.8 करोड़ व्यक्ति 15 वर्ष से कम वय के थे क्षयरोग से सुरक्षा प्रदान की गई। दिसम्बर 1962 के अन्त तक 19.30 करोड़ व्यक्तियों की जांच की गई तथा 6.87 करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए। इस काम में 175 क्षयरोग निवारक टुकड़ियां लगी हुई हैं। तीसरी योजना के दौरान 15 वर्ष तक की वय के 10 करोड़ से अधिक बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

मद्रास के क्षयरोग कीमोथिरेपी केन्द्र तथा मदनपल्ली के क्षयरोग शोध यूनिट में शोध कार्य चल रहा है। बंगलौर में, दिल्ली, नागपुर, पटना, पटियाला, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान-जैसी अन्य कई संस्थाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण केन्द्रों में भी चिकित्सकों को क्षयरोग सम्बन्धी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बंगलौर में भी राष्ट्रीय क्षय संस्थान स्थापित किया गया है।

1962 के अन्त में देश में क्षयरोग की चिकित्सा सम्बन्धी 140 आरोग्यधाम तथा अस्पताल 225 क्लिनिक 152 वार्ड तथा रोगियों के लिए 27,000 से अधिक बिस्तर थे। क्षयरोग से मुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास के लिए देश में 15 देखभाल समितियां हैं। घरेलू उपचार व्यवस्था के सम्बन्ध में मद्रास में रोगियों का तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण दल का एक [illegible] खोला जा चुका है और अमरगढ़, दिल्ली, पुरुलिया, वेल्लोर, पूना, मैसूर, लखनऊ तथा हैदराबाद में और ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे। [illegible] पहुंच चुके रोगियों के [illegible] उपचार के लिए नए केन्द्र स्थापित करने की एक योजना के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर, पंजाब और मैसूर में 430 ऐसे केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है।

अध्याय 8

स्वास्थ्य

पिछले बीस वर्षों में देश के लोगों के स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नीचे की सारणी में इसका विवरण दिया गया है

सारणी 6

जीवन-मरण के आंकड़े

	(प्रति हजार व्यक्ति)		शिशु-मृत्यु दर (प्रति हजार)		जन्म के समय प्रत्याशित आयु	
	जन्म दर	मृत्यु दर	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1941–51	39.9	27.4	190.0	175.0	32.45	31.66
1951–56	41.7	25.9	161.4	146.7	37.76	37.48
1956–61	40.7	21.6	142.3	127.9	41.68	42.06

मुख्यतः स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। केन्द्रीय सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने की बड़ी योजनाएं शुरू करती है तथा उनके लिए सहायता देती है। स्वास्थ्य और परिवार आयोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना लोगों के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार करना तथा अधिकाधिक कार्यकुशलता तथा उत्पादन क्षमता के लिए उपयुक्त वातावरण जुटाना है। पहली और दूसरी योजना में स्वास्थ्य तथा परिवार आयोजन कार्यक्रमों पर क्रमशः 140 करोड़ रुपये तथा 225 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। तीसरी योजना में लगभग 342 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 297 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं और बाकी केन्द्रीय योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।

रोगों की रोकथाम और उनका नियन्त्रण

मलेरिया

1953 में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम 1 अप्रैल 1958 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया। यह कार्यक्रम केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों के योग और अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से समन्वित किया जा रहा है। अनुसन्धान तथा कर्मचारियों को मलेरिया-उन्मूलन का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान पर है। कटक, बंगलौर, बड़ौदा, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद में छः प्रादेशिक समन्वय संगठन स्थापित किए गए हैं।

सम्पूर्ण देश में 391 मलेरिया यूनिट काम कर रहे हैं जिनमें से 140 यूनिट कार्यक्रम के 'समेकन चरण' में हैं। 1964 तक 70-80 यूनिट 'सधारण चरण' में कार्य करने लगेंगे।

मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद से अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में मलेरिया के रोगियों की संख्या जो 1953-54 में कुल उपचार-अधीन रोगियों का 10.8 प्रतिशत थी 1962-63 के दौरान 0.4 प्रतिशत रह गई।

फाइलेरिया

1955 में प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रोग से पीड़ित रोगियों को ओषधियां बांटी जाती हैं तथा मच्छरों का नाश करने के उपाय किए जाते हैं। इस समय 47 नियन्त्रण यूनिट तथा 22 सर्वेक्षण यूनिट कार्य कर रहे हैं। जनवरी 1963 के अन्त तक लगभग 266 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या के क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ जिससे प्रकट हुआ कि देश में 644 लाख से अधिक व्यक्ति फाइलेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। एक व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र कोजीकोड में तथा एक नया प्रशिक्षण केन्द्र राजमुन्द्री में खोला जा रहा है।

क्षयरोग

अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख व्यक्ति क्षयरोग से पीड़ित हैं। 1948 में प्रारम्भ हुए बी सी जी टीका-आन्दोलन के अन्तर्गत दूसरी योजना के अन्त तक 16.4 करोड़ व्यक्तियों को जिनमें 7.8 करोड़ व्यक्ति 15 वर्ष से कम वय के थे क्षयरोग से सुरक्षा प्रदान की गई। दिसम्बर 1962 के अन्त तक 19.30 करोड़ व्यक्तियों की जांच की गई तथा 6.87 करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए। इस काम में 175 क्षयरोग निवारक टुकड़ियां लगी हुई हैं। तीसरी योजना के दौरान 15 वर्ष तक की वय के 10 करोड़ से अधिक बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

मद्रास के क्षयरोग कमोथेरापी केन्द्र तथा मंडनपाल्ले के क्षयरोग शोध यूनिट में शोध कार्य चल रहा है। बंगलोर, नई दिल्ली नागपुर, पटना पटियाला मद्रास हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में आठ प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान-जैसी अन्य कई संस्थाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण कक्षों में भी चिकित्सकों को क्षयरोग सम्बन्धी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बंगलोर में भी राष्ट्रीय क्षय संस्थान स्थापित किया गया है।

1962 के अन्त में देश में क्षयरोग की चिकित्सा सम्बन्धी 140 आरोग्यधाम तथा अस्पताल 225 क्लिनिक 15 वार्ड तथा रोगियों के लिए 27 000 से अधिक बिस्तर थे। क्षयरोग से मुक्ति पानेवाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास के लिए देश में 15 देखभाल बस्तियां हैं। घरेलू उपचार व्यवस्था के सम्बन्ध में मद्रास में रोगियों को तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देने का एक केन्द्र खोला जा चुका है और अमरगढ़ दिल्ली भुवनेश्वर पेडामली पूना मैसूर, मगनढ़ तथा हैदराबाद में और केन्द्र खोले जाएंगे। गम्भीर स्थिति में पहुंच चुके रोगियों के तत्काल उपचार के लिए पृथक केन्द्र स्थापित करने की एक योजना के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश जम्मू-कश्मीर, पंजाब और मैसूर में 430 एसे केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है।

तीसरी योजना के दौरान 200 नए क्लिनिक, 25 नए चल-क्लिनिक, 5 नए क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, लगभग 5,000 बिस्तर और 7 देखभाल केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

भारत का क्षयरोग संघ सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो अपने स्थापना काल (1939) से वैज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से क्षयरोग के उन्मूलन का कार्य कर रहा है। यह संघ ऐसी अनेक संस्थाएं भी चला रहा है, जिनमें कर्मचारियों को क्षयरोग के बारे में प्रशिक्षण देने तथा क्षयरोगियों की चिकित्सा की नवीनतम विधियों का प्रदर्शन करने की व्यवस्था है।

कुष्ठरोग

देश में लगभग 20 लाख व्यक्तियों के कुष्ठरोग से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया है। असम, आन्ध्रप्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछेक भागों में इसका सबसे अधिक प्रकोप रहता है।

पहली योजना की अवधि में प्रारम्भ की गई कुष्ठरोग नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल, मद्रास तथा मध्यप्रदेश में एक-एक उपचार और अध्ययन केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में 29 सहायक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। जून 1962 के अन्त तक 148 नियन्त्रण केन्द्र खोले गए। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के कार्य की जांच करने तथा तत्सम्बन्धी सुधार सुझाने के लिए एक सलाहकार समिति भी है।

नागपुर के चिकित्सा कालेज में चिकित्सकों के लिए कुष्ठरोग सम्बन्धी अल्पकालीन परिचय-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा अधिकारियों को ठिरुमणि, बाम्बे तथा मद्रास स्थित केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। आन्ध्रप्रदेश के चिलकलपल्लि तथा केरल के मलपिरुमल स्थित गांधी स्मारक कुष्ठ प्रतिष्ठान केन्द्रों में भी प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हैं। चिंगलपट स्थित केन्द्रीय कुष्ठ अध्यापन तथा अनुसन्धान संस्थान में कुष्ठ रोगियों के उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1875 में स्थापित 'मिशन टू लेपर्स' नामक एक स्वयंसेवी संगठन, हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, महारोगी सेवा मण्डल, गांधी स्मारक कुष्ठ प्रतिष्ठान, रामकृष्ण मिशन तथा विदर्भ महारोगी सेवा मण्डल भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

रतिरोग

अनुमान है कि लगभग 5 प्रतिशत व्यक्ति उपदंश (सिफलिस) रोग से पीड़ित हैं और लगभग इतने ही व्यक्ति सुजाक (गनोरिया) से पीड़ित हैं। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के कई जिलों में 'याज' रोग का प्रचलन है।

1949 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हिमाचलप्रदेश में नियुक्त एक प्रदर्शन टुकड़ी ने सर्वेक्षण तथा रोगों का उपचार करने का कार्य किया और राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई कई टुकड़ियों को प्रशिक्षण दिया।

मार्च 1962 के अन्त तक चिकित्सा कर्मचारियों के लिए राज्य के मुख्यालयों में 5 तथा जिलों में 108 रतिरोग क्लिनिक स्थापित किए गए। इन चिकित्सालयों में रोग की रोकथाम तथा उसका उपचार, स्थानीय मातृत्व तथा बालस्वास्थ्य केन्द्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और सर्वेक्षण के कार्य पर जोर दिया जाता है। सितम्बर 1959 में पंजाब की कुल्लू घाटी की सम्पूर्ण जनसंख्या के उपचार का कार्य आरम्भ किया गया। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में 'याज' रोग निरोधक टुकड़ियों ने अधिकांश जनसंख्या का उपचार किया।

फरवरी 1961 में शिमला में पहली अखिल भारतीय रतिरोग कांग्रेस हुई। इसने जनसाधारण और स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान रतिरोग की समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक सिफारिशें कीं। नई दिल्ली के प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन-केन्द्र और मद्रास के रतिरोग विज्ञान संस्थान में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए रतिरोग के अधुनिकतम उपचार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

1962 में इस रोग के 4,54,532 रोगियों का उपचार किया गया। याज रोग निरोधक टुकड़ियों ने अब तक 6,58,522 रोगियों की जांच की तथा 5,4 6 रोगियों का उपचार किया।

इन्फ्लुएंजा

कुनूर के पास्चोर संस्थान में 1950 में एक इन्फ्लुएंजा केन्द्र खोला गया था। इस केन्द्र में इन्फ्लुएंजा से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन और उनके बारे में अनुसन्धान किया जाता है।

चेचक

1962 में आरम्भ हुआ राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 3 जिलों में पूरा हो चुका है और 125 जिलों में जारी है। 5.36 करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके हैं।

घेघा

1959 में अलीगढ़ में स्थापित घेघा नियन्त्रण परियोजना नक्शा बनाने का काम पूरा कर चुकी है। यह कार्यक्रम 1963-64 में पंजाब तथा राजस्थान में आरम्भ किया जाएगा।

कैंसर

कैंसर सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन का कार्य बम्बई के भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, मद्रास की कैंसर संस्था तथा कलकत्ता के चित्तरंजन राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र में होता है। देश के 10 अस्पतालों में कोबाल्ट बीम थरेपी यूनिट है।

पोषण तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम

भारत में 1935 से हो रहे सर्वेक्षण से पता चलता है कि मात्रा तथा पौष्टिक पदार्थों की दृष्टि से भारतीयों का भोजन पूर्ण नहीं है। भारतीयों के भोजन में प्रोटीन, खनिज पदार्थ, लवण तथा विटामिन जैसे आवश्यक खाद्य तत्वों का अभाव रहता है।

भोजन की पौष्टिकता में वृद्धि करना मुख्यतः एक आर्थिक समस्या है जिसका सम्बन्ध भारत की अर्थ-व्यवस्था के विकास से है। फिर भी कमजोर स्थिति [illegible] माताओं, बच्चों के [illegible] तथा [illegible] दूध आदि [illegible] के भोजन में पौष्टिक पदार्थों के अभाव को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

[illegible] 1948 से [illegible] 16 करोड़ पौंड से अधिक दूध-चूर्ण बांटा गया। कुल 19½ लाख माताओं तथा बच्चों को दूध दिया। 40 लाख बच्चों को स्कूल का भोजन अथवा दूध दिया जाता है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सन् 1960 में [illegible] भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की [illegible]

देने के अतिरिक्त पोषण खाद्य सम्बन्धी योजनाएं तैयार करती है और उनके सम्बन्ध में नीति निर्धारित करती है।

कलकत्ता के अखिल भारत स्वास्थ्य विज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में आहार शास्त्रियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में पोषण के अभाव के कारण उत्पन्न रोगों के उपचार के लिए 12 आहार-घर स्थापित किए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश तथा मद्रास में एक पोषण-प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम

'खाद्य पदार्थ मिलावट निवारण अधिनियम 1954' और इसके अधीन बनाए गए नियम सम्पूर्ण देश में लागू हैं तथा अपराधियों को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नवम्बर 1960 में हैदराबाद में हुई एक विचार गोष्ठी में 1954 के अधिनियमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

जल-व्यवस्था तथा सफाई

राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफाई कार्यक्रम

1954 में आरम्भ किया गया राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफाई कार्यक्रम तीसरी योजना के दौरान भी जारी रहेगा। तीसरी योजना के अन्तर्गत शहरी योजनाओं के लिए 88.95 करोड़ रुपये और देहाती योजनाओं के लिए 16.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जल-व्यवस्था तथा सफाई की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और उन्हें पूरा करने में तत्सम्बन्धी सुझाव देने के लिए 1960 में एक जल-व्यवस्था और सफाई समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। प्रशिक्षण-कार्यक्रम कलकत्ता, मद्रास, रुड़की तथा अन्य प्रादेशिक केन्द्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को अपनी योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी परामर्श आदि देने के लिए केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन बनाया गया है।

चिकित्सा की सुविधाएं

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों पर है। इस सम्बन्ध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं से भी सहायता मिलती है। तीसरी योजना का उद्देश्य 1965-66 में 2,40,100 रोगी-शय्याओं से युक्त 14,600 अस्पताल तथा दवाखाने रखने का है। 1965-66 के लिए 5,000 प्रारम्भिक स्वास्थ्य यूनिटों का भी लक्ष्य रखा गया है। 1965-66 तक 10,000 मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित हो जाएंगे।

1960 के अन्त में देश में 88,389 पंजीकृत चिकित्सक 39 917 ओषधि-विक्रेता 32,733 नर्सें 38,528 दाइयां और 6,142 टीका लगाने वाले थे।

अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा योजना

1 जुलाई, 1954 से आरम्भ की गई इस योजना से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं। यह योजना केवल दिल्ली तथा नई दिल्ली तक ही सीमित है। कुछ स्वायत्तशासी तथा अर्ध-सरकारी संगठनों तथा संसत्सदस्यों को भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन के अनुसार 50 नए पैसे से लेकर 12 रु० तक का मासिक चन्दा देना पड़ता है। इस योजना से 5.23 लाख व्यक्ति लाभ उठाते हैं।

स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा की सुविधाएं भी दी जाती हैं। इस समय लगभग 18.62 लाख मजदूरों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं।

कोयला खान तथा अभ्रक खान मजदूरों को कोयला खान श्रम कल्याण निधि तथा अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि द्वारा संचालित संस्थाओं से चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1954 में आरम्भ किए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय विस्तार तथा खण्डों में 74 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए थे। प्रत्येक केन्द्र से खण्ड के लगभग 66,000 व्यक्ति लाभ उठाते हैं। नवम्बर 1962 के अन्त तक एसे 3,276 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियां

सरकार की यह दृढ़ नीति है कि देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों को यथा सम्भव प्रोत्साहन दिया जाए और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इनसे जो-कुछ ग्रहण कर सके करे। इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अनेक उपाय किए हैं। दूसरी योजना में इसके लिए 6.21 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी तीसरी योजना में इसके लिए 9 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

उडपा समिति

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डा के एन उडपा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशें 1959 में प्रस्तुत कीं। समिति की एक सिफारिश के अनुसार एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् स्थापित कर दी गई है। यह परिषद् भारत सरकार को आयुर्वेदिक अनुसन्धान सम्बन्धी एक समन्वित नीति बनाने अनुसन्धान का प्रोत्साहित करने तथा आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थानों को सहायता देने के बारे में सलाह दिया करेगी।

केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रणाली अनुसन्धान संस्थान

जामनगर स्थित यह संस्थान 1953 से कार्य कर रहा है। इस संस्थान में 50 रोगी-शय्याओं के एक अस्पताल के अतिरिक्त एक फार्मेसी एक संग्रहालय तथा एक रोग-अनुसन्धानशाला भी है। 1956-57 में इसमें एक सिद्ध अनुभाग भी स्थापित किया गया।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी अनुसन्धान की योजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

शिक्षा

देश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली के अध्ययन-अध्यापन के लिए 58 से अधिक कालेज तथा स्कूल हैं। जामनगर में भी एक स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है।

देशी प्रणालियों की चिकित्सा का नियमन करने के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्य-बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं।

होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली

1955 में भारत सरकार ने होमियोपैथी का एक पंचवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम स्वीकार किया। इस समय 30 से अधिक संस्थान होमियोपैथी का प्रशिक्षण देते हैं जिनमें से कुछेक को राज्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने एक होमियोपैथी सलाहकार समिति की भी स्थापना की है।

भेषज निर्माण तथा नियन्त्रण

भेषज नियन्त्रण

भेषज अधिनियम तथा भेषज नियम लगभग सभी राज्यों में लागू हैं।

भेषज अधिनियम को लागू करने से सम्बन्धित तकनीकी बातों के बारे में परामर्श देने के लिए एक भेषज तकनीकी सलाहकार बोर्ड तथा इस अधिनियम को देश-भर में समान रीति से लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने के उद्देश्य से भेषज सलाहकार समिति की स्थापना की गई है।

सर्वप्रथम भारतीय भेषज संहिता 1955 में प्रकाशित हुई तथा 1960 में इसका पूरक पत्र प्रकाशित हुआ।

कलकत्ता स्थित केन्द्रीय भेषज प्रयोगशाला में भेषजों के नमूनों की जांच-पड़ताल की जाती है।

औषधि तथा जादू-टोना (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम

1 अप्रैल 1955 से लागू इस अधिनियम के अनुसार उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिनमें रतिरोगों तथा स्त्री-रोगों के अद्भुत उपचार तथा कामोत्तेजक औषधियों का प्रचार किया जाता है। परिवार-आयोजन के महत्त्व को देखते हुए गर्भ-निरोधक औषधियों के बारे में विज्ञापन देने की अनुमति दे दी गई है।

भेषज निर्माण

मद्रास के गिण्डी नामक स्थान में 1948 में बी० सी० जी टीका प्रयोगशाला स्थापित की गई। यह प्रयोगशाला सभी राज्यों तथा बी सी० जी आन्दोलन में लगे संस्थानों को (नि:शुल्क) और अफगानिस्तान तथा श्रीलंका का ट्यूबर्क्युलिन तथा बी सी जी० के टीके और पाकिस्तान बर्मा तथा मलय में अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को टीके देती है।

1905 में स्थापित कसौली के केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान में टी० ए० बी हैजा पागल कुत्ते के काटने आदि के लिए वैक्सीन तैयार किए जाते हैं।

पिंपरी स्थित हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा दिल्ली स्थित डी डी० टी० कारखाने में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

बम्बई के हाफकिन संस्थान में सस्ता भेषज तैयार किए जाते हैं और इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड तथा टाटा उद्योग बी एच सी० (बेंजीन हैक्साक्लोराइड) तैयार करते हैं।

करनाल कलकत्ता बम्बई, मद्रास तथा हैदराबाद में 5 भेषज डिपो हैं जो सरकारी अर्द्ध सरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को उपयुक्त क्वालिटी की औषधियां सप्लाई करते हैं।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था करना सामान्यतः राज्यों का कर्तव्य है। भारत सरकार का कार्यक्षेत्र उच्च अध्ययन अनुसन्धान तथा विशेष प्रशिक्षण की विशिष्ट योजनाओं तक सीमित है।

इस समय देश में 71 चिकित्सा कालेज 12 दन्त-चिकित्सा कालेज तथा एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण देनेवाली 11 अन्य संस्थाएं हैं। दूसरी योजना की अवधि में चिकित्सा शिक्षा में विस्तार के फलस्वरूप 1961 में चिकित्सा संस्थानों में 7 900 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया जब कि 1955 में केवल 3,660 विद्यार्थी दाखिल किए गए थे। दूसरी योजना की अवधि में अमृतसर, कलकत्ता बम्बई, मद्रास तथा लखनऊ के दन्त-चिकित्सा कालेजों का विस्तार करने और हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में नए दन्त-चिकित्सा कालेज खोलने के लिए भी सहायता दी गई। चुने हुए चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा-प्रणालियों तथा सम्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने के लिए कुछ चिकित्सा संस्थानों का स्तर ऊंचा किया गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा ब्यूरो

नवम्बर 1956 में स्थापित यह कार्यालय देश में स्वास्थ्य-शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। अधिकांश राज्यों में भी राज्य स्वास्थ्य-शिक्षा ब्यूरो स्थापित किए गए हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्थान

1956 में एक अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस संस्थान के अधीन एक चिकित्सा कालेज है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के अधीन एक दन्त-चिकित्सा

कालेज एक नर्सिंग कालेज एक स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र तथा 650 रोगी-शय्याओं का एक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है।

विशिष्ट प्रशिक्षण

नर्सों के प्रशिक्षण की सुविधाएं इंदौर, नई दिल्ली बंगलौर, बम्बई और हैदराबाद के नर्सिंग कालेजों तथा देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। 1962 के अन्त तक 21,883 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया जिनमें से 7 569 उत्तीर्ण हुए।

भारतीय मलेरिया संस्थान म मलेरिया और फाइलेरिया के नियन्त्रण में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कलकत्ता के अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्थान में लोक स्वास्थ्य प्रसूति तथा बाल-कल्याण पोषण तथा आहार विद्या और लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

परिवार आयोजन

आयोजना आयोग के शब्दों में परिवार आयोजन कार्यक्रम का उद्देश्य (क) देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना (ख) परिवार आयोजन के लिए उपयुक्त उपाय खोजना और उनका व्यापक रूप से प्रचार करना तथा (ग) सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में परिवार आयोजन के बारे में परामर्श देने की व्यवस्था करना है।

तीसरी योजना में परिवार आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें यह बात मूल रूप में मान ली गई है कि 'योजनाबद्ध विकास का केन्द्रबिन्दु, निश्चित अवधि के लिए जनसंख्या में वृद्धि की निर्धारित दर बनाए रखना होना चाहिए। 'हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार आयोजन को एक मुख्य विकास कार्यक्रम के तौर पर अपनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसे एक ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में अपनाने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति परिवार और देश के लिए अच्छा जीवन सुलभ करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना हो। इस कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा में परिवार आयोजन के लिए लोगों को शिक्षित करने तथा उनमें रुचि पैदा करने तत्सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध करने प्रशिक्षण देने सामान जुटाने तथा इसके विभिन्न पक्षों के बारे में अनुसन्धान की व्यवस्था की गई है।

संगठन का ढांचा

परिवार आयोजन कार्यक्रम बनाने के लिए सितम्बर 1956 में केन्द्रीय परिवार आयोजन बोर्ड बनाया गया था। इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर तीन नयी समितियां और राज्यों में परिवार आयोजन बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त जिला समितियां बनाई गई हैं तथा अधिकांश राज्यों में परिवार आयोजन अफसर नियुक्त किए गए हैं।

परिवार आयोजन सेवा परिवार आयोजन केन्द्र

जनवरी 1963 के अन्त म देश में 8,441 परिवार आयोजन केन्द्र थे जिनमें से 6,774 गांवों में थे।

जनवरी 1963 के अन्त तक 3,33,791 व्यक्ति (2,09 271 पुरुष और 1 24,520 महिलाएं) विसंक्रमण आपरेशन करवा चुके थे।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

परिवार आयोजन के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए सभी प्रचार-साधनों का उपयोग किया जा रहा है। परिवार आयोजन प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार करके अधिकाधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अनुसन्धान

बम्बई स्थित जनांकिकी प्रशिक्षण शोध केन्द्र में जांच-पड़ताल का काम जारी है। कलकत्ता दिल्ली धारवाड़ तथा त्रिवेन्द्रम में चार अन्य जनांकिकी केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

अध्याय 9

समाज-कल्याण

मद्यनिषेध

संविधान द्वारा सरकार को यह निदेश दिया गया है कि वह देश भर में मादक वस्तुओं का उपयोग बन्द करने का सतत प्रयत्न करे। अपनी मद्यनिषेध सम्बन्धी नीतियों को कार्यरूप देने में राज्यों को जो अनुभव प्राप्त हुए, उनके प्रकाश में संविधान के इस निदेश को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम आदि बनाने के उद्देश्य से दिसम्बर 1954 में मद्यनिषेध जांच समिति नियुक्त की गई। लोक-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा 31 मार्च 1956 को समिति की इस मुख्य सिफारिश की पुष्टि की कि मद्यनिषेध के कार्यक्रम को देश की विकास-योजनाओं का एक अनिवार्य अंग बना दिया जाए। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि देश भर में शीघ्र तथा प्रभावशाली ढंग से मद्यनिषेध लागू करने के लिए योजना बनाई जाए।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्यनिषेध को स्वेच्छापूर्वक समाज-कल्याण आन्दोलन का रूप देने का निश्चय किया गया है, जिसके अन्तर्गत इसे सार्वजनिक नीति के रूप में अपना कर सफल बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाने, जनता और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त करने तथा मद्यनिषेध लागू करने के फलस्वरूप राज्य सरकारों के राजस्व में सम्भावित कमी को पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी।

मद्यनिषेध कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने, विभिन्न राज्यों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से परिचित रहने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति स्थापित की गई है। यह समिति मद्यनिषेध के प्रचार के लिए उपाय सुझाने, इसके आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं के बारे में अनुसन्धान करने तथा इस कार्य में लगे सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने के कार्य भी करती है।

मद्यनिषेध के सामाजिक तथा आर्थिक परिणामों से लोगों को परिचित कराने के लिए 'नशाबन्दी लोक कार्यक्षेत्र' नामक संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं।

प्रगति

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में लागू मद्यनिषेध नीति की प्रगति संक्षेप में इस प्रकार है। गुजरात, मद्रास तथा महाराष्ट्र में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। मैसूर राज्य में बंगलोर, रायचूर तथा गुलबर्ग जिलों को छोड़ कर अन्य सब स्थानों पर मद्यनिषेध लागू है। असम के कामरूप, नवगांव तथा गोलपाड़ा जिलों में, आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर, कडपा, कुरनूल, कृष्णा, गुन्टूर, चित्तूर, नैल्लोर, पश्चिम-गोदावरी, पूर्व-गोदावरी, विशाखापट्नम तथा श्रीकाकुलम जिलों में, उड़ीसा के कटक, कोरापुट, गंजम, पुरी तथा बालासोर जिलों में, उत्तरप्रदेश में आंशिक रूप से, केरल के कोझीकोड, कण्णूर, पालघाट तथा त्रिवेन्द्रम जिलों, क्विलोन तथा त्रिचूर जिलों के 5 तालुकों तथा एर्णाकुलम जिले के फोर्ट कोचीन क्षेत्र में, पंजाब के रोहतक जिले में और मध्यप्रदेश के

दमोह, नरसिंहपुर, अथवा विदिशा सागर तथा होशंगाबाद जिलों और दुर्ग बिलासपुर तथा रायपुर के कुछ भागों में मद्यनिषेध लागू है। पश्चिम-बंगाल बिहार और राजस्थान में इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

आंशिक मद्यनिषेधवाले राज्यों में शराब के बिक्रीवाले स्थानों की संख्या में कमी की जा रही है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिनों पर शराब की दुकानें बन्द रखी जाती हैं। प्राय: सभी राज्यों में मद्यनिषेध सलाहकार बोर्ड अथवा समितियां स्थापित की गई हैं।

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। दिल्ली में देसी शराब की दुकानों पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं, क्लबों के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य कर दिया गया है क्लबों में विदेशी शराब केवल कुछ ही सदस्यों को दी जा सकती है निषेध-दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है और सभी प्रकार की देसी शराब पर लगनेवाले शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। हिमाचलप्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। अन्य क्षेत्रों में देसी शराब के कोटे कम कर दिए गए हैं। सार्वजनिक मद्यपान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मणिपुर, त्रिपुरा अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आदि अन्य संघीय क्षेत्रों में भी मद्यनिषेध की दिशा में पग उठाए जा रहे हैं।

1 अप्रैल 1959 से केवल औषधि के रूप में अफीम के उपयोग को छोड़ कर भारत भर में इसका पूर्ण निषेध कर दिया गया है। भांग और गांजा की बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं।

पतित लोगों के कल्याण के उपाय

सामाजिक रक्षा (देखभाल) कार्यक्रम

तीसरी योजना में सामाजिक रक्षा (देखभाल) योजनाओं पर 3.58 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इन योजनाओं के उद्देश्य ये हैं—(1) बाल अपराधों की रोक और ऐसे अपराधियों के सुधार के उपाय (2) वेश्यावृत्ति का दमन (3) भीख मांगना और आवारागर्दी की रोक (4) जेलों में कल्याण-सेवाओं की व्यवस्था और (5) नैतिक अनुशासन।

वेश्यावृत्ति का दमन

18 वर्ष से कम वय की बालिकाओं का वेश्यावृत्ति के लिए क्रय-विक्रय करनेवालों के लिए भारतीय दण्ड विधान में 10 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने (धारा 366 क 372 तथा 373) की व्यवस्था है। इसी प्रकार, वेश्यावृत्ति कराने के लिए 21 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों को विदेशों से लानेवालों को भी दण्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 'स्त्रियों और लड़कियों द्वारा अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 नामक एक विशेष अधिनियम बनाया गया है।

बाल अपराधी

आन्ध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश केरल गुजरात पंजाब पश्चिम-बंगाल महाराष्ट्र मद्रास मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों तथा सभी संघीय क्षेत्रों में बाल अधिनियम लागू हैं। बाल अपराध समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने एक देखभाल कार्यक्रम लागू किया है जिसके अन्तर्गत राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में विभिन्न प्रकार की लगभग 82 सुधार संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

भिखारी

दण्ड विधान संहिता के अनुसार आवारा लोग तथा भीख मांगनेवाले दोनों ही समान हैं तथा ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर दण्ड देने की व्यवस्था है। अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक स्थानों में भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए विशेष अधिनियम बनाए गए हैं।

भिक्षावृत्ति करवाने के उद्देश्य से जो व्यक्ति बच्चों को उठा ले जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए 'भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम 1959 पास किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से बच्चों का अपहरण अथवा अंग-भंग अपराध है तथा इसके लिए प्रतिरोधक दण्ड देने तथा बच्चों के अंग-भंग के अपराध में आजीवन कारावास तक का दण्ड देने की व्यवस्था है।

विभिन्न राज्यों में भिखारियों की देखरेख तथा उनके पुनर्वास में योग देनेवाली संस्थाएं विद्यमान हैं। नई दिल्ली में आवारा लोगों के हित के लिए एक ऐसी संस्था है जिसमें उन्हें काम-धन्धे सिखाए जाते हैं। वे लोग इस संस्था के प्रबन्ध में भी हिस्सा लेते हैं। इसके अतिरिक्त भिखारी-गृह स्थापित करने जेलखानों में भलाई अफसर नियुक्त करने तथा सुधारात्मक संस्थाओं से निकले लोगों के लिए आश्रमादि बनाने में सहायता देने की भी व्यवस्था है।

सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो

अगस्त 1961 में सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित किया गया। यह ब्यूरो राष्ट्रीय आधार पर आंकड़े इकट्ठे करने भारत और विदेशी सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने तथा अपराध की रोक और अपराधियों के सुधार के बारे में अध्ययन और अनुसन्धान की व्यवस्था करेगा। ब्यूरो 'सोशल डिफेन्स' नाम की त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड

अगस्त 1953 में स्थापित केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्य ये हैं—समाज-कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं तथा साधनों का सर्वेक्षण करना उनके कार्यक्रमों तथा उद्देश्यों की जांच करना विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जानेवाली सहायता का समन्वय करना स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना में योग देना और जरूरतमन्द संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। यह बोर्ड विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलों तथा राज्य सरकारों की कल्याण-योजनाओं में समन्वय स्थापित करता है। बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए सेवा-कार्यों का सर्वेक्षण किया और उनके कार्यक्रमों के विकास के लिए उन्हें आवश्यक वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी। इस बोर्ड को नए कल्याण-कार्यक्रमों के विकास का कार्य भी सौंपा गया है।

बोर्ड की गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण के लिए विभिन्न राज्यों में समाज-कल्याण सलाहकार बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

अपनी स्थापना के समय से जनवरी 1963 के अन्त तक बोर्ड ने 520 लाख रुपये के अनुदानों की मंजूरी दी। 1961 में सहायता अनुदान कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण करके राज्य बोर्डों को भी कुछ सीमाओं के अधीन रहते हुए सहायता अनुदान मंजूर करने का अधिकार दे दिया गया।

ग्रामीण कल्याण विस्तार परियोजना

बोर्ड ने अगस्त 1954 में अपनी सीधी निगरानी में ग्रामीण कल्याण विस्तार परियोजना शुरू की। प्रत्येक परियोजना में लगभग 20 000 की जनसंख्या के लगभग 25-30 गांव आते हैं। इन परियोजनाओं के कार्यक्रम में बालवाड़ियां प्रसूति तथा शिशु-स्वास्थ्य सेवाएं महिला साक्षरता तथा समाज-शिक्षा कला-कौशल केन्द्र और मनोरंजन केन्द्रों की व्यवस्था करने का कार्य सम्मिलित है। अक्तूबर 1960 के अन्त तक ऐसी 418 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था जिनके अधीन 79.48 लाख की जनसंख्या के 10,499 गांवों से युक्त 2,027 केन्द्र आते हैं।

1961 62 से ये परियोजनाएं स्थानीय स्वयंसेवी कल्याण संगठनों के अधीन कर दी गई हैं। इन संगठनों को उपयुक्त अनुदान दिए जाएंगे।

अप्रैल 1957 से सामुदायिक विकास खण्ड भी इन परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में आ गए। इन क्षेत्रों में मूल ढांचे से भिन्न समन्वित ढांचे की परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ऐसी प्रत्येक परियोजना में 60 हजार से 70 हजार की जनसंख्यावाले सौ गांव आते हैं। 1962 के अन्त में देश में ऐसी 321 परियोजनाएं थी।

शहरी कल्याण विस्तार परियोजनाएं

इन परियोजनाओं का उद्देश्य गन्दी बस्तीवाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए सामुदायिक कल्याण केन्द्रों की व्यवस्था करना है। शहरी क्षेत्रों में ऐसा कार्य करनेवाले 97 स्वयंसेवी संस्थाओं को जनवरी 1963 के अन्त तक 38.75 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

बाल अवकाश-गृह

पहाड़ी तथा ठण्डे स्थानों में कम आयवाले लोगों के बच्चों के लिए अवकाश शिविरों की व्यवस्था करने के लिए दिए गए 9.67 लाख रुपये के अनुदानों से 50-50 बच्चों की 339 टुकड़ियों को लाभ प्राप्त हुआ। यह योजना भारतीय बाल-कल्याण परिषद् की ओर से कार्यान्वित की जा रही है। अनुदानों की स्वीकृति देने के अधिकार अब राज्यों को दे दिए गए हैं।

रात्रिकालीन विश्रामगृह

विभिन्न राज्यों के बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए अस्थायी विश्राम स्थान की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में 48 संस्थाएं काम कर रही हैं। उन्हें सहायता के तौर पर 4.62 लाख रुपये की राशि दी गई। इन योजनाओं के समन्वय का कार्य भारत सेवक समाज को सौंपा गया है।

सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम

विकलांग व्यक्तियों तथा काम चाहनेवाली महिलाओं के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय और उसके औद्योगिक बोर्डों तथा खादी आयोग के सहयोग से कई उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने की एक योजना शुरू की गई है। तीसरी योजना में 25 हजार से 30 हजार महिला कामगारों को काम जुटाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

यूरोपीय धर्मप्रचारकों के रूप में ग्रामीण भारतीय महिलाओं को प्रशिक्षण

इम्फ़ाल (मणिपुर) दुमका (बिहार) तथा दोहद (गुजरात) के तीन प्रशिक्षण केन्द्रों में 2 से 3 साल के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन 20 से 35 वय-वर्ग की प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। जनवरी 1963 के अन्त तक 463 पाठ्यक्रमों में 11,600 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य विज्ञान और देखभाल कार्यक्रम

देखभाल कार्यक्रम और सामाजिक तथा नैतिक परामर्श समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुधार संस्थानों से निकले प्रौढ़ व्यक्तियों महिलाओं तथा बच्चों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता से तथा केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड तथा राज्यीय समाज-कल्याण बोर्डों के परामर्श से कार्यान्वित करती हैं। फरवरी 1962 के अन्त तक ऐसे 46 देखभालगृहों तथा 89 जिला संरक्षणगृहों को मंजूरी दी गई।

बाल-कल्याण

तीसरी योजना में समन्वित बाल-कल्याण सेवाओं के लिए प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू करने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य 16 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों का सर्वतोमुखी विकास करना है। दिल्ली और मद्रास में दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

सहायता तथा पुनर्वास

पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

पूर्व-पाकिस्तान से 41 17 000 विस्थापित व्यक्ति भारत आए। 6 56 लाख से अधिक विस्थापित परिवारों को बसाया जा चुका है और उनकी सहायता तथा पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

दण्डकारण्य योजना

पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में और उड़ीसा के कोरापुट तथा कालाहाण्डी जिलों में 30,052 वर्गमील क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। दण्डकारण्य विकास सत्ता की स्थापना सितम्बर 1958 में की गई थी। जनवरी 1963 के अन्त तक लगभग 62,000 एकड़ भूमि का सुधार किया गया जिसमें 6,467 विस्थापित परिवार बसाए जा चुके थे। 4,621 परिवार गांवों में बसाए जा चुके हैं। सुधारी गई लगभग 9 000 एकड़ भूमि वनवासी लोगों में बांटे जाने के लिए जिला-अधिकारियों को दे दी गई।

पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

पश्चिम-पाकिस्तान से 47 40 000 विस्थापित व्यक्ति भारत आए। उनके पुनर्वास पर 198 करोड़ रुपये व्यय किए गए। मुआवज़ा लगभग सबको दिया जा चुका है। 5.03 लाख दावेदारों को 176.33 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास

1959 में भारत सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को सहायता देने का निश्चय किया। इसके अनुसार कृषि भूमि पर बसे प्रत्येक परिवार को 1 000 रुपये तथा अन्य परिवारों को 3,500 रुपये देने का फ़ैसला किया गया। जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से आनेवाले लोगों से 15 नवम्बर, 1960 तक घोषणा-पत्र देने के लिए कहा गया। 31 दिसम्बर, 1962 तक ऐसे 30 000 घोषणा-पत्र प्राप्त हुए तथा 11 158 मामलों में 1 25 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।

अन्य सहायता-कार्य

संकटकालीन सहायता-संगठन

बाढ़ अकाल तथा भूकम्प आदि-जैसी परिस्थितियों में सहायता पहुंचाने के लिए लगभग सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में संकटकालीन सहायता-संगठन स्थापित किए गए हैं। इन्हें संकट कालीन परिस्थितियों में उचित कार्य करने का भार सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संकटकालीन सहायता-संगठन के एक अंग के रूप में नागपुर में एक केन्द्रीय संकटकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया गया है जिसमें कर्मचारियों को सहायता-कार्य से सम्बन्धित विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रधान मन्त्री का राष्ट्रीय सहायता-कोष

प्रधान मन्त्री का राष्ट्रीय सहायता-कोष नवम्बर 1947 में स्थापित किया गया था। तब से लेकर मार्च 1962 तक भूकम्प बाढ़ सूखा अकाल आग आदि से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने में इस कोष से लगभग 2.25 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। प्रारम्भ में पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों को भी इस कोष से सहायता दी गई।

अध्याय 10

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित कबीले तथा अन्य पिछड़े वर्ग

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी परम्परागत सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। संविधान में कहा गया है कि (1) अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए तथा इसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया जाए (अनु 17) (2) इन जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा की जाए तथा सामाजिक अन्याय और शोषण के सब रूपों से इन्हें बचाया जाए (अनु 46) (3) हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार समस्त वर्गों के हिन्दू धर्मावलम्बियों के लिए खोल दिए जाएं (अनु 25) (4) दुकानों सार्वजनिक भोजनालयों होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों कुओं तालाब-तालाबों स्नान-घाटों और ऐसी सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने पर सभी तरह की रुकावटें हटाई जाएं, जिनका पूरा या कुछ खर्च सरकार देती है अथवा जो जनसाधारण के निमित्त समर्पित हैं (अनु 15) (5) इन जातियों को कोई भी धंधा या व्यापार अपनाने का अधिकार दिया जाए (अनु 19) (6) सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पानेवाले विद्यालयों में उनके प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध न रखा जाए (अनु 29) (7) सरकारी नौकरियों में इनकी नियुक्ति के हितों का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है अतः इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएं (अनु 16 तथा 335) (8) संसद् तथा राज्य विधानमण्डलों में 20 वर्ष की अवधि तक इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा दी जाए (अनु 330, 332 तथा 334) (9) इनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्यों में सलाहकार परिषदों और पृथक विभागों की स्थापना की जाए तथा केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए (अनु 164, 338 और 5वीं अनुसूची) तथा (10) अनुसूचित और कबायली-क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए (अनु 244 तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची)।

1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबीलों की संख्या क्रमश 6.45 करोड़ तथा 2.99 करोड़ है।

अस्पृश्यता-निवारण के उपाय

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955

यह अधिनियम 1 जून 1955 को लागू हुआ। इसके अन्तर्गत अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना-स्थल पर जाने और वहां उपासना करने तथा पवित्र तालाब कुएं अथवा सोते से पानी लेने से रोकना दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करना तथा किसी दुकान सार्वजनिक

भोजनालय सार्वजनिक अस्पताल या शिक्षालय होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से रोकना किसी भी सड़क नदी कुएं, तालाब नल स्नान-घाट, शौचालय धर्मशाला सराय या मुसाफिरखाने अथवा इन संस्थाओं और होटलों तथा भोजनालयों में रखे बर्तनों का उपयोग करने से रोकना दण्डनीय अपराध है। व्यवसाय या व्यापार-धंधे के बारे में कोई निर्योग्यता लादना किसी धर्मार्थ संस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने पर रोक लगाना किसी भी क्षेत्र में निवासोपयोगी स्थान का निर्माण करने या उसमें रहने या कोई सामाजिक या धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान करने के सम्बन्ध में रोक लगाना इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के हरिजन होने के कारण उसके हाथ कोई चीज न बेचने या उसका कोई काम न करने अस्पृश्यता-उन्मूलन के फलस्वरूप मिले अधिकारों का उपयोग करने में किसी व्यक्ति को सताने चोट पहुंचाने परेशान करने अथवा उसका बहिष्कार करने या ऐसे व्यक्ति को जाति-बहिष्कृत करने में योग देनेवाले व्यक्ति को भी दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन

भारत सरकार 1954 से अस्पृश्यता-उन्मूलन आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता देती आ रही है। इस कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने भी अपने जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को जिनका सम्पर्क जनता से पड़ता है यह आदेश दिया है कि वे इस कुप्रथा का अन्त करने पर विशेष बल दें। जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से लगभग सभी राज्यों में हरिजन-दिवस तथा हरिजन-सप्ताह मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955' को लागू करने के लिए छोटी-छोटी समितियां नियुक्त की गई हैं। इस कार्य के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं इत्यादि और अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग किया जा रहा है।

अस्पृश्यता विरोधी काम में हरिजन सेवक संघ भारतीय आदिमजाति सेवक संघ भारतीय दलित वर्ग संघ भारत दलित सेवक संघ हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी शाखा समाज विज्ञान संस्था तथा ईश्वरशरण आश्रम जैसे स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग तथा सहायता प्राप्त की जा रही है। पहली योजना की अवधि में इन संगठनों को सहायता-अनुदान के रूप में 61 50,746 रु दिए गए। इस राशि में से केन्द्र ने 14 77 200 रु दिए। दूसरी योजना के दौरान 68 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई और तीसरी योजना में गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 1 20 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद 330, 332 तथा 334 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा कबीलों की जनसंख्या के अनुपात से इन लोगों के लिए लोक-सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में संविधान लागू होने के बाद से 20 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। लोक-सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबीलों के लिए क्रमश 76 और 31 स्थान

सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, राज्यों के विधानमण्डलों में इन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की कुल संख्या क्रमश: 471 तथा 222 है।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व

जिन पदों पर नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा देशव्यापी आधार पर की जाती हैं उनमें 12½ प्रतिशत स्थान तथा जो नियुक्तियां अन्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें 16⅔ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित कबीलों के लिए दोनों स्थितियों में पांच प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित हैं।

नौकरियों में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से वय-सीमा में छूट, योग्यताओं के मानदण्ड में रियायत आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्थान सुरक्षित रखने का सिद्धान्त उन नौकरियों पर भी लागू कर दिया गया है जो केवल पदोन्नति तथा विभागीय उम्मीदवारों की प्रतियोगिता-परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं। यदि सुरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित कबीले का कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता तो वे स्थान क्रमशः अनुसूचित कबीले अथवा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। इन दोनों में से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद अरक्षित माना जाता है।

इन जातियों तथा कबीलों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के विषेय आदेशों को निश्चित रूप से कार्यान्वित किए जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों ने भी इन वर्गों के लिए पद सुरक्षित करने के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं तथा राज्यों की नौकरियों में इन्हें अधिक स्थान दिलाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

1 जनवरी 1962 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के 3,30,838 व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में थे।

अनुसूचित तथा कबायली क्षेत्रों का प्रशासन

असम के स्वायत्तशासी कबायली क्षेत्र

छठी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार, संयुक्त खासी-जैन्तिया-पहाड़ियों वाले पहाड़ियों मिको पहाड़ियों उत्तर-कछार-पहाड़ियों तथा मिकिर-पहाड़ियों के जिलों में एक प्रादेशिक परिषद् तथा पांच जिला-परिषदें स्थापित की गई हैं। प्रत्येक जिला परिषद् में अधिक-से-अधिक 24 सदस्य होते हैं और उनमें से तीन-चौथाई सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। इन परिषदों के पास विधान और नियम बनाने की विस्तृत शक्तियां हैं। इनको कुछ वित्तीय और करादान शक्तियां भी प्राप्त हैं।

अन्य राज्यों में कबीला सलाहकार परिषदें

संविधान की पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रवाले राज्यों में कबीला सलाहकार परिषदों की स्थापना की व्यवस्था है। असम आंध्र उड़ीसा गुजरात पंजाब पश्चिम-बंगाल

बिहार, मद्रास महाराष्ट्र मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में ऐसी परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। ये परिषदें अनुसूचित कबीलों की भलाई के लिए सम्बन्धित मामलों पर राज्यपालों को सलाह देती हैं। केरल और मैसूर में भी ऐसे सलाहकार बोर्ड बनाए गए हैं। हिमाचलप्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्षद्वीप मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में भी कबीला सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

भलाई तथा सलाहकार संस्थाएं

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के लिए आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत संविधान में की गई सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था की जांच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। इस विशेष अधिकारी (आयुक्त) की सहायता के लिए 10 सहायक आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं।

कबीला भलाई अफसर

भारत सरकार ने एक कबीला भलाई अफसर की नियुक्ति की है जो प्रथम में कबायली क्षेत्रों में हुए कार्य की समीक्षा करके इस सम्बन्ध में भारत सरकार को रिपोर्ट पेश करता है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

संसत्सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को कबीला क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित कबीलों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण-कार्यों से सम्बद्ध करने के लिए भारत सरकार ने दो केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड स्थापित किए हैं—एक कबायली क्षेत्रों की भलाई के लिए, तथा दूसरा हरिजनों की भलाई के लिए। ये बोर्ड इन वर्गों की भलाई से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं तथा इन जातियों के लिए भलाई-योजनाएं बनाते हैं।

राज्यों में कल्याण-विभाग

संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में उड़ीसा बिहार तथा मध्यप्रदेश में एक-एक मन्त्री के अधीन कल्याण-विभाग स्थापित करने की व्यवस्था है। इन राज्यों के अलावा प्रथम आन्ध्र प्रदेश उत्तरप्रदेश केरल जम्मू व कश्मीर, गुजरात पंजाब पश्चिम-बंगाल मणिपुर-त्रिपुरा मद्रास महाराष्ट्र मैसूर, राजस्थान तथा हिमाचलप्रदेश में भी कल्याण-विभाग स्थापित किए जा चुके हैं।

भलाई-योजनाएं

संविधान के अनुच्छेद 339 (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों के अनुसूचित कबीलों की भलाई के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उनको निर्देश कर सकती है। अनुच्छेद 275 (1) के अधीन केन्द्र से इन वर्गों की भलाई की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सुधार के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

इन जातियों को शिक्षा की अधिक-से-अधिक सुविधाएं देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई, छात्रवृत्तियां पुस्तकें लेखन-सामग्री आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। अनेक स्थानों पर दोपहर का भोजन देने की भी व्यवस्था है।

1944-45 में भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की एक योजना प्रारम्भ की थी। 1948-49 में अनुसूचित कबीलों तथा 1949-50 में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियां देने की योजना प्रारम्भ की गई।

1953-54 में भारत सरकार ने इन वर्गों के चुनाव विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियां देने की एक योजना प्रारम्भ की। इस सम्बन्ध में सरकार बड़ी उदारता से विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। असम तथा बिहार राज्यों की सरकारें भी पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सभी तकनीकी संस्थाओं तथा विद्यालयों से सिफारिश की है कि वे इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखें उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित अंकों में कमी करें तथा अधिकतम आयु-सीमा बढ़ाएं। देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाएं सरकार के इन सुझावों को कार्यरूप दे रही हैं।

आर्थिक उन्नति के अवसर

असम आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा मध्यप्रदेश बिहार तथा मणिपुर और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में कबायली क्षेत्रों के लोगों को कृषि-योग्य भूमि पर बसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में असम में 5,778 एकड़ भूमि प्रदान की गई है आन्ध्रप्रदेश में कृ. बस्ती योजनाएं शुरू की गई हैं तथा उड़ीसा में 2,990, मध्यप्रदेश में 366, बिहार में 1 848 और त्रिपुरा में 13,229 परिवार बसाए गए हैं।

आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा उत्तरप्रदेश गुजरात बिहार, महाराष्ट्र तथा मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके और कृषि-योग्य बना कर उसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबीलों के लोगों में बांट देने की कई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इसके अतिरिक्त पशु-धन खाद कृषि-औजार और सुधरे बीज खरीदने के लिए भी उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। पशु-पालन तथा मुर्गी-पालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है।

असम आन्ध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश गुजरात पश्चिम-बंगाल बिहार तथा महाराष्ट्र में कर्ज आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कुटीर उद्योगों का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा उत्तरप्रदेश पश्चिम-बंगाल बिहार, मद्रास तथा मैसूर में कर्ज देनेवाली बहु-प्रयोजनी सहकारी समितियां भी स्थापित की गई हैं।

कर्ज के भार से दबे हुए व्यक्तियों को जिनमें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित कबीलों के लोग भी सम्मिलित हैं आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों में कानून विद्यमान हैं। असम आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा पश्चिम-बंगाल बिहार तथा मध्यप्रदेश में अनुसूचित कबीलों को भूमि-अधिकार देने के लिए भी कानून बनाए गए हैं।

अन्य भलाई-योजनाएं

अन्य भलाई-योजनाओं में मकान बनाने के लिए निःशुल्क अथवा नाममात्र के मूल्य पर दी जानेवाली भूमि कर्ज के रूप में सहायता हरिजन कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के प्रयोजन से स्थानीय निकायों को दी जानेवाली आर्थिक सहायता तथा सहायता-अनुदान आदि उल्लेखनीय हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जाती है।

कबीला अनुसन्धान संस्थान

उड़ीसा गुजरात पश्चिम-बंगाल बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में कबीला अनुसन्धान संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें कबायली क्षेत्रों की कला संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का विशद अध्ययन किया जाता है। कुछेक विश्वविद्यालयों में भी इस सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य चल रहा है। पश्चिम-बंगाल में सांस्कृतिक अनुसन्धान संस्थान ने राज्य के कबायली क्षेत्र के जीवन के कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है। उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के अनुसन्धान विभाग में प्रदेश के लोगों की भाषाओं तथा संस्कृति के सम्बन्ध में अध्ययन-कार्य किया जाता है। उड़ीसा का कबीला अनुसन्धान संस्थान भी कई महत्वपूर्ण कबीला समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। उदयपुर का भारतीय लोक-कला मण्डल एक अग्रणी गैर-सरकारी संगठन है जिसने भूतपूर्व मध्यभारत तथा राजस्थान के कबीलों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है।

कबीला विकास खण्ड

दूसरी योजना के दौरान एक केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 विशेष विकास खण्ड शुरू किए गए, जिनका उद्देश्य सामान्य सामुदायिक विकास के ढांचे में कबायली क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके इन क्षेत्रों का सर्वतोमुखी विकास करना था। प्रत्येक खण्ड में पहले पांच वर्षों में 27 लाख रुपये और अगले पांच वर्षों में 10 लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था थी। डा. वेरियर एलविन की अध्यक्षता में एक समिति ने इनके कार्य की जांच की। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 331 कबीला विकास खण्ड शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक खण्ड पर दसवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। ऐसे 27 खण्डों का कार्य आरम्भ हो चुका है।

अध्याय 11

जन-सम्पर्क के साधन

आकाशवाणी

देश के समस्त महत्वपूर्ण भाषा-क्षेत्रों में इस समय कुल मिला कर 31 आकाशवाणी केन्द्र (रेडियो स्टेशन) हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित 4 अंचलों में किया गया है —

उत्तर — दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर, शिमला, भोपाल, इन्दौर तथा रांची

पश्चिम — बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, पूना तथा राजकोट

दक्षिण — मद्रास, तिरुच्चिरापल्लि, विजयवाड़ा, त्रिवेन्द्रम, कोझीकोड, हैदराबाद, बंगलौर तथा धारवाड़

पूर्व — कलकत्ता, कटक, गौहाटी, कर्सियांग तथा कोहिमा।

इनके अतिरिक्त रेडियो कश्मीर के भी दो केन्द्र जम्मू तथा श्रीनगर में हैं। रेडियो गोआ पणजिम में है। 31 जनवरी 1963 को देश में 74 ट्रांसमीटर, 36 स्टूडियो केन्द्र तथा 31 ग्रहण- (रिसीविंग) केन्द्र थे।

68 अतिरिक्त ट्रांसमीटर लगाने की मीडियम वेव योजना के पूरी होने पर भारत के 74 प्रतिशत लोग मध्य तरंग पर कार्यक्रम सुन सकेंगे। 6 ट्रांसमीटर लगाए जा चुके हैं और 6 अन्य ट्रांसमीटर विविध भारती कार्यक्रम रिले करने लगे हैं। 2 अन्य केन्द्र भी शीघ्र ही अपना कार्यक्रम आरम्भ कर देंगे।

कार्यक्रम-रचना

आकाशवाणी के लगभग आधे कार्यक्रम संगीत के लिए नियत हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में वार्ताओं, रूपकों, नाटकों तथा वाद-विवाद, आदि के अन्तर्गत अनेक विषय आ जाते हैं। प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय वार्ता कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध विद्वान कला, विज्ञान तथा साहित्य के बारे में वार्ताएं प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करते हैं।

वृत्तरूपक तथा रेडियो रिपोर्ट भी प्रसारित की जाती हैं।

विविध भारती

अक्तूबर 1962 में इस अखिल भारतीय पचरंगी कार्यक्रम ने पांचवें वर्ष में प्रवेश किया। यह कार्यक्रम शनिवार, रविवार और अन्य प्रमुख पर्वों के दिन 11 घण्टे से कुछ अधिक समय तथा सप्ताह के शेष दिन 10 घण्टे प्रसारित किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को रात 9½ से 11 बजे तक राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के स्थान पर उन श्रोता के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया

जाता है जिन्हें शास्त्रीय संगीत में रुचि नहीं है। आकाशवाणी के अनेक केन्द्रों के अलावा यह कार्यक्रम बम्बई, कलकत्ता दिल्ली तथा मद्रास के मध्य तरंग केन्द्रों पर भी सुना जा सकता है।

विशिष्ट श्रोताओं के लिए कार्यक्रम

देहाती भाइयों के कार्यक्रमों में देहाती जीवन के सभी पहलुओं पर विभिन्न माध्यमों से प्रकाश डाला जाता है। कृषि स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम देश की समस्त प्रमुख भाषाओं और लगभग 133 बोलियों तथा कबीलों की भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त एक योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को देहाती क्षेत्रों में लगाने के लिए 80,000 सामुदायिक रेडियो सेट दिए गए।

17 नवम्बर, 1959 को देश भर में आकाशवाणी किसान मण्डलों का कार्य आरम्भ किया गया। इन मण्डलों में प्रसारकों तथा श्रोताओं के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। ये मण्डल गांवों में संगठित किए जाते हैं जो साप्ताहिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचार-विमर्श करके आकाशवाणी केन्द्र को अपने सुझाव देते हैं। 1962 के अन्त तक देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लगभग 4 000 किसान मण्डल स्थापित हो चुके थे।

इस समय 23 केन्द्रों से सप्ताह में 6 दिन स्कूलों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। देश के 17 000 स्कूलों में यह कार्यक्रम सुना जाता है।

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रसारित किए जानेवाले कार्यक्रमों में शैक्षणिक विषयों पर वार्ताएं तथा वाद-विवाद सम्मिलित रहते हैं। हिन्दी अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रतिवर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय वाद-विवाद तथा रेडियो नाटक प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाती है।

आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से महिलाओं तथा बच्चों के विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। महिलाओं के कार्यक्रम में गृह-प्रबन्ध बच्चों की देखभाल पोषण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। बच्चों के कार्यक्रम में वार्ताएं, कहानियां समूहगान प्रश्नोत्तरी नाटक आदि दिए जाते हैं। 1962 के अन्त में 1 400 महिला श्रवण दल थे।

औद्योगिक मजदूरों के लिए अहमदाबाद इलाहाबाद कलकत्ता कोषीकोड जलंधर दिल्ली नागपुर, बम्बई, बंगलोर, मद्रास रांची लखनऊ, विजयवाड़ा हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। गौहाटी से असम के चायबागान मजदूरों और उनके परिवारों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

सशस्त्र सेनाओं के लिए गौहाटी जम्मू दिल्ली तथा श्रीनगर से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 82 आदिमजातीय बोलियों में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

पंचवर्षीय योजना का प्रचार

इस कार्यक्रम में श्रोताओं को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए अपनी सहायता स्वयं करने की प्रेरणा दी जाती है। 1962 के दौरान योजना के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित 8,300 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

राष्ट्रीय संगठन कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से राष्ट्रीय संगठन का प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम 1 मार्च 1961 से प्रसारित किए जा रहे हैं। सितम्बर 1962 के अन्त तक ऐसे 2,608 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

आकाशवाणी का अन्तर्देशीय कार्यक्रम आदान प्रदान यूनिट विभिन्न केन्द्रों में सर्वोत्तम कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है। 1962 के दौरान लगभग 6,720 कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया गया। इसी प्रकार, एक यूनिट विदेशों के साथ कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है। यह यूनिट एक त्रैमासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है जिसमें वितरण के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों की पूरी तफ्सील दी जाती है।

स्वरांकन-कार्यक्रम (ट्रांसक्रिप्शन सर्विस)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस विभाग के पास लोक-संगीत तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञों के रिकार्डों का भी एक संग्रह है जिसमें विभिन्न शैलियों तथा विभिन्न देशों के संगीत संगृहीत हैं। इनके वितरण आदि का कार्य इस यूनिट के अन्तर्गत एक केन्द्रीय टेप बैंक करता है।

केन्द्रीय कार्यक्रम परामर्श समिति आकाशवाणी को कार्यक्रम तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परामर्श देती है। आकाशवाणी की संगीत-नीति निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय संगीत परामर्श बोर्ड है। इसके अतिरिक्त जनमत-संग्रह के लिए आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र के लिए कार्यक्रम परामर्श समितियों तथा ग्रामीण कार्यक्रम परामर्श समितियों, आदि की व्यवस्था है।

समाचार सेवाएं

आकाशवाणी से प्रतिदिन अंग्रेजी तथा हिन्दी में क्रमशः छः तथा चार बार असमिया उड़िया उर्दू, कन्नड़ गुजराती तमिल तेलुगु, पंजाबी मराठी और मलयालम में तीन-तीन बार कश्मीरी और डोगरी में दो-दो बार तथा गोरखाली में एक बार समाचार प्रसारित किए जाते हैं। सभाओं के लिए भी हिन्दी तथा गोरखाली में प्रतिदिन एक-एक बार समाचार प्रसारित किए जाते हैं। कश्मीरी उर्दू तथा बंगला में प्रतिदिन समाचार-टिप्पणियां भी प्रसारित की जाती हैं।

प्रतिदिन 120 समाचार बुलेटिन—गृह-सेवा के 85 और विदेश-सेवा के 35—प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी से समाचार-दर्शन कार्यक्रम प्रति सप्ताह अंग्रेजी में दो बार तथा हिन्दी में तीन बार प्रसारित किए जाते हैं। प्रत्येक रविवार को सामयिक घटनाओं पर एक साप्ताहिक वार्ता प्रसारित की जाती है।

विदेश-सेवा कार्यक्रम

अफ्रीका आस्ट्रेलिया एशिया न्यूजीलैण्ड तथा यूरोप के श्रोताओं के लिए प्रतिदिन 17 भाषाओं में रात-दिन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश में बसे भारतीयों के लिए हिन्दी तमिल गुजराती और कोंकणी में तथा अभारतीय श्रोताओं के लिए 13 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

रेडियो सेटों का उत्पादन

1961 में 3,26,340 रेडियो सेट तैयार किए गए। जनवरी-अक्तूबर 1962 में देश में कुल 2,75,997 रेडियो तैयार हुए।

31 दिसम्बर, 1961 को 25,98 608 व्यक्तियों के पास रेडियो लाइसेंस थे।

टेलीविजन

भारत में टेलीविजन सेवा नई दिल्ली में 15 सितम्बर, 1959 को शुरू की गई। इसमें प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को एक-एक घण्टे का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है जिसे दिल्ली में 25 मील की परिधि में देखा जा सकता है। इसके कार्यक्रम प्राय: जानकारी बढ़ाने वाले तथा शिक्षा प्रदान करनेवाले होते हैं। दिल्ली क्षेत्र में इस समय 180 टेलीविजन क्लब हैं।

1961 के दौरान यूनेस्को के सहयोग से शुरू की गई सामाजिक शिक्षा से सम्बन्धित परियोजना 1962 में पूर्ण हो गई। 192 स्कूलों में लगभग 388 टेलीविजन सेट लगाए गए हैं। दिल्ली के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इसकी व्यवस्था हो जाएगी। अनुमान है कि 15 000 विद्यार्थी विज्ञान की शिक्षा तथा 50,000 विद्यार्थी भाषाओं की शिक्षा इसके द्वारा लेते हैं।

पत्र-पत्रिकाएं

भारत के पत्र पंजीकार की सितम्बर 1962 में प्रकाशित छठी रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसम्बर, 1961 को देश में कुल 8,305 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं। 1960 में इनकी संख्या 8,026 थी।

कुल 8,305 पत्र-पत्रिकाओं में से 591 'सामान्य रुचि' के समाचारपत्र थे जिनमें 457 दैनिकपत्र तथा 35 अन्य पत्रिकाएं 'क' श्रेणी की और 99 दैनिकपत्र तथा अन्य पत्रिकाएं 'ख' श्रेणी (मार्केट रिपोर्ट मौसम सम्बन्धी बुलेटिन आदि) की थीं। पत्रिकाओं की कुल संख्या 7 001 थी जिनमें से 1 583 पत्रिकाएं 'ख' श्रेणी की थीं।

सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाएं महाराष्ट्र राज्य (1 276) से निकलती थीं। इसके बाद क्रमश: पश्चिम-बंगाल (1 183) उत्तरप्रदेश (1 054) दिल्ली (836) तथा मद्रास (827) का स्थान था।

भाषा के अनुसार पत्र-पत्रिकाओं के वर्गीकरण से प्रकट होता है कि सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाएं अंग्रेजी में (20 4 प्रतिशत) प्रकाशित होती थीं। इसके बाद क्रमश: हिन्दी (19 0 प्रतिशत) उर्दू (7 8 प्रतिशत) बंगला (6 7 प्रतिशत) गुजराती (6 3 प्रतिशत) मराठी (5 2 प्रतिशत) का स्थान था। 31 दिसम्बर, 1961 को असमिया की 18, अंग्रेजी की 1 689 उड़िया की 72, उर्दू की 661 कन्नड़ की 228, गुजराती की 525, तमिल की 420, तेलुगु की 2711

राष्ट्रीय संगठन कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से राष्ट्रीय संगठन का आह्वान देने के कार्यक्रम 1 मार्च 1961 से प्रसारित किए जा रहे हैं। सितम्बर 1962 के अन्त तक ऐसे [illegible],608 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

आकाशवाणी का अन्तर्क्षेत्रीय कार्यक्रम आदान प्रदान यूनिट विभिन्न केन्द्रों में सर्वोत्तम कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है। 1962 के दौरान लगभग 8,720 कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया गया। इसी प्रकार, एक यूनिट विदेशों के साथ कार्यक्रमों के आदान प्रदान की व्यवस्था करता है। यह यूनिट एक त्रैमासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है जिसमें वितरण के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों की पूरी तफ़सील दी जाती है।

स्वरांकन-कार्यक्रम (ट्रांसक्रिप्शन सर्विस)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस विभाग के पास लोक-संगीत तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञों के रिकार्डों का भी एक संग्रह है जिसमें विविध शैलियों तथा विभिन्न देशों के संगीत संगृहीत हैं। इसके वितरण आदि का कार्य इस यूनिट के अन्तर्गत एक केन्द्रीय टेप बैंक करता है।

केन्द्रीय कार्यक्रम परामर्श समिति आकाशवाणी को कार्यक्रम तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परामर्श देती है। आकाशवाणी की संगीत-नीति निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय संगीत परामर्श बोर्ड है। इसके अतिरिक्त जनमत-संग्रह के लिए आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र के लिए कार्यक्रम परामर्श समितियों तथा ग्रामीण कार्यक्रम परामर्श समितियों आदि की व्यवस्था है।

समाचार सेवाएं

आकाशवाणी से प्रतिदिन अंग्रेजी तथा हिन्दी में क्रमशः छः तथा चार बार असमिया उड़िया, उर्दू, कन्नड़ गुजराती तमिल तेलुगु, पंजाबी मराठी और मलयालम में तीन-तीन बार कश्मीरी और डोगरी में दो-दो बार तथा गोरखाली में एक बार समाचार प्रसारित किए जाते हैं। देहातों के लिए भी हिन्दी तथा गोरखाली में प्रतिदिन एक-एक बार समाचार प्रसारित किए जाते हैं। कश्मीरी उर्दू तथा बंगला में प्रतिदिन समाचार-टिप्पणियां भी प्रसारित की जाती हैं।

प्रतिदिन 120 समाचार बुलेटिन—गृह-सेवा के [illegible] और विदेश-सेवा के 3[illegible]—प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी से समाचार-दर्शन कार्यक्रम प्रति सप्ताह अंग्रेजी में दो बार तथा हिन्दी में तीन बार प्रसारित किए जाते हैं। प्रत्येक रविवार को सामयिक घटनाओं पर एक साप्ताहिक वार्ता प्रसारित की जाती है।

पत्र सूचना कार्यालय की हिन्दी तथा उर्दू सूचना-सेवाओं का संचालन इसके नई दिल्ली स्थित कार्यालय से तथा अन्य भारतीय भाषाओं की सूचना-सेवाओं का संचालन अहमदाबाद (गुजराती) एर्णाकुलम (मलयालम) कटक (उड़िया) कलकत्ता (बंगला) गौहाटी (असमिया) जालन्धर (पंजाबी) नागपुर (मराठी) बंगलोर (कन्नड़) बम्बई (मराठी) मद्रास (तमिल) तथा हैदराबाद (तेलुगु) के प्रादेशिक कार्यालयों से किया जाता है। कलकत्ता जयपुर, पटना भोपाल लखनऊ तथा वाराणसी के कार्यालयों से हिन्दी-सेवा का भी संचालन होता है। उर्दू पत्रों को इसी प्रकार की सहायता जालन्धर, श्रीनगर तथा हैदराबाद के कार्यालयों से प्राप्त होती है। 17 प्रादेशिक तथा शाखा-कार्यालय दूरमुद्रकों द्वारा मुख्यालय से सम्बन्धित हैं।

राज्यों की राजधानियों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में सूचना केन्द्र स्थापित करने की एक योजना के अनुसार जयपुर, जालन्धर, नई दिल्ली नागपुर पटना बंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल मद्रास मदुरै, राजकोट लखनऊ, शिलांग श्रीनगर, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में सूचना-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

प्रेस सलाहकार समिति

22 सितम्बर, 1962 के एक प्रस्ताव द्वारा समान हित के मामलों पर सरकार तथा प्रेस के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रेस सलाहकार समिति स्थापित की गई है। यह समिति प्रेस सम्बन्धी मामलों में सरकार को सलाह-मशविरा देती है।

प्रेस की स्वतन्त्रता

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को भाषण करने तथा विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है। न्यायालयों के मतानुसार, इस अधिकार में प्रेस की स्वतन्त्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। 'संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत संसद् इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बना सकती है।

प्रेस के सम्बन्ध में चार मुख्य केन्द्रीय कानून हैं (1) पत्र-पत्रिका प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 (2) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम 1955 (3) *पुस्तक तथा समाचारपत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954* तथा (4) संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन सुरक्षा) अधिनियम 1956। कुल 10 वर्ष कार्य करने के बाद किसी भी कारण से तथा कार्य करने की अवधि तीन वर्ष से कम न होने पर अन्तःकरण के आधार पर भी स्वेच्छा से कार्य छोड़ देने की स्थिति में श्रमजीवी पत्रकार को उपदान देने की व्यवस्था के लिए 1962 में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें समय समय पर पत्रकारों के लिए वेतनमण्डलों की नियुक्ति की भी व्यवस्था है।

फिल्में

1962 में भारत में 307 फिल्में बनी। इनमें से 2 असमिया 4 गुजराती 6 उड़िया 16 कन्नड़ 59 तमिल 48 तेलुगु, 5 पंजाबी 37 बंगला 21 मराठी 15 मलयालम तथा

पंजाबी की 154, बंगला की 553, मराठी की 429, मलयालम की 209, संस्कृत की 14 और हिन्दी की 1 576 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। द्विभाषी बहुभाषी तथा अन्य भाषाओं की क्रमश: 847 496 और 136 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी।

समाचारपत्रों की ग्राहक संख्या

1961 में प्रकाशित हो रही कुल 8,306 पत्र-पत्रिकाओं में से केवल 4,698 पत्र-पत्रिकाओं की ही ग्राहक-संख्या (अर्थात् बिक्री और निःशुल्क वितरित प्रतियों की संख्या) सम्बन्धी पूरे आंकड़े प्राप्त हुए। इन पत्र-पत्रिकाओं की कुल औसत ग्राहक-संख्या 187 69 लाख थी। जिन 3,679 पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में दोनों वर्षों के आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनकी ग्राहक-संख्या के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 1961 में पिछले वर्ष की अपेक्षा औसतन 4 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दैनिक पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं की ग्राहक-संख्या में क्रमश: 4 5 तथा 8 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाषा के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि (12 8 प्रतिशत) तेलुगु पत्र-पत्रिकाओं की ग्राहक-संख्या में हुई। इसके बाद मलयालम और बंगला की पत्र-पत्रिकाओं का स्थान आता है, जिनकी ग्राहक-संख्या में क्रमश: 11 6 प्रतिशत तथा 9 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भाषाओं के अनुसार सबसे अधिक ग्राहक-संख्या (47 08 लाख अर्थात् 25 1 प्रतिशत) अंग्रेजी पत्रों की थी। इसके बाद हिन्दी पत्रों का स्थान था जिनकी ग्राहक-संख्या 35 91 लाख अर्थात् 19 1 प्रतिशत थी। अन्य भाषाओं के पत्रों की ग्राहक-संख्या इस प्रकार थी—तमिल 26 45 लाख मलयालम 12 46 लाख गुजराती 11 72 लाख मराठी 11 01 लाख बंगला 9 73 लाख उर्दू 9 46 लाख तथा तेलुगु 6 90 लाख।

अखबारी कागज

भारत को अधिकांश अखबारी कागज विदेशों से मंगाना पड़ता है। भारत में अखबारी कागज तैयार करने का केवल एक प्रतिष्ठान (मध्यप्रदेश में नावली स्थित राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा अन्य कागज मिल्स लिमिटेड) है। इस मिल में जनवरी 1955 में उत्पादन आरम्भ हुआ। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन-क्षमता लगभग 30,000 टन है। शेष कागज भारत को मुख्यत आस्ट्रिया कनाडा नार्वे तथा फिनलैंड से मंगाना पड़ता है। 1962 में भारत ने विदेशों से 11 35,47 314 किलोग्राम कागज मंगाया। विदेशी विनिमय की स्थिति अधिक नाजुक होने वाले के फलस्वरूप अखबारी कागज के निर्यात पर और भी कड़ी रोक लगा दी गई है। प्रत्येक समाचारपत्र के लिए अखबारी कागज की मात्रा उसकी स्थिति के अनुसार निश्चित की जाती है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो) पत्र-पत्रिकाओं को अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में भारत सरकार की नीतियों योजनाओं, उपलब्धियों तथा अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करता है। 1962 में भारत सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त भारतीय तथा विदेशी संवाददाताओं की संख्या 219 थी।

फिल्मों को राजकीय पुरस्कार

कला और शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट और उच्च कोटि की फिल्मों तथा सांस्कृतिक और शिक्षाप्रद फिल्मों को सरकार 1954 से प्रतिवर्ष पुरस्कार देती आ रही है। रूपक फिल्मों वृत्त चित्रों तथा बाल फिल्मों आदि के लिए अलग-अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। 1962 में पुरस्कृत फिल्मों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

हाल ही में सरकार ने रूपक फिल्मों के सर्वोत्तम तथा द्वितीय सर्वोत्तम कलाकारों के लिए श्रेष्ठता के प्रमाणपत्रों तथा परिवार आयोजन सम्बन्धी सर्वोत्तम रूपक फिल्म के लिए 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार की भी व्यवस्था की।

वृत्तचित्र तथा समाचारचित्र

वृत्तचित्रों तथा समाचारचित्रों का निर्माण मुख्य रूप से केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का फिल्म विभाग करता है। 1962 के अन्त तक इस विभाग ने 742 समाचारचित्र तथा 624 वृत्तचित्र प्रदर्शन के लिए दिए। 1962 में अन्य निर्माताओं ने भी 32 फिल्में तैयार कीं। वृत्तचित्र 13 भाषाओं में तैयार किए जाते हैं।

समाचारचित्रों में देश तथा विदेशों में घटनेवाली महत्वपूर्ण तथा रोचक घटनाओं के चित्र सम्मिलित किए जाते हैं।

प्रत्येक सिनेमाघर के लिए यह आवश्यक है कि वह एक बार के खेल में वृत्तचित्र वैज्ञानिक और शिक्षाप्रद फिल्मों और सामयिक घटनाओं के बारे में 2,000 फुट तक लम्बी फिल्मों का प्रदर्शन करे। फिल्म विभाग प्रत्येक सिनेमाघर में प्रदर्शन के लिए सप्ताह में एक समाचारचित्र या एक वृत्तचित्र उपलब्ध कराता है।

सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी विभागों शिक्षा संस्थाओं अस्पतालों तथा समाज-कल्याण संगठनों को प्रदर्शन के प्रयोजन से फिल्में उधार दी जाती हैं।

विदेश स्थित 80 भारतीय दूतावासों को भी प्रचार के लिए स्वीकृत वृत्तचित्र दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म विभाग ने कुछ बाहरी देशों के सिनेमाघरों तथा टेलीविजन पर भी अपने वृत्तचित्र दिखाने की व्यवस्था कर रखी है।

फिल्म सेंसर

जनवरी 1951 में एक केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई। अध्यक्ष सहित सेंसर बोर्ड के आठ सदस्य हैं जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेंसर बोर्ड का प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास में इसके प्रादेशिक कार्यालय भी हैं।

प्रत्येक फिल्म पर एक परीक्षण समिति विचार करती है। इस समिति की सिफारिश पर ही प्रमाणपत्र देने अथवा न देने का निर्णय किया जाता है। अस्वीकृति की अवस्था में निर्माता एक अन्य समिति (पुनरीक्षण समिति) को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। इस समिति की अध्यक्षता बोर्ड का अध्यक्ष करता है। फिल्म निर्माता को परीक्षण समिति तथा पुनरीक्षण समिति दोनों के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है। अन्तत: बोर्ड के *निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार के पास अपील की जा सकती है।*

94 हिन्दी (उर्दू सहित) की थी। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने 804 लघुचित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति दी।

फिल्म संस्थान

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के तत्वावधान में 1961 में भारत फिल्म संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान में निर्देशन-एवं-स्क्रिप्ट लेखन फिल्म सम्पादन फिल्म फोटोग्राफी तथा ध्वनि-इंजीनियरी एवं ध्वन्यांकन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बाल फिल्म समिति

बाल फिल्म समिति मई 1955 में स्थापित हुई थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी फिल्मों का निर्माण करना तथा उनके निर्माण को प्रोत्साहन देना है। भारत सरकार इस समिति को सहायता-अनुदान देती है। कुछ राज्यों में राज्यीय समितियां भी स्थापित कर दी गई हैं।

बाल फिल्म समिति अब तक 15 रूपक फिल्में 13 लघुचित्र और 3 रूसी तथा 5 अंग्रेजी फिल्मों के रूपान्तर तैयार कर चुकी है।

1957 में वेनिस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इस संस्था की 'जलदीप' नामक फिल्म को सर्वोत्तम बालोपयोगी फिल्म घोषित किया गया। समिति द्वारा तैयार की गई 'रिक्सी की कहानी' और 'ईद मुबारक' को 1960 में फिल्मों के राजकीय पुरस्कारों में श्रेष्ठता के प्रमाण-पत्र मिले। 1961 में 'सावित्री' नामक फिल्म को भी ऐसा ही पुरस्कार मिला। इसी फिल्म को 1962 के वैंकोवर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

समिति गन्दी बस्तियों तथा बाल सुधारगृहों में रहनेवाले बच्चों को निःशुल्क फिल्में दिखाने के अतिरिक्त सिनेमाघरों में फिल्म-प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

1962 में इन भारतीय फिल्मों को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार प्राप्त हुए

(i) 'टू डाटर्स' (बंगला में समाप्ति तथा पोस्ट मास्टर) को 11-वें मेलबोर्न फिल्म समारोह (आस्ट्रेलिया) में मेलबोर्न ट्राफी तथा स्वर्ण बूमरैंग प्राप्त हुआ।

(ii) 'पौध संसार' को बर्लिन की दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय कृषि फिल्म प्रतियोगिता में 'सिल्वर इयर' प्राप्त हुआ।

(iii) दिलीप कुमार को प्राग की चेकोस्लोवाक अकादेमी ने 'गंगा जमुना' फिल्म में उनके अभिनय के लिए 'स्पेशल आनर डिप्लोमा' प्राप्त हुआ।

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग अंग्रेजी हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में लोकप्रिय पुस्तक-पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, चित्र-संग्रह आदि तैयार करने उनका प्रकाशन वितरण तथा विक्रय करने और जनता को देश की संस्कृति सरकारी गतिविधियों विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति तथा पर्यटन-योग्य स्थानों के सम्बन्ध में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग मन्त्रालयों तथा सरकारी विभागों को प्रचार-साहित्य तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के सम्बन्ध में भी परामर्श देता है। राज्यों में भी इस प्रकार के कार्यों के लिए सूचना तथा प्रचार विभाग है।

केन्द्रीय सरकार के सामान्य प्रकाशनों का प्रकाशन करनेवाली संस्था होने के अतिरिक्त यह विभाग राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड-जैसे संगठनों के साहित्य-प्रकाशन का भी काम करता है। यह विभाग साहित्य अकादेमी राष्ट्रीय संग्रहालय ललित कला अकादेमी आदि के प्रकाशनो के वितरण की भी व्यवस्था करता है।

प्रकाशन विभाग 17 पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है जिनमें से मार्च ऑफ इण्डिया' (अंग्रेजी) और 'आजकल' (हिन्दी और उर्दू) जैसी सांस्कृतिक पत्रिकाएं 'भागीरथ' (अंग्रेजी) 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी और अंग्रेजी) 'योजना' (हिन्दी और अंग्रेजी) तथा आकाशवाणी की 11 कार्यक्रम-पत्रिकाएं उल्लेखनीय है।

1962 में इस विभाग ने सामान्य रुचि की और पर्यटन तथा योजना-प्रचार सम्बन्धी विभिन्न भाषाओं की 387 पुस्तिकाएं प्रकाशित की और विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तिकाओं की 26 96 लाख प्रतियां बेची तथा 34 66 लाख प्रतियां निःशुल्क बांटीं।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार

भारत सरकार की विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेवारी विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय पर है। निदेशालय समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाने मुद्रित प्रचार-सामग्री तैयार करने और विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों की ओर से वर्गीकृत विज्ञापनों आदि के प्रकाशन की व्यवस्था करता है।

1962 में प्रदर्शनी विभाग ने देश के विभिन्न भागों में 819 प्रदर्शनियों की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त इस विभाग के परिवार आयोजन तथा राष्ट्रीय बचत के लिए भी अलग-अलग प्रदर्शनी मुम्टि है।

निदेशालय की वितरण शाखा ने प्रचार सामग्री की कुल 3 करोड़ प्रतियां बांटीं।

राज्यों के सूचना तथा प्रचार निदेशालय अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते है।

भारतीय विज्ञापन परिषद्

1959 में स्थापित भारतीय विज्ञापन परिषद् एक सलाहकार संस्था है जो विज्ञापन की प्रणालिया निर्धारित करने के अतिरिक्त विज्ञापन में शिक्षा की समस्याओं आदि की ओर भी ध्यान देती है।

फिल्मों को दिए जानेवाले प्रमाणपत्रों की दो श्रेणियां हैं। जो फिल्में सब और सब वर्गों को दिखाई जा सकती हैं, उन्हें 'यू' (यूनिवर्सल) प्रमाणपत्र तथा जो केवल वयस्क व्यक्तियों को (18 वर्ष से अधिक आयुवाले लोगों को) दिखाई जा सकती हैं, उन्हें 'ए' (एडल्ट) प्रमाणपत्र दिया जाता है।

1962 में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने 3,179 फिल्मों की जांच की। 63 विदेशी तथा 4 देशी फिल्मों को प्रमाणपत्र नहीं दिए गए।

फिल्म सलाहकार समिति

फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों के परामर्श से भारत सरकार ने एक फिल्म सलाहकार समिति नियुक्त की है जो सरकार तथा फिल्म उद्योग के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित करेगी तथा सरकार को इस मामले में सलाह देगी।

फिल्मों तथा उपकरणों का आयात

1962 में 177.18 लाख रुपये के मूल्य की कच्ची फिल्मों 44.29 लाख रुपये के मूल्य की तैयार फिल्मों, 2.95 रुपयों के मूल्य के व्यवसायिक उपकरणों तथा 33.08 लाख रुपये के मूल्य के प्रोजेक्शन उपकरणों का आयात किया गया।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

भारतीय फिल्मों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मन्त्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक फिल्म निर्यात प्रोत्साहन समिति स्थापित की गई है। 1962 में फिल्मों के निर्यात से भारत ने लगभग 1,42,06,000 रु. के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

प्रकाशन

राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची

'पुस्तक प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954' के अधीन भारत के प्रत्येक पुस्तक-प्रकाशक को अपने व्यय पर किसी भी पुस्तक के प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर-अन्दर उसकी एक प्रति कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजनी होती है।

1958 में प्रथम खण्ड के प्रकाशन के बाद से यह विभाग राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची के त्रैमासिक अंक प्रकाशित करता आ रहा है।

शब्दकोशों का संशोधन

दूसरी पंचवर्षीय योजना के सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंग के रूप में भारत सरकार ने 1957 में 'मनुष्यमित्रे भौंक इण्डिया' के संशोधन का काम आरम्भ किया।

कापीराइट

'कापीराइट अधिकार अधिनियम, 1957' जिससे तत्सम्बन्धी सभी पिछले कानूनों में संशोधन हुआ जनवरी 1958 में लागू हुआ। 31 जनवरी 1963 तक 2,358 रचनाओं के कापीराइट की रजिस्ट्री हुई।

बचत

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 1950-51 में कुल 635.88 करोड़ रुपये (राष्ट्रीय आय का 6.7 प्रतिशत) की बचत हुई। 1955-56 में यह बचत 910.73 करोड़ रुपये (राष्ट्रीय आय का 9.1 प्रतिशत) थी 1956-57 में 992.97 करोड़ रुपये (9.8 प्रतिशत) 1957-58 में 818.17 करोड़ रुपये (7.- प्रतिशत) और 1958-59 में 974.84 करोड़ रुपये (7.7 प्रतिशत) थी।

बेरोजगारी

देश में कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। रोजगार-केन्द्रों के आंकड़ों में मुख्यतः नागरिक क्षेत्रों का ही विवरण रहता है और इन केन्द्रों में भी सभी बेरोजगार लोग अपना नाम दर्ज नहीं कराते।

योजना आयोग के अनुसार 1956 के प्रारम्भ में देश के नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 25 और 28 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे।

योजना आयोग का अनुमान है कि इस समय देश में अल्परोजगारवाले व्यक्तियों की संख्या 1.5 से 1.8 करोड़ के बीच है।

अर्थ-व्यवस्था का ढांचा

जुलाई 1958 और जून 1959 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चौदहवें दौर के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या 33 प्रतिशत थी जिसमें से 31.8 प्रतिशत ठीक ढंग से काम पर लगे हुए थे और 1.2 प्रतिशत बेरोजगार थे। मजदूर-भिन्न व्यक्ति 65.8 प्रतिशत थे। 81.6 प्रतिशत मजदूरों को कोई प्राविधिक शिक्षा प्राप्त नहीं थी।

गांवों में मजदूर 42.7 प्रतिशत थे। अधिकांश (81.4 प्रतिशत) रोजगार व्यक्ति कृषि तथा पशु-पालन में लगे हुए थे।

जुलाई 1959 तथा जून 1960 के बीच के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार गांवों में उपभोक्ता व्यय 247 रुपये प्रतिवर्ष तथा शहरों में 334.6 रुपये प्रतिवर्ष था। 69.2 प्रतिशत उपभोक्ता व्यय खाद्य वस्तुओं पर होता था। वस्त्रों पर प्रतिवर्ष व्यय गांवों में 19.7 रुपये प्रति व्यक्ति तथा शहरों में 20.7 रुपये प्रति व्यक्ति था।

गांवों कस्बों और शहरों में उपभोक्ता व्यय का ढांचा

ग्रामों, कस्बों और शहरों में उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण करने से पता चला है कि ग्रामों में अनाज पर व्यय लगभग 42.4 प्रतिशत है कस्बों में यह व्यय 24.6 प्रतिशत है और शहरों में 15.6 प्रतिशत। सब प्रकार के खाद्य पदार्थों पर कुल उपभोक्ता व्यय ग्रामों तथा कस्बों के मुकाबले शहरों में अधिक था।

ग्रामों के मुकाबले में कस्बों और शहरों में शिक्षा सम्बन्धी खर्च और कर आदि अधिक हैं। परन्तु कुल मिला कर सारे देश के लिए व्यय का ढांचा देश में ग्रामों की बहुलता के कारण ग्रामों-जैसा ही है।

अध्याय 12

आर्थिक ढांचा

प्राकृतिक संसाधनों और मानव-शक्ति की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश है तथा इसके मानवीय और भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग की काफी गुंजाइश है। भारत की अर्थ-व्यवस्था अभी प्रधानतया कृषि पर ही आधारित है तथा देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों से प्राप्त होती है जिनमें देश के लगभग तीन-चौथाई मजदूर काम करते हैं। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय आयोजन का यह उद्देश्य रहा है कि औद्योगिक विकास की दिशा में प्रगति की जाए साथ ही कृषि की उत्पादन-क्षमता भी बढ़ाई जाए। पिछले कुछ वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध विनियोग (इन्वेस्टमेंट) की मात्रा बढ़ रही है। दूसरी योजना के अन्त में यह राष्ट्रीय आय का लगभग 11 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति आय

1961 62 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार चालू मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति आय क्रमश 14,630 करोड़ रुपये और 329 रुपये थी तथा 1948-49 के मूल्यों के अनुसार 13,020 करोड़ रु और 292.4 करोड़ रु थी।

1961 62 (प्रारम्भिक आंकड़े) के लिए राष्ट्रीय आय के सूचकांक (आधार-वर्ष 1948-49=100) चालू मूल्यों के अनुसार 168.1 तथा 1948-49 के मूल्यों के अनुसार 150 5 थे। इसी प्रकार, प्रति-व्यक्ति आय के ये सूचकांक क्रमश 132.1 तथा 117 5 थे।

1961 62 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्रमुख व्यवसायगत स्रोतों में से कृषि (कृषि पशु-पालन वन-उद्योग तथा मछली-पालन) से 6,850 करोड़ रुपये (46.8 प्रतिशत) खनन निर्माणकारी तथा छोटे उद्योगों से 2,800 करोड़ रुपये (19.1 प्रतिशत) वाणिज्य परिवहन तथा संचार-साधनों से 2,470 करोड़ रु (16.9 प्रतिशत) अन्य व्यवसायों सरकारी नौकरियों घरेलू सेवाओं तथा गृह-सम्पत्ति आदि से 2,570 करोड़ रु (17 6 प्रतिशत) की आय हुई। इस प्रकार 14,690 करोड़ रु की कुल आय हुई। इसमें से विदेशों में अर्जित आय खाते का 60 करोड़ रु का घाटा निकाल दें तो शुद्ध आय 14,630 करोड़ रु बच रहेगी।

राष्ट्रीय आय और व्यय में सरकार का अंश

1961 62 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार 14,630 करोड़ रुपये की कुल राष्ट्रीय आय में से सरकारी उद्योगों और प्रशासन की आय 1 630 करोड़ रुपये (11 1 प्रतिशत) थी। उक्त वर्ष में 15,010 करोड़ रुपये के कुल राष्ट्रीय व्यय में से सरकारी सेवाओं और उद्योगों का व्यय 2,340 करोड़ रुपये था जिसमें 630 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है।

कीमतें

पिछले कुछ वर्षों से भारत में थोक कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं शराब तथा तम्बाकू ईंधन शक्ति बिजली तथा चाहन तेलों और औद्योगिक कच्चे माल और तैयार माल की थोक कीमतों का सामान्य सूचकांक जो 1955-56 में 195 53 के 100 से घटकर 92 5 रह गया था 1960-61 में 124 9 1961 62 में 126 1 और 1962-63 में 127 9 हो गया।

संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मूल्यों के उतार चढ़ाव पर निगरानी रखने तथा मूल्य सम्बन्धी नीतियां तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय मूल्य नीति समिति स्थापित की है। सरकार सार्वजनिक कानून 480 के अधीन चावल का भारी मात्रा में आयात करना चाहती है। 1964-65 तक 50 लाख टन अनाज का रिजर्व स्टाक कर रखने का विचार है।

मजदूर वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

दिसम्बर 1961 से दिसम्बर 1962 की अवधि में मजदूर वर्ग के उपभोक्ता-मूल्य के सूचकांक में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1950-51 में यह सूचकांक (आधार-वर्ष 1949=100) 101 1956-57 में 107 1960-61 में 124 और 1961 62 में 127 था। यह सूचकांक दिसम्बर 1962 में 133 था।

भू-स्वामित्व का क्रम

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आठवें दौर (जुलाई 1954 से मार्च 1955) के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या लगभग 6.4 करोड़ थी। इन ग्रामीण परिवारों के पास लगभग 31 करोड़ एकड़ भूमि होने का अनुमान था।

लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों के पास कोई भूमि नहीं थी। ग्रामीण परिवारों में से लगभग एक-चौथाई के पास एक एकड़ से भी कम भूमि थी। इस प्रकार लगभग आधे ग्रामीण परिवारों के पास या तो कोई भूमि नहीं थी अथवा एक एकड़ से कम भूमि थी जो कुल क्षेत्र का केवल 1 प्रतिशत थी। अन्य एक-चौथाई परिवारों के पास एक से पांच एकड़ के बीच भूमि थी। इस प्रकार, लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण परिवारों के पास कुल क्षेत्र का केवल $\frac{1}{6}$ भाग था। दूसरी ओर, लगभग $\frac{1}{8}$ ग्रामीण परिवारों के पास दस एकड़ से अधिक तथा लगभग 1 प्रतिशत परिवारों के पास 50 एकड़ से अधिक भूमि थी। लगभग 1 लाख परिवारों के पास सौ एकड़ से अधिक भूमि थी किन्तु 250 से एकड़ से अधिक भूमि पर स्वामित्व रखनेवाले परिवारों की संख्या केवल कुछ हजार ही थी।

98 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवार व्यक्तिगत रूप से खेती करते थे। 5 प्रतिशत परिवारों के पास संयुक्त भूमि थी—कुल क्षेत्र का केवल 9 प्रतिशत संयुक्त खेती के अधीन था।

जोत की भूमि

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आठवें दौर (जुलाई 1954 से मार्च 1955) के अनुसार परिवारों के अधिकार में जोत की भूमि का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है

सारणी 7

परिवारों के अधिकार में जोत की भूमि

(जुलाई 1954 से मार्च 1955)

जोत का आकार (एकड़)	कुल परिवारों का प्रतिशत	खेती-योग्य बड़े कुल भूमि का प्रतिशत
	10.9	—
0 01—0 99	30.7	1 2
1 00—2.49	14.6	4.7
2 50—4.99	15.5	10.7
5 00—9.99	14.3	19 1
10 00—24 99	10 1	29 2
25 00—49 99	3.0	19.3
50 00 तथा अधिक	1 0	15.8
जोड़	100.0	100.0

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आठवें दौर के अनुसार सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार के पास औसतन 5.28 एकड़ भूमि थी।

के अन्त में 11 5 प्रतिशत और पांचवीं योजना के अन्त में 18-19 प्रतिशत करना तथा लगभग दस वर्ष की अवधि में अपनी अर्थ-व्यवस्था को विदेशी सहायता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाना हमारे कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया गया है।

पहली और दूसरी योजनाएं

भविष्य में आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति के लिए सुदृढ़ आधार बनाने के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना (1951 52 से 1955-56) में कृषि सिंचाई, बिजली और परिवहन पर अधिक बल दिया गया। सामाजिक परिवर्तन तथा परम्परागत कृषि में सुधार की बुनियादी नीतियां भी इसी में अपनाई गई, जिनका पूर्ण विकास दूसरी योजना के दौरान हुआ। दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61) ने इन नीतियों को आगे बढ़ा कर राष्ट्र के सम्मुख समाजवादी ढंग के समाज का लक्ष्य रखने के साथ-साथ बुनियादी और बड़े उद्योगों के विकास पर जोर दिया। इसने देश के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख काम-काज का भी निर्देश किया।

पहली दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 10 110 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ जिसमें से 5 210 करोड़ रुपये* सरकारी क्षेत्र में लगे और 4,900 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में। फलत अर्थ-व्यवस्था में विनियोग का औसत वार्षिक स्तर दशाब्दी के आरम्भ के 500 करोड़ रुपये से बढ़ कर दशाब्दी के अन्त में 1 600 करोड़ रुपये हो गया।

पहली और दूसरी योजनाओं में कृषि और सिंचाई के कार्यक्रमों पर सरकारी क्षेत्र की कुल व्यय-राशि का क्रमश 31 और 20 प्रतिशत भाग नियोजित किया गया। उद्योगों और खनिज पदार्थों पर पहली योजना में कुल व्यय का 4 प्रतिशत भाग लगाया गया था जो दूसरी योजना में बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार, परिवहन और संचार साधनों पर भी व्यय का प्रतिशत पहली योजना के मुकाबले दूसरी योजना में बढ़ा दिया गया।

पहली योजना के कुल 1 960 करोड़ रुपये के व्यय में से 1 772 करोड़ रुपये (90 प्रतिशत) अन्दरूनी साधनों से जुटाए गए।

दूसरी योजना के भी कुल 4,600 करोड़ रुपये के व्यय में से 3,510 करोड़ रुपये† (76 प्रतिशत) अन्दरूनी साधनों से जुटाए गए। बाकी धन विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुआ।

दूसरी योजना में कई नए टीके तथा परोक्ष कर लगाए गए। इसके बावजूद योजना की पूर्ति लगभग 948 करोड़ रुपये का घाटे का बजट रख कर की गई।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दस वर्षों (1951–61) में राष्ट्रीय आय में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति-व्यक्ति आय में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

---

*सरकारी क्षेत्र म चालू योजनाओं पर भी 1 350 करोड़ रु खर्च किए।

†इसमें पी एल 480 में से रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक द्वारा सरकार को दिए गए ऋण की रकम शामिल है।

अध्याय 13

आयोजना

भारत में आयोजना की आवश्यकता स्वाधीनता-प्राप्ति के बहुत पहले से ही व्यक्तिगत रूप से लोग उनके दल और सरकार अनुभव कर रही थी। इस उद्देश्य से अनेक समितियों का गठन किया गया था और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। परन्तु आयोजना आयोग का गठन स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद, मार्च 1950 में हुआ और उससे "देश के साधनों का अधिक-से-अधिक सार्थक तथा सन्तुलित ढंग से उपयोग" करने की दृष्टि से एक योजना बनाने के लिए कहा गया। देश के जनमत के प्रकाश में तैयार की गई पहली पंचवर्षीय योजना दिसम्बर 1952 में संसद् में प्रस्तुत की गई।

उद्देश्य

आयोजना का मुख्य उद्देश्य देश में विकास-कार्य आरम्भ करना बताया गया जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठ सके तथा उन्नत जीवन बिताने के लिए उन्हें नए अवसर प्रदान किए जा सकें। योजना का उद्देश्य संस्थाओं के साथ-साथ मानवीय गुणों का भी विकास करना है, जिससे देश का सामाजिक ढांचा यहां के लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप बन सके।

पहली और दूसरी योजनाओं में राष्ट्रीय तथा प्रति-व्यक्ति आय को दुगुना करना (पहली योजना के आरम्भ के स्तर की तुलना में) और उपभोग का स्तर ऊंचा करना दीर्घकालीन उद्देश्य निश्चित किए गए। 1951–61 की दशाब्दी में जनसंख्या में वृद्धि की तीव्र गति और इस तरह की अन्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1975-76 तक के लिए ये दीर्घकालीन उद्देश्य रखे गए हैं (1) राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर लगभग 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जिससे राष्ट्रीय आय दुगुनी हो सके (1960-61 की कीमतों के अनुसार, 1960-61 के 14,500 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1975-76 में 34,000 करोड़ रुपये) और प्रति-व्यक्ति आय 61 प्रतिशत बढ़ सके (1960-61 के 330 रु. से बढ़ कर 1975-76 में 530 रु.)† (2) कृषि से भिन्न धन्धों में 4.8 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार जुटाया जाए, जिससे कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या 70 प्रतिशत से घट कर 60 प्रतिशत रह जाए और (3) संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए।

जनसंख्या में वृद्धि की एक निश्चित दर पर बनाए रखना पूंजी लगाने की वर्तमान 11 प्रतिशत की दर बढ़ा कर तीसरी योजना के अन्त में 14-15 प्रतिशत और पांचवी योजना के अन्त में 19-20 प्रतिशत करना बचत की 8.5 प्रतिशत की दर (1960-61) को बढ़ा कर तीसरी योजना

---

† इस अध्याय में दिए गए राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय सम्बन्धी अंक 'आर्थिक ढांचा' शीर्षक अध्याय में दिए गए अंकों से, जो बाद में लगाए गए हिसाब पर आधारित हैं, भिन्न हैं।

सारणी 8

पहली और दूसरी योजना के दौरान उपलब्धियां और तीसरी योजना के मुख्य लक्ष्य

मद	उपलब्धियां 1950-51	1955-56	1960-61	लक्ष्य 1965-66	1960-61 के मुकाबले 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कृषि पैदावार का सूचकांक (1949-50—100)	96	117	135	176	30
अनाज की पैदावार (लाख टन)	522*	658*	793	1 000	26
नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की खपत (हजार टन नाइट्रोजन)	55	105	230	1 000	335
सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)	515	562	700	900	29
सहकारी आन्दोलन काश्तकारों को पेशगी (करोड़ रुपये)	22 9	49 6	200	530	165
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1950-51—100)	100	139	194	329	70
बने हुए इस्पात का उत्पादन (लाख टन)	14	17	35	92	163
अल्यूमीनियम का उत्पादन (हजार टन)	3 7	7 3	18 5	80	332
मशीनी औजारों का उत्पादन (दर्जाबन्दी-मुक्त) (करोड़ रुपयों में मूल्य)	0 34	0 78	5 5	30	445
गन्धक का तेजाब (हजार टन)	99	164	363	1 500	313
पेट्रोलियम के उत्पादन (लाख टन)	—	36	57	99	70

*उत्पादन के अनुमान अंक-संकलन और अनुमान की विधियों में परिवर्तनों के अनुसार समायोजित है ।

वस्तुतः इस दशक में औद्योगिक क्रान्ति की नींव रखी गई। इस सम्बन्ध में दूसरी योजना की पांच वर्षों की अवधि उद्योग की महत्वपूर्ण प्रगति और फैलाव के कारण विशेष उल्लेखनीय है। पिछली दशाब्दी में प्राप्त मुख्य सफलताएं तीसरी योजना के लक्ष्यों के साथ अगले पृष्ठ की सारणी में दी गई हैं।

औद्योगिक प्रगति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दरें, बरकरार और अधिक होतीं यदि कुछ अपरिहार्य कठिनाइयां सामने न आ जातीं। ये कठिनाइयां मुख्यतः निम्नलिखित थीं—(1) कृषिगत उत्पादन का विकास रुक-रुक कर हुआ। जो विकास हुआ वह भी औद्योगिक विकास और निर्यात-वृद्धि की दरें बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था (2) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी दिक्कतों के चलते कुछ बिजली-परियोजनाओं नई रासायनिक खाद परियोजनाओं तथा भारी रासायनिक परियोजना का काम ठीक समय पर शुरू न हो सका (3) निर्यात कार्यक्रम के पंचवर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग नहीं समझे जाने के कारण भारत का निर्यात-व्यापार इस दशाब्दी में प्रगति नहीं कर सका (4) प्रशासनिक कमजोरियों के चलते भी उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के निर्माण और कार्यान्विति में अपरिहार्य रूप से विलम्ब हो गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1960-61 से 1965-66) के उद्देश्य ये हैं (1) राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि करना तथा विनियोग (पूंजी लगाने) का ऐसा ढांचा बनाए रखना जिससे अनुवर्ती योजनाओं में वृद्धि की यह दर कायम रह सके (2) अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कृषि पैदावार में वृद्धि करना (3) बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीनें बनाने की क्षमता को बढ़ाना (4) देश के श्रम-साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना और रोजगार के अवसरों को काफी अधिक बढ़ाना और (5) उत्तरोत्तर समान अवसर जुटाना तथा आय और सम्पत्ति के वितरण में असमानता में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति को समुचित बंटवारा करना। इस अवधि में राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे वह 1960-61 के 14,500 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1965-66 (1960-61 की कीमतों के अनुसार) लगभग 19,000 करोड़ रुपये हो जाएगी प्रति-व्यक्ति आय में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे वह 1960-61 के 330 रु. से बढ़ कर 1965-66 में 385 रु. हो जाएगी।

लक्ष्य

कुछ महत्वपूर्ण मदों के क्षेत्र में तीसरी योजना के उत्पादन और विकास के लक्ष्य अगले पृष्ठ की सारणी में दिए गए हैं। तुलना के लिए 1950-51 (पहली योजना का प्रारम्भ) 1955-56 (पहली योजना की समाप्ति) और 1960-61 (दूसरी योजना की समाप्ति) के भी अंक इनमें दिए गए हैं।

योजना पर व्यय

तीसरी योजना के लिए रखे गए लक्ष्यों पर सरकारी क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में लगभग 4,100 करोड़* रुपये की लागत का अनुमान है। सरकारी क्षेत्र में अभी 7 500 करोड़ रुपये के वित्तीय साधन जुटाने का अनुमान लगाया गया है। नीचे की सारणी में मुख्य मदों पर वित्तीय व्यय की बांट दर्शाई गई है। उन मदों पर दूसरी योजना के दौरान हुआ खर्च भी साथ में दिखाया गया है।

सारणी 9

मुख्य मदों पर सरकारी क्षेत्र में होनेवाले व्यय की बांट

मदें	दूसरी योजना		तीसरी योजना	
	कुल खर्च (करोड़ रु)	प्रतिशत	खर्च की व्यवस्था (करोड़ रु)	प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	530	11	1 068	14
बड़ी और दरम्यानी सिंचाई	420	9	650	9
बिजली	445	10	1 012	13
ग्राम तथा छोटे उद्योग	175	4	264	4
संगठित उद्योग और खनिज पदार्थ	900	20	1 520	20
परिवहन तथा संचार-साधन	1 300	28	1 486	20
समाज-सेवा तथा फुटकर	830	18	1 300	17
इन्वेंटरियां	—	—	200	3
जोड़	4,600	100	7 500	100

सरकारी क्षेत्र में 7 500 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 6,300 करोड़ रुपये विनियोग के रूप में पूंजी खाते में लगाए जाएंगे तथा 1 200 करोड़ रुपये ऊपरी खर्चों पर व्यय होंगे। तीसरी योजना के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा 4,100 करोड़ रुपये की पूंजी लगाए जाने का अनुमान है। इस प्रकार, दोनों क्षेत्रों में कुल 10,400 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी। सरकारी और निजी क्षेत्रों के पूंजी-विनियोग का प्रमुख मदों में वितरण अगले पृष्ठ की सारणी में दिखाया गया है।

*इसमें 200 करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है जिसे सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का अनुमान है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कपड़ा					
मिल में बना (लाख गज)	37 200	51 020	51 270	58,000	13
खादी हथकरघों तथा मशीनी करघों में बनी (लाख गज)	8,970	17 730	23,490	35,000	49
कुल (लाख गज)	46,170	68,750	74,760	93,000	24
खनिज पदार्थ					
कच्चा लोहा (लाख टन)	32	43	107	300	180
कोयला (लाख टन)	323	384	546	970	76
निर्यात (करोड़ रुपये)	624	609	645	850	32
बिजली प्रतिष्ठापित क्षमता (लाख किलोवाट)	23†	34†	57	127	123
रेलवे द्वारा ढोया गया माल (लाख टन)	915	1 140	1 540	2,450	59
सड़कें सड़कों पर चल रहे व्यापारिक वाहन (हजार)	116	166	210	365	74
समुद्री जहाज टन-भार (लाख जी आर टी)	3 9	4 8	9	10 9	21
सामान्य शिक्षा स्कूलों में विद्यार्थी (लाख)	235	313	435	639	47
तकनीकी शिक्षा इंजीनियरी और टक्नोलाजी—डिग्री स्तर—प्रवेश-संख्या (हजार)	4 1	5 9	13 9	19 1	37
स्वास्थ्य					
अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (हजार)	113	125	186	240	29
डाक्टर (काम कर रहे) (हजार)	56	65	70	81	16
उपभोग-स्तर					
खुराक (प्रति व्यक्ति प्रति दिन कैलोरी-मात्रा)	1 800	1 950	2,100	2,300	10
कपड़ा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष गज-मात्रा)	9 2	15 5	15 5	17 2	11

†ये अंक सन् 1950 और 1955 के कैलेण्डर वर्ष से सम्बद्ध हैं।

तीसरी योजना के प्रारम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 90 लाख थी। इसके अतिरिक्त 1.5 से 1.8 करोड़ व्यक्ति अल्परोजगार प्राप्त थे। तीसरी योजना के दौरान लगभग 1.7 करोड़ नए व्यक्ति रोजगार पाना चाहेंगे। योजना में केवल 1.4 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है जिनमें से लगभग 35 लाख व्यक्ति कृषि-कार्यों में और लगभग 1.05 करोड़ व्यक्ति कृषि से भिन्न कार्यों में काम प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी योजना के दौरान अल्परोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में भी कुछ कमी होने की सम्भावना है। इस प्रकार, केवल नए आनेवाले व्यक्तियों को रोजगार जुटाने के लिए 30 लाख अन्य व्यक्तियों को रोजगार जुटाने की आवश्यकता है। तीसरी योजना में इसे एक आवश्यक उद्देश्य के रूप में लिया गया है तथा इस दिशा में अनेक प्रभावी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तीसरी योजना की प्रगति

अगले पृष्ठ की सारणी में 1961-62 से 1963-64 तक के लिए योजना की व्यय-व्यवस्था का स्वरूप विकास की मुख्य मदों के सन्दर्भ में दिखाया गया है।

1961-62 में कृषि, ग्राम तथा लघु उद्योग और समाज-सेवा की मदों में व्यय कुछ कम हुआ। इसका मुख्य कारण योजनाएं तैयार करने में विलम्ब और विकास की अन्य मदों में धन का लगाया जाना था। बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम में व्यय में कमी बहुत-कुछ विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हुई, जिसके एक बड़े भाग की व्यवस्था अब की जा चुकी है। अधिकांश अन्य मदों में खर्च निश्चित परिमाण से अधिक हुआ। कुल मिला कर, योजना में इस वर्ष 1,220.7 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी जिसमें से 109 करोड़ रुपये का उपयोग न हो सका।

1962-63 में जैसी कि आशा थी निश्चित राशि (1,466 करोड़ रुपये) से भी 15 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुए। हां केन्द्र के बारे में कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता परिवहन और संचार-साधन तथा समाज-सेवा की मदों में कुछ कम खर्च हुआ। पर राज्यों में लगभग सभी मदों में योजना में निश्चित परिमाण से अधिक खर्च हुआ।

1962-63 में योजना में पूंजी-विनियोग के लिए, चालू राजस्व से केन्द्रीय सरकार को उपलभ्य साधनों में ह्रास योजना-भिन्न खर्चों के कारण हुआ। ये खर्चे मुख्यतः प्रतिरक्षा सीमावर्ती सड़कों और अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन से सम्बद्ध थे।

केन्द्र में अतिरिक्त कराधान काफी हुआ है। अब तक उठाए गए कदमों से योजना-काल में कुल 860 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी का अनुमान है। 1963-64 के बजट में काफी ठोस अतिरिक्त कराधान हुआ है, विशेष कर प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। 1962-63 में राज्यों ने 73 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कराधान का लक्ष्य रखा।

योजना के प्रथम दो वर्षों में 40 लाख अतिरिक्त लोगों के लिए काम की व्यवस्था हुई, जबकि इस अवधि में श्रमिकों की संख्या में 60 लाख की वृद्धि हुई।

सारणी 10

दूसरी और तीसरी योजनाओं में पूंजी-विनियोग

(करोड़ रुपयों में)

मदें	दूसरी योजना				तीसरी योजना			
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	प्रतिशत	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
कृषि और सामुदायिक विकास	210	625	835	12	660	800	1 460	14
बड़ी और दरम्यानी सिंचाई	420	*	420	6	650	*	650	6
बिजली	445	40	485	7	1 012	50	1 062	10
ग्राम तथा छोटे उद्योग	90	175	265	4	150	275	425	4
संगठित उद्योग और खनिज पदार्थ	870	675	1 545	23	1 520	1 050	2,570	25
परिवहन और संचार-साधन	1 275	135	1 410	21	1 486	250	1 736	17
समाज-सेवा तथा फुटकर	340	950	1 290	19	622	1 075	1 697	16
इन्वेंटरियां	—	500	500	8	200	600	800	8
जोड़	3,650	3,100†	6,750	100	6,300	4,100†	10,400	100

*भूमि और सामुदायिक विकास में सम्मिलित

†सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरण को छोड़ कर

अध्याय 14

सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता की व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई करना है। यह कार्यक्रम पहले-पहल 2 अक्तूबर, 1952 को 55 चुनी हुई परियोजनाओं में प्रारम्भ किया गया था तथा प्रत्येक परियोजना के क्षेत्र में 500 वर्गमील क्षेत्र में फैले हुए 2 लाख की जनसंख्या के 300 गांव रखे गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनी सहायता आप करने का कार्यक्रम है अर्थात् ग्रामीण जनता स्वयं ही योजनाएं बना कर उन्हें कार्यान्वित करे और सरकार की ओर से उन्हें केवल तकनीकी मार्ग-दर्शन तथा वित्तीय सहायता मिले। वास्तव में इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गांव के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा ग्राम-उपक्रम की भावना का विकास करना है। पंचायतों सहकारी समितियों विकास मण्डल आदि-जैसी जनता की संस्थाओं द्वारा गांव में सामूहिक चिन्तन तथा मिल-जुल कर कार्य करने की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सर्वोपरि प्राथमिकता कृषि को दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्तम संचार-साधनों तथा आवास की व्यवस्था स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओं के सुधार, शिक्षा में प्रसार, महिला तथा बाल-कल्याण और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास-कार्य भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम खण्डों के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में सामान्यतः 150–200 वर्गमील में फैले हुए साठ-सत्तर हजार की जनसंख्या के 100 गांव होते हैं। अप्रैल 1958 से पूर्व यह कार्यक्रम तीन अलग-अलग चरणों में चलाया जा रहा था। परन्तु नई प्रणाली के अनुसार प्रत्येक खण्ड में पांच वर्ष भरपूर विकास कार्य पूरा हो चुकने के बाद दूसरा चरण प्रारम्भ होता है तथा उसमें अगले पांच वर्षों तक अपेक्षाकृत कम व्यय किया जाता है। पहला चरण प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक खण्ड को 'पूर्व-विस्तार अवस्था' में से गुजरना पड़ता है जिसमें कार्यक्रम को मात्र कृषि-विकास तक ही सीमित रखा जाता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 12 जनवरी 1958 को लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी अध्ययन टीम की सिफारिशों को मान कर पंचायती राज की स्थापना के लिए कुछ सिद्धान्त निश्चित किए। ये सिद्धान्त राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त ढांचा तैयार करने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। असम आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा उत्तरप्रदेश पंजाब मद्रास मैसूर और राजस्थान में पंचायती राज लागू किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी इसके लिए या तो कानून बना दिए गए हैं या बनाए जा रहे हैं।

ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने में पंचायतें स्कूल तथा सहकारी समितियां ये तीनों बुनियादी संस्थाएं काम करेंगी। निर्वाचित पंचायत ग्राम के समस्त विकास कार्यक्रमों की देखरेख करेगी तथा सहकारी समिति आर्थिक क्षेत्र में योग देगी।

सारणी 11
तीसरी योजना की व्यय-व्यवस्था और व्यय सम्बन्धी प्रगति

(करोड़ रुपयों में)

मदें	तीसरी योजना की व्यय-व्यवस्था 1961–66 केन्द्र और राज्य	1961 62 वास्तविक			1962 63 प्रत्याशित			1963-64 बजट अनुमान
		केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र*	राज्य	कुल	कुल केन्द्र और राज्य
कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता	1 068	13 7	133 5	147 2	19 9	167 6	187 5	216
सिंचाई और बिजली	1 662	8 5	230 1	238 6	19 3	294 0	313 3	359
उद्योग और खनिज पदार्थ	1 784	200 3	30 9	231 2	302 0	43 6	345 6	410
परिवहन और संचार-साधन	1 486	236 5	53 1	289 6	312 0	52 4	364 4	400
समाज-सेवा	1 300	73 3	117 9	191 2	89 2	157 0	246 2	
फुटकर	200	4 1	9 6	13 7	12 0	11 4	23 4	268
कुल	7 500	536 4	575 1	1 111 5	754 4	726 0	1 480 4	1 653

*केन्द्रप्रशासित प्रदेशों को मिला कर

राज्यों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। इसके लिए वहां राज्यीय विकास समितियां हैं। इन समितियों में मुख्य मन्त्री (अध्यक्ष) विकास मन्त्री तथा विकास आयुक्त (सचिव के रूप में) होते हैं।

जिला में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व नवगठित अनुविहित जिला परिषदों पर है। इन परिषदों में जनता के प्रतिनिधि—ब्लाक पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला के संसत्सदस्य तथा विधानमण्डल के सदस्य—होते हैं।

ब्लाक-स्तर पर कार्यक्रम की देखरेख ब्लाक पंचायत समिति करती है। इस समिति में निर्वाचित सदस्य तथा महिलाओं पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ब्लाक विकास अधिकारी और आठ विस्तार अधिकारी—कृषि सहकारिता पशु-पालन आदि के विशेषज्ञ—पंचायत समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त युवक मण्डल कृषक मण्डल महिला मण्डल आदि भी अपने-अपने क्षेत्र में पंचायत का हाथ बंटाते हैं। ग्राम-सेवक बहु प्रयोजनी विस्तार कर्मचारी के रूप में कार्य करता है और उसके अधीन 10 गांव होते हैं।

विस्तार-संगठन

ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर विस्तार-संगठन एक तो ग्रामीणों को प्रामाणिक जानकारी आदि उपलब्ध कराता है और दूसरे, उनकी समस्याओं को अध्ययन तथा समाधान के लिए, अनुसन्धान संगठनों के पास भेजता है। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां कृषि समितियों महिला मण्डलों आदि के माध्यम से सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करना भी इस संगठन के जिम्मे है।

ब्लाक विकास समितियां

जिन राज्यों में अभी पंचायत राज स्थापित नहीं किया गया है, उनमें ब्लाक विकास समितियां कार्य करती हैं। इन समितियों में पंचायतों और सहकारी समितियों के प्रतिनिधि कुछ प्रगतिशील कृषक समाज-सेवी कार्यकर्ता तथा महिलाएं, उस क्षेत्र के संसत्सदस्य तथा विधान सभा के सदस्य होते हैं। ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं के आयोजन प्रारम्भ स्वीकृति तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी होती हैं।

प्रशिक्षण

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम को समरेख राष्ट्रीय सामुदायिक विकास अध्ययन तथा ग्राम परिषद् कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से करती है।

मुख्य प्रशिक्षण संस्था राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान मसूरी-स्थित अपनी अध्ययन तथा ग्राम शाखाओं एवं राजपुर, देहरादून-स्थित प्रशिक्षण शाखा के जरिए काम करती है। अध्ययन-शाखा मुख्य कर्मचारियों—उपायुक्त मन्त्रियों और गैर-सरकारी—को परिचय प्रशिक्षण देती है। ग्राम-शाखा में वर्तमान समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान ढूंढा जाता है। प्रशिक्षण-शाखा प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम बनाती है। इस शाखा में जिला पंचायत

ग्राम के स्कूल को एक सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जो शिक्षा संस्कृति मनोरंजन तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त महिला तथा युवक-संगठनों किसान संघों कारीगर संघों आदि को भी पंचायत के विकास कार्यों से सम्बद्ध किया जा रहा है।

जनवरी 1963 के अन्त तक 26 36 करोड़ की जनसंख्या के 4 54 लाख गांवों से युक्त प्रथम तथा द्वितीय चरण के 4,187½ खण्ड इस कार्यक्रम के अधीन आ गए। देश में 961½ पूर्व-विस्तार खण्ड भी हैं। देश को 5,223 खण्डों में बांटा गया है जो अक्तूबर 1963 तक इस कार्यक्रम के अधीन आ जाएंगे।

वित्त

सहायता

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए धन की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिल कर करती है। प्रत्येक खण्ड-क्षेत्र में विकास योजनाएं जनता द्वारा नकदी अथवा श्रम के रूप में योग मिलने पर ही आरम्भ की जाती हैं। इन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता केन्द्र तथा राज्य सरकारें आवर्तक मदों पर होनेवाले व्यय को समान रूप से तथा अनावर्तक मदों पर होनेवाले व्यय को 3 1 के अनुपात से वहन करती हैं। सिंचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार-जैसे कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण के रूप में आवश्यक वित्तीय सहायता देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें खण्डों में जो कर्मचारी आदि नियुक्त करती हैं उन पर होनेवाले व्यय का आधा भाग केन्द्रीय सरकार देती है।

जनता द्वारा योगदान

31 मार्च 1962 तक सरकार ने कुल 281 21 करोड़ रुपये व्यय किए और जनता ने 111 90 करोड़ रु के मूल्य का योगदान किया जो कुल सरकारी व्यय का लगभग 40 प्रतिशत था।

योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

पहली और दूसरी योजना के दौरान सामुदायिक कार्यक्रमों पर 235 07 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। तीसरी योजना के दौरान 334 07 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है जिसमें से 287 67 करोड़ रुपये सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए, 28 80 करोड़ रुपये पंचायतों के लिए, और 17 60 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिए रखे गए हैं।

संगठन

केन्द्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय पर है। किन्तु आधारभूत नीति सम्बन्धी प्रश्न केन्द्रीय समिति के सम्मुख रखे जाते हैं। इस समिति में आयोजना आयोग के सदस्य खाद्य तथा कृषि मन्त्री और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री होते हैं। प्रधान मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं।

सामुदायिक विकास

सफलताए

इस कार्यक्रम की अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं नीचे की सारणी में दी गई हैं

सारणी 12

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलताए

मदें	वर्ष के दौरान सफलता		वर्ष के दौरान प्रति खण्ड औसत सफलता	
	1960-61	1961 62	1960-61	1961 62
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 कृषि				
सुधरे बीज—बांटी गई मात्रा (मन)	8_73,000	75 35 000	2,936	2,409
रासायनिक उर्वरक—बांटी गई मात्रा (मन)	1 65,50 000	1 80,50 000	5,877	5,785
केमिकल पेस्टीसाइड—बांटी गई मात्रा (मन)	3,16,300	3,44,726	130	161
सुधरे औजार—बांटे गए औजारों की संख्या	3,37 820	5 09 900	135	157
कृषि-प्रदर्शन (संख्या)	12,27 700	9 57 950	447	344
कम्पोस्ट गड्ढे—खोदे गए गड्ढों की संख्या	29 44 400	33,81 400	1 046	1 188
2 पशु-पालन				
सुधरी नस्ल के पशु (सप्लाई-संख्या)	21 274	20 849	7 6	6 7
सुधरी नस्ल के पक्षी (सप्लाई-संख्या)	3,29 000	4,04,551	117	129
बधिया किए गए पशु (संख्या)	27 16,400	23,77 000	880	769
3 ग्राम तथा छोटे उद्योग				
अम्बर चर्खा (प्रचलन संख्या)	23,245	13,666	9 0	6 4
ईंटों के भट्ठे—शुरू किए गए भट्ठों की संख्या	13,041	15 471	5 4	7 3
बनाई गई ईंटें (मात्रा)	1_874	13,113	5 3	6 2
बनाई गई टाइलें (मात्रा)	4,769	2 652	2	1 3
सिलाई की मशीनें—बांटी गई संख्या)	7 20*	7 831	2 6	3 1

अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थानों के गैर-सरकारी अध्यक्षों (प्रमुख तथा प्रधान) को भी पंचायत सम्बन्धी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इसमें 133 प्रशिक्षक और 233 जिला पंचायत अफसर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अध्ययन शाखा द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में 959 सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

खण्ड विकास अधिकारियों तथा खण्ड विस्तार अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 10 परिश्रम तथा अध्ययन-केन्द्र और समाज-शिक्षा संगठनों तथा मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए अन्य 13 केन्द्र हैं। दिसम्बर 1962 के अन्त तक इन केन्द्रों में 5,139 खण्ड विकास अधिकारियों 6,213 समाज-शिक्षा संगठकों (पुरुष और महिलाएं) तथा 2,998 विस्तार अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

भारत सरकार की देखरेख में राज्य सरकारें कुछ अन्य केन्द्रों का भी संचालन कर रही हैं जिनमें ग्राम-सेवकों ग्राम-सेविकाओं तथा विस्तार अधिकारियों (कृषि तथा पशु-पालन) के लिए तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस समय ग्राम-सेवकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित 98 विस्तार-केन्द्र हैं जिनमें सितम्बर 1962 के अन्त तक 62,454 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसी अवधि में 4,874 ग्राम-सेविकाओं ने भी 46 गृह-विज्ञान शाखाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सितम्बर 1962 के अन्त तक 13 केन्द्रों में 3,955 विस्तार अधिकारियों (सहकारिता) को प्रशिक्षित किया गया। लघु सेवा संस्थान द्वारा संचालित 4 केन्द्रों तथा खादी-बोर्ड महाविद्यालयों द्वारा संचालित 7 केन्द्रों में दिसम्बर 1962 के अन्त तक 2,868 विस्तार अधिकारियों (उद्योग) को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गई।

भारत सरकार द्वारा संचालित 3 केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सहायक नर्स-दाइयों के प्रशिक्षण के लिए 142 संस्थान हैं जिनमें दिसम्बर 1962 के अन्त तक 3,109 सहायक नर्स-दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया।

ग्राम-सेवकों के कार्य में सहायता देनेवाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी अवधि के कैम्पों की व्यवस्था की जाती है। जून 1962 के अन्त तक लगभग 45 लाख ग्राम सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया।

लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर राज्य सरकारों ने पंचायत समितियों तथा खण्ड विकास समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण का एक विशाल कार्यक्रम प्रारम्भ किया। जिन 93 पंचायती राज प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य था उनमें से 50 ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अक्तूबर 1962 के अन्त तक 24,283 पंचायत अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया।

पंचायती राज प्रशिक्षण-केन्द्रों के प्रशिक्षकों के लिए दिल्ली स्थित केन्द्रीय संस्थान ने फरवरी 1963 के अन्त तक 142 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शुरू किए गए चमड़ा कमाने के केन्द्र (संख्या)	2,676	3,442	1 1	1 6
मुगरी खानियां (प्रचलन संख्या)	2,159	989	0 9	0 5
मधुमक्खियों के छत्ते (प्रचलन-संख्या)	15,442	16 484	6 4	7 7
बांटे गए सुधरे हथियारों और उपकरणों का मूल्य				
(क) लोहारी (हजार रुपये)	433	532	180	249
(ख) बढ़ईगीरी (हजार रुपये)	374	465	155	228
4 समाज-शिक्षा				
शुरू किए गए वयस्क साक्षरता केन्द्र	40,704	68,369	15	20
साक्षर हुए वयस्कों की संख्या	8,81 420	9,54,734	318	314
खोले गए वाचनालय (संख्या)	16535	13,479	5 9	5 2
शुरू किए गए युवक और किसान क्लब				
(क) संख्या	46,170	38,583	16 6	13
(ख) सदस्य संख्या	8,73,290	6,31 082	332	252
कार्यशील ग्राम सहायक कैम्प लगाए गए कैम्प				
(क) संख्या	28,068	13,131	10	5 3
(ख) प्रशिक्षित कार्यशील नेता	9,26,000	4,93,000	338	200
5. महिला-कार्यक्रम				
शुरू की गई महिला समितियां/मण्डल	14,300	16,392	5 1	5 5
उनकी सदस्य-संख्या	2,53,360	2,91 660	92	100
शुरू की गई बाल-वाड़ियां	7 111	9 132	2 9	3
उनमें उपस्थित बच्चों की संख्या महिला कैम्प	1 58,540	1 96,580	63	65
लगाए गए कैम्पों की संख्या	2,813	2,592	1 2	1
उनमें भाग लेनेवाली महिलाओं की संख्या	81 800	93,660	34	37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई				
ग्राम-शौचालय— निर्माण-संख्या	1 40 940	1 13,160	51	37
पक्की नालियां— निर्मित (गज)	17 49,800	14,89 200	621	560
पक्की बनाई गई ग्रामीण गलियां (वर्गगज)	16,54,000	17 60 870	588	563
पीने के पानी के कुएं— निर्माण-संख्या	*38,470*	*37 440*	*14*	*12*
पीने के पानी के कुएं— जिनकी मरम्मत की गई	46,180	40,390	16	13
संचार-साधन				
बनाई गई कच्ची सड़कें (मील)	16,263	15,836	5 8	5
मौजूदा कच्ची सड़कों का सुधार (मील)	27 297	28,721	9 9	9 3
पुलियां—निर्माण-संख्या	19 860	22,099	7 1	7 1
सामान्य				
खण्ड विकास समिति की बैठकों की संख्या	14,594	13,889	6 1	6 4

अध्याय 15

वित्त

सार्वजनिक वित्त

संविधान के अन्तर्गत धन एकत्र करने तथा व्यय करने का अधिकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांट दिया गया है। केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व के स्रोत भी प्रायः भिन्न हैं। इसलिए देश में एक से अधिक बजट तथा एक से अधिक राजकोष (सरकारी खजाने) हैं।

संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि (1) बिना कानूनी अधिकार के कोई कर लगाया अथवा उगाहा नहीं जा सकता (2) सरकारी निधियों में से व्यय केवल संविधान में उल्लिखित विधि के अनुसार ही किया जा सकता है तथा (3) कार्यपालिकाएं केवल संसद् द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार ही सरकारी धन व्यय कर सकती हैं।

केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व और व्यय दो अलग-अलग लेखों में दिखाया जाता है—(1) समेकित निधि तथा (2) सरकारी लेखा। 'भारत की समेकित निधि' में केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व, ऋण की राशि तथा ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि सम्मिलित है। इस निधि में से संसद् द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के बिना धन नहीं निकाला जा सकता। अन्य सभी प्राप्तियां और व्यय—यथा जमा राशियां, सेवा-निधि, प्रेषित राशियां आदि—सरकारी लेखे में डाले जाते हैं जिसके लिए संसद् की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिनके सम्बन्ध में 'वार्षिक विनियोजन अधिनियम' में कोई व्यवस्था नहीं होती, संविधान के अनुच्छेद 267 (1) के अनुसार एक 'भारतीय आकस्मिक निधि' भी है।

संविधान के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए भी एक-एक समेकित निधि तथा सरकारी लेखा बनाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, राज्यों में भी आकस्मिक निधियां हैं।

रेल विभाग के अपने अलग कोष और लेखे हैं। उसका बजट भी पृथक रूप से संसद् में प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट के विनियोजन और व्यय पर भी संसद् तथा लेखा-परीक्षक का नियन्त्रण उसी रूप में रहता है जिस रूप में अन्य विनियोजनों तथा व्यय पर।

राजस्व का वितरण

केन्द्रीय सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोत ये हैं: सीमा-शुल्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए उत्पादन-कर, निगम-कर तथा आय-कर (कृषि-आय पर लगाए जानेवाले करों को छोड़ कर)। सम्पदा-शुल्क तथा व्यय-कर से प्राप्त होनेवाला राजस्व भी केन्द्र को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रेल तथा डाक-तार विभाग भी केन्द्र के सामान्य राजस्व में अंशदान करते हैं।

राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत ये हैं: राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर तथा शुल्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए करों का अंश तथा केन्द्र से प्राप्त होनेवाला अनुदान। राज्यों के कर-राजस्व का 80 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग लगान, बिक्री-कर, राज्यीय उत्पादन-शुल्क, रजिस्ट्री तथा स्टाम्प

शुल्क और आय-कर तथा केन्द्रीय उत्पादन करों के अंश से प्राप्त होता है, जो राज्यों के कुल राजस्व का आधे से अधिक भाग है। सम्पत्ति-कर, चुंगी तथा सीमा-कर स्थानीय वित्त के मुख्य स्रोत हैं।

केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तान्तरण

भारत में संघीय वित्त प्रणाली की मुख्य बात केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तान्तरण है। करों आदि में अपने हिस्से के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अनुदान तथा विकास योजनाओं और पुनर्वास के लिए ऋण भी दिए जाते हैं। दूसरी योजना की अवधि में राज्यों को हस्तान्तरित किए गए संसाधन पहली योजना के मुकाबले दुगुने से भी अधिक थे जिनकी तफ्सील नीचे की सारणी में दी गई है—

सारणी 13

राज्यों को हस्तान्तरित संसाधन

(करोड़ रुपयों में)

	कर और शुल्क	राजस्व लेखे से अनुदान	पूंजीगत लेखे से अनुदान	केन्द्रीय सड़कनिधि से अनुदान	ऋण	जोड़
पहली योजना	326 7	248 0	23 8	15 9	798 5	1 412 9
दूसरी योजना	711 1	667 9	59 1	19 0	1 410 8	2,867 9
तीसरी योजना						
1961 62 (वास्तविक)	178 4	199 0	15 9	1 7	452 4	847 4
1962 63 (संशोधित)	224 1	208 6	22 9	3 7	523 1	982 4
1963-64 (बजट)	229 9	211 4	24 6	1 7	541 1	1 008 7

तीसरा वित्त आयोग

2 दिसम्बर, 1960 को तीसरा वित्त आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने 14 दिसम्बर 1961 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें सम्पदा-शुल्क रेल-यात्री-भाड़े पर कर से सम्बन्धित अनुदान आय-कर, केन्द्रीय उत्पादन-करों अतिरिक्त उत्पादन-करों तथा सहायता-अनुदान का राज्यों में वितरण करने के बारे में सिफारिशें की गई हैं।

वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट

प्रति वर्ष फरवरी के अन्त में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राक्कलित राजस्व तथा व्यय का विवरण संसद् में पेश किया जाता है जिसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' कहते हैं। राजस्व तथा व्यय के अनुमानों के अतिरिक्त इस विवरण में (1) पिछले वर्ष की वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा (2) पूर्वोक्त व्यय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी रहते हैं।

बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद् के दोनों सदनों में उस पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है तथा प्रभारित व्यय से भिन्न व्यय के अनुमान लोक-सभा में 'अनुदानों की मांगों' के रूप में रखे जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मन्त्रालय के लिए अनुदानों की मांग अलग-अलग की जाती

है। इस प्रकार, संसद् एक विनियोजन-अधिनियम पास करके प्रति वर्ष समेकित निधि में से धन निकालने का अधिकार प्रदान करती है। बजट के कर प्रस्ताव एक अन्य विधेयक में रखे जाते हैं, जिसे वर्ष के 'वित्त अधिनियम' के रूप में पास किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य सरकारें भी अपने-अपने विधानमण्डलों में वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पूर्व आय-व्यय का अनुमान प्रस्तुत करके उपर्युक्त संसदीय प्रणाली के अनुसार व्यय के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करती हैं।

लेखा-परीक्षा

संविधान में कहा गया है कि लेखा-परीक्षा करनेवाले अधिकारी जो कार्यपालिका के अधीन नहीं होते केन्द्र तथा राज्य सरकारों के हिसाब-किताब की जांच करें तथा देखें कि वे अपने अधिकार से बाहर जाकर कुछ भी व्यय न करें। संविधान ने यह भी आदेश दिया है कि प्रत्येक सरकार के व्यय का हिसाब-किताब उसके विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

बजट अनुमान 1963-64

28 फरवरी 1963 को लोक-सभा में प्रस्तुत 1963-64 के बजट अनुमानों में 1 852 40 करोड़ रु का व्यय तथा 1 585 73 करोड़ रु का राजस्व (वर्तमान करों के आधार पर) दिखाया गया है। 1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार व्यय तथा राजस्व क्रमशः 1 522 31 करोड़ रु तथा 1 500 25 करोड़ रु रहे। इस प्रकार, 1963-64 के बजट में 266 67 करोड़ रु का घाटा दिखाया गया है।

नीचे सारणी में केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1963-64 के लिए राजस्व लेखे का बजट दिया गया है।

सारणी 14

भारत सरकार का राजस्व और व्यय

(राजस्व लेखा)

(लाख रुपयों में)

राजस्व (1)	1961 62 लेखा (2)	1962-63 बजट (3)	1962-63 संशोधित (4)	1963-64 बजट (5)
सीमा-शुल्क	2,12,26	2,07 82	2,31 65	2,21 20 +8,739*
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	4,89 31	5,22,02	5,53,69	5,83,96 +1 06,61†
निगम-कर	1 56,46	1 78,45	1 87 50	1,96,00 +31 00*
आय-कर	1 65,39	1 63,36	1 72,50	1 79,00 +39,00*

*1963 के बजट प्रस्तावों का प्रभाव

†राज्यों को देय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (9.60 करोड़ रु) छोड़ कर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सम्पदा-शुल्क	4,21	4,00	4,00	4,00
सम्पत्ति-कर	8,26	9 00	9 00	9 00 +40*
व्यय-कर	84	10	20	10
दान-कर	1 01	85	95	95
अन्य शीर्षक	16,02	15,83	17 75	18,37 +1 50*
ऋण व्यवस्था	12 22	1 67 51	1 76,49	2,17 05
प्रशासनिक सेवाएं	84	6 11	6,75	6,76
सामाजिक तथा विकासीय सेवाएं	46,50	35,29	43,37	31 61
बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं, आदि	1	36	39	45
सरकारी निर्माण-कार्य आदि	3,88	4,02	4 11	4 38
परिवहन और संचार	2,59	6,30	6,67	7 46
मुद्रा और टकसाल	54,44	69 53	70 56	73,68
विविध	24,99	24,56	25,62	24 93
अंशदान और विविध समायोजन	21 31	24 41	26,20	27 66
असाधारण मदें	13,96	40,00	63,00	81 00
घटाइए—राज्यों को देय आय-कर का भाग	—93,85	—94 70	—95,27	—97 95
घटाइए—राज्यों को देय सम्पदा-शुल्क का भाग	—3,88	—3,88	—3,88	—3,88
योग—राजस्व	11 36,73	13,80 93	15 00,26	15,85 73 +2,65,90
राजस्व लेखे में घाटा	—	72	22,06	77
व्यय				
करों और शुल्कों का संग्रह	21 16	22,58	23,07	23,83
ऋण व्यवस्था	82,85	2,47 90	2,46,03	2,80,24
प्रशासनिक सेवाएं	59 17	70 31	76,39	88,28
सामाजिक तथा विकासीय सेवाएं	1 49 89	1 63 24	1,57 28	1 55,40
बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं, आदि	1 10	1 57	78	1 96
सरकारी निर्माण-कार्य आदि	19 26	21 88	23,71	20 94

*1963 के बजट प्रस्तावों का प्रभाव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिवहन और संचार	6,04	8,75	8,75	8 79
मुद्रा और टकसाल	11 69	20,23	22,96	17 24
विविध	78,73	1 08,45	1,08,44	1 10,98
अनुदान और विविध समायोजन	2,78,66	3,30,97	3,38,50	3,49,04
असाधारण मदें	13,78	41 40	64,61	86,19
प्रतिरक्षा सेवाएं (शुद्ध)	2,89,54	3 43,37	4,51,81	7 08,51
कुल व्यय	10,11 88	13,81 65	15,22,31	18,52,40
राजस्व लेखे में बचत	1 24,85	—	—	—

भारत सरकार का पूंजीगत बजट

1963-64 में भारत सरकार के पूंजीगत बजट में 2,08,697 लाख रुपये की वसूली तथा 1 82,025 लाख रुपये के वितरण का अनुमान है। 1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 1 55,892 लाख रुपये की वसूली और 1 53,664 लाख रुपये के वितरण का अन्दाजा लगाया गया है।

केन्द्र और राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति

अगले पृष्ठ की सारणी में भारत सरकार की 1950-51 1961 62 और 1962-63 की बजट सम्बन्धी स्थिति का विवरण दिया गया है।

सारणी 15

भारत सरकार की बजट सम्बन्धी स्थिति

(करोड़ रु०)

	1950-51	1961-62		1962-63
	लेखा	बजट	संशोधित	बजट
1 राजस्व लेखा				
(क) राजस्व*	405 86	920 35	978 33	1 236 11†
(ख) व्यय‡	346 64	925 92	944 37	1 236 09
(ग) बचत (+) या घाटा (—)	+59 22	—5 57	+33 96	+0 02
2 पूंजी-लेखा				
(क) आय§	104 45	1 150 12	1 100 35क	1 313 0[illegible]
(ख) व्यय	182 59	121 93	1 57 30	1 402 83
(ग) बचत (+) या घाटा (—)	—78 14	—83 81	—156 95	—89 81
3 विविध (शुद्ध) ख	+15 6	—0 78	+1 69	+0 95
4 कुल बचत (+) या घाटा (—)	—3 68	—70 16	—1[illegible]1 30	—88 84
निम्न लिखित द्वारा पूरा किया गया				
(क) राजकोष हुण्डियां @ वृद्धि (+) कमी (—)	—16 10	—64 00	—126 00	—89 00
(ख) नकद शेष वृद्धि (+) कमी (—)	+12 44	—6 16	+4 70	+0 16
(1) पूर्वशेष	149 50	50 59	45 22	49 92
(2) अंतिमशेष	161 94	44 23	49 92	50 08

टिप्पणी 1962-63 के बजट अनुमान वे हैं जो लोक-सभा में प्रस्तुत किए गए।

* उत्पादन शुल्कों तथा अन्य करों में राज्यों का भाग छोड़ कर

† बजट प्रस्तावों के प्रभाव सहित

‡ आय कर-शुल्कों तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों में राज्यों का भाग छोड़ कर

§ राजकोष हुण्डियों से हुई शुद्ध आय के अतिरिक्त

क फरवरी 1962 में निकलने वाली 50 करोड़ रु० की राजकोष-हुण्डियों को छोड़ कर

ख इंग्लैण्ड तथा भारत के बीच समझौता का प्रभाव

@ अधिक तर रिज़र्व बैंक को बेची गई।

नीचे सारणी में 1951 52, 1960-61 और 1961 62 में राज्यों की बजट सम्बन्धी सम्मिलित स्थिति का विवरण दिया गया है

सारणी 16

राज्यों की बजट सम्बन्धी सम्मिलित स्थिति

(करोड़ रु)

	1951 52 लेखा	1960-61		1961 62 बजट
		बजट	संशोधित	
1 राजस्व लेखा				
राजस्व	396 4	943 0	1 010 8	1 021 4
व्यय	392 6	949 2	996 9	1 057 4
बचत (+) अथवा घाटा (—)	+3 8	+2 8	+13 9	—36 0
2 पूंजी लेखा				
आय	135 0	526 7	545 7	613 3
व्यय	188 7	582 6	646 7	643 2
बचत (+) अथवा घाटा (—)	—53 7	—55 9	—101 0	—29 9
3 विविध (मुद्रा)	+1 6	+1 1	—4 6	—0 7
4 कुल बचत (+) या कमी (—)	—48 3	—52 0	—91 7	—66 6
5 नकद बाकी में वृद्धि (+) अथवा कमी (—)	—10 8	+11 3	—14 2	—46 7
(क) पूर्वशेष	61 5	—11 1	—	—14 2
(ख) इतिशेष	50 7	0 2	—14 2	—60 9
6 प्रतिभूतियों की खरीद (+) या बिक्री (—)	—37 6	—63 3	—77 5	—19 9

सार्वजनिक ऋण

भारत सरकार की ब्याजवाली देनदारियां जो 1961-62 के अन्त में 6,794 करोड़ रुपये की थी बढ़ कर 1962-63 के अन्त में 7 691 करोड़ रुपये की हो गई और अनुमान है कि 1963-64 के अन्त तक ये 9 056 करोड़ रुपये की हो जाएगी। 1962-63 के अन्त में बाह्य देनदारियां 1 358 करोड़ रुपये की थी।

इन देनदारियों के मुकाबले में मार्च 1963 के अन्त में भारत सरकार की ब्याजवाली परिसम्पदाएं 6,496 करोड़ रुपये की थी जो पिछले वर्ष की परिसम्पदाओं से 799 करोड़ रुपये अधिक थी। 1963-64 में ब्याजवाली परिसम्पदाएं बढ़ कर 7 380 करोड़ रु की हो जाने की आशा है।

नीचे की सारणी में केन्द्रीय सरकार की ब्याजवाली देनदारियों तथा ब्याजवाली परिसम्पदाओं का विवरण दिया गया है

सारणी 17
केन्द्रीय सरकार की देनदारियाँ तथा परिसम्पदाएं

(करोड़ रु.)

	1938-39 (युद्ध-पूर्व वर्ष)	1962-63 (संशोधित)	1963-64 (बजट)
(1)	(2)	(3)	(4)
ब्याजवाली देनदारियाँ (भारत में)			
कुल सार्वजनिक ऋण	484 17	4,266 02	4,937 25
कुल अनिधिबद्ध (अनफण्डेड) ऋण	225 13	1 889 89	2,136 61
कुल जमा राशियाँ	27 34	176 53	212 .3
कुल देनदारियाँ (भारत में)	736 64	6 332 44	7 286 09
(भारत से बाहर सरकारी ऋण)			
सार्वजनिक ऋण			
रक्षा-बचतपत्र	—	0 02	0 04
अमरिका से ऋण	—	571 83	726 69
अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक से ऋण	—	86 90	95 46
रूस से ऋण	—	104 95	164 30
इंग्लैण्ड से ऋण	444 32	168 55	192 89
कनाडा से ऋण	—	11 22	8 83
पश्चिम-जर्मनी से ऋण	—	155 38	149 94
जापान से ऋण	—	24 26	33 07
स्विट्ज़रलैण्ड से ऋण	—	0 50	4 50
चेकोस्लोवाकिया से ऋण	—	0 50	2 70
युगोस्लाविया से ऋण	—	0 25	3 5
पोलैण्ड से ऋण	—	0 53	2 18
आस्ट्रिया से ऋण	—	—	1 00
कुवैत सरकार से ऋण	—	8 92	25 71
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से ऋण	—	184 31	188 70
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण	—	15 20	50 3

(1)	(2)	(3)	(4)
बैंक आफ इण्डिया टोकियो से ऋण	—	0 06	0 05
नए ऋण	—	5 00	120 00
भारत से बाहर प्राप्त कुल ऋण	444 32	1 358 38	1 769 54
कुल ब्याजवाली देनदारियां	1 180 98	7 690 82	8,055 63
ब्याजदायी परिसम्पदाएं			
कुल ब्याजदायी परिसम्पदाएं	896 65	6,495 96	7 380 07
राजकोष में नकदी और प्रतिभूतियां	30 30	101 93	115 90
ब्याजवाली शेष देनदारियां जिनकी व्यवस्था उपर्युक्त परिसम्पदाओं में नहीं है	254 01	1 092 93	1 559 66

नीचे की सारणियों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ऋण-स्थिति का विवरण दिया गया है

सारणी 18

भारत सरकार की ऋण-स्थिति

(करोड़ रुपये)

मार्च के अन्त में	कुल ऋण	प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा ह्रास (—)	विदेशी ऋण	
			कुल	उसमें से डालर ऋण
1951	2,773 65	+2 3	49 81	24 60
1956	3,070 26	+7 8	136 81	117 57
1962	6,847 78	+6 7	1 110 55	650 95

सारणी 19

राज्यों की ऋण-स्थिति*

(करोड़ रुपये)

	1951 52	1955-56	1961 62 (संशोधित अनुमान)
1 सरकारी ऋण			
(क) स्थायी ऋण	133 71	264 48	569 87
(ख) अस्थिर ऋण	15 66	8 20	20 28
(ग) केन्द्रीय सरकार से ऋण	238 54	876 07	2,276 33
(घ) अन्य ऋण	—	—	62 41
2 अनिधिबद्ध ऋण	57 37	83 19	144 06
3 कुल ऋण	445 28	1 231 94	3 072 95

परोक्ष कर

कराधान जांच समिति द्वारा 1953-54 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार औसत परिवार को उपभोक्ता व्यय का 3 6 प्रतिशत परोक्ष कर के रूप में देना पड़ता था। 1958-59 में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किए गए एक ऐसे ही अध्ययन से पता चला है कि उस वर्ष औसत परिवार को उपभोक्ता व्यय का 5 7 प्रतिशत परोक्ष कर के रूप में देना पड़ा।

द्रव्य-उपलब्धि तथा मुद्रा

1962 के दौरान लोगों के पास उपलब्ध द्रव्य में 279 3 करोड़ रुपये** की वृद्धि हुई। 1961 और 1960 में यह वृद्धि क्रमशः 164 करोड़ रुपये† तथा 206 7 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, द्रव्य-उपलब्धि में वार्षिक वृद्धि जो 1961 में 6 प्रतिशत तथा 1960 में 8 3 प्रतिशत थी 1962 में 9 8 प्रतिशत हो गई। लोगों के पास मुद्रा में 126 4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और जमा राशि में 37 6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

मुद्रा (करेंसी)

1962 के दौरान जनता के पास उपलब्ध मुद्राएँ (छोटे सिक्कों को मिला कर) में 188 करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई जिससे मुद्रा-चलन 2,308 4 करोड़ रुपये का हो गया। मुद्रा-चलन में यह

*1951 52 तथा 1955-56 के आंकड़ों में 'घ' भाग के राज्य सम्मिलित नहीं हैं। 1961 62 के आंकड़े पुनर्गठित राज्यों के हैं तथा इनमें जम्मू-कश्मीर सम्मिलित है।

**ये आंकड़े छोटे सिक्के के प्रचलन को सम्मिलित करने के लिए संशोधित हैं।

†अप्रैल से जून 1961 के मध्य में भारत को कवत से अपनी मुद्रा (34 3 करोड़ रुपये) वापस ले लेनी पड़ी अन्यथा यह वृद्धि और अधिक होती।

‡इसमें बैंकों और राजकोषों में पड़े नोट और रुपये के सिक्के सम्मिलित हैं पर पाकिस्तान के छोड़े हुए 43 करोड़ रुपये के नोट सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें रद्द किया जाता है।

वृद्धि 1961 (126 2 करोड़ रुपये) से लगभग दुगोनी है। 1955 से मुद्रा-सचलन में लगातार वृद्धि हो रही है। 1962 के अन्त तक यह वृद्धि 1,079 3 करोड़ रुपये (लगभग 87 8 प्रतिशत) हो गई। 1962 में नोटों की सचलन-राशि में 178 6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान एक रुपये के सिक्के (एक रुपये के नोट सहित) में 4 7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

दशमिक सिक्के

दशमिक सिक्का प्रणाली के अन्तर्गत नया रुपया पहली बार 2 जुलाई, 1962 को जारी किया गया। दिसम्बर 1962 के अन्त तक जारी किए गए दशमिक सिक्कों का मूल्य 6 45 लाख रुपये था। अक्तूबर 1962 तक जारी किए गए 50 नए पैसे और उससे छोटे मूल्य के दशमिक सिक्कों का विवरण इस प्रकार है

सिक्का	लाख रुपयों में मूल्य
1 नया पैसा	271 32
2 नए पैसे	261 51
5 नए पैसे	477 36
10 नए पैसे	825 34
25 नए पैसे	753 51
50 नए पैसे	405 79
कुल	2,994 83

एस्कूडो नोट और सिक्के

दिसम्बर 1961 में गोआ, दमन और दियू की मुक्ति के उपरान्त शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार इन प्रदेशों में भारतीय मुद्रा और पुर्तगाली भारतीय एस्कूडो का प्रचलन वैध करार दिया गया। 6 एस्कूडो एक रुपया के बराबर माने गए। 18 मई, 1962 से एस्कूडो नोटों और सिक्कों का प्रचलन रोक दिया गया। पर भारतीय मुद्रा में उनके परिवर्तन की सुविधा 1962 के पूरे वर्ष तक दी गई, जिस दौरान 947 54 लाख रुपये मूल्य के एस्कूडो सिक्के भारतीय सिक्कों से बदले गए।

बैंकिंग

1962 के दौरान बैंकिंग-व्यवस्था की मुख्य बात यह रही कि इस अवधि में जमा-राशियों में वृद्धि की दर बढ़ी। इस वर्ष अनुसूचित बैंकों की जमा देनदारियां 213 करोड़ रुपये अर्थात् 11 6 प्रतिशत बढ़ीं जबकि 1961 में यह वृद्धि 66 करोड़ रुपये अर्थात् 3 8 प्रतिशत थी। निश्चित अवधिवाली जमा-राशियों में भी अच्छी वृद्धि (124 करोड़ रु) हुई। जमा राशियों में वृद्धि की दर में वृद्धि इस बात की सूचक है कि जमा बीमा की पुरस्थापना से बैंकों में जनता के विश्वास को मज़बूत बनाया है। अनुसूचित बैंक-उधार में 146 करोड़ रुपये (11 4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि 1961 में 105 करोड़ रुपये (9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। उधार की उल्लेखनीय राशि

में अधिक विस्तार होने के बावजूद बैंक अपने पूंजी-विनियोग में 73 करोड़ रु० की वृद्धि करने में समर्थ हुए, जब कि 1961 में इसमें 54 करोड़ रुपये की कमी आ गई थी।

वर्ष के दौरान अनुसूचित बैंकों की आरक्षित निधि में 23 करोड़ रुपये की कमी हुई जब कि गत वर्ष 6 करोड़ रुपये की कमी हुई थी। अनुसूचित बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक से लिए जानेवाले उधार में 2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जब कि गत वर्ष 43 करोड़ रुपये की कमी आ गई थी।

1962 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में एक बैंक सम्मिलित किया गया जब कि इसमें से तीन बैंक निकाल दिए गए। इस प्रकार, अनुसूचित बैंकों की संख्या 83 से घट कर 81 रह गई। 1962 में भारतीय स्टेट बैंक की 82 और अन्य बैंकों की 167 शाखाएं खोली गईं। फलस्वरूप दिसम्बर 1962 के अन्त में अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 4,630 हो गई।

गारण्टी संगठन

रिज़र्व बैंक ने सरकार के एजेण्ट के रूप में 1 जुलाई, 1960 से दो वर्षों के लिए परीक्षण के तौर पर एक योजना आरम्भ की जिसके अधीन स्वीकृत ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिए जानेवाले ऋण तथा अग्रिमों की गारण्टी करने की व्यवस्था की गई है। आरम्भ में यह योजना 22 चुने हुए जिलों में लागू की गई। बाद में इसमें 30 और जिले सम्मिलित कर लिए गए, जिससे यह देश में लघु उद्योगों के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में लागू हो गई है। योजना के अधीन ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के लिए स्टेट बैंक उसकी शाखाएं, 49 अन्य अनुसूचित बैंक 21 राज्य सहकारी बैंक 14 राज्य वित्त निगम और मद्रास औद्योगिक पूंजी-विनियोग निगम चुने गए हैं। इस योजना में अन्य संस्थान भी भाग ले सकते हैं।

1962 के अन्त तक गारण्टी संगठन को कुल 16.38 करोड़ रुपये की राशि की गारण्टी के लिए 4,266 आवेदनपत्र प्राप्त हुए तथा इसने 13.95 करोड़ रुपये की राशि की 3,955 गारण्टियां जारी कीं।

रिज़र्व बैंक की ऋण तथा द्रव्य-नीति

रिज़र्व बैंक की संयमशाली द्रव्य-नीति जारी रही। 2 जुलाई, 1962 से उधार देने की दरों की त्रिसूत्री प्रणाली के स्थान पर एक अनुसूची प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के अधीन बैंकों को अपनी औसत अनुविहित सुरक्षित निधि का 5 प्रतिशत भाग तक बैंक-दर पर, अन्य 25 प्रतिशत बैंक-दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर और अन्य 50 प्रतिशत बैंक-दर से 2 प्रतिशत अधिक दर पर उधार लेने की अनुमति दी गई। इससे अधिक उधार बैंक-दर से ढाई प्रतिशत अधिक दर पर लिया जा सकता है।

फिर, उत्तरी सीमा पर संघर्ष आरम्भ होने के कारण रिज़र्व बैंक द्वारा लिए जानेवाले उधार की मात्रा पर और अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया। 31 अक्तूबर 196 को बैंकों को सूचित किया गया कि साधारणतया वे अपनी अनुविहित सुरक्षित निधि के 100 प्रतिशत के बराबर ही उधार ले सकते हैं।

2 जनवरी 1963 को बैंक-दर आधा प्रतिशत बढ़ा कर 4½ प्रतिशत कर दी गई।

विशिष्ट उधार-नियंत्रण

1962 के प्रारम्भ में विशिष्ट उधार नियन्त्रण के क्षेत्र में कुछ रियायतें दी गई। जनवरी में ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के साधारण शेयरों पर पेशगी देने सम्बन्धी न्यूनतम सीमा सम्बन्धी छूट 50 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत कर दी गई। कुछ धनाजों की आपूर्ति और मूल्य सम्बन्धी स्थिरता को देखते हुए उन पर पेशगी देने की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई।

वर्ष के अन्त में उत्तरी सीमा पर संघर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए 1963 के प्रारम्भ में विशिष्ट उधार के नियम कुछ कड़े कर दिए गए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में अनाज की आपूर्ति ठीक रखने के लिए असम के बैंकों को उधार देने की राशि उच्चतम सीमा से अधिक रखने की भी छूट दी गई।

जमा बीमा निगम

जमा बीमा निगम की स्थापना 1 जनवरी 1962 को हुई थी। इस निगम का काम किसी बैंक के फेल हो जाने की स्थिति में उसमें रुपये जमा करनेवालों को उनकी जमा रकम की सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अधीन सभी कार्यरत बैंकों का बीमा कर दिया गया है और किसी बैंक के फेल होने की स्थिति में उसमें रुपये जमा करनेवालों को (केन्द्रीय और राज्य सरकारों विदेशी सरकारों और बैंकों को छोड़ कर) अपनी जमा राशि या 1,500 रुपये जो भी कम हो मिल जाएगी। इस निगम की पूंजी एक करोड़ रुपये की है।

बैंकिंग सम्बन्धी विधान

1962 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1934 और बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 में कुछ संशोधन किए गए, ताकि बैंक-व्यवसाय सुदृढ़ हो और अनुसूचित बैंक निर्यातकर्ताओं को अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि के लिए उधार दे सकें।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में हुए एक विशेष महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार हर अनुसूचित बैंक को भारत स्थित अपनी सभी देनदारियों का तीन प्रतिशत भाग औसत रूप से प्रतिदिन रिजर्व बैंक में जमा रखना होगा। पहले बैंकों को अपनी नियतकालिक देनदारियों का दो प्रतिशत भाग और अन्य देनदारियों का पांच प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक में रखना पड़ता था।

अधिनियम में जोड़े गए एक विशेष अध्याय के द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिल गया है कि वह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार सम्बन्धी सूचनाएं एकत्र करे और आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें प्रकाशित कर दे।

नियमित क्षेत्र

31 दिसम्बर 1962 को भारत में ज्वायंट स्टाक कम्पनियों की कुल संख्या 25,254 थी। इनकी कुल चुकती पूंजी 1,997.7 करोड़ रुपये थी। इन कम्पनियों में से 6,013 सार्वजनिक कम्पनियां तथा 19,241 प्राइवेट कम्पनियां थीं जिनकी चुकता पूंजी क्रमश: 978.7 करोड़ तथा 1,019 करोड़ रुपये थी। इनके अतिरिक्त लाभ न कमानेवाली संस्थाओं तथा लिमिटेड कम्पनियों की संख्या 1,181 थी।

अप्रैल-अक्तूबर 1962 की अवधि में 1 156 नई कम्पनियां रजिस्टर हुई जिनकी कुल अभिकृत पूंजी 212 59 करोड़ रुपये थी। इनमें से 187 सार्वजनिक तथा 969 प्राइवेट कम्पनियां थी जिनकी अभिकृत पूंजी क्रमशः 151 67 करोड़ रु तथा 60 92 करोड़ रु की थी।

सरकारी कम्पनियां

सितम्बर 1962 के अन्त में देश में सरकारी कम्पनियों (अर्थात् ऐसी कम्पनियां जिनमें 51 प्रतिशत अथवा अधिक हिस्सा-पूंजी केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की अथवा दोनों की है) की संख्या 145 थी। इनकी चुकती पूंजी 688 4 करोड़ रुपये थी। इनमें से 37 कम्पनियां केन्द्रीय सरकार की हैं 37 राज्य सरकारों की हैं 4 केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सम्मिलित हैं 3 केन्द्रीय सरकार और प्राइवेट हितों के साझे में हैं 67 राज्य सरकारों और प्राइवेट हितों के साझे में हैं तथा 7 कम्पनियां केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं प्राइवेट हितों के साझे में हैं।

विदेशी कम्पनियां

31 मार्च 1962 को ऐसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की संख्या जिनकी स्थापना भारत से बाहर हुई थी 585 थी। इनमें से 383 कम्पनियां ब्रिटेन की थी और 68 अमेरिका की। अप्रैल-सितम्बर 1962 की अवधि में 22 विदेशी कम्पनियों (9 ब्रिटेन की 4 अमरिका की 2 युगोस्लाविया की 2 पश्चिम-जर्मनी की और एक-एक इटली नीदरलैण्ड स्वीडन लेबनान तथा पनामा की) ने भारत में काम शुरू किया।

बीमा व्यवसाय

1 सितम्बर, 1956 से अर्थात् जब से भारतीय जीवन-बीमा निगम की स्थापना हुई, देश में जीवन-बीमा व्यवसाय मुख्य रूप से निगम और कुछ सीमा तक भारत सरकार के डाक तथा तार विभाग और कुछ राज्य सरकारों के हाथ में है।

आग समुद्री तथा अन्य विविध प्रकार का बीमा व्यवसाय भारतीय कम्पनियों तथा भारत स्थित विदेशी कम्पनियों के हाथ में है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने भी इस व्यवसाय को हाथ में ले रखा है।

सरकारी बीमा योजनाएं

आन्ध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश केरल जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश मैसूर तथा राजस्थान की सरकारें जीवन-बीमा व्यवसाय करती हैं जिनका लाभ केवल उनके अपने कर्मचारियों को मिलता है। 1 सितम्बर, 1956 से भारतीय जीवन-बीमा निगम ने भारत में जीवन-बीमा व्यवसाय का अधिकार एकमात्र अपने लिए सुरक्षित कर लिया किन्तु 'जीवन-बीमा निगम अधिनियम' के अधीन राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से जीवन-बीमा करने का कार्य कर सकती हैं।

भारतीय बीमा संघ

भारत में जीवन-बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बीमा संघ की जीवन-बीमा परिषद् न काम बन्द कर दिया पर उसकी सामान्य बीमा-परिषद् काम कर रही है।

अनिवार्य पुनः बीमा

बीमा (संशोधन) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जो 1 अप्रैल 1961 से लागू हो गया है, प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए अपने व्यवसाय के उस भाग का जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करेगी और जो उसके व्यवसाय का तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा अनिवार्य रूप से बीमा करवाना आवश्यक कर दिया गया है।

सामान्य बीमा

बीमा कम्पनियां

31 दिसम्बर, 1962 को भारत में बीमा अधिनियम 1938 के अधीन दर्ज भारतीय तथा अभारतीय बीमा कम्पनियों की संख्या क्रमशः 78 और 70 थी।

इसके अतिरिक्त जीवन तथा विविध बीमा व्यवसाय के लिए भारतीय जीवन-बीमा निगम का नाम भी इस अधिनियम के अधीन दर्ज किया गया है।

1961 में आग समुद्री और विविध बीमा व्यवसाय से भारतीय बीमा कम्पनियों को शुद्ध (नेट) प्रीमियम के रूप में भारत में कुल 23 50 करोड़ रु. और भारत से बाहर 15 98 करोड़ रु की आय हुई। अभारतीय बीमा कम्पनियों ने भारत में 8 44 करोड़ रु शुद्ध प्रीमियम के रूप में अर्जित किए।

परिसम्पत्तियां तथा विनियोग

31 दिसम्बर, 1961 को भारतीय बीमा कम्पनियों के सामान्य बीमा व्यवसाय की कुल परिसम्पत्तियां 72 69 करोड़ रु के मूल्य की थी। 1960 तथा 1959 के अन्त में इनकी परिसम्पत्तियों का मूल्य क्रमश 64 38 करोड़ रु तथा 57 04 करोड़ रु था।

जीवन-बीमा व्यवसाय

भारतीय जीवन-बीमा निगम की स्थापना 1 सितम्बर, 1956 को हुई तथा 245 बीमा कम्पनियों (जिनमें 3 राज्य बीमा विभाग थे) की समस्त परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का दायित्व उसने ग्रहण कर लिया।

नया व्यवसाय

1961 में 702 93 करोड़ रु के बीमा सम्बन्धी 16,69,594 प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 608 82 करोड़ रु की 14,69,664 पालिसियां जारी की गई। 1960 में कुल 568 40 करोड़ रु के 14,24,327 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा 497 54 करोड़ रु की 12,57 557 पालिसियां जारी की गई थीं।

कुल व्यवसाय

1961 के अन्त में भारत में 2,623 करोड़ रुपये के बीमे की 83 36 लाख पालिसियां तथा

भारत से बाहर 114 करोड़ रु. के बीमे की 2.41 लाख पालिसियां थीं। इस प्रकार, वर्ष के अन्त में कुल व्यवसाय 2,737 करोड़ का था।

पूंजी-विनियोग

31 दिसम्बर, 1961 को भारतीय जीवन-बीमा निगम ने विभिन्न मदों पर भारत में 565.70 करोड़ रु. का तथा भारत से बाहर 15.67 करोड़ रुपये का पूंजी-विनियोग कर रखा था।

अध्याय 16

कृषि

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनता अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर करती है तथा देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों से प्राप्त होती है। देश से निर्यात की जानेवाली अधिकांश वस्तुएं और सूती कपड़ा, पटसन तथा चीनी-जैसे कुछ बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। मूंगफली और चाय के उत्पादन में भारत का स्थान संसार भर में प्रथम है तथा लाख का उत्पादन तो प्रायः सारा का सारा भारत में ही होता है। चावल, पटसन, गन्ना, ज्वार, तिल, राई तथा सरसों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नम्बर पर है।

भूमि का उपयोग

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 80 63 करोड़ एकड़ है। इसमें से 72 61 करोड़ एकड़ भूमि अर्थात् कुल क्षेत्रफल के 90 1 प्रतिशत भाग के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। 1958-59 के आंकड़ों के अनुसार, उस वर्ष 13 01 करोड़ एकड़ भूमि में जंगल था, 9 74 करोड़ एकड़ भूमि में चरागाह, वृक्ष, कुंज आदि थे तथा 5 98 करोड़ एकड़ भूमि बंजर थी। इसके अलावा 11 47 करोड़ एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी। कुल 32 41 करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती थी।

सिंचित भूमि

कुल कृषि-अधीन भूमि में से लगभग 16 प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। 1950-51 में नहरों, ताल-तालाबों, कुओं आदि से 5 15 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। 1958-59 में सिंचाई-अधीन भूमि 6 78 करोड़ एकड़ हो गई।

भारत में कृषि की दो मुख्य विशेषताएं हैं एक तो यह कि इस देश में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं और दूसरी यह कि अन्य फसलों की अपेक्षा अनाज की फसलों को अधिक महत्व दिया जाता है।

फसलें

भारत में फसलों के दो मौसम हैं—खरीफ तथा रबी। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, तिल तथा मूंगफली खरीफ की मुख्य फसलें हैं और गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई तथा सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं।

मुख्य फसलों का क्षेत्र और पैदावार

1950-51 तथा 1961 62 में मुख्य फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन अगले पृष्ठ की सारणी में दिया गया है।

सारणी 20

मुख्य फसलों का क्षेत्र और पैदावार

फसल	क्षेत्र (हजार एकड़ में)		पैदावार (हजार टन में)	
	1950-51	1961 62	1950-51	1961 62
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चावल	7 61 35	8,36,69	2,02,51	3,36,10
ज्वार	3,84,77	4 30 74	54,08	76,64
बाजरा	2 22,96	2,70 27	25,54	35 02
मकई	78,07	1 10,40	17 02	40,00
रागी	54,44	57 10	14,07	17 49
राई	1 13,80	1 17 14	17 22	18,77
गेहूं	2,40,82	3 32,40	63,60	1 16,20
जौ	76,93	82,55	23,40	30,67
चना	1 87 06	2,40,78	35,93	58,54
अरहर	53,89	57 20	16,92	12,91
अन्य दालें	2,30 80	2 89 59	29 93	43,32
आलू	5,92	9 11	16,34	27 23
गन्ना	42,17	59 42	5,61 50	9,60 21
काली मिर्च	1 97	2,54	21	28
लाल मिर्च	14,64	15,16	3,45	3,63
सोंठ	40	44	14	17
तम्बाकू	8,83	10,25	2,57	3,39
मूंगफली	1 11 06	1 58,48	34,26	46,82
अरण्डी	13,72	11 08	1 01	1 01
तिल	54 45	55,61	4,38	3,66
राई और सरसों	51 18	75,98	7 50	12,85
अलसी	34 67	42,11	3,61	3,91
कपास	1 46,38	1 87 10	29,10 (हजार गाँठें)†	45,00 (हजार गाँठें)†
पटसन	14,11	25,59	32,83 (हजार गाँठें)‡	62,69 (हजार गाँठें)‡
मेस्ता	—	9,51	—	17 05 (हजार गाँठें)‡

†392 पौंड प्रति गाँठ

‡400 पौंड प्रति गाँठ

पैदावार

1961 62 में उससे पिछले वर्ष के मुकाबले में मौसम काफी खराब रहा। इस पर भी कृषि पैदावार पर अधिक असर नहीं पड़ा। अनाज की पैदावार म 1 4 प्रतिशत की मामूली कमी आई। इस प्रकार, यह 797 लाख टन से घट कर 786 लाख टन रह गई। पटसन और मेस्ता की पैदावार में 66 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो तीसरी योजना के लक्ष्य से भी अधिक है। मूंगफली की पैदावार में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लेकिन कपास और गन्ने की पैदावार में कुछ कमी हुई।

सूचकांक

कृषि पैदावार (सभी किस्मों) का सूचकांक 1955-56 में 116 8 था। 1960-61 में यह सूचकांक 139 9 था। 1961 62 में भी यह सूचकांक 139 9 ही रहा।

अनाज का आयात

1962 के दौरान अनाज के आयात के लिए तीन नए समझौते किए गए। इनम से एक कोलम्बो योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कनाडा से 19 700 टन गेहूं मंगाने के बारे में था और शेष दो बर्मा से क्रमश 2 लाख टन (1962 में) और 1 5 लाख टन (1963 से तीन वर्ष तक प्रति वर्ष) चावल मंगवाने के बारे में था। 1961 और उससे पहले हुए समझौतों के अधीन भी अमेरिका आदि से आयात जारी रहा।

अनाज की सामान्य स्थिति

1962 के दौरान अनाज की पैदावार में कमी होने के बावजूद सामान्य स्थिति सन्तोषजनक रही। ऐसा आयात बढ़ाने आन्तरिक सरकारी खरीद कम करने और देश में चावल तथा गेहूं का काफी बड़ी मात्रा में उचित वितरण करने के कारण हुआ। संकटकाल को ध्यान में रखते हुए सट्टेबाजी, आदि पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

विकास-कार्यक्रम

तीसरी योजना में सामुदायिक विकास योजनाओं के अधीन कृषि कार्यक्रम सहित कृषि पैदावार के कार्यक्रमों पर व्यय के लिए 601 56 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि दूसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 260 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इस राशि के अतिरिक्त सहकारिता के लिए भी 80 10 करोड़ रुपये तथा बड़ी-मझली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 599 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कृषि पैदावार बढ़ाने के मुख्य तकनीकी कार्यक्रम जिन पर विस्तृत कार्य किया जा रहा है, ये हैं—(1) छोटे सिंचाई-कार्य (2) भूमि-संरक्षण बारानी खेती और भूमि-सुधार, (3) खाद और उर्वरक की आपूर्ति (4) बीज-उत्पादन और वितरण (5) वनस्पति-संरक्षण (6) अच्छे हल और सुधरे हुए कृषि औजार तथा कृषि के वैज्ञानिक तरीके अपनाना। संकटकाल को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास-कार्यक्रम को और बढ़ावा दिया जा रहा है।

छोटे सिंचाई-कार्य

तीसरी योजना के अन्तर्गत 1 28 करोड़ एकड़ भूमि पर छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई

करने का लक्ष्य है जब कि दूसरी योजना में केवल 90 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य था। तीसरी योजना में छोटे सिंचाई-कार्मों के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

भूमि-संरक्षण बारानी खेती और भूमि-सुधार

तीसरी योजना में विभिन्न संरक्षण कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए 72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि पहली योजना मे केवल 1 6 करोड़ रुपये और दूसरी योजना में 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। संकटकाल के कारण भूमि-संरक्षण कार्यक्रम में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

सुधरे बीज

सुधरे बीजों के विकास तथा उनको लोकप्रिय बनाने के लिए दूसरी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों मे 4,000 बीज उत्पादन फार्म स्थापित करने का लक्ष्य था। बीज उत्पादन फार्मों की कार्य विधि मे सुधार करने और काश्तकारों में सुधरे बीजो के वितरण की व्यवस्था अच्छी करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम अपनाया गया है। सुधरे बीजों का इस्तेमाल बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों से कहा गया है कि वे सहकारी समितियो द्वारा सुधरे बीज खरीद कर काश्तकारों को सप्लाई करने में किए गए खर्च के निमित्त उन्हें दो रुपये प्रति मन की सहायता दें।

खाद तथा उर्वरक

वर्ष 1961 62 के दौरान 2,135 शहरी केन्द्रों में 29 50 लाख टन शहरी कम्पोस्ट तैयार की गई, जिसमें से लगभग 25 60 लाख टन कम्पोस्ट बांटी गई। 1962-63 में लगभग 31 लाख टन कम्पोस्ट खाद तैयार की गई। 70 मुख्य नगरो और कस्बों में मैला और गन्दगी के उपयोग की योजनाएं जारी हैं जिनमें लगभग 25 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए प्रतिदिन 20 करोड़ गैलन मैला और गन्दगीवाले पानी का उपयोग किया जाता है।

खाद तैयार करने के स्थानीय साधनों के विकास की तीन योजनाओं के अधीन 1 900 राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खण्डों में कम्पोस्ट तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है और 1 300 बड़ी पंचायतोंवाले क्षेत्र में मल-मूत्र की खाद तैयार की जाने लगी है। हरी खाद को लोकप्रिय बनाने की योजना 200 लाख एकड़ भूमि म जारी की गई है।

नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों का उपयोग काफी लोकप्रिय हो चुका है और 1962 63 में इनकी मांग काफी बढ़ी। इसके साथ ही उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई, परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण केवल 70 प्रतिशत माग पूरी की जा सकी।

कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी कीमत में कमी की गई। पहाड़ी इलाकों में उर्वरक ले जाने के खर्च में सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।

वनस्पति-संरक्षण तथा बिक्री-नियन्त्रण

वनस्पति-संरक्षण, संगरोध तथा भण्डार निदेशालय अपने 14 केन्द्रीय वनस्पति-संरक्षण केन्द्रों द्वारा फसलों में लगनेवाले कीड़ों तथा बीमारियों का नियन्त्रण करने के लिए तकनीकी परामर्श उपकरणो, कीटनाशकों तथा प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों के रूप में सहायता देता रहा। इन केन्द्रों ने चुने हुए ग्राम-पंचायत क्षेत्रों में विस्तृत वनस्पति-संरक्षण कार्य का भी संगठन किया।

वर्ष 1962-63 में 128 से ऊपर टिड्डी दल भारत में दाखिल हुए, परन्तु यथासमय नियन्त्रणमूलक उपाय किए जाने के फलस्वरूप टिड्डी दल को बढ़ने से रोक लिया गया और कहीं भी फसल की अधिक क्षति नहीं हुई।

भरपूर कृषि जिला कार्यक्रम

कुछ अनुकूल क्षेत्रों की उत्पादन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने की दृष्टि से फोर्ड फिफ्थान की वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 1961-62 में 'भरपूर कृषि जिला कार्यक्रम' योजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनाज के वर्तमान अभाव की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि करना और ऐसी वृद्धि के लिए प्रभावकारी उपायों का प्रदर्शन करना है। इसके अतिरिक्त, एक उद्देश्य यह भी है कि किसानों को ऋण बीज उर्वरक कीटनाशक ओषधियों तथा औजारों की सुविधाएं जुटाने के साथ-साथ उन्हें कृषि के सुधरे तरीके अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाए।

यह कार्यक्रम पांच वर्ष तक चलता रहेगा और इसके अन्तर्गत जिले में अनाज की सभी फसलों विशेषकर धान गेहूं और ज्वार, की ओर ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में पशु-सुधार कार्यक्रम तथा इससे सम्बन्धित गतिविधियों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

प्रारम्भ में यह योजना चुने हुए 7 जिलों—अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) तंजौर (मद्रास) *पश्चिम-गोदावरी (आन्ध्रप्रदेश) पाली (राजस्थान) रायपुर (मध्यप्रदेश) लुधियाना (पंजाब)* तथा शाहाबाद (बिहार)—में कार्यान्वित की गई। 1962-63 में यह कार्यक्रम अन्य राज्यों —मैसूर, गुजरात उड़ीसा और केरल—के पांच चुने हुए जिलों में (केरल में 2) खरीफ की फसल के साथ शुरू कर दी गई। इसी वर्ष पश्चिम-बंगाल में इसे रबी की फसल के साथ शुरू कर दिया गया। 1963-64 में इस योजना को महाराष्ट्र और असम में खरीफ की फसल के साथ और दिल्ली में उसके कुछ समय बाद चालू कर दिया जाएगा।

कृषि विपणन (मार्केटिंग)

देश में विपणन का समुचित प्रबन्ध करने का काम विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के जिम्मे है।

देश में कृषि उपज और पशुधन की दर्जाबन्दी कृषि उपज (दर्जाबन्दी तथा अंकन) अधिनियम 1937 के उपबन्धों के अनुरूप की जाती है। 'समुद्री चुंगी अधिनियम' के खण्ड 19 के अधीन तम्बाकू सन ऊन मूंगर के बाल चन्दन का तेल आदि वस्तुओं के निर्यात के लिए अनिवार्य दर्जाबन्दी की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार के लिए भी तेल मक्खन कपास अण्डे गेहूं का आटा चावल आलू तथा गुड़ और फलों आदि की दर्जाबन्दी की भी व्यवस्था है।

इस सिलसिले में नागपुर में एक केन्द्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला तथा गुन्टूर, मद्रास कोचिन कानपुर, राजकोट अमृतसर, कलकत्ता और बम्बई में आठ प्रादेशिक नियन्त्रण प्रयोगशालाओं के निर्माण की व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है।

देश में कृषि पैदावार के विपणन के लिए अच्छी मण्डियों की व्यवस्था करने की दिशा में अब तक 978 मण्डियों का विनियमन किया जा चुका है।

फल उत्पादन आदेश 1955

'फल उत्पादन आदेश 1955' के अधीन इस उद्योग में क्वालिटी नियन्त्रण लागू करने और

वैज्ञानिक ढंग से उसकी अभिवृद्धि करने का कार्य जारी रहा और पहले की तरह इस वर्ष भी 908 लाइसेंस दिए गए या नवीकृत किए गए तथा खाद्य पदार्थों के 2,665 नमूनों की जांच की गई।

वन उद्योग

भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल 2 74 लाख वर्गमील है जो देश की कुल भूमि का लगभग 22 प्रतिशत है। भारत का वन-क्षेत्र न केवल अनुपात की दृष्टि से छोटा है बल्कि हमारे वन यहां-वहां बड़े बेढंगे रूप से फैले हुए हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1952 के राष्ट्रीय वन-नीति प्रस्ताव में कहा गया था कि कुल भूमि के 33 3 प्रतिशत भाग में वन लगाए जाने चाहिएं।

उत्पादन

1957-58 में भारतीय वनों से लगभग 28,93,30 000 रु के मूल्य की 55,24,46,000 घन-फुट इमारती और दूसरी लकड़ी निकाली गई।

वनों से कागज दियासलाई तथा प्लाईवुड उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने के साथ-साथ गोंद राल (रेजिन) चमड़ा कमाने का सामान जड़ी-बूटियां आदि भी प्राप्त होती है। 1957-58 में वनों से लगभग 85,42,000 रु के मूल्य की उपर्युक्त तथा अन्य फुटकर वस्तुएं प्राप्त हुईं।

विकास योजनाएं

तीसरी योजना के अधीन राज्यों के वन उद्योग कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ फार्म वन का विकास कम वर्षा से पौधे लगाना सस्ता हालतवाले वनों का सुधार, वन-संचार साधनों और सड़कों का सुधार, वन सम्बन्धी अनुसन्धान का विकास तथा वन-संरक्षण के उपाय सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त जल्दी उगनेवाली किस्मों के सर्वेक्षण और रोपण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

पशु-पालन तथा मछली-पालन

1956 तथा 1961 की पंचवर्षीय पशुगणनाओं के अनुसार देश के पशुधन मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-औजारों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है

सारणी

पशुधन मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-औजारों की संख्या

	1956 की पशुगणना (लाख)	1961 की पशुगणना (लाख)
1	2	3
(क) पशुधन		
(1) गाय-बैल	15,87	17 57
(2) भैंस तथा भैंसे	4,49	5 11

1	2	3
(3) भेड़ें	3,92	4,03
(4) बकरे-बकरियां	5,64	6,09
(5) घोड़े और टट्टू	15	13
(6) अन्य पशु (खच्चर, गधे ऊंट और सूअर)	68	73
कुल पशुधन	30,65	33,65
(ख) मुर्गे-मुर्गियां	9,47	11 69
(ग) कृषि-औजार		
(1) हल		
लकड़ी के	3,86,15	3,83,24
लोहे के	13,67	22,99
(2) बैलगाड़ियां	1 09,91	1 20,71
(3) गन्ना पेरने के कोल्हू		
बिजलीवाले	23	33
बैलवाले	5,45	5,69
(4) तेल से चलनेवाले इंजन (सिंचाई के पम्प सहित)	1 22	2,30
(5) बिजलीवाले पम्प (सिंचाई के लिए)	47	1 60
(6) ट्रैक्टर (केवल कृषि के लिए)	21	34
(7) घानियां		
5 सेर तथा उससे अधिक की	96	77
5 सेर से कम की	2,12	1 70

तीसरी योजना में पशु-पालन के लिए लगभग 54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पशु-पालन का विकास करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का उद्देश्य देश में चुनी हुई नस्लों के पशुओं तथा अन्य पशुओं की किस्मों में सुधार करके उनकी दूध-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रग्राम योजना गोशाला विकास योजना तथा गोसदन योजना चलाई गई है।

केन्द्रग्राम योजना

दूध-उत्पादन में वृद्धि करने तथा गाय बैलों की दूध-उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पहली योजना में प्रारम्भ की गई अखिल भारतीय केन्द्रग्राम योजना का कार्य तीसरी योजना में भी काफी बड़े पैमाने पर जारी है। तीसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 5 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

चारा और पोषण

तीसरी योजना के अन्तर्गत पशु फार्मों में चारा-सुधार पर काम करने वालों में चारा

प्रदर्शन प्लाट स्थापित करने पोषण सामग्री बांटने साइलेज बना कर फालतू चारा सुरक्षित रखने चुने हुए पशुओं का सन्तुलित राशन पर पोषण करने सुधरे उत्पादन-ढंग अपनाने और चारा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 11 राज्यों और 2 संघीय क्षेत्रों में जारी है।

गोशाला विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत गोशालाओं में दूध-उत्पादन तथा अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने का काम किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 168 गोशालाओं के विकास करने का प्रस्ताव है।

गोसदन योजना

इस योजना का उद्देश्य गैर-जरूरी और नाकारा पशुओं को अलग करके दूर वन-क्षेत्रों में स्थापित गोसदनों में भेजना है।

डेरी-उद्योग

डेरी विकास कार्यक्रम में शहरी दूध प्लाट पशु-बस्तियां दूध-उत्पादन फैक्ट्रियां और ग्रामीण क्रीम केन्द्र ग्रामीण डेरी विस्तार की स्थापना और तकनीकी अमले का प्रशिक्षण सम्मिलित है।

शहरी दूध आपूर्ति योजना के अधीन 22 डेरियां काम करने लगी हैं और 13 अन्य स्थानों में प्लाट, आदि लगाने का काम किया जा रहा है। अनेक शहरों में तजुर्बे के तौर पर दूध योजनाएं शुरू की गई हैं। दूध प्लाट और तजुर्बाती दूध योजनाएं मिल कर रोजाना 6 5 लाख लिटर दूध का संग्रह तथा वितरण करती हैं।

सूअर विकास योजना

अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) और हरिणघाटा (पश्चिम-बंगाल) में दो प्रादेशिक सूअर नस्ल-सुधार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में दो और प्रादेशिक केन्द्र तथा सूअर मांस फैक्ट्रियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। 1961 62 में विभिन्न राज्यों में 5 बड़े केन्द्र और 10 सूअर-विकास खण्ड खोले गए।

मुर्गी-पालन

दूसरी योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र उड़ीसा मैसूर, हिमाचलप्रदेश और दिल्ली में पांच प्रादेशिक मुर्गी-पालन फार्म स्थापित किए गए। 1962-63 में इन केन्द्रों में 14 लाख अण्डों के उत्पादन का अनुमान है। 1961 62 में यह उत्पादन 7 7 लाख था। राज्य मुर्गी-पालन फार्मों और मुर्गी-पालन विस्तार केन्द्रों द्वारा 50 लाख अण्डा का उत्पादन किया गया जिनमें से 20 लाख चूजे पैदा करने के लिए वितरित किए गए। व्यापारिक स्तर पर मुर्गी-पालन को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष आठ भरपूर मुर्गी-पालन विकास खण्ड चार चारा उत्पादन यूनिट और अण्डा इकट्ठा करने उनकी दर्जाबन्दी और बिक्री के लिए तीन केन्द्र खोले गए।

मछली-पालन

1961 में 9.46 लाख टन मछली पकड़ी गई। पहली योजना के अन्त में यह मात्रा लगभग 10 लाख मीट्रिक टन थी जो 1957 में बढ़ कर 12 लाख मीट्रिक टन हो गई थी।

मछली और मछली से प्राप्त पदार्थ हमारे विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग है। 1961-62 के दौरान 3.91 करोड़ रुपये मूल्य की 16,457 टन मछली और मछली से प्राप्त पदार्थों का निर्यात किया गया और 3.87 करोड़ रुपये के मूल्य के 20,346 टन मछली से प्राप्त पदार्थों का आयात किया गया।

मछली-पालन विकास-कार्यक्रम के दो भाग हैं—समुद्री मछली-पालन और अन्तर्देशीय मछली-पालन। पहले भाग में मछली पकड़ने की नौकाओं के मशीनी संचालन, मछली पकड़ने के नए स्थानों की खोज करने, मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार करने, मछली-पालन के लिए आवश्यक सामान की सप्लाई बढ़ाने और मछली के परिरक्षण, परिवहन और वितरण की सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था की गई। अन्तर्देशीय मछली-पालन से सम्बन्धित योजनाओं का उद्देश्य सघन द्वारा उत्पादन बढ़ाना, मछली-पालन की तकनीक को बढ़ावा देना, मछली-बीज साधनों की खोज तथा जलाशयों में मछली-पालन का विकास है।

अब तक करीब 2,400 नौकाओं के मशीनी संचालन की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना के अन्त में यह संख्या 1,500 थी।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली-पालन अनुसन्धान संस्थान, बैरकपुर, और केन्द्रीय समुद्री मछली-पालन अनुसन्धान संस्थान, मण्डपम् कैम्प में क्रमशः अन्तर्देशीय मछली-पालन और समुद्री मछली-पालन के बारे में अनुसन्धान कार्य किया जाता है। अनुसन्धान के अन्य केन्द्र बम्बई का गहरा समुद्र मछली केन्द्र और, कोचीन, टूटीकोरिन, विशाखापट्टनम तथा मंगलौर के तट के निकटस्थ स्टेशन और कोचीन तथा एर्नाकुलम का केन्द्रीय मछली-पालन टक्नोलाजिकल अनुसन्धान स्टेशन हैं। जुलाई 1961 में बम्बई में केन्द्रीय मछली-पालन शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें 1962-63 में 48 व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे थे।

तीसरी योजना की मछली-पालन योजनाएं उत्पादन में वृद्धि और विदेशी व्यापार में विकास के उद्देश्य से बनाई गई हैं। मछुओं की हालत सुधारने की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है।

तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में चार लाख टन की वृद्धि होने तथा निर्यात अब से दुगुना हो जाने की आशा है।

कृषि-मजदूर

प्रथम कृषि-मजदूर जांच 1950-51 में 800 गांवों में की गई थी। दूसरी जांच 1956-57 में 3,600 गांवों में की गई और 28,660 कृषि-मजदूर परिवारों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किए गए। इस जांच की अखिल भारतीय रिपोर्ट 1960 में प्रकाशित हुई, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं

व्यवसायगत ढांचा

1956-57 में कृषि-मजदूर परिवारों की संख्या 1 63 करोड़ थी और 57 प्रतिशत कृषि-मजदूर परिवार भूमिहीन थे। 27 प्रतिशत परिवार नियमित रूप से खेती करते थे। प्रत्येक कृषि-मजदूर परिवार की औसत सदस्य संख्या लगभग 4 40 थी। प्रति परिवार कृषि-मजदूरों की औसत संख्या 2 03 थी जिसमें 1 13 पुरुष 0 74 स्त्रियां तथा 0 16 बच्चे थे।

रोजगार तथा बेरोजगारी

वर्ष 1956-57 में नैमित्तिक वयस्क पुरुष मजदूरों के पास औसतन 197 दिन काम रहा और 40 दिन वे अपने निजी काम में लगे रहे। नैमित्तिक वयस्क स्त्री मजदूरों के पास 141 दिन का काम रहा। बाल मजदूर 204 दिन काम करते रहे। नैमित्तिक वयस्क पुरुष मजदूर 128 दिन बेकार रहे।

मजदूरी

1956-57 में कृषि-मजदूर परिवारों की 81 प्रतिशत औसत आय कृषि-कार्यों तथा कृषि से भिन्न व्यवसायों से हुई। 48 7 प्रतिशत दिनों के काम की मजदूरी नकदी के रूप में मिली और 40 5 प्रतिशत दिनों के काम की मजदूरी जिंस के रूप में।

प्रत्येक वयस्क पुरुष तथा स्त्री मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी क्रमशः 96 नए पैसे तथा 59 नए पैसे थी। बाल मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी 53 नए पैसे रही।

पारिवारिक आय

1956-57 में प्रत्येक कृषि-मजदूर परिवार की औसत वार्षिक आय 437 रुपये रही।

उपभोग तथा जीवनयापन-व्यय

1956-57 में कृषि-मजदूर परिवार का औसत वार्षिक उपभोग-व्यय 617 रुपये था। परिवार की औसत वार्षिक आय 437 रुपये होने के फलस्वरूप प्रत्येक परिवार को 180 रुपये का घाटा रहा जो काफी हद तक पिछली बचतों तथा ऋणों आदि से पूरा हुआ।

ऋण

1956-57 में लगभग 64 प्रतिशत कृषि-मजदूर परिवारों पर ऋण का काफी भार रहा। ऐसे प्रत्येक परिवार पर औसतन 138 रुपये का ऋण रहा। कृषि-मजदूर परिवारों पर कुल ऋण अनुमानतः 143 करोड़ रुपये का था। ऋण का 46 प्रतिशत उपभोग-वस्तुओं पर खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रयोजनों पर 24 प्रतिशत उत्पादन-कार्यों पर 19 प्रतिशत तथा फुटकर कामों पर 11 प्रतिशत खर्च हुआ।

कुल ऋण में से 34 प्रतिशत महाजनों से 44 प्रतिशत मित्रों तथा सम्बन्धियों से 15

260 एकड़ उड़ीसा में 25 से 100 एकड़ उत्तरप्रदेश में 12½ एकड़ केरल में 15 से 37½ एकड़ गुजरात में 19 से 132 एकड़ जम्मू-कश्मीर में 22¾ एकड़ पंजाब में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ पश्चिम-बंगाल में 25 एकड़ बिहार में 20 से 60 एकड़ मद्रास में 24 से 120 एकड़ मध्यप्रदेश में 25 से 75 एकड़ महाराष्ट्र में 18 से 126 एकड़ मैसूर में 18 से 144 एकड़ राजस्थान में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ मणिपुर में 25 एकड़ हिमाचलप्रदेश के चम्बा जिले में 30 एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में 125 रु. मालगुजारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि और त्रिपुरा में 25 से 75 एकड़ निश्चित कर दी गई है।

वर्तमान जोतों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अधिकतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है असम में 50 एकड़ आन्ध्रप्रदेश में 27 से 324 एकड़ उड़ीसा में 25 से 100 एकड़ उत्तरप्रदेश में 40 एकड़ केरल में 15 से 37½ एकड़ गुजरात में 19 से 132 एकड़ जम्मू-कश्मीर में 22¾ एकड़ पंजाब में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ पश्चिम-बंगाल में 25 एकड़ बिहार में 20 से 60 एकड़ मद्रास में 24 से 120 एकड़ मध्यप्रदेश में 25 से 75 एकड़ महाराष्ट्र में 18 से 126 एकड़ मैसूर में 27 से 144 एकड़ राजस्थान में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ हिमाचलप्रदेश के चम्बा जिले में 30 एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में 125 रु. मालगुजारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि मणिपुर में 25 एकड़ और त्रिपुरा में 25 से 75 एकड़।

उड़ीसा में राज्य विधान-सभा अधिकतम सीमा को घटा कर 20 से 80 एकड़ करने सम्बन्धी एक विधेयक पर विचार कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून लागू करने का कार्य पूरा हो चुका है तथा 4.5 लाख एकड़ भूमि बांटी जा चुकी है। पश्चिम-बंगाल में सरकार ने 8.24 लाख एकड़ कृषि-भूमि प्राप्त की है, जो भूमिहीनों को तीन वर्ष के पट्टे पर दी जा रही है। पंजाब के भूतपूर्व पेप्सू क्षेत्र में 36,000 स्टैण्डर्ड एकड़ और भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र में 3,47,000 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि फालतू करार दी गई है। उत्तरप्रदेश में 67,951 एकड़ और आन्ध्रप्रदेश में 17,000 एकड़ भूमि फालतू करार दी गई है। असम बिहार गुजरात दिल्ली मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और त्रिपुरा के कुछ भागों में इस बारे में उपबन्ध लागू किए गए हैं नियम बनाए गए हैं और कानून को लागू करने की प्रारम्भिक कार्रवाई की गई है।

चकबन्दी

चकबन्दी की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। आयोजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि चकबन्दी का कार्य सामुदायिक परियोजना-क्षेत्रों में अवश्य किया जाना चाहिए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चकबन्दी सम्बन्धी कार्य 3 करोड़ एकड़ भूमि में पूरा हो चुका था। तीसरी योजना में 3 करोड़ एकड़ अन्य भूमि में चकबन्दी करने का उद्देश्य रखा गया है।

भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन

उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों, अनियमित हस्तान्तरणों तथा पट्टों का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि जोतों के उत्तरोत्तर छोटे-छोटे टुकड़े होते चले गए, जिससे कृषि-पैदावार को

स्त पक्का लगा। अतः सरकार की नीति यह है कि हस्तान्तरण विभाजन तथा पट्टों का दमन करके इस प्रवृत्ति को रोका जाए।

इस सम्बन्ध में असम उड़ीसा उत्तरप्रदेश गुजरात पंजाब पश्चिम-बंगाल बिहार मध्यप्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान मणिपुर, त्रिपुरा और आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर के भूतपूर्व हैदराबाद क्षेत्र में कानून बनाए जा चुके हैं किन्तु उड़ीसा पंजाब तथा पश्चिम-बंगाल में अभी ये कानून लागू नहीं किए जा सके हैं। आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर में विधेयकों पर विचार किया जा रहा है।

सहकारी खेती

पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहकारी खेती के महत्व पर बल दिया गया था। दूसरी योजना का लक्ष्य सहकारी खेती के विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था ताकि आनेवाले दस वर्षों में कृषि-ग्रामीण भूमि का काफी बड़ा भाग सहकारी खेती के अन्तर्गत आ जाए।

सहकारी खेती सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए फैसलों के अनुसार तीसरी योजना की अवधि में सहकारी खेती के विकास का एक सर्वांगीण कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में जहां पंचायती राज और सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति हुई है, प्रत्येक जिले में एक के हिसाब से सहकारी खेती की ध्यानपूर्वक आयोजित 320 आदर्श परियोजनाओं के संगठन का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक परियोजना में 10 सहकारी खेती समितियां होंगी। इन परियोजनाओं का उपयोग और अधिक विस्तार के लिए किया जाएगा तथा परियोजना-क्षेत्रों के बाहर भी सहकारी खेती समितियां स्थापित की जाएंगी।

दिसम्बर 1962 तक 137 मार्गदर्शक परियोजनाएं और 903 सहकारी खेती समितियां स्थापित की गई। मार्गदर्शक क्षेत्रों के बाहर 694 समितियां स्थापित की गई।

सहकारी खेती के कार्यक्रम का आयोजन करने तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जा चुका है। राज्यों में भी ऐसे सलाहकार बोर्ड अथवा विशेष समितियां स्थापित की गई हैं।

भूदान

भूदान आन्दोलन का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे का है। आन्दोलन के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं "न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए हम भूमि की भिक्षा नहीं मांग रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्सा मांग रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बिना संघर्ष के इस देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना है।

व्यावहारिक रूप में भूदान आन्दोलन का रूप भूमिहीन व्यक्तियों में बांटने के लिए लोगों से उनकी अपनी भूमि के छठे भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करना है।

प्रतिशत मालिकों से 6 प्रतिशत दुकानदारों से तथा 1 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं से लिया गया।

कृषि-मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का उद्देश्य कृषि-मजदूरों की आय में सुधार करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकांश राज्यों में कृषि-मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के कृषि-प्रदर्शन फार्म तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सैनिक फार्मों में भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी है।

अध्याय 17

भूमि-सुधार

पहली पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया था कि भू-स्वामित्व और कृषि का ढांचा राष्ट्रीय विकास की एक आधारभूत समस्या है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस नीति का पुनः निरूपण किया गया और भूमि-नीति के उद्देश्य ये रखे गए—कृषि-व्यवस्था से उद्भूत कृषि पैदावार के मार्ग में जो अड़चनें पैदा होती हैं उनका निराकरण किया जाए और ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं, जिनसे यथाशीघ्र एक ऐसी कृषि-अर्थव्यवस्था का जन्म हो जिसमें कार्यक्षमता तथा पैदावार, दोनों में वृद्धि हो और साथ ही समाज की प्रतिष्ठा समानता के आधार पर हो—सामाजिक असमताओं को मिटाया जाए।

तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य दूसरी योजना में निर्धारित नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि सुधार अविलम्ब पूरा किया जाए, जिससे देरी के कारण अनिश्चय का भाव न आ पाए।

बिचौलियों का उन्मूलन

बिचौलिया-पद्धति के उन्मूलन के लिए बनाए गए कानूनों के फलस्वरूप अब असम, गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र में कुछ छोटे पट्टों और इनामी जागीरों को छोड़ कर बिचौलिए प्रायः समाप्त हो गए हैं।

राज्य सरकारों के सम्मुख अब मुख्य समस्या क्षतिपूर्ति के निर्धारण और उसकी अदायगी की है। पुनर्वास अनुदान और ब्याज सहित 230 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति नकदी या बांडों के रूप में अदा की जा चुकी है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे शेष राशि के लिए क्षतिपूर्ति-बांड जारी करने की व्यवस्था करके तीसरी योजना के दौरान बिचौलिया उन्मूलन से सम्बन्धित रिकार्ड और अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा कर दें।

मुजारागीरी-सुधार

आयोजना आयोग ने मुजारागीरी सुधार के बारे में जो सिफारिशें की हैं उनका मुख्य उद्देश्य (1) लगान में कमी करना (2) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा (3) मुजारों को स्वामित्व का अधिकार देना है। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है।

जोत की अधिकतम सीमा

जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए पंजाब राज्य के भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र को छोड़ कर सभी राज्यों में कानून बना दिए गए हैं।

सीमा-निर्धारण के दो पक्ष हैं—(क) भविष्य के लिए, तथा (ख) वर्तमान जोतों के बारे में। असम में भविष्य के लिए जोत की अधिकतम सीमा 50 एकड़ है आन्ध्रप्रदेश में 18 से

260 एकड़ उड़ीसा में 25 से 100 एकड़ उत्तरप्रदेश में 12½ एकड़ केरल में 15 से 37½ एकड़ गुजरात में 19 से 132 एकड़ जम्मू-कश्मीर में 22¾ एकड़ पंजाब में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ पश्चिम-बंगाल में 25 एकड़ बिहार में 20 से 60 एकड़ मद्रास में 24 से 120 एकड़ मध्यप्रदेश में 25 से 75 एकड़ महाराष्ट्र में 18 से 126 एकड़ मैसूर में 18 से 144 एकड़ राजस्थान में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ मणिपुर में 25 एकड़ हिमाचलप्रदेश के चम्बा जिले में 30 एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में 125 रु मालगुजारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि और त्रिपुरा में 25 से 75 एकड़ निश्चित कर दी गई है।

वर्तमान जोतों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अधिकतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है असम में 50 एकड़ आन्ध्रप्रदेश में 27 से 324 एकड़ उड़ीसा में 25 से 100 एकड़ उत्तरप्रदेश में 40 एकड़ केरल में 15 से 37½ एकड़ गुजरात में 19 से 132 एकड़ जम्मू-कश्मीर में 22¾ एकड़ पंजाब में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ पश्चिम-बंगाल में 25 एकड़ बिहार में 20 से 60 एकड़ मद्रास में 24 से 120 एकड़ मध्यप्रदेश में 25 से 75 एकड़ महाराष्ट्र में 18 से 126 एकड़ मैसूर में 27 से 144 एकड़ राजस्थान में 30 स्टैण्डर्ड एकड़ हिमाचलप्रदेश के चम्बा जिले में 30 एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में 125 रु मालगुजारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि मणिपुर में 25 एकड़ और त्रिपुरा में 25 से 75 एकड़।

उड़ीसा में राज्य विधान-सभा अधिकतम सीमा को घटा कर 20 से 80 एकड़ करने सम्बन्धी एक विधेयक पर विचार कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून लागू करने का कार्य पूरा हो चुका है तथा 4.5 लाख एकड़ भूमि बांटी जा चुकी है। पश्चिम-बंगाल में सरकार ने 5.24 लाख एकड़ कृषि-भूमि प्राप्त की है जो भूमिहीनों को तीन वर्ष के पट्टे पर दी जा रही है। पंजाब के भूतपूर्व पेप्सू क्षेत्र में 26,000 स्टैण्डर्ड एकड़ और भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र में 3,47 000 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि फालतू करार दी गई है। उत्तरप्रदेश में 67 951 एकड़ और आन्ध्रप्रदेश में 17 000 एकड़ भूमि फालतू करार दी गई है। असम बिहार गुजरात दिल्ली मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और त्रिपुरा के कुछ भागों में इस बारे में उपबन्ध लागू किए गए हैं नियम बनाए गए हैं और कानून को लागू करने की प्रारम्भिक कार्यवाई की गई है।

चकबन्दी

चकबन्दी की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। आयोजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि चकबन्दी का कार्य सामुदायिक परियोजना-क्षेत्रों में अवश्य किया जाना चाहिए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चकबन्दी सम्बन्धी कार्य 3 करोड़ एकड़ भूमि में पूरा हो चुका था। तीसरी योजना में 3 करोड़ एकड़ अन्य भूमि में चकबन्दी करने का उद्देश्य रखा गया है।

भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन

उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों, अनियमित हस्तान्तरणों तथा पट्टों का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि जोतों के उत्तरोत्तर छोटे-छोटे टुकड़े होते चले गए जिससे कृषि-पैदावार को

सक्त पक्का गया। अतः सरकार की नीति यह है कि हस्तान्तरण विभाजन तथा पट्टों का नियमन करके इस प्रवृत्ति को रोका जाए।

इस सम्बन्ध में असम उड़ीसा उत्तरप्रदेश गुजरात पंजाब पश्चिम-बंगाल बिहार, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान मणिपुर, त्रिपुरा और आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर के भूतपूर्व हैदराबाद क्षेत्र में कानून बनाए जा चुके हैं किन्तु उड़ीसा पंजाब तथा पश्चिम-बंगाल में अभी ये कानून लागू नहीं किए जा सके हैं। आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर में विधेयकों पर विचार किया जा रहा है।

सहकारी खेती

पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहकारी खेती के महत्व पर बल दिया गया था। दूसरी योजना का लक्ष्य सहकारी खेती के विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था ताकि आनेवाले दस वर्षों में कृषि-अधीन भूमि का काफी बड़ा भाग सहकारी खेती के अन्तर्गत आ जाए।

सहकारी खेती सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए फैसलों के अनुसार तीसरी योजना की अवधि में सहकारी खेती के विकास का एक सर्वांगीण कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में जहां पंचायती राज और सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति हुई है प्रत्येक जिले में एक के हिसाब से सहकारी खेती की ध्यानपूर्वक आयोजित 320 मार्गदर्शक परियोजनाओं के संगठन का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक परियोजना में 10 सहकारी खेती समितियां होंगी। इन परियोजनाओं का उपयोग और अधिक विस्तार के लिए किया जाएगा तथा परियोजना-क्षेत्रों के बाहर भी सहकारी खेती समितियां स्थापित की जाएंगी।

दिसम्बर 1962 तक 137 मार्गदर्शक परियोजनाएं और 603 सहकारी खेती समितियां स्थापित की गईं। मार्गदर्शक क्षेत्रों के बाहर 694 समितियां स्थापित की गईं।

सहकारी खेती के कार्यक्रम का आयोजन करने तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जा चुका है। राज्यों में भी ऐसे सलाहकार बोर्ड अथवा विशेष समितियां स्थापित की गई हैं।

भूदान

भूदान आन्दोलन का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। आन्दोलन के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं 'न्याय और समानता के *सिद्धान्त पर आधारित समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए हम भूमि की भिक्षा नहीं* मांग रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्सा मांग रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।' इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बिना संघर्ष के इस देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना है।

व्यावहारिक रूप में भूदान आन्दोलन का अर्थ भूमिहीन व्यक्तियों में बांटने के लिए लोगों से उनकी अपनी भूमि के छठे भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करना है।

कृषि से भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन सम्पत्तिदान बुद्धिदान जीवनदान साधन
के रूप में चल रहा है।

यह आन्दोलन को 18 अप्रैल 1951 को छोटे रूप में आरम्भ हुआ अब
फैल गया है। इस आन्दोलन का लक्ष्य 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है, ताकि
परिवार को कृषि के लिए कुछ-न-कुछ भूमि दी जा सके। इसने अब ग्रामदान का
धारण कर लिया है।

कुछ राज्यों में सहकारी समितियां अधिनियम के अधीन ग्रामदान में प्राप्त भूमि
करने के लिए उपनियम भी बनाए गए हैं। अनेक राज्यों में भूदान में प्राप्त भूमि के
सुगम बनाने के लिए कानून लागू किए जा चुके हैं और निर्देश दिए जा चुके हैं।

इस आन्दोलन के फलस्वरूप 31 दिसम्बर 1962 तक लगभग 40 लाख एकड़ भू
5,342 ग्राम भूदान तथा ग्रामदान के रूप में प्राप्त हुए। इनमें से 10 लाख एकड़ से अधिक
आवश्यकताग्रस्त भूमिहीनों में बांटी जा चुकी है।

अध्याय 18

सहकारिता आन्दोलन

ी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारी विकास का एक समन्वित कार्यक्रम
ा गया। इसके अनुसार, सहकारी आन्दोलन को केवल ऋण की व्यवस्था करने तक सीमित
कर आर्थिक गतिविधि के कुछ अन्य पक्ष यथा विपणन, माल तैयार करना, गोदाम
गी इसके कार्यक्षेत्र में ले लिए गए। नवम्बर 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय
के सहकारिता को ग्रामीण समुदाय के आधार पर प्राथमिक इकाई के रूप में संगठित
जाए तथा ग्रामीण स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ग्राम
र तथा ग्राम पंचायत पर डाली जाए। इसके साथ ही परिषद् ने यह निश्चय भी किया
हकारिता आन्दोलन का विकास इस प्रकार किया जाए कि तीसरी योजना के अन्त तक सभी
ण परिवार इसके अन्तर्गत आ जाएं। दूसरी योजना के अन्त तक की उपलब्धियों
तीसरी योजना के लिए रखे गए लक्ष्यों का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी 22

लक्ष्य और उपलब्धियां

	दूसरी योजना के अन्त तक उपलब्धियां (अनुमानित)	तीसरी योजना के लिए रखे गए लक्ष्य
प्राथमिक सहकारी समितियां	2 1 लाख	2 3 लाख
सदस्य संख्या	1 7 करोड़	3 7 करोड़
सहकारिता आन्दोलन के अधीन लाए गए ग्राम	—	100 प्रतिशत
सहकारिता आन्दोलन के अधीन लाई गई कृषि पैदावार	33 प्रतिशत	60 प्रतिशत
सहकारी समितियों के जरिए दिए जानेवाले ऋण—		
अल्पकालीन और मध्यमकालीन	200 करोड़ रुपये	530 करोड़ रुपये
दीर्घकालीन (विशिष्ट)	35 करोड़ रुपये	150 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त 600 प्राथमिक समितियां स्थापित करने और गांवों में 9 200 गोदाम तथा प्रमुख मंडियों में 980 गोदाम बनवाने की भी व्यवस्था की गई है। मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण जारी करने के लिए और साधन जुटाने के उद्देश्य से योजना में एक कृषि विकास निगम की स्थापना करने की भी व्यवस्था की गई है।

1959 में कृषि-ऋण आदि की व्यवस्था में सुधार लाने पर विचार करने के लिए श्री वैकुण्ठलाल मेहता की अध्यक्षता में एक सहकारी ऋण समिति नियुक्त की गई, जिसने मई 1960 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। जून 1960 में श्रीनगर में हुए राज्यों के

M37DPD/63—7

इसलिए भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, जीवनदान, साधनदान तथा [illegible] के रूप में चल रहा है।

यह आन्दोलन जो 18 अप्रैल 1951 को छोटे रूप में आरम्भ हुआ, अब सम्पूर्ण देश में फैल गया है। इस आन्दोलन का लक्ष्य 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है, ताकि प्रत्येक परिवार को कृषि के लिए कुछ-न-कुछ भूमि मिल सके। इसने अब ग्रामदान का रूप धारण कर लिया है।

कुछ राज्यों में सहकारी समितियां अधिनियम के अधीन ग्रामदान में प्राप्त भूमि की व्यवस्था करने के लिए उपनियम भी बनाए गए हैं। अनेक राज्यों में भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण सुगम बनाने के लिए कानून लागू किए जा चुके हैं और निर्देश दिए जा चुके हैं।

इस आन्दोलन के फलस्वरूप 31 दिसम्बर, 1962 तक लगभग 40 लाख एकड़ भूमि और 5,342 ग्राम भूदान तथा ग्रामदान के रूप में प्राप्त हुए। इनमें से 10 लाख एकड़ से अधिक [illegible] [illegible] भूमिहीनों में बांटी जा चुकी है।

कृषि ऋण समितियां

जून 1961 के अन्त में देश में 2,12,129 कृषि ऋण समितियां थीं जिनकी सदस्य-संख्या 1 70 41 000 थी। 1960-61 में इन समितियों ने 202 75 करोड़ रुपये के ऋण दिए।

अनाज बैंक

जून 1961 के अन्त में देश मे 9,412 अनाज बैंक थे जिनकी सदस्य-संख्या 12 49 लाख थी। 1960-61 में इन्होंने 203 26 लाख रुपये ऋण के रूप में दिए।

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक जो कृषक को प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंकों के माध्यम से दीर्घ कालीन ऋण देते हैं ऋण-पत्र जारी करके पूंजी जुटाते हैं। 1960-61 में 18 बैंकों में से 8 बैंकों ने 10 22 करोड़ रुपये के ऋण-पत्र जारी किए।

प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक

1960-61 के अन्त में देश के 463 प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंकों में से 317 अर्थात् 68 प्रतिशत आन्ध्रप्रदेश मद्रास तथा मैसूर में थे। इनकी सदस्य-संख्या 6,69 212 थी तथा इन्होंने 26 99 करोड़ रुपये के ऋण दिए।

कृषि-भिन्न ऋण समितियां

इनके अन्तर्गत नागरिक बैंक कर्मचारी ऋण समितियां आदि आती हैं। जून 1961 के अन्त में देश में ऐसी 11 995 समितियां थीं जिनकी सदस्य-संख्या 45 73 लाख थी। इनमें से कुछ समितियों ने ऋणेतर कार्य भी किया।

ऋणेतर समितियां

जून 1961 के अन्त में देश में विभिन्न प्रकार की ऋणेतर समितियों की स्थिति इस प्रकार थी

सारणी 24

ऋणेतर समितियों की संख्या सदस्य-संख्या तथा कार्य चालन पूंजी

समिति का प्रकार (1)	संख्या (2)	सदस्य-संख्या (3)	कार्य-चालन पूंजी (लाख रु) (4)
विपणन समितियां			
राज्यीय	24	5,548	9,09 65
केन्द्रीय	171	89 776	10,34 35
प्राथमिक	3,108	14,67 622	28,21 33
वस्तु सप्लाई समितियां			
केन्द्रीय	71	10,061	1 24 33
प्राथमिक	9 101	24,14,135	7 30 10
दुग्ध-संघ	94	15,528	2,82 56

सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन में समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और राज्य सरकारों को सहकारिता के सम्बन्ध में नए आदेश दिए गए।

1961 में नियुक्त पंचायतों और सहकारिता सम्बन्धी एक अध्ययन दल ने पंचायतों को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से और जिम्मेदारी से काम करने के बारे में अनेक सुझाव दिए।

सहकारी समितियों की स्थिति

5 व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार का आधार मान कर अनुमान लगाया गया है कि जून 1961 के अन्त तक साधारणतः 17.12 करोड़ व्यक्तियों अथवा 39 प्रतिशत से कुछ अधिक भारतीय जनता सहकारिता से लाभ प्राप्त करने लगी थी।

1960-61 में देश में कुल 3,32,488 सहकारी समितियां थीं जिनमें प्रारम्भिक समितियों के सदस्यों की संख्या 3,42,44,543 थी और उनकी कार्य-चालन पूंजी कुल मिला कर 13 अरब 12 करोड़ 9 लाख रु. थी। 1951-52 में इन समितियों की संख्या 1,85,630 थी। प्रारम्भिक समितियों की सदस्य-संख्या 1,37,91,687 थी तथा उनकी कुल कार्य-चालन पूंजी 3 अरब 6 करोड़ 34 लाख रु. थी।

1951-52 तथा 1960-61 में विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा अर्जित लाभ का विवरण इस प्रकार है :

सारणी 23

सहकारी समितियों द्वारा अर्जित लाभ

(लाख रुपये)

समिति का प्रकार	1951-52	1960-61
राज्यीय तथा केन्द्रीय बैंक	81.60	482.92
भूमि-बन्धक बैंक	6.86	40.38
प्रारम्भिक कृषि-ऋण समितियां	91.67	443.54
अनाज बैंक	15.13	31.79
प्रारम्भिक कृषि-भिन्न समितियां	112.89	265.57
राज्यीय तथा केन्द्रीय ऋणेतर समितियां	126.38	472.82
प्रारम्भिक ऋणेतर समितियां	86.43	—

ऋण देनेवाली समितियां

भारत में सर्वप्रथम जो सहकारी समितियां बनीं वे ऋण समितियां थीं और आज भी यही सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं। ऋण समितियों का ढांचा त्रि-स्तरीय है : राज्य-स्तर पर राज्यीय सहकारी बैंक, जिला-स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम-स्तर पर प्रारम्भिक कृषि-ऋण समितियां होती हैं। कुछ राज्यों में अनाज बैंक कृषकों को जिंस के रूप में ऋण देते हैं। कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय और प्रारम्भिक भूमि-बन्धक बैंक तथा नागरिक जनता को बैंकिंग और ऋण की सुविधाएं नागरिक बैंक और कर्मचारी ऋण समितियां प्रदान करती हैं।

1960-61 में देश में 21 राज्यीय सहकारी बैंक थे जिनकी सदस्य-संख्या 29,884 थी। इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा उनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 390 तथा 3,87 698 थी।

अध्याय 19

सिंचाई और बिजली

सिंचाई

अनुमान लगाया गया है कि भारत के जल-संसाधन 135 60 करोड़ एकड़-फुट हैं जिनमें से लगभग 45 करोड़ एकड़-फुट का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। अनुमान है कि 1951 तक सिंचाई के लिए लगभग 7 60 करोड़ एकड़-फुट पानी (कुल जल-संसाधन का 5 6 प्रतिशत अथवा उपयोग में लाए जा सकनेवाले पानी का 17 प्रतिशत) का उपयोग किया गया। दूसरी योजना के अन्त में लगभग 12 करोड़ एकड़-फुट (कुल जल-संसाधन का 8 9 प्रतिशत अथवा उपयोग में लाए जा सकनेवाले पानी का 27 प्रतिशत) उपयोग में लाया गया। तीसरी योजना में 4 करोड़ एकड़-फुट अतिरिक्त पानी का उपयोग किए जाने की आशा है जिससे उपयोग किए जा सकनेवाले पानी का 36 प्रतिशत काम में आने लगेगा।

नदियों के बहाव को सिंचाई की नहरों में मोड़ने की सम्भावनाएं अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए भविष्य में सिंचाई का विकास करने के बारे में योजनाओं का उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों में बहनेवाले अतिरिक्त जल को बांध बना कर संगृहीत करना है ताकि वर्षाभाव के दिनों में उसका उपयोग किया जा सके। जिन क्षेत्रों में नदियों अथवा नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती उन क्षेत्रों में तालाबों और कुओं का निर्माण तथा अन्य साधनों से सिंचाई करने की व्यवस्था की जा रही है।

1927 में स्थापित केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड के जिम्मे देश में सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में आधारभूत अनुसन्धान-कार्य करना तथा देश के विभिन्न भागों में स्थापित 20 अनुसन्धान-केन्द्रों के काम में समन्वय स्थापित करने का काम है।

केन्द्रीय जल और बिजली आयोग को राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़-नियन्त्रण सिंचाई, जहाजरानी तथा पनबिजली के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-साधनों का नियन्त्रण उपयोग तथा संरक्षण करने की योजनाएं शुरू करने उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त देश भर में तापीय (थर्मल) बिजली का विकास करने की योजनाओं तथा बिजली का वितरण और उपयोग करने का भी दायित्व इसी आयोग पर है।

नदी-घाटी परियोजनाएं

मुख्य नदी-घाटी परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

भाखड़ा-नंगल परियोजना

यह देश की सबसे बड़ी बहुप्रयोजनी नदी-घाटी योजना है। इससे पंजाब और राजस्थान दोनों को लाभ पहुंचेगा। इस पर 175 6 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। पूरी

तीसरी योजना में सम्मिलित मुख्य नदी-घाटी परियोजनाओं पर व्यय और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ का ब्योरा नीचे की सारणी में दिया गया है

सारणी 25

तीसरी योजना में सिंचाई की मुख्य परियोजनाएं

योजना तथा राज्य	कुल लागत (करोड़ रु.)	तीसरी योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिए व्यवस्था (करोड़ रु.)	वार्षिक लाभ (लाख एकड़)	
			जब पूरी हो जाएगी	दूसरी योजना की अवधि में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जिन योजनाओं का काम जारी है				
भाखड़ा-नांगल (पंजाब और राजस्थान)	175 50	3 54	36 00	22 50
दामोदर घाटी (पश्चिम-बंगाल और बिहार)	34 68	3 60	13 44	9 58
हीराकुड—महानदी डेल्टा सहित (उड़ीसा) पहला चरण	93 34	12 35	15 56	2 50
चम्बल (राजस्थान और मध्य प्रदेश) पहला चरण	47 83	11 38	11 00	3 75
तुंगभद्रा (आंध्रप्रदेश और मैसूर)	32 20	6 18	6 50	4 48
मयूराक्षी (पश्चिम-बंगाल)	20 15	4 47	6 50	4 45
भद्रा (मैसूर)	31 93	13 41	2 45	0 32
कोसी (बिहार)	30 00	16 29	14 05	—
नागार्जुनसागर (आंध्रप्रदेश) पहला चरण	139 54	50 00	20 60	—
काकरापाड़ा नहर—निचली ताप्ती (गुजरात)	18 65	3 00	5 42	0 50
राजस्थान नहर (राजस्थान)	76 00	38 00	2 62	—
तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर (आंध्र-प्रदेश और मैसूर) पहला चरण	13 01	10 38	1 87	—
उकई (गुजरात)	33 72	6 00	3 92	—
तावा (मध्यप्रदेश)	19 87	10 00	7 50	—
पूर्ण (महाराष्ट्र)	12 84	8 61	1 52	—
महो (गुजरात)	41 41	11 00	9 63	—
बनास (गुजरात)	8 77	6 05	1 10	—
मूला (महाराष्ट्र)	15 00	6 00	1 31	—
गिरना (महाराष्ट्र)	8 65	5 19	1 43	0 52
गड्क्ष्वासला (महाराष्ट्र)	10 55	5 96	0 77	—
नवीन कट्टलाई (मद्रास)	2 25	2 60	0 21	12
सालन्दी (उड़ीसा)	4 66	4 30	3 27	—
गुड़गांव नहर (पंजाब)	4 73	1 50	2 75	—

परियोजना में सतलुज नदी पर 740 फुट ऊंचा भाखड़ा बांध 90 फुट ऊंचा नांगल बांध 40 मील लम्बी नांगल हाइडल चैनल भाखड़ा के बाएं किनारे पर एक बिजलीघर तथा हाइडल चैनल पर गंगुवाल और कोटला नामक स्थानों पर दो बिजलीघर, लगभग 652 मील लम्बी नहरें और 2,200 मील से ऊपर लम्बी उपशाखाएं हैं। 1946 में शुरू की गई यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है।

ब्यास परियोजना

इस परियोजना के दो यूनिट हैं—(1) ब्यास-सतलुज लिंक और (2) ब्यास बांध। यह परियोजना भी पंजाब और राजस्थान राज्यों का सम्मिलित उद्यम है।

हीराकुड बांध

15,748 फुट लम्बा हीराकुड बांध संसार का सबसे लम्बा बांध है। इस पर 70 78 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इसे दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और इससे उड़ीसा के 3 50 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। दूसरे चरण पर 14 92 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

राजस्थान नहर परियोजना

जुलाई 1957 में स्वीकृत इस परियोजना पर 66 47 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके दो भाग हैं—(1) 134 मील लम्बी राजस्थान फीडर, और (2) 391 मील लम्बी राजस्थान नहर। 1966-69 तक सम्पूर्ण राजस्थान फीडर और राजस्थान नहर का 122 मील लम्बा भाग तैयार हो जाने की आशा है। परियोजना का शेष भाग 1975-76 तक पूरा होगा।

दामोदर घाटी निगम परियोजना

इस परियोजना के अन्तर्गत तिलैया कोनार, माइथन और पंचेत के स्थानों पर चार स्टोरेज बांध और कोनार को छोड़ कर प्रत्येक के साथ 1 04 लाख किलोवाट की क्षमतावाले हाइडल बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बोकारो दुर्गापुर और चन्द्रपुरा में कुल 6 25 लाख किलोवाट क्षमता के तीन थर्मल बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है। तीसरी योजना के दौरान दो और यूनिट लगाए जाएंगे जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1 25 लाख किलोवाट होगी। इस प्रकार, कुल जेनरेटिंग क्षमता 9 79 लाख किलोवाट हो जाएगी।

तुंगभद्रा परियोजना

यह परियोजना आन्ध्रप्रदेश और मैसूर राज्य मिल कर कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत मल्लापुरम के स्थान पर तुंगभद्रा नदी पर 7 942 फुट लम्बा और 162 फुट ऊंचा बांध और लगभग 466 मील लम्बी तीन नहरें बनाने की व्यवस्था है।

कलकत्ता बन्दरगाह को जहाजरानी योग्य बनाए रखने की परियोजना

हुगली की निरन्तर बिगड़ रही स्थिति से कलकत्ता बन्दरगाह के बन्द हो जाने की आशंका को देखते हुए इस सम्बन्ध में तुरन्त उपाय करना अपेक्षित है।

कलकत्ता बन्दरगाह की इस समस्या पर विशेषज्ञ लोग पिछले सौ साल से विचार कर रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र हल यही है कि गंगा पर एक बांध का निर्माण किया जाए। यह कार्य गंगा बांध परियोजना के नाम से किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 68 59 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और इस कार्य के 8 वर्षों में पूरा होने की आशा है।

गण्डक परियोजना

गण्डक सिंचाई तथा बिजली परियोजना के सम्बन्ध में नेपाल सरकार तथा भारत सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय करार पर 4 दिसम्बर, 1959 को हस्ताक्षर किए। यह एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है जिसमें उत्तरप्रदेश तथा बिहार के राज्य लाभ लेंगे और इससे नेपाल सरकार को भी सिंचाई और बिजली की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत भैसालोटन नामक स्थान पर गण्डक नदी पर सड़क-रेल पुल सहित एक बांध के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

जनवरी 1957 में कम्पनी अधिनियम के अधीन 2 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी से इस निगम की स्थापना की गई थी। इसकी हिस्सा-पूंजी में केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी भागीदार हैं।

सिन्धु जल-सन्धि, 1960

सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के अधिकारों तथा दायित्वों के निर्धारण से सम्बन्धित सन्धि पर भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 19 सितम्बर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए। 12 जनवरी 1961 को नई दिल्ली में दोनों सरकारों के बीच पुष्टि-पत्रों का विनिमय होने पर 'सिन्धु जल सन्धि' 1 अप्रैल 1960 से लागू हो गई।

विकास-कार्यक्रम

पहली योजना के शुरू में विभिन्न सिंचाई साधनों से 5 15 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी जिसमें से 2 20 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी और दरम्यानी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा होती थी। पहली योजना के अन्त (1955-56) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र 5 62 करोड़ एकड़ हो गया तथा दूसरी योजना के अन्त (1960-61) में यह 7 करोड़ एकड़ हो गया। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त (1965-66) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र 90 करोड़ एकड़ हो जाएगा जिसमें से 4 25 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी और दरम्यानी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कंसावती (पश्चिम-बंगाल)	25 26	6 11	9 00	0 10
चन्द्रकेशर (मध्यप्रदेश)	0 89	0 61	0 12	—
काबिनी (मैसूर)	7 00	1 20	0 30	—
बनास (राजस्थान)	7 76	1 50	2 00	—
माजर (गुजरात)	5 23	4 63	0 45	—
मूवत्तुपुषा (केरल)	3 48	1 81	0 63	—
मिरर नहर (जम्मू-कश्मीर)	4 41	1 00	0 08	0 02
बरना (मध्यप्रदेश)	5 52	2 00	1 64	—
ब्रह्मतीर्थ (मैसूर)	0 30	0 21	0 03	—
पिचुर (पाण्डिचेरी और मद्रास)	0 89	1 94	0 02	0 03
राम गंगा (उत्तरप्रदेश)	34 55	16 00	17 05	—
नई योजनाएं				
पंचनाद (आन्ध्रप्रदेश)	14 50	2 90	2 77	—
बोड्डिमेड्डा (आन्ध्रप्रदेश)	0 77	0 78	0 10	—
कोयना सिंचाई योजना (महाराष्ट्र)	9 60	2 75	0 26	—
मीना उपत्यका सिंचाई योजना (महाराष्ट्र)	9 46	1 00	2 00	—
पूर्णा-पर्णा नदी परियोजना (महाराष्ट्र)	3 22	1 20	0 37	—
पस नदी योजना (महाराष्ट्र)	2 16	1 56	0 25	—
मालप्रभा परियोजना (मैसूर)	20 00	3 00	3 00	—
हेमावती परियोजना (मैसूर)	3 90	0 30	0 33	—
वीरपोचिम्पुर सिंचाई योजना (उड़ीसा)	5 07	1 50	1 70	—
पीपलपला (उड़ीसा)	1 34	0 30	0 45	—
जमुना सिंचाई योजना (असम)	1 68	1 68	0 81	—
पश्चिम कोसी नहर प्रणाली (बिहार)	12 00	2 00	8 04	—
तिस्ता बहुधन्धी बैरेज परियोजना (पश्चिम-बंगाल)	130 08	1 00	28 50	—
हसदेव परियोजना (मध्यप्रदेश)	25 09	3 50	3 00	—
व्यास परियोजना (पंजाब और राजस्थान)	108 70	37 00	15 30	—
पश्चिम नहर (उत्तरप्रदेश)	10 99	10 00	5 98	—
सरयू नहर (उत्तरप्रदेश)	20 78	2 00	6 27	—
सिधौन से माकरवा तक उच्च स्तरीय नहर (जम्मू-कश्मीर)	0 75	0 25	0 15	—
कल्लड़ (केरल)	8 81	1 30	21 7	—
दामोदर घाटी निगम (विस्तार और सुधार आदि) (पश्चिम-बंगाल)	5 95	5 95	1 10	—

कलकत्ता बन्दरगाह को जहाजरानी योग्य बनाए रखने की परियोजना

हुगली की निरन्तर बिगड़ रही स्थिति से कलकत्ता बन्दरगाह के बन्द हो जाने की आशंका को देखते हुए इस सम्बन्ध में तुरन्त उपाय करना अपेक्षित है।

कलकत्ता बन्दरगाह की इस समस्या पर विशेषज्ञ लोग पिछले सौ साल से विचार कर रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र हल यही है कि गंगा पर एक बांध का निर्माण किया जाए। यह कार्य गंगा बांध परियोजना के नाम से किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 68 59 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और इस कार्य के 8 वर्षों में पूरा होने की आशा है।

गण्डक परियोजना

गण्डक सिंचाई तथा बिजली परियोजना के सम्बन्ध में नेपाल सरकार तथा भारत सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय करार पर 4 दिसम्बर, 1959 को हस्ताक्षर किए। यह एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है जिसमें उत्तरप्रदेश तथा बिहार के राज्य भाग लेंगे और इससे नेपाल सरकार को भी सिंचाई और बिजली की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत भैंसालोटन नामक स्थान पर गण्डक नदी पर सड़क-रेल पुल सहित एक बांध के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

जनवरी 1957 में कम्पनी अधिनियम के अधीन 2 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी से इस निगम की स्थापना की गई थी। इसकी हिस्सा-पूंजी में केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी भागीदार हैं।

सिन्धु जल-सन्धि 1960

सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के अधिकारों तथा दायित्वों के निर्धारण से सम्बन्धित सन्धि पर भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 19 सितम्बर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए। 12 जनवरी 1961 को नई दिल्ली में दोनों सरकारों के बीच पुष्टि-पत्रों का विनिमय होने पर 'सिन्धु जल सन्धि' 1 अप्रैल 1960 से लागू हो गई।

विकास-कार्यक्रम

पहली योजना के शुरू में विभिन्न सिंचाई साधनों से 5 15 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी जिसमें से 2 20 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी और दरम्यानी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा होती थी। पहली योजना के अन्त (1955-56) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र 5 62 करोड़ एकड़ हो गया तथा दूसरी योजना के अन्त (1960-61) में यह 7 करोड़ एकड़ हो गया। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त (1965-66) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र 90 करोड़ एकड़ हो जाएगा जिसमें से 4 25 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी और दरम्यानी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा होगी।

तीसरी योजना के दौरान सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम पर 661 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें से 436 करोड़ रुपये दूसरी योजना की परियोजनाओं को जारी रखने पर, 164 करोड़ रुपये नई परियोजनाओं पर और 61 करोड़ रुपये बाढ़-नियन्त्रण जल-निकासी सेम की रोक आदि योजनाओं पर व्यय किए जाएंगे।

अन्तर्देशीय जहाजरानी

अब तक जो बहुप्रयोजनी योजनाएं पूरी की गई हैं या की जा रही हैं उनका एक उद्देश्य अन्तर्देशीय जहाजरानी की सुविधाएं प्रदान करना भी है। दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत एक 85 मील लम्बी जहाजरानी के योग्य नहर बनाई जाएगी जो रानीगंज के कोयला क्षेत्र को त्रिवेणी के स्थान पर हुगली से मिला देगी। हीराकुड बांध परियोजना का कार्य पूरा होने पर सौनपुर से कटक तक अन्तर्देशीय जहाजरानी की सुविधाएं प्राप्त होने की सम्भावना है। तुंगभद्रा परियोजना में आंध्रप्रदेश की ओर एक जहाजरानी तथा सिंचाई नहर निकालने का भी लक्ष्य रखा गया है।

बिजली

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य तक बिजली-उत्पादन की प्रगति बड़ी धीमी थी। 1925 में इसकी कुल स्थापित क्षमता केवल 1,62,341 किलोवाट थी। इसके बाद हुई प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 1962 में सार्वजनिक उपयोग के बिजलीघरों की प्रतिष्ठापित क्षमता 50,16,883 किलोवाट तक जा पहुंची। 1951 से 1961 की अवधि में बिजली जेनरेट करने की क्षमता 588 19 करोड़ किलोवाट-घण्टे से बढ़ कर 1966 99 करोड़ किलोवाट-घण्टे हो गई।

उत्पादन

भारत के नदी-क्षेत्रों के विद्युत-क्षमता सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि देश में 4 करोड़ किलोवाट जलविद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में बिजली का विकास इस समय इस प्रकार है

उड़ीसा केरल जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा मैसूर	मुख्यतः जलविद्युत्
गुजरात पश्चिम-बंगाल बिहार तथा राजस्थान	मुख्यतः तापीय विद्युत्
आंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश मद्रास महाराष्ट्र, असम तथा मध्यप्रदेश	आंशिक तापीय विद्युत् तथा आंशिक जलविद्युत्

बिजली-विकास का संगठन

भारत में बिजली जेनरेट करने तथा उसके वितरण की व्यवस्था काफी समय तक 1910 के 'भारतीय बिजली अधिनियम' के अनुसार होती रही है। फिर 1948 के 'बिजली (सप्लाई) अधिनियम' के अन्तर्गत 1950 में केन्द्रीय बिजली सत्ता की स्थापना की गई और प्रायः सभी राज्यों में बिजली बोर्ड स्थापित किए गए।

स्वामित्व

1925 तक बिजली-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। 1925–30 के बीच कुछ राज्यों ने बिजली-विकास की योजनाएं प्रारम्भ कीं। मार्च 1962 में प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में 75 2 प्रतिशत जनहित प्रतिष्ठान तथा 26 7 प्रतिशत कुल प्रतिष्ठापित क्षमता थी।

गांवों में बिजली

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में आन्ध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश केरल पंजाब पश्चिम-बंगाल बिहार, मद्रास महाराष्ट्र तथा मैसूर में अच्छी प्रगति हुई है।

नीचे की सारणी में बिजली लगे गांवों और शहरों का विवरण दिया गया है।

सारणी 26

बिजली लगे शहर और गांव*

आबादी	कुल संख्या 1951 की जनगणना के अनुसार	संख्या 31 मार्च तक			
		1951	1956	1961	1966 (अनुमानित)
1 00,000 से ऊपर	73	49	73	73	73
50,000 से 1 00,000	111	88	111	111	111
10,000 से 50 000	1 257	500	716	1 176	1 257
10,000 से नीचे	5,59 665	3,050	6,500	25,470	41 559
कुल	5 61 106	3 687	7 400	26,825	43,000

विकास-कार्यक्रम

पहली योजना के प्रारम्भ के समय देश में कुल प्रतिष्ठापित जेनरेटिंग क्षमता 23 लाख किलोवाट थी। पहली योजना के दौरान यह क्षमता 11 2 लाख किलोवाट (49 प्रतिशत) बढ़ी। दूसरी योजना के दौरान यह क्षमता 34 2 लाख किलोवाट से बढ़ कर 58 लाख किलोवाट हो गई। इस प्रकार, इस अवधि में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना के अन्त तक यह क्षमता 134 लाख किलोवाट हो जाने की आशा है जिसमें से लगभग 127 लाख किलोवाट व्यापारिक उपयोग के लिए होगी। इस कार्यक्रम की पूर्ति पर प्रति-व्यक्ति जेनरेटिंग क्षमता 1966 में 95 किलोवाट-घण्टे हो जाएगी। यह क्षमता 1951 में 18 किलोवाट-घण्टे 1956 में 28 किलोवाट-घण्टे और 1961 में 45 किलोवाट-घण्टे थी।

परमाणु-शक्ति

उपलब्ध ऊर्जा (एनर्जी) साधनों को ध्यान में रखते हुए आनेवाले वर्षों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने में परमाणु-शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग देगी। बम्बई के निकटस्थ तारापुर में

*पाण्डिचेरी और जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर

एक परमाणु-शक्ति स्टेशन बनाने की योजना है। इसमें दो रिएक्टर होंगे जिनमें से प्रत्येक 150 मेगावाट शक्ति का होगा। यह परमाणु-शक्ति स्टेशन चौथी योजना की अवधि में चालू हो जाएगा।

मुख्य बिजली परियोजनाएं

कोयना

यह परियोजना मुख्य रूप से बम्बई और पूना तथा इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1954 में शुरू की गई थी। इसमें 60-60 हजार किलोवाट क्षमता के चार यूनिट होंगे। यह परियोजना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इस पर लगभग 38 8 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

रिहंद बांध

इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक ग्राम के पास रिहंद नदी पर 300 फुट ऊंचा और 3,065 फुट लम्बा बांध बनाया जा रहा है। इसके पास ही एक बिजलीघर बनाया गया है जिसकी कुल क्षमता 2 50 लाख किलोवाट है। इस परियोजना द्वारा उत्तरप्रदेश की लगभग 14 लाख एकड़ भूमि और बिहार की लगभग 5 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मचकुन्द

इस परियोजना के अन्तर्गत मचकुन्द नदी पर एक 176 फुट ऊंचा और 1 345 फुट लम्बा बांध बनाया गया है। इस समय इसके बिजलीघर की प्रतिष्ठापित क्षमता 1 14,750 किलोवाट है।

बाढ़ की रोकथाम

1954 की वर्षा ऋतु में देश के विभिन्न भागों में आई भयंकर बाढ़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सितम्बर 1954 में बाढ़-नियन्त्रण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम को तीन भागों में बांटा गया तथा पहले दो वर्षों में भूलतः आंकड़े-तथ्यान्वेषण तथा आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य किया गया। अगले चार-पांच वर्षों में अर्थात् दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तटबन्धों तथा नाले-नालियों का सुधार करके बाढ़-सुरक्षा के उपाय करने का लक्ष्य रखा गया। दो चरणों का काम लगभग पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में कुछ नदियों की सहायक नदियों पर जलाशय और तटबन्ध आदि बनाने की योजना है।

केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण बोर्ड के अतिरिक्त 14 राज्यों में बाढ़-नियन्त्रण बोर्ड हैं जिनको तकनीकी मामलों में सलाहकार समितियां सहायता देती हैं। 4 नदी आयोग (बाढ़) भी केन्द्रीय बोर्ड की सहायता करते हैं। 1954-55 से अब तक एक करोड़ रु या उससे अधिक लागत की 8 बृहत् योजनाएं और एक करोड़ से कम रुपये की लागतवाली 1 422 लघु योजनाएं केन्द्रीय ऋण-सहायता के लिए मंजूर की जा चुकी हैं। इन पर क्रमशः 24 4 करोड़ रुपये और 79 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

इस सम्बन्ध में भारत का सर्वेक्षण विभाग आकाश से फोटो, आदि लेने का कार्य कर रहा है। विभिन्न राज्यों में तटबन्ध आदि बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है। 57 नगरों को बाढ़ अथवा भूमि-क्षरण से बचाने के लिए उपाय किए जा चुके हैं तथा 4,352 गांवों को बाढ़-स्तर से ऊंचा कर दिया गया है।

तीसरी योजना में बाढ़ नियन्त्रण के लिए 61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अध्याय 20

उद्योग

1958 की भारतीय विनिर्माण गणना* के अनुसार, भारत में 8,052 ऐसे पंजीकृत कारखाने थे जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते थे तथा बिजली प्रयुक्त होती थी। इनमें से 6,617 कारखानों में कुल 1 215 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या 18,20,539 थी जिसमें से 15,99 901 श्रमिक थे। इन विनिर्माण-उद्योगों में कुल 1 717 करोड़ रु के मूल्य का उत्पादन हुआ। वेतन तथा मजदूरी के रूप में कारखाना-कर्मचारियों को 268 1 करोड़ रु दिए गए।

1962 के अन्त में भारत में कुल 26,254 लिमिटेड कम्पनियां थी जिनमें 1997 7 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। इनमें से 6 013 सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियां थी जिनमें 979 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। शेष प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां थीं।

1956 और 1960 के बीच के पांच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में कम्पनियों के लाभ में 58 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति सर्वप्रथम 1948 में घोषित की गई थी जिसमें एक मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया था। भारत में समाजवादी ढंग के समाज की रचना करने की नीति स्वीकार किए जाने पर 30 अप्रैल 1956 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और उसमें आधार भूत तथा सामरिक महत्व के उद्योगों तथा लोकोपयोगी सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। नए औद्योगिक प्रस्ताव में उद्योगों का वर्गीकरण दो अनुसूचियों में किया गया था। इस सम्बन्ध में सरकारी दायित्व का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया था। अनुसूची 'क' के उद्योगों पर सरकार का पूरा नियन्त्रण है तथा अनुसूची 'ख' में सम्मिलित किए गए उद्योगों का स्वामित्व सरकार धीरे-धीरे ग्रहण करेगी।

उद्योगों का नियमन

1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति के अनुसार संविधान में संशोधन करके 'उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951' लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी वर्तमान तथा नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वर्तमान प्रतिष्ठानों के विस्तार के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया तथा सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की जांच-पड़ताल करने तथा आवश्यक निदेश देने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार

*इस गणना में जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को सम्मिलित नहीं किया गया था।

को यह अधिकार भी मिल गया कि यदि किसी उद्योग में कुव्यवस्था जारी रहे तो उसका प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण वह अपने हाथ में ले ले। उद्योगों के विकास तथा नियमन सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास परिषदें स्थापित करने की भी व्यवस्था कर दी गई।

इन अधिकारों के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के संसाधनों का उचित उपयोग करना बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का सन्तुलित विकास करना और विभिन्न उद्योगों का प्रादेशिक रूप से उचित विभाजन कराना है। अभी इस अधिनियम के अन्तर्गत 162 उद्योग आते हैं। केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् के अतिरिक्त उद्योगों के लिए अलग विकास परिषदें भी स्थापित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के उद्देश्य से समय-समय पर कुछ विशेष समितियां तथा मण्डल (पैनल) भी नियुक्त किए जा रहे हैं। 1962 के दौरान इस अधिनियम के अन्तर्गत 1,154 नए उद्योगों को लाइसेंस देने की स्वीकृति दी गई।

उत्पादकता

एक उत्पादकता शिष्टमण्डल ने अक्तूबर-नवम्बर 1956 में जापान की यात्रा की थी। इस शिष्टमण्डल की सिफारिशों के अनुसार फरवरी 1958 में एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना की गई, जिसमें सरकार, मालिकों श्रमिकों आदि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद् की स्थापना का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसके अधीन अब तक 45 स्थानीय परिषदें और 6 प्रादेशिक निदेशालय स्थापित किए गए हैं।। भारत मई 1961 में स्थापित एशिया उत्पादकता परिषद् का भी सदस्य है, जो इस क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

उद्योगों के लिए वित्त

जुलाई 1948 में स्थापित औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में वित्तीय सहायता देता है। 1960 में निगम को निजी प्रतिष्ठानों के शेयर खरीदने का भी अधिकार दे दिया गया। मार्च 1962 में निगम को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 2 करोड़ डालर का एक और ऋण प्राप्त हुआ जिससे निगम के पास स्वीकृत उधार राशि 3 करोड़ डालर (14 28 करोड़ रुपये) की हो गई। 1962 के अन्त तक निगम ने 139 13 करोड़ रु के ऋणों के लिए स्वीकृति दी जिसमें से 74 52 करोड़ रु के ऋण बांटे जा चुके हैं।

राज्य वित्त निगम मध्यम तथा छोटे पैमाने के उन उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं जो अखिल भारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते। जून 1962 के अन्त तक ये निगम ऋण अथवा अग्रिम धन के रूप में लगभग 46 42 करोड़ रु की स्वीकृति दे चुके थे जिसमें से 31 37 करोड़ रुपये अदा किए जा चुके थे।

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों की सहायता के लिए जनवरी 1955 में स्थापित भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम ने 1962 के दौरान 25 कम्पनियों को 8 44 करोड़ रु की वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी और 43 कम्पनियों को 189 5 लाख डालर (9 02 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा प्राप्त कराई।

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक कारखानों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के आधार पर फिर से ऋण देने की सुविधाएं देने के उद्देश्य से जून 1958 में उद्योग पुनर्वित्त निगम लिमिटेड स्थापित किया गया। ये सुविधाएं केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को प्राप्त होंगी जिनकी पूंजी तथा सुरक्षित राशि 2 5 करोड़ रु से अधिक नहीं है। 1962 के अन्त तक 27 12 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता की स्वीकृति दी गई, जिसमें से 14 92 करोड़ रुपये बांटे जा चुके थे।

1954 में स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्संस्थापन के लिए और मशीनी औजार यूनिटों के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने की भी व्यवस्था करता है। अक्तूबर 1962 के अन्त तक इस निगम ने पटसन और सूती वस्त्र उद्योग के लिए 26 38 करोड़ रु के ऋणों की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक कार्य कर रही है— यथा उन्हें कच्चे माल आदि आयात करने की सुविधाओं के अतिरिक्त करों में छूट तथा पहले कुछ वर्षों में सुरक्षा प्रदान की जा रही है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से भी तकनीकी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं।

विदेशी पूंजी

द्रुत औद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत संसाधनों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने देश में किसी वस्तुविशेष की पर्याप्त उत्पादन-क्षमता के अभाववाले तथा विदेशी फर्मों से जानकारी की अपेक्षा रखनेवाले उद्योगों के लिए विदेशी सहायता मांगी है। विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति का स्पष्टीकरण अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव तथा 1949 में संविधान-सभा में प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में किया गया है।

अनुमान है कि 1960 के अन्त में भारत में लगभग 690 5 करोड़ रु की विदेशी पूंजी लगी हुई थी। 1959 में यह राशि 610 5 करोड़ रुपये थी। 1960 में भारत की विदेशी देनदारियां सरकारी क्षेत्र में 1 205 करोड़ रुपये की थीं तथा बैंकिंग के क्षेत्र में 73 करोड़ रु की थी। 1960 में भारत की कुल विदेशी देनदारियां 1 969 करोड़ रु की थी।

उद्योगों का विकास

प्रारम्भिक स्थिति

भारत में सुव्यवस्थित रूप से उद्योग का प्रारम्भ 1854 में हुआ जब प्रभावी भारतीय पूंजी से बम्बई में सूती कपड़ा मिल उद्योग का वास्तविक प्रारम्भ हुआ। पटसन उद्योग का जन्म अधिकांशत विदेशी पूंजी से 1855 में कलकत्ता के निकट हुआ। पहले महायुद्ध के पूर्व तक देश में इन्हीं दो बड़े उद्योगों तथा कोयला उद्योग का विकास हुआ। पहले महायुद्ध के समय में औद्योगिक विकास को और बल मिला। 1922 से कुछ उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली। कई उद्योगों का विस्तार हुआ और अनेक उद्योगों—यथा इस्पात चीनी सीमेण्ट, इंजीनियरी कांच धातु व रासायनिक पदार्थ

साबुन, वनस्पति इत्यादि का प्रारम्भ हुआ लेकिन उनका उत्पादन इतना कम था कि न्यूनतम आन्तरिक मांग भी पूरी नहीं हो पाती थी।

पहली और दूसरी योजना के दौरान प्रगति

पहली और दूसरी योजना की अवधि (1951 52 से 1960-61) में उद्योग-धन्धों में काफी प्रगति हुई है। दूसरी योजना के पांच वर्षों में हुई प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। सरकारी क्षेत्र में 10-10 लाख टन की क्षमतावाले 3 इस्पात कारखाने स्थापित किए गए तथा प्राइवेट क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों की क्षमता बढ़ा कर क्रमश: 20 लाख टन और 10 लाख टन कर दी गई। बिजली के भारी सामान भारी मशीनी औज़ारों, भारी मशीनें और इंजीनियरी का अन्य भारी सामान बनाने तथा सीमेण्ट और कागज के उत्पादन के लिए मशीनें बनाने की शुरुआत की गई। रासायनिक उद्योगों में भी अच्छी प्रगति की गई, फलस्वरूप बुनियादी रासायनिक पदार्थों—यथा नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों कास्टिक सोडा सोडा ऐश तथा गन्धक का तेजाब—के अलावा कई नए उत्पादनों—यथा यूरिया, अमोनियम फास्फेट, पेनिसिलीन अखबारी कागज रंग-सामग्री आदि—का भी निर्माण शुरू किया गया। अन्य अनेक उद्योगों—यथा साइकलों, सिलाई मशीनों, टेलीफोन बिजली का सामान कपड़ा तथा चीनी की मशीनों—के उत्पादन में ठोस वृद्धि हुई। कर्मचारी-वर्ग ने नए हुनर सीखे हैं और उद्योग प्रबन्धकों के एक नए वर्ग का जन्म हुआ है। संगठित उत्पादन पिछले दस वर्षों में प्राय: दुगुना हो गया है। औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक 1950-51 के 100 से बढ़ कर 1960-61 में 194 हो गया। नई औद्योगिक बस्तियां बस गई हैं और देश के मुख्य नगरों के आसपास विभिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित किए गए हैं।

लेकिन हमारे सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं। इस्पात और उर्वरकों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम रहा क्योंकि इनके संयत्र निश्चित समय से काफी पीछे चालू हो सके। भोपाल का बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना भी इस्पात और उर्वरक परियोजनाओं की तरह विदेशी मुद्रा, आदि की कठिनाइयों के कारण निर्धारित लक्ष्यों से पिछड़ा हुआ है।

दूसरी योजना की अनेक परियोजनाओं पर वास्तविक लागत उनके लिए अनुमानित राशि से काफी अधिक रही। तीसरी योजना में अधिक ठीक अनुमान लगाने पर बल दिया गया है। दूसरी योजना (1956–61) के दौरान सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर कुल 770 करोड़ रु की पूंजी लगाई गई, जब कि मूल अनुमान 560 करोड़ रुपये का था। निजी क्षेत्र में कुल 850 करोड़ रु की पूंजी लगाई गई, जब कि मूल अनुमान 685 करोड़ रुपये का था। इतनी अधिक पूंजी (मूल अनुमानों से लगभग 30 प्रतिशत अधिक) लगाने के बावजूद दूसरी योजना के लिए निर्धारित मूल उत्पादन-लक्ष्य लगभग 85 से 90 प्रतिशत ही प्राप्त किए जा सके।

तीसरी योजना के अन्तर्गत विकास कार्यक्रम

तीसरी योजना में बुनियादी महत्ववाले उद्योगों और उत्पादक सामग्री उद्योगों—विशेष कर के मशीन-निर्माण कार्यक्रम—पर विशेष बल दिया गया है। इससे सम्बन्धित हुनर, तकनीकी

जानकारी और इनके डिजाइन तैयार करने की क्षमता प्राप्त करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे आनेवाले योजना-कालों में हमारी अर्थ-व्यवस्था आत्मनिर्भर और बाहरी सहायता से बहुत हद तक मुक्त हो जाए। इस सम्बन्ध में प्राथमिकता क्रम यह रखा गया है

(1) दूसरी योजना की उन परियोजनाओं को पूरा करना जो अभी पूरी नहीं की जा सकी हैं अथवा जो रोक दी गई थीं

(2) भारी इंजीनियरी तथा मशीन-निर्माण उद्योगों कास्टिंग और फोर्जिंग मिश्र धातु और विशेष इस्पातों लोहा और इस्पात की क्षमता का विस्तार करना तथा उर्वरकों और पेट्रोलियम की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना

(3) मुख्य बुनियादी कच्चे सामान तथा उत्पादक सामग्री—यथा अल्युमीनियम खनिज तेलों बुनियादी कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों आदि—का उत्पादन बढ़ाना

(4) अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं—यथा ओषधियां कागज कपड़ा चीनी वनस्पति तेलों और मकान बनाने के सामान के उद्योगों—का उत्पादन बढ़ाना ।

तीसरी योजना के अन्तर्गत उद्योगों और खनिज पदार्थों पर कुल 2,993 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था है । इसमें 1 338 करोड़ रुपये की राशि विदेशी मुद्रा के रूप में अपेक्षित है ।

इस राशि में से 1 808 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में लगाए जाएंगे और 1 185 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में । सरकारी क्षेत्र के 1 808 करोड़ रुपये के पूंजी-विनियोग में बागबानी उद्योगों को दी गई सहायता हिन्दुस्तान शिपयार्ड को दिया गया निर्माण अनुदान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् और भारतीय मानक संस्थान के कार्यक्रम तथा तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली के विस्तार पर होनेवाला खर्च और राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के माध्यम से निजी क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता सम्मिलित नहीं है ।

सब मिला कर 1 882 करोड़ रुपये की व्यवस्था अपेक्षित है जब कि अभी कुल 1 520 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकी है । अतः सम्भव है कि इसका पूरा निष्पादन पांच वर्षों से अधिक समय ले ले।

औद्योगिक उत्पादन

1961 और 1962 के पहले नौ मास का वास्तविक औद्योगिक उत्पादन अगले पृष्ठ की सारणी में दिखाया गया है ।

सारणी 27

चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

	इकाई	1961	1962* (पहले नौ महीने)
1. खनिज			
1 कोयला	लाख मीट्रिक टन	561	449
2 खनिज लोहा	लाख मीट्रिक टन	121	97
2. धातु-उद्योग			
3 कच्चा लोहा	लाख मीट्रिक टन	496	413
4 तैयार इस्पात	लाख मीट्रिक टन	285	267
5 अल्युमीनियम	हजार मीट्रिक टन	18 4	22 3
6 तांबा	हजार मीट्रिक टन	8 7	7 3
3. मेकेनिकल इंजीनियरी उद्योग			
7 इस्पात कास्टिंग	हजार मीट्रिक टन	37 5	32 2
8 मशीनी औजार (मूल्य)	लाख रुपये	761	771
9 बिजली आदि से चलने वाले पम्प	(संख्या) हजार	124.8	96.5
10 मोटर-गाड़ियां	(संख्या) हजार	54 3	43 6
11 बाइसिकल	(संख्या) हजार	1,047	850
12 सिलाई मशीनें	(संख्या) हजार	317	263
13 मालगाड़ी के डिब्बे	(संख्या) हजार	11 1	10 2
14 मोटर साइकल	(संख्या) हजार	4 7	4 8
15 स्कूटर, आदि	(संख्या) हजार	15 3	11 1
4. बिजली का इंजीनियरी सामान			
16 बिजली ट्रांसफार्मर	हजार किलोवाट	1 775	1 795
17 बिजली के मोटर	हजार अश्व-शक्ति	824	728
18 रेडियो सेट	(संख्या) हजार	328	248
19 बिजली के बल्ब	(संख्या) लाख	469	423
20 बिजली के पंखे	(संख्या) हजार	1 074	864
21 केबल और तारें			
(क) तांबे की	हजार मीट्रिक टन	7 6	3 9
(ख) अल्युमीनियम की	हजार मीट्रिक टन	22 4	19 2
5. रसायन और सम्बद्ध उद्योग			
22 अमोनियम सल्फेट	हजार मीट्रिक टन	395	304
23 सुपरफास्फेट	हजार मीट्रिक टन	371	302
24 गन्धक का तेजाब	हजार मीट्रिक टन	414	333

*अस्थायी आंकड़े

(1)	(2)	(3)	(4)
25. कास्टिक सोडा	हजार मीट्रिक टन	120	92
26. सोडा ऐश	हजार मीट्रिक टन	177	159
27 सीमेन्ट	लाख मीट्रिक टन	82	62
28. रिफ्रैक्टरियां	हजार मीट्रिक टन	598	470
29. कागज और गत्ता	हजार मीट्रिक टन	364	286
30. रबड़ के टायर और ट्यूब	(संख्या) लाख	273	202
31 जूते (रबड़ और चमड़े के)	(संख्या) लाख	557	454
32 साबुन	हजार मीट्रिक टन	147	113
33. पेट्रोलियम उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	61	48
6. कपड़ा उद्योग			
34. सूती धागा	लाख किलोग्राम	8,620	6,460
35. रेयन धागा	हजार मीट्रिक टन	49 5	44
36. सूती कपड़ा			
(1) मिल मे बना	लाख मीटर	47 010	34,530
(2) अन्यत्र बना	लाख मीटर	23,690	18,400
37 पटसन	हजार मीट्रिक टन	970	891
38. ऊनी कपड़े	लाख मीटर	132	135
7 खाद्य पदार्थ			
39. चीनी	हजार मीट्रिक टन	3,029	—
40. चाय	लाख किलोग्राम	3,480	2,480
41 काफी	हजार मीट्रिक टन	65 7	43 6
42. वनस्पति	हजार मीट्रिक टन	339	278
8. बिजली (जनरेट की गई)	लाख किलो वाट	1 91 110	1 59,750

नीचे की सारणी में कुछ चुने हुए उद्योगों का सूचकांक दिया गया है

सारणी 28

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(आधार 1951=100)

	1952	1955	1960	1961
1 सामान्य सूचकांक	104	122	170	181
2 कोयला	106	111	151	161
3 कच्चा लोहा और लोहा युक्त धातु	102	104	226	270
4 तैयार इस्पात	102	117	203	261
5 सीमेन्ट	111	140	242	254
6 रसायन और रासायनिक उत्पादन	118	159	257	283
7 रबड़ उत्पादन	101	140	237	248
8 जनरेट की गई बिजली	105	145	281	326
9 सामान्य और बिजली इंजीनियरी	93	183	364	419
जिसमें से मशीनरी बिजली मशीनों को छोड़ कर	84	164	660	917
10 मोटर-गाड़ियां	69	104	234	244
11 बाइसिकल	172	430	919	917
12 पटसन के वस्त्र	108	119	127	115
13 सूती वस्त्र	102	112	118	117
14 चीनी	134	143	229	251
15 वनस्पति	111	161	193	194
16 चाय	99	106	211	122
17 कागज और गत्ता	104	140	158	272

मध्य उद्योग

सूती वस्त्र

1947 में भारत में 129 60 करोड़ पौण्ड सूत तथा 376 20 करोड़ गज सूती कपड़ा बना था। तब से अब तक सूत तथा सूती कपड़े के उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है। 1962 के प्रारम्भ में कपड़ा मिलों की संख्या 480 थी जिनमें 189 20 करोड़ पौण्ड सूत तथा 498 83 करोड़ गज कपड़ा तैयार किया गया। 1961 के प्रारम्भ में कपड़ा उद्योग में लगभग 122 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी तथा इसमें 8 9 लाख लोगों को काम मिला हुआ था।

पटसन

1958 में हुई भारतीय विनिर्माण गणना के अनुसार भारत में पटसन की 106 मिलें थी जिनमें से 96 मिलों में (जिनसे विवरण प्राप्त हुए) कुल मिला कर 78 33 करोड़ रु की पूंजी लगी हुई थी। इनमें 2,53,860 व्यक्ति काम पर लगे हुए थे।

1962 (जनवरी से सितम्बर) में 8 90 लाख टन पटसन की वस्तुओं का उत्पादन हुआ।

पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पटसन की मिलों को मशीनों का आयात करने के लिए उदारता से लाइसेंस दिए गए तथा देश में ही ऐसी मशीनों आदि का निर्माण प्रारम्भ किया गया। इस प्रयोजन के लिए नवम्बर 1962 तक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से 7 19 करोड़ रु० के ऋणों की स्वीकृति दी गई थी।

चीनी

प्रारम्भ से लेकर अब तक चीनी उद्योग ने जो उन्नति की है उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1931 32 में भारत में चीनी की कुल 32 मिलें थी जिनमें 1 6 लाख टन चीनी बनाई गई थी। 1960-61 में चीनी की 175 मिलें थी जिनमें 30 29 लाख मीट्रिक टन चीनी तैयार की गई। 1961 62 में 27 14 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। 1962 में 3 73 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया।

सीमेण्ट

भारत में पोर्टलैण्ड सीमेण्ट का उत्पादन 1904 में मद्रास में प्रारम्भ हुआ। इस उद्योग का वास्तविक विकास 1912-13 में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। इस समय देश में सीमण्ट के 34 कारखाने है तथा इस उद्योग की कुल स्थापित क्षमता 94 7 लाख मीट्रिक टन की है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सीमण्ट उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता 152 4 लाख मीट्रिक टन की हो जाएगी तथा इसका उत्पादन 132 1 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा।

कागज

भारत में मशीन से कागज बनाने का काम 1870 में कलकत्ता के निकट बाली मिल की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ। दूसरे महायुद्ध में कागज बनानेवाली मिलो की संख्या बढ़ कर 16 हो गई तथा 1944 में कुल उत्पादन 1 03,884 टन हुआ। 1950 से इस उद्योग में काफी प्रगति हुई है। 1950 में कुल 1 09 लाख टन कागज बना था जब कि 1962 में लगभग 3 83 लाख मीट्रिक टन कागज तैयार हुआ।

भारत में अखबारी कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना 1947 में नेपानगर (मध्यप्रदेश) में चालू हुआ। 1948 में मध्यप्रदेश सरकार ने इसे अपने नियन्त्रण में ले लिया। 1958 में इसके पुर्नगठन के बाद भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार की इसमें क्रमश 2 25 करोड़ रु तथा 1 70 करोड़ रु की हिस्सा-पूंजी रही। इस कारखाने में

कागज बनाने का काम जनवरी 1955 में प्रारम्भ हुआ। इसकी कुल स्थापित क्षमता 30,000 मीट्रिक टन है। 1955-56 में इस कारखाने में 3,455 टन कागज बना। यह परिमाण 1960-61 में 23,398 मीट्रिक टन तथा 1961-62 में 25,279 मीट्रिक टन तक जा पहुंचा। तीसरी योजना में 1,50,000 टन अखबारी कागज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

लोहा तथा इस्पात

आधुनिक रीति से लोहा तथा इस्पात बनाने का पहला क्रमबद्ध प्रयास 1830 में दक्षिणी भारकाट में किया गया था। फिर 1874 में झरिया की कोयला-खानों के निकट 'बराकर आयरन वर्क्स' नाम से एक कारखाना स्थापित किया गया जिसे 1889 में 'बंगाल आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' ने अपने अधिकार में ले लिया। 1900 में इस कारखाने में कुल उत्पादन 35,000 टन हुआ। साकची (बिहार) में 1907 में स्व. जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित 'टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' ने 1911 में कच्चा लोहा तथा 1913 में इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त 1908 में आसनसोल (बंगाल) के निकट हीरापुर में 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' तथा 1923 में भद्रावती में 'मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स' (अब 'मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स') की स्थापना हुई। 1939 तक इस्पात का वार्षिक उत्पादन लगभग 8 लाख टन तक जा पहुंचा। दूसरे महायुद्ध से इस उद्योग को और गति मिली। 1961 तक इस्पात का उत्पादन बढ़ कर 28.10 लाख टन हो गया। 1962 में लगभग 36.60 लाख टन तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ।

1958 की भारतीय विनिर्माण गणना के अनुसार, देश में लोहा तथा इस्पात के बड़े तथा छोटे 167 कारखाने थे जिनमें लगभग 131 करोड़ रु. की स्थिर पूंजी तथा 52 करोड़ रु. की चालू पूंजी लगी हुई थी। इन कारखानों में 93,283 व्यक्ति काम करते थे।

दूसरी योजना के दौरान तीन मौजूदा इस्पात कारखानों—टाटा, इण्डियन आयरन और मैसूर आयरन—की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़ा कर 15 लाख टन और इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन बढ़ा कर 8 लाख टन इस्पात तैयार करने का कार्य पूरा किया गया है। मैसूर आयरन के विस्तार कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है। अब इसे 1963 के अन्त तक पूरा किया जाएगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन सिल्लियों की उत्पादन-क्षमतावाले 3 इस्पात कारखाने राउरकेला (उड़ीसा) भिलाई (मध्यप्रदेश) तथा दुर्गापुर (पश्चिम-बंगाल) में स्थापित किए गए। इन तीनों इस्पात कारखानों का प्रबन्ध सरकारी कम्पनी 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' के अधीन है जिसकी अधिकृत पूंजी 600 करोड़ रुपये है। तीसरी योजना के दौरान इन तीनों कारखानों की क्षमता लगभग दुगुनी करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर में मिश्रधातु और विशेष इस्पात कारखाना भी लगाया जाएगा।

इंजीनियरी

सरकार 1947 से इंजीनियरी उद्योग का विकास करने के लिए विशेष प्रयास करती आ रही है तथा अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत स्वावलम्बी हो चुका है।

1962-63 में भारी तथा हल्की औद्योगिक मशीनों और मशीनी औजारों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। देश की औद्योगिक मशीनों की अधिकांश मांग की पूर्ति अब देश में ही बनी मशीनों से हो सकती है। इस समय देश में 200 करोड़ रु के मूल्य की औद्योगिक मशीनें बनाई जाती हैं। इस्पात और अन्य कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि से मशीन निर्माण उद्योग गति पकड़ रहा है। उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी कच्चे माल और सामान का उत्पादन करनेवाले उद्योगो की स्थापना पर बल दिया गया है।

भारत सरकार ने 1952 में नाहन-फाउण्ड्री जिसकी स्थापना 1872 में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा की गई थी भूतपूर्व सिरमौर रियासत से अपने अधिकार में ले ली तथा उसकी व्यवस्था एक सरकारी कम्पनी को सौंप दी जिसकी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रु है। फाउण्ड्री मे मुख्यतः कृषि-औजार तैयार किए जाते हैं। 1961 62 में इस फाउण्ड्री में 2,932 टन सामग्री का उत्पादन हुआ। इस फाउण्ड्री का आधुनिकीकरण करके इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार का सामान बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

भारत में खराद मशीनें सबसे पहले मई 1956 में बंगलोर के निकट जलाहाली स्थित मशीनी औजार कारखाने में तैयार की गई। यह कारखाना अब 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड' के अधीन है। इसका दूसरा मशीनी औजार निर्माण यूनिट मई 1961 में पूरा हो गया। इन दोनों यूनिटों में अप्रैल-दिसम्बर 1962 में 1 120 मशीनों का निर्माण हुआ जिनका मूल्य 4 करोड़ रुपये था। एक दूसरा मशीनी औजार कारखाना जिसमें प्रतिवर्ष 1 000 औजार तैयार किए जाएगे पंजाब में पिंजोर नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। यह कारखाना 1963 में पूरा हो जाएगा। इस संस्था ने 2 5 करोड़ रु की लागत से एक बड़ी कारखाना भी स्थापित किया है जिसमे प्रति वर्ष 2,40 000 घड़ियां बनाई जाएंगी। *अप्रैल-दिसम्बर 1962 में इस कारखाने में 25 586 घड़ियां तैयार हुई और 17 972 घड़ियों को* बाजार में भेजा गया।

जून 1962 में बंगलोर में मशीनी औजार संस्थान की स्थापना की गई, जो डिजाइनिंग प्रशिक्षण मानकीकरण प्रोटोटाइप निर्माण अनुसन्धान आदि का कार्य करेगा।

डाक तथा तार विभाग की टेलीफोन तारों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूपनारायणपुर (पश्चिम-बंगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान केबल्स फैक्टरी' में 1954 में उत्पादन आरम्भ हुआ। इस कारखाने में 1961 62 में लगभग 1 6 करोड़ रुपये के मूल्य की 1 167 मील लम्बी केबल तारों और 140 मील लम्बी समाक्ष केबल तारों का निर्माण हुआ। इस कारखाने में 2,000 मील लम्बी केबल तारें प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है।

कलकत्ता स्थित 'नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी' 1830 में स्थापित हुई थी। जून 1957 में इस *कारखाने को 'नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया।* इसमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म पुर्जे तैयार होते हैं। 1961 62 के दौरान इस कारखाने

में 55.5 लाख रु. के मूल्य के पुर्जे बने। दुर्गापुर में 4 करोड़ रुपये की लागत से ऐलाय के भाग बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसे भी 'नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फ़ैक्टरी' के अधीन कर दिया गया है।

चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने के विकास कार्यक्रम में इस्पात का एक भारी ढलाई कारखाना लगाने का कार्यक्रम सम्मिलित है जिससे भारतीय रेलों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही हो सकेगी। तदनुसार 7 000 टन की उत्पादन-क्षमतावाला एक ढलाई का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्य-क्रम में भी ऐसे कारखाने लगाने के लिए 15 करोड़ रु. की व्यवस्था है।

बिजली के भारी उपकरणों के निर्माण के लिए अगस्त 1956 में 'हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। यह कारखाना भोपाल में बनाया जा रहा है। इस पर सात-आठ वर्षों में (पहला चरण) 21 करोड़ रु. व्यय होंगे तथा अन्तत: उपनगर की लागत जोड़ कर इस पर लगभग 45.5 करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है। इस कारखाने के कुछ भागों में जुलाई 1960 से कार्य आरम्भ हो गया। इसमें 25 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य है।

भारी औद्योगिक मशीनों के निर्माण की व्यवस्था अक्तूबर 1954 में स्थापित एक सरकारी कम्पनी 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' विशेष रूप से कर रही है। निगम ने अनेक परियोजनाओं का विवेचन कार्य पूरा कर लिया है। इसे रूस की सहायता से कोटा और पालघाट में स्थापित किए जानेवाले सूक्ष्म पुर्जों के कारखानों के बारे में प्रारम्भिक कार्रवाई करने का भार सौंपा गया है। बिहार में रांची के निकट हटिया में एक भारी मशीन-निर्माण कारखाना तथा दुर्गापुर (पश्चिम-बंगाल) में एक कोयला खनन मशीन कारखाना तथा इंजनों के कोच बनाने का कारखाना स्थापित करने में सहायता प्राप्त करने के लिए 1957 में रूस सरकार के साथ एक करार किया गया। भारी मशीन कारखाने के पास ही चेकोस्लोवाकिया की सहायता से ढलाई कारखाना भी लगाया जाएगा। इन परियोजनाओं के प्रशासन के लिए दिसम्बर 1958 में एक 'हैवी इंजीनियरी निगम' (अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रु.) की स्थापना की गई। चेकोस्लोवाकिया सरकार के सहयोग से स्थापित किया जानेवाला 10 हजार टन की क्षमता का भारी मशीनी औजार-निर्माण कारखाना भी इस निगम के अधीन होगा।

रेल-इंजन तथा सवारी डिब्बे

सरकार ने रेल इंजनों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होने की दृष्टि से रेल मन्त्रालय के अधीन पश्चिम-बंगाल में चित्तरंजन में रेल-इंजन बनाने का कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष स्टैण्डर्ड किस्म के 200 से अधिक इंजनों के बराबर विभिन्न किस्म के इंजन तैयार किए जाते हैं। 1961-62 में इस कारखाने में 171 भाप के इंजन तथा 6 डी. सी. बिजली से चलनेवाले इंजन तैयार किए गए। अन्ततोगत्वा इस कारखाने में प्रतिवर्ष स्टैण्डर्ड किस्म के 300 इंजन तैयार करने का लक्ष्य है। बिजली से चलनेवाले 60 से 70 रेल-इंजन प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी सहायता-प्राप्त 'टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव वर्क्स' में 1961-62 में

मीटर माप के 72 इंजन बने। भारत वाष्प से चलनेवाले रेल इंजनों के बारे में स्वावलम्बी बन गया है और अब वह इनका निर्यात भी कर सकेगा। माल-डिब्बों और सवारी डिब्बों की भी यही स्थिति है।

पेराम्बूर स्थित सरकारी इंटेग्रल कोच फैक्टरी में उत्पादन कार्य अक्तूबर 1955 में आरम्भ हुआ। 1961-62 में 596 सवारी डिब्बे बनाए गए। इस कारखाने में 1959 में दूसरी शिफ्ट शुरू की गई। अब इसमें 650 सवारी डिब्बे प्रतिवर्ष बन सकेंगे।

जहाज निर्माण

सरकार ने मार्च 1952 में 'सिन्धिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी' से विशाखापट्टनम् का जहाज निर्माण कारखाना खरीद कर उसका प्रबन्ध भार 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' को सौंप दिया। अब इसकी कुल हिस्सा-पूंजी सरकार की है। यह कारखाना डीजल से चलनेवाले चार आधुनिक जहाज प्रतिवर्ष बना सकता है। इस कारखाने में बना पहला जहाज मार्च 1948 में पानी में उतारा गया। इस कारखाने को चलाने का काम अब पूर्णत: भारतीयों के हाथ में है। अब तक इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के 33 जहाज (लगभग 1,68,191 टन भार) तैयार किए जा चुके हैं। 12 जहाज इस समय निर्माणाधीन हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कारखाने में 75,000 से 90,000 टन भार तक के जहाज तैयार करने का विचार था। एक दूसरा जहाज निर्माण कारखाना कोचीन में स्थापित करने का विचार है जिसकी प्रारम्भिक निर्माण क्षमता 60,000 टन भार प्रतिवर्ष होगी और जो बाद में बढ़ा कर 80,000 टन भार प्रतिवर्ष कर दी जाएगी। तीसरी योजना में इसके लिए 20 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

हवाई जहाज

बंगलौर स्थित 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड' नामक कारखाने से सम्बन्धित विस्तृत विवरण 'प्रतिरक्षा' शीर्षक अध्याय में देखिए।

रासायनिक पदार्थ तथा औषधियां

प्रथम महायुद्ध से भारतीय रसायन उद्योग को बड़ी गति मिली। फिर भी द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने तक रासायनिक पदार्थों के लिए भारत आयात पर ही निर्भर करता था। इस महायुद्ध ने इस उद्योग को और गति प्रदान की। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद रसायन उद्योग का काफी विकास हुआ। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी कारखाने की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में 1946-60 में देश में रसायन उद्योग की 60 कम्पनियां स्थापित हुईं। 1962 के दौरान गन्धक का तेजाब कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन बढ़ा और ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बिसल्फाइट का उत्पादन घटा। कुछ रासायनिक पदार्थों का निर्माण भारत में पहली बार किया गया। प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से दिल्ली में डी डी टी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है जिसकी प्रविकृत पूंजी 1 करोड़ रु है। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल 1955 में प्रारम्भ हुआ तथा 1958 में इसकी उत्पादन-क्षमता दुगुनी हो गई। 1961 62 में इसमें 1 503 टन का उत्पादन हुआ। केरल राज्य के अलवाए नामक स्थान पर स्थापित दूसरे डी डी टी कारखाने (पूंजीगत लागत 79 लाख रु) में भी जुलाई 1958 से कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 1961 62 में इसमें 1 224 टन का उत्पादन हुआ।

भारत सरकार ने पूना के निकट पिम्परी नामक स्थान में एक पेनिसिलीन कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने ने अपना उत्पादन-कार्य अगस्त 1955 में प्रारम्भ किया। कारखाने की व्यवस्था हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स लिमिटेड के हाथ में है जिसकी प्रविकृत पूंजी 4 करोड़ रु है। 1961 62 में 4 55 करोड़ मेगा यूनिट पेनिसिलीन का उत्पादन हुआ।

पिम्परी में 2 16 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा 40-45 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता का स्ट्रेप्टोमाइसीन कारखाना चालू हो गया है। 60 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से इस संयत्र की क्षमता 80–90 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष कर देने की एक योजना स्वीकृत की गई है, जो 1963 में पूरी हो जाएगी।

टेट्रासाइक्लीन के 1 5 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए एक मार्गदर्शक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगस्त 1961 में आक्सी-टेट्रासाइक्लीन का उत्पादन आरम्भ हो गया। क्लोर-टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड का भी उत्पादन शुरू हो गया है। प्रतिवर्ष 48 मीट्रिक टन विटामिन 'सी' के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की योजना स्वीकृत की गई है।

उर्वरक

सरकार द्वारा 28 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित सिन्दरी उर्वरक कारखाने का उत्पादन-कार्य अक्तूबर 1951 में आरम्भ हुआ। अप्रैल से दिसम्बर 1962 में इस कारखाने में 2,38,498 मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट तैयार हुआ। कोयला-भट्ठी संयंत्र से प्राप्त होनेवाली सम्पूर्ण 100 लाख घन फुट गैस का उपयोग करके उत्पादन में 60 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना 18 करोड़ रुपये की लागत से पूरी कर ली गई है। अप्रैल से दिसम्बर 1962 में इस कारखाने में 13,390 मीट्रिक टन यूरिया तथा 46,484 मीट्रिक टन डबल साल्ट तैयार हुआ।

नांगल में 3,65,000 मीट्रिक टन नाइट्रो-लाइमस्टोन तथा 14-15 टन भारी पानी के वार्षिक उत्पादन के लिए 30 करोड़ रु की लागत से एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसके उर्वरक संयत्र में फरवरी 1961 में काम प्रारम्भ हो गया तथा अप्रैल से दिसम्बर 1962 की अवधि में इसमें 1 99 127 मीट्रिक टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन हुआ। भारी पानी तैयार करने का संयंत्र अगस्त 1962 में चालू हो गया। वर्ष के अन्त तक इसमें 2,354 किलोग्राम भारी पानी का उत्पादन

हुआ। इसके अतिरिक्त नहरकाटिया (असम) ट्राम्बे नामरूप नहवेली तथा राउरकेला में नए उर्वरक उत्पादन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के प्रबन्ध के लिए जनवरी 1961 में 75 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से भारत उर्वरक निगम की स्थापना की गई। विशाखापट्टनम् कोठागुडम (आन्ध्रप्रदेश) हनुमानगढ़ (राजस्थान) टूटीकोरिन और एन्नौर (मद्रास) में भी उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

तेल

दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश के तेल संसाधनों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। देश को प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख टन तेल की आवश्यकता होती थी जिसमें से 66 लाख टन तेल का आयात किया जाता था। भारत में तेल केवल डिगबोई (असम) के आसपास निकाला जाता था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तत्वावधान में अनेक स्थानों पर तेल क्षेत्रों की खोज की जा रही है। परिणामस्वरूप गुजरात में कम्बात अंकलेश्वर, ओलपद लासन्द कलोल और मेहसाना में असम में रुद्रसागर और शिवसागर में पंजाब में आदमपुर और जनौरी में तथा उत्तरप्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल प्राप्त हुआ है। अंकलेश्वर के [illegible]त क्षेत्रों में अगस्त 1961 में उत्पादन शुरू हो गया। तेल की खोज करने में विदेशी सहायता भी [illegible] जाती है।

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल सम्बन्धी सारी-की-सारी [आ]वश्यकताएं आयात करके पूरी की जाती थीं क्योंकि डिगबोई स्थित 'असम तेल कम्पनी [के] कारखानों का उत्पादन कुल आवश्यकता के लगभग 5 प्रतिशत के बराबर था। पहली [यो]जना में पेट्रोल साफ करने के तीन कारखाने स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इनमें से [दो] ट्राम्बे में तथा तीसरा विशाखापट्टनम् में स्थापित किया गया। इन सब कारखानों में [परि]ष्कृत पेट्रोल की वार्षिक उत्पादन-क्षमता (सन् 1957 के अन्त तक) लगभग 43 लाख [ट]न थी। सन् 1958 में इसके उत्पादन की विधि में सुधार किया गया ताकि मिट्टी के [ते]ल और डीजल तेल सम्बन्धी देश की जरूरतें पूरी की जा सकें। इन सब कारखानों का वर्तमान उत्पादन लगभग 78 5 लाख टन है।

असम में नूनमती तथा बिहार में बरौनी के तेल साफ करने के कारखानों से प्राप्त होनेवाले 27 5 लाख टन पेट्रोलियम-उत्पादनों के विपणन तथा वितरण के लिए जून 1959 में 12 करोड़ रु की अधिकृत पूंजी से 'इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। जुलाई 1960 में कम्पनी ने चार वर्ष की अवधि के लिए रूस की सरकार के साथ मिट्टी के तेल पेट्रोलियम-उत्पादनों के आयात के लिए रूसी व्यापार संगठन से एक समझौता किया है।

फरवरी 1959 में 'आयल इंडिया लिमिटेड' की स्थापना की गई, जिसमें भारत सरकार और 'बर्मा आयल कम्पनी' की बराबर-बराबर हिस्सा-पूंजी है। इस कम्पनी में अप्रैल 1962 में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो गया।

रूमानिया के सहयोग से गौहाटी के पास नूनमती में 7 5 लाख टन क्षमतावाले सरकारी क्षेत्र के तेल साफ करने के कारखाने (अधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपये) में जनवरी

1962 में उत्पादन शुरू हो गया और अब इसमें पूरी क्षमता से काम हो रहा है। इस पर लगभग 17.70 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

रूस के सहयोग से बरौनी नामक स्थान पर तेल साफ करने का एक अन्य कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष 20 लाख टन तेल साफ किया जाएगा। इस कारखाने पर कुल 41 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका 10 लाख टन क्षमता का पहला यूनिट अक्तूबर 1963 में चालू हो जाएगा और उतनी ही क्षमता का दूसरा यूनिट 1964 के शुरू में चालू होगा।

गुजरात में बड़ौदा के पास कोयाली में रूस के सहयोग से 20 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमतावाला एक तेल साफ करने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसमें उस क्षेत्र में प्राप्त तेल साफ किया जाएगा।

नूनमती बरौनी और कोयाली की क्षमता 1965-66 में क्रमशः 12.5, 30 और 30 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की दिशा में प्रारम्भिक कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल 1963 में भारत सरकार और अमेरिका की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के बीच 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमतावाला तेल साफ करने का कारखाना कोचीन क्षेत्र में खोलने के लिए समझौता हुआ है।

कोयला तथा भूरा कोयला (लिग्नाइट)

खानों से कोयला निकालने का काम भारत में पहले-पहल 1814 में रानीगंज (बंगाल) में प्रारम्भ हुआ था। देश में रेलों के आगमन से इस उद्योग को गति मिली तथा अनेक ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां स्थापित हुईं, जिनका स्वामित्व अधिकांशतः यूरोपीयों के अधीन था। 1866 के बाद कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। उस वर्ष कुल 5 लाख टन कोयला निकाला गया जो बढ़ते-बढ़ते 1962 में 615 लाख मीट्रिक टन तक जा पहुंचा।

तीसरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1965-66 के लिए 970 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त उत्पादन में से 170 लाख टन निजी क्षेत्र का और 220 लाख टन सरकारी क्षेत्र का दायित्व होगा।

भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों के लिए कोयले की व्यवस्था करने के उद्देश्य से नवम्बर 1958 में लगभग 2.48 करोड़ रु. की लागत से एक कोयला-धोवन कारखाना करगली में खोला गया था। 1962 में इसमें 10.6 लाख टन धोवित कोयले का उत्पादन हुआ।

नइवेली की भूरा कोयला परियोजना में प्रतिवर्ष 35 लाख टन भूरा कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्य खनिज पदार्थ

1961 में खानों में लगभग 6,71,000 व्यक्ति काम करते थे। खानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं।

जिन खनिज पदार्थों की विस्तृत रूप से खोदाई की जाती है उनमें कोयला (854 खानें) अभ्रक (718 खानें) खनिज मैंगनीज (551 खानें) खनिज लोहा (284 खानें) जिप्सम (39 खानें) तथा चूने का पत्थर (155 खानें) उल्लेखनीय हैं। खनिज पदार्थों के उत्पादन में प्रतिवर्ष अच्छी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 1901 में कुल 6 70 करोड़ रु के मूल्य के खनिज पदार्थ निकाले गए थे। 1961 में निकाले गए खनिज पदार्थों का मूल्य लगभग 176 करोड़ रुपये था।

बागान उद्योग

चाय

1834 तथा 1866 के बीच चाय का उत्पादन सरकारी बागानों में ही होता था। 1863 से चाय बागानों की व्यवस्था मुख्यत यूरोपीय व्यापारियों के हाथ मे आ गई। विगत कुछ वर्षों में अपने देश में चाय की खेती के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। 1935-36 में चाय का उत्पादन 39 50 करोड़ पौंड था। 1962 में 34 38 करोड़ किलोग्राम का उत्पादन हुआ।

काफी

काफी की *योजनाबद्ध खेती 1830 में प्रारम्भ हुई तथा 1862 में यह* उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। तभी विनाशकारी कीड़ों और बाजील की काफी की होड़ के कारण देश में इसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई। उसके बाद पुन अथक प्रयास किए गए और आज इस देश मे काफी की अच्छी-खासी खेती होती है। 1962-63 में लगभग 54 800 मीट्रिक टन काफी का उत्पादन हुआ। नवम्बर 1962 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अन्तर्गत भारत को 21 600 मीट्रिक टन काफी के निर्यात का कोटा मिला है।

रबड़

रबड़ के बागान अपेक्षाकृत बाद में लगाए गए। अनुमान है कि 1962 में लगभग 3 52 लाख एकड़ भूमि में रबड़ के बागान थे। 1962 के पहले 11 महीनो में 27 392 मीट्रिक टन रबड़ का उत्पादन हुआ। 1961 में यह उत्पादन 23,515 मीट्रिक टन था।

सामान्य

चाय काफी तथा रबड़ के बागान देश की कृषि-भूमि के लगभग 0 4 प्रतिशत भाग में हैं और मुख्यत उत्तर-पूर्व में तथा दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर स्थित हैं। इनमें 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा इनके निर्यात से भारत को अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। एक अरब रुपए की विदेशी मुद्रा तो केवल चाय से ही प्राप्त होती है। प्रारम्भ में काफी तथा रबड़ का भी निर्यात किया जाता था परन्तु इनकी खपत आजकल देश में ही हो जाती है।

चाय काफी तथा रबड़ उद्योगों की विस्तृत जांच-पड़ताल करने के लिए अप्रैल 1954 में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था जिसने 1956 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें कीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बागान उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। चाय का उत्पादन 72.50 लाख पौंड से बढ़ा कर 90.00 लाख पौंड, काफी का उत्पादन 48,000 टन से बढ़ा कर 80,000 टन और रबड़ का उत्पादन 26,400 टन से बढ़ा कर 45,000 टन किया जाएगा। चाय का निर्यात 4,650 लाख पौंड से बढ़ा कर 5,500 पौंड किया जाएगा तथा काफी का निर्यात भी दुगुना कर दिया जाएगा। सितम्बर 1958 में चाय पर निर्यात-शुल्क घटाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें निश्चित करने का निश्चय किया गया। चाय बोर्ड चाय उद्योग की उन्नति के लिए भारत और विदेशों में अनेक योजनाओं पर अमल कर रहा है। काफी और रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की ओर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग

यों तो देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत विकास हुआ है फिर भी भारत अभी मुख्य रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। अनुमान लगाया गया है कि देश के कुटीर उद्योगों में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति काम करते हैं जिनमें से लगभग 50 लाख व्यक्ति केवल हथकरघा उद्योग में हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ये संगठन स्थापित किए हैं—अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, नारियल-जटा बोर्ड तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड।

सरकार तथा बैंक दोनों ही छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। 1961-62 में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को 5.23 करोड़ रु. के ऋण तथा अनुदान देने की स्वीकृति दी जा चुकी थी। नवम्बर 1962 के अन्त तक 12 औद्योगिक बस्तियां बस चुकी थीं और 121 बसाई जा रही थीं।

छोटे उद्योगों* को तकनीकी सहायता देने का एक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार सेवा' के नाम से आरम्भ किया है। अब तक 16 लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा 5 शाखा संस्थान खोले जा चुके हैं और 61 औद्योगिक विस्तार केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं जो विभिन्न व्यवसायों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। लघु उद्योगों को तकनीकी मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से भी विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं तथा भारतीय प्रशिक्षार्थी विदेश भेजे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त फरवरी 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके यह निगम छोटे कारखानों को ठेके आदि दिलवाने की व्यवस्था करता है। इस योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के

---

*छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत वे औद्योगिक कारखाने आते हैं जिनकी पूंजी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उनमें काम करनेवालों की संख्या चाहे जितनी हो।

उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग 8 करोड़ रु. के ठेके दिलाए गए। जनवरी 1959 से यह निगम इन छोटे कारखानों को ऋण भी दिलवा रहा है। निगम ने किस्तों पर मशीनरी देने की योजना भी शुरू की है जिसके अन्तर्गत 1962-63 के पहले 8 मास में 19 8 करोड़ रुपये की मशीनें किस्तों पर दी गई। बम्बई, कलकत्ता मद्रास तथा दिल्ली में चार सहायक निगम स्थापित कर दिए गए हैं। निगम को केन्द्रीय सरकार अनुदान तथा ऋण प्रदान करती है।

1952 में स्थापित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड हस्तशिल्प (दस्तकारी) की चीज़ों तथा उनकी बिक्री की समुचित व्यवस्था कर रहा है। यह बोर्ड विभिन्न प्रकार के 19 केन्द्र चला रहा है तथा हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम प्रदर्शनियों आदि के द्वारा विदेशों में प्रचार कर रहा है। हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हो रही है। पहली योजना की अवधि में औसत रूप 7 करोड़ रुपये के माल का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता था। 1961 62 में 11 5 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात हुआ और 1962-63 में 16 करोड़ रुपये की वस्तुओं के निर्यात का अनुमान है।

नारियल-जटा उद्योग मुख्यत एक कुटीर उद्योग है। कुछ कारखानों में लकड़ी के करघे भी हैं जिन पर हाथ से काम किया जाता है। अनुमान है कि 1 42 लाख मीट्रिक टन के नारियल-जटा की रस्सियों के वार्षिक उत्पादन में से लगभग 90 प्रतिशत का उत्पादन केवल केरल में ही होता है।

औसतन 53,000 टन नारियल-जटा की रस्सियों तथा उनसे बनी 18,000 टन वस्तुओं का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है। भारत में नारियल-जटा से बननेवाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने का कार्य नारियल-जटा बोर्ड को सौंपा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल-जटा उद्योग के लिए 3 13 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में इसकी बनी वस्तुओं की किस्म सुधारने तथा उनका निर्यात बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1961 में भारत में 16 5 लाख किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ। इसमें से लगभग आधा उत्पादन मैसूर राज्य में हुआ। असम जम्मू-कश्मीर पश्चिम-बंगाल मध्य प्रदेश तथा बिहार में भी काफी मात्रा में रेशम बनता है। रेशम उद्योग के विकास की व्यवस्था करने के लिए 1949 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। पश्चिम-बंगाल मैसूर असम और बिहार में चार प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये प्रादेशिक केन्द्र तथा मैसूर का एक अखिल भारतीय रेशम कीटपालन प्रशिक्षण संस्थान इस उद्योग के लिए लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा इन उद्योगों पर लगभग 218 करोड़ रु. व्यय किए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इनके लिए 264 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है जिसमें से 38 करोड़ रु. हथकरघा उद्योग पर 9 4 करोड़ रु. खादी उद्योग तथा ग्रामोद्योग पर 7 करोड़ रु. रेशम उद्योग पर, 3 करोड़ रु. नारियल-जटा उद्योग पर 8 6 करोड़ रु. हस्तशिल्प पर 84 6 करोड़ रु. लघु उद्योगों पर तथा 30 करोड़ रुपये औद्योगिक बस्तियों पर व्यय किए जाएंगे।

खादी उद्योग

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थाओं, राज्य सरकारों तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थायी बोर्डों के माध्यम से खादी उद्योग को वित्तीय सहायता देता है। खादी के प्रचार प्रसार के लिए खादी तथा विशेष-विशेष अवसरों पर काफी छूट दी जाती है। अनुमान है कि 1952-53 में 1 94 करोड़ रु. की खादी बनी थी तथा 1 95 करोड़ रु. की बिक्री हुई थी। 1959-60 में 14 14 करोड़ रु. के मूल्य की खादी बनी तथा 10 60 करोड़ रु. की बिक्री हुई।

तीसरी योजना में खादी का विकास खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नये सिरे से बनाए गए कार्यक्रमों के अनुसार किया जाएगा जिसमें चुने हुए सुसम्बद्ध क्षेत्रों या ग्राम इकाइयों का समन्वित और सर्वांगीण विकास करने का भरपूर प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रकार की 3,000 ग्राम इकाइयां संगठित की जाएंगी। प्रत्येक इकाई में 5,000 की जनसंख्या वाला एक ग्राम या ग्राम-समूह होगा। स्थानीय उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक उपयोग करने की योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे यथासम्भव स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। ये योजनाएं पंजीकृत संस्थाओं, यथा सहकारी तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। वित्तीय और तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने और प्रशिक्षण की सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी आयोग पर है तथा कार्यक्रमों की तैयारी और उनके विस्तार की जिम्मेदारी राज्य बोर्डों तथा स्थानीय निकायों पर है। इस योजना का उद्देश्य खाली व्यक्तियों को मजदूरी देना, यथा स्थानीय उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना और सुधरी तकनीकों द्वारा उत्पादन और आय में वृद्धि करना है। आशा है तीसरी योजना के अन्त में लगभग 40-50 प्रतिशत खादी-उत्पादन स्थानीय व्यक्तियों को बेचा जा सकेगा तथा इसकी कीमत 15-20 प्रतिशत कम की जा सकेगी।

अम्बर चर्खा

1956 में 4 तकुओंवाला एक उन्नत प्रकार का चर्खा बनाया गया, जिसके निर्माण और वितरण तथा उसके लिए प्रशिक्षकों, कतवैयों आदि के प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया गया। इसमें कुछ सुधार भी किए गए, जिससे इसका उत्पादन पहले से ड्योढ़ा हो गया है।

सारणी 30

चालू भुगतान सन्तुलन

(करोड़ रु)

	1960-61	1961 62		1962-63
	कुल	कुल	अप्रैल–सितम्बर	अप्रैल–सितम्बर
1 आयात	1102 3	978 0	492 0	534 3
निजी	644 1	620 7	328 7	320 0
सरकारी	458 2	357 3	163 3	214 3
2 निर्यात	630 5	667 5	320 2	308 7
3 व्यापार-सन्तुलन (2—1)	—471 8	—310 5	—171 7	—225 6
4 सरकारी दान	46 4	44 4	19 6	33 7
5 अन्य चालू मदें (शुद्ध)	36 2	—12 1	—6 6	—1 6
6 सन्तुलन (शुद्ध) 3+4+5	—389 2	—278 2	—158 7	—193 5
7 भूल-चूक	—10 7	4 5	7 6	0 1
8 सरकारी ऋण (सकल)	245 2	237 6	116 7	166 2
9 अन्य पूंजीगत लेन-देन (शुद्ध)	106 1	—28 6	—35 1	—36 3
10 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से निकासी (शुद्ध)	—10 7	58 4	58 4	11 9
11 सुरक्षित विदेशी विनिमय से निकासी	59 3	6 3	11 1	51 6
12 सन्तुलन (वित्त) (7—11)	389 2	278 2	158 7	193 5

आयात

अप्रैल-सितम्बर 1961 62 में आयात 534 3 करोड़ रुपये का हुआ । सरकारी आयात 51 करोड़ रुपये कम हुआ । निजी आयात में 8 7 करोड़ रुपये की तथा कुछ अन्य वस्तुओं के आयात में थोड़ी कमी आई ।

निर्यात

1961-62 का 667 ...रोड़ रुपये का निर्यात 19... ...के निर्यात से 37 करोड़ रुपये अधिक था । पर 196... ...ह वृद्धि जारी नहीं र... ...1-62 में हुई वृद्धि अप्रैल-सितम्बर 1962 में तो जारी... ...बाद को यह पिछे... ...के सामान तथा चाय के निर्यात मूल्यों में कमी आने... ...पूर्ति की पूर्ति ...

अप्रैल-सितम्बर 1961 तथा 1962 में निर्यात की परम्परागत बड़ी-बड़ी वस्तुओं से होने वाली आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाय के निर्यात की मात्रा 860 लाख किलोग्राम से बढ़ कर 950 लाख किलोग्राम हो गई। पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात में अप्रैल-सितम्बर 1961 की तुलना में 40 लाख रुपए की कमी आई। अप्रैल-सितम्बर 1962 में सूती वस्त्र के निर्यात की मात्रा में 250 लाख मीटर की कमी आई और आय भी 2.6 करोड़ रुपये कम हुई।

अप्रैल-सितम्बर 1962 में चीनी, तम्बाकू, लाख, वनस्पति तेल, खाल तथा चमड़ा, कच्चा लोहा आदि के निर्यात में वृद्धि हुई, जब कि काजू, मसालों, कहवा, कच्ची कपास, मैंगनीज, चमड़े की बनी वस्तुओं और लोहा तथा इस्पात आदि की वस्तुओं में कमी आई।

व्यापार नीति

व्यापार नीति के मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उचित मूल्य पर वस्तुओं के न्यायोचित वितरण की व्यवस्था करना, निर्यात में पर्याप्त वृद्धि लाना और आयात की गई वस्तुओं और कच्चे माल के स्थान पर देशी उत्पादन को प्रोत्साहन देना है।

आयात नीति

1962-63 के लिए घोषित आयात नीति के तीन मुख्य उद्देश्य रखे गए—औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना, विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।

देशी उद्योगों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए विख्यात आयातकर्ताओं के आयात कोटों में कमी की गई और कुछ वस्तुओं के आयात कोटों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। परिवार आयोजन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में गर्भ-निरोधक औषधियों, आदि के कोटों में वृद्धि की गई।

जून 1962 में देश की पौण्ड-पावने की राशि में काफी कमी आने के कारण विख्यात आयातकर्ताओं को लाइसेंस देने में 50 प्रतिशत की कटौती की गई।

अक्तूबर 1962–मार्च 1963 की अवधि के लिए आयात नीति संकटकाल की स्थिति से उत्पन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई।

अप्रैल 1963–मार्च 1964 के लिए आयात नीति की घोषणा कर दी गई है। अब आयात के लाइसेन्सों के आवेदनपत्र पूरे वर्ष के आधार पर होने चाहिए। नई नीति पिछली नीति से कुछ अधिक उदार है।

विदेशी विनिमय की स्थिति लगातार तंगी में होने और संकटकाल के कारण उत्पन्न महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विख्यात आयातकर्ताओं को विशेष महत्त्व की विशेष वस्तुओं के ही कोटे दिए गए।

गोवा, दमन तथा दीव के सम्बन्ध में तैयार की गई आयात नीति की विशेषता यह है कि विदेशी मुद्रा की सुलभता तथा अन्य भारत से होनेवाली उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं वस्तुओं के आयात की व्यवस्था रखी गई, जिनके इन प्रदेशों के निवासी आदी हैं।

निर्यात नीति

सामान्यतः निर्यात पर सभी नियन्त्रण में निरन्तर ढील देने तथा देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप संगठित निर्यात प्रोत्साहन की नीति 1962 में जारी रही। 'निर्यात नियन्त्रण आदेश 1958' पर पुनर्विचार किया गया और इसके स्थान पर 10 अक्तूबर, 1962 से नया आदेश लागू किया गया जिसके अनुसार कई वस्तुओं के निर्यात पर से नियन्त्रण हटा लिया गया।

निर्यात वृद्धि

तीसरी योजना में प्रतिवर्ष औसतन 740-760 करोड़ रुपये की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। व्यापार तथा उद्योग की अनुकूलता के अनुसार निर्यात-प्रोत्साहन सम्बन्धी नीतियों पर निरन्तर विचार करते रहने के लिए मई 1962 में एक व्यापार मण्डल स्थापित किया गया जिसने अपने कार्य के लिए कई उपसमितियां नियुक्त कीं।

सरकार ने निर्यातकर्ताओं को ऋण की सुविधाएं देने के सम्बन्ध में अध्ययन मण्डल की सिफारिशें स्वीकार कर लीं और मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित किया। इस कार्य के लिए 'रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम' तथा 'स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम' में संशोधन किए गए।

उन वस्तुओं के निर्यात को, जिनका निर्यात की दृष्टि से काफी महत्व है, प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं।

बम्बई में मुख्यालय सहित पांच करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ जुलाई 1957 में स्थापित सरकारी निर्यात जोखिम-बीमा निगम उन सुविधाओं की व्यवस्था करता है, जो सामान्यतः व्यापारिक बीमा कम्पनियां नहीं देतीं। कलकत्ता तथा मद्रास में भी इसके कार्यालय हैं। दिसम्बर 1962 में इस निगम ने 8.21 करोड़ रुपये के अधिकतम दायित्व के 368 बीमा पत्र जारी किए।

प्रदर्शनी निदेशालय भारतीय सामान के व्यावसायिक दृश्य प्रचार की देखभाल करता है। 1962-63 में भारत ने कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लिया। भारत ने 1964-65 में न्यूयार्क में होनेवाले विश्व मेले में भाग लेने तथा 1963 में मास्को में भारतीय प्रदर्शनी की व्यवस्था करने का भी निर्णय किया है।

व्यापार करार

नई मण्डियों में और नई चीज़ों के व्यापार के विकास द्वारा निर्यात से होनेवाली आय में वृद्धि करके अदायगी के असन्तुलन को कम करने में व्यापार करारों का महत्वपूर्ण योगदान जारी रहा। चार करार अनुवर्ती अवधि के लिए नवीकृत किए गए, छः वर्तमान करारों का विस्तार किया गया और आठ देशों के साथ नए करार किए गए।

तटकर

1962 में तटकर आयोग ने 7 तटकर जांच और 5 मूल्य जांच कीं। भारत सरकार ने तटकर जांच सम्बन्धी तटकर आयोग की मुख्य सिफारिशें पूर्णतः स्वीकार कर

थीं। लागू हो चुके 'भारतीय टटकर (संशोधन) अधिनियम 1963' से 1934 के 'भारतीय टटकर अधिनियम' में संशोधन हो गया।

व्यापार का रुख

ब्रिटेन और अमेरिका भारत के मुख्य ग्राहक बने रहे। 1961 62 के दौरान भारत के निर्यात व्यापार में उनका भाग क्रमश 24 4 प्रतिशत और 17 7 प्रतिशत रहा। इसके बाद जापान (6 1 प्रतिशत) तथा रूस (5 9 प्रतिशत) का स्थान आता है।

भारत जिन देशों को निर्यात करता है उनमें प्रमुख ये हैं अमेरिका ब्रिटेन जापान आस्ट्रेलिया रूस श्रीलंका पश्चिम-जर्मनी कनाडा बर्मा संयुक्त अरब गणराज्य (मिस्र) फ्रांस अर्जेन्टीन सूडान सिंगापुर, नीदरलैण्ड चेकोस्लोवाकिया केनिया इटली नाइजीरिया न्यूजीलैण्ड पाकिस्तान तथा इण्डोनेशिया।

भारत मुख्यत इन देशों से आयात करता है अमेरिका ब्रिटेन पश्चिम-जर्मनी ईरान जापान इटली फ्रांस रूस बेल्जियम स्विट्जरलैण्ड आस्ट्रेलिया अमन संघ बहरीन अरब कनाडा चेकोस्लोवाकिया पाकिस्तान बर्मा नीदरलैण्ड सिंगापुर, स्वीडन संयुक्त अरब गणराज्य (मिस्र) केनिया उत्तरी रोडेशिया और सूडान। आयात मुख्यत अमेरिका ब्रिटेन पश्चिम-जर्मनी तथा जापान से होता रहा है।

निर्यात तथा आयात का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है

सारणी 31

भारत का निर्यात तथा आयात व्यापार

(करोड़ रु)

वर्ष	निर्यात	आयात
1960-61	632 42	1 121 62
1961 62	656 62	1 038 62
अप्रैल-नवम्बर, 1962	445 12	682 58

व्यापार का ढांचा

निर्यात

भारत के निर्यात-व्यापार में हाल के कुछ वर्षों में विस्तार तथा विविधता देखने में आई। भारत का सबसे अधिक निर्यात 1961 62 में 657 करोड़ रुपये का हुआ जो 1960-61 के निर्यात की तुलना में 25 करोड़ रुपये अधिक था।

1960-61 1961 62 तथा अप्रैल-नवम्बर 1962 में भारत ने जिन वस्तुओं का निर्यात किया उनका विवरण अगले पृष्ठ की सारणी में दिया गया है।

सारणी 32
निर्यात की गई वस्तुएं

(करोड़ रु.)

वस्तुएं	1960-61	1961 62	अप्रैल-नवम्बर 1962
चाय	123 59	122 40	84 97
सूती कपड़ा	57 51	48 39	29 39
अन्य वस्त्र (सूती कपड़ों को छोड़ कर)	79 71	88 37	71 03
कपड़े की बनी चीजें (पहनने के कपड़ा तथा सूती को छोड़ कर)	61 23	66 02	41 30
कच्ची मैंगनीज धातुएं	16 49	12 75	6 14
चमड़ा	24 85	15 33	14 85
कपास	8 67	14 32	7 17
ताजे फल तथा मेवे	21 49	20 36	14 15
कच्ची वनस्पतिजन्य सामग्री	15 95	15 39	9 16
कच्ची ऊन	7 72	9 20	4 88
चीनी	3 28	15 34	12 45
खनिज धातु आदि	17 03	17 45	12 09
कच्चा तम्बाकू	14 61	14 04	13 62
वनस्पति-तेल	8 54	5 83	6 89
अन्य खनिज पदार्थ (कोयला पत्थर खाद तथा बहुमूल्य रत्नों को छोड़ कर)	12 71	11 98	9 01
जूट	11 21	13 99	9 41
मशीनरी तथा यन्त्र पर बिजली का सामान	9 19	8 44	5 43
मछली तथा उत्पाद	9 68	9 68	1 65
काफी	7 22	9 01	5 71
चमड़ा तथा खालें (कच्चा)	10 02	8 83	6 54
पेट्रोलियम-उत्पादन	4 87	3 49	2 80
कोयला कोक तथा कोयला-चूरे की ईंटें	3 33	2 42	2 03
कुल (अन्य वस्तुओं को मिला कर)	632 42	656 82	445 12

आयात

1960-61 1961 62 तथा अप्रैल-नवम्बर 1962 में भारत में जिन वस्तुओं का आयात किया, उसका विवरण अगले पृष्ठ की सारणी में दिया गया है ।

सारणी 33
आयात की गई वस्तुएं

(करोड़ रु.)

वस्तुएं	1960-61	1961 62	अप्रैल-नवम्बर 1962
मशीनें (बिजली की मशीनों को छोड़ कर)	203 37	231 69	167 71
लोहा और इस्पात	122 54	101 98	52 72
पेट्रोलियम-उत्पादन	52 07	53 28	36 82
परिवहन का सामान	72 39	64 21	34 38
बिजली की मशीनें तथा उपकरण	57 22	63 01	36 78
कपास	81 74	62 65	42 42
गेहूं	153 20	77 55	45 35
पेट्रोल (बिना साफ किया हुआ और आंशिक रूप में साफ किया हुआ)	17 36	42 36	18 30
रासायनिक मूल पदार्थ तथा उनके मिश्रण	39 34	35 12	26 18
धातु की बनी वस्तुएं	20 37	15 84	11 73
सूत	14 37	13 27	8 86
युद्ध-उपकरण	2 56	0 91	0 24
तांबा	21 93	23 27	15 40
चावल	22 44	15 04	16 62
औषधियां	10 50	11 17	6 81
ताजे फल तथा मेवे	15 07	10 15	6 00
कच्ची ऊन तथा बाल	10 41	12 19	7 83
कागज तथा गत्ता	11 83	15 34	7 35
तेलहन गिरियां आदि	11 63	9 43	6 55
कोलतार, रंग सामग्री तथा नील	8 85	11 20	5 97
अल्यूमीनियम	7 69	7 93	7 51
दूध तथा क्रीम (डिब्बाबन्द)	4 99	7 95	6 06
विभिन्न रसायन तथा उनके उत्पादन	9 21	12 11	7 27
जस्ता	9 19	7 39	9 69
कच्ची पटसन	7 64	6 27	2 05
कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला पेट्रोल खाद तथा बहुमूल्य रत्नों-पत्थरों को छोड़ कर)	6 82	7 86	6 04
वनस्पति-तेल	3 66	5 29	2 77
कुल (अन्य वस्तुओं को मिला कर)	1 121 62	1 038 62	682 58

1960-61 तथा 1961-62 में अधिक आयात होने का कारण था—योजनाओं में परिकल्पित कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिए मशीनों तथा अन्य उपकरणों की आवश्यकता। इसके खाद्य-शाक कपास तथा पटसन के आयात में काफी कमी हुई, जिसका अर्थ हुआ हमारी आत्मनिर्भरता। 1961 62 में खाद्य वस्तुओं के आयात में भारी कमी आई, किन्तु उनकी मात्रा फिर भी काफी रही।

राज्य व्यापार निगम

मई 1956 म पूर्णत सरकार क नियन्त्रण में एक व्यापार निगम की स्थापना हुई। इसकी अधिकृत पूंजी इस समय 5 करोड़ रु है। निगम का प्रमुख कार्य भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि करना है। स्थापित होने के बाद से ही यह निगम नियन्त्रित अर्थव्यवस्थावाले देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है जिससे भारत के पौंड-पावने पर प्रभाव डाले बिना इन देशों स इस्पात सीमेन्ट तथा औद्योगिक उपकरण आदि प्राप्त किए जा सकें। यह निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने तथा भारत की परम्परागत तथा अपरम्परागत निर्यात-वस्तुओं के लिए नए बाजार ढूंढने का यत्न कर रहा है। इसने भारत स निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के बदले म आवश्यक पूंजीगत सामान तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री मंगाने के सम्बन्ध में कुछ देशों के साथ व्यवस्था की है। इसने बड़ समझौतों की व्यवस्था की है। निगम ने मुख्य कच्ची सामग्री के बराबर वितरण की भी व्यवस्था की है ताकि इन वस्तुओं क मूल्य उचित स्तर तक गिराए जा सकें। इन वस्तुओं में कास्टिक सोडा सोडा ऐश भारा अखबारी कागज कपूर, रस-सामग्री आदि सम्मिलित हैं। आयात की मात्रा तथा समय इस प्रकार निश्चित किया गया है कि उपलब्धि में बार बार बाधा न आए। जुलाई 1956 में निगम को भारतीय उत्पादकों से सीमेन्ट प्राप्त करने विदेशों से सीमेन्ट मंगाने तथा भारत के सभी प्रमुख रेल-केन्द्रों पर बराबर मूल्य पर उसके समवितरण का काम सौंपा गया था। देश में सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ जाने क कारण 1958 में निगम को भारत स सीमेन्ट का निर्यात करने का भी अधिकार दे दिया गया।

जनवरी-नवम्बर 1962 में निगम ने 71 23 करोड़ रुपये क मूल्य की बिक्री की।

आन्तरिक व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध प्रकार के प्राकृतिक साधनों को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि भारत का अन्तर्देशीय व्यापार इसके बाह्य व्यापार से कई गुना अधिक हो। राष्ट्रीय आयोजना समिति की एक व्यापार उपसमिति के अनुसार 1947 में देश का आन्तरिक व्यापार 70 अरब रु तथा बाह्य व्यापार 3 5 अरब रु के मूल्य का था। परन्तु आन्तरिक व्यापार क पूरे-पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहुत-सा व्यापार तो बैलगाड़ियों तथा छोटी-मोटी नौकाओं द्वारा होता है जिसका हिसाब-किताब रखना आसान नहीं है। किन्तु रेल तथा देशी जहाजों द्वारा होनेवाले व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं।

1961-62 की अवधि में राज्यों तथा मुख्य बन्दरगाहों के बीच रेल तथा नदियों द्वारा 29 32 करोड़ क्विंटल कोयला 39 82 लाख क्विंटल कपास 23 04 लाख क्विंटल रूई चावल 211 97 लाख क्विंटल चावल 274 37 लाख क्विंटल गेहूं 44 64 लाख

क्विंटल कच्ची पटसन 400 75 लाख क्विंटल लोहे तथा इस्पात के उत्पादन 82 86 लाख क्विंटल तम्बाकू 151 01 लाख क्विंटल नमक तथा 86 62 लाख क्विंटल चीनी (खांडसारी को छोड़ कर) का व्यापार हुआ।

तटीय व्यापार

भारतीय तटों को इन खण्डों में विभाजित किया गया है (1) पश्चिम-बंगाल (2) उड़ीसा (3) आन्ध्रप्रदेश (4) मद्रास (5) केरल (6) मैसूर (7) महाराष्ट्र (8) गुजरात (9) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (10) लक्कदीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह तथा (11) पाण्डिचेरी। अप्रैल 1963 से गोआ का एक अलग खण्ड हो गया था। एक ही खण्ड में विभिन्न बन्दरगाहों के बीच होनेवाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' तथा दो भिन्न खण्डों के बीच होनेवाला व्यापार बाह्य व्यापार' कहलाता है।

1961 62 में कुल तटीय व्यापार 517 22 करोड़ रु के मूल्य का हुआ। इसमें से 247 19 करोड़ रु का आयात तथा 270 03 करोड़ रु का निर्यात हुआ।

1955-56 से 1959 तक आयात निर्यात से अधिक रहा किन्तु 1960-61 तथा 1961 62 में प्रवृत्ति बिल्कुल उलट गई।

/ मीट्रिक माप-तौल

1956 म मानक माप-तौल अधिनियम' पास होने के बाद से यह सुधार एक निश्चित कार्यक्रम क अनुसार विभिन्न उद्योगो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और प्रदेशों में धीरे धीरे लागू किया गया है। सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट इलाकों में 1958 में दो वर्ष की अवधि के लिए मीट्रिक बाट स्थानीय बाटों के साथ-साथ चालू किए गए थे। अक्तूबर 1960 में उन क्षेत्रों में ये बाट अनिवार्य बना दिए गए। कुछ चुने हुए उद्योगों तथा सरकारी विभागों यथा रेलवे डाक तथा तार, आदि में भी इनका प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया।

1962 में देश भर में मीट्रिक बाटों तथा लम्बाई के मापों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। यह प्रणाली मोटर परिवहन उद्योग तथा बराबर बर सकनेवाले उत्पाद धुस्त के लिए भी लागू की गई। भूमि के माप के लिए मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग अक्तूबर 1962 से लागू कर दिया गया। तीन वर्ष तक वर्तमान प्रणाली भी चल सकेगी। अप्रैल 1963 से तौल की मीट्रिक प्रणाली (लिटर, आदि) देश भर में लागू कर दी गई। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में तौल की मीट्रिक प्रणाली 1963 से अनिवार्य कर दी जाएगी। 'मानक माप-तौल अधिनियम 1956' गोआ के संघीय क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है। इसके पूर्व देश भर म माप-तौल (प्रशासन) संगठन मजबूत कर दिए गए थे।

अध्याय 22

परिवहन

रेलें

57 089 किलोमीटर क्षेत्र में फैली भारतीय रेल-व्यवस्था विस्तार की दृष्टि से संसार में दूसरे नम्बर पर है और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। अनुमान है कि 1961-62 में प्रतिदिन 48 लाख से अधिक व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा रेलों द्वारा प्रतिदिन 4 40 लाख टन से अधिक माल ढोया गया। 1961 62 के अन्त में रेलों में 1 690 करोड़ रुपये की चालू पूंजी लगी थी। उस वर्ष रेलों में 11,76,288 व्यक्ति काम करते थे जिन्हें वेतन तथा मजदूरी के रूप में 214 61 करोड़ रु दिए गए।

भारत में सर्वप्रथम रेल-लाइन 16 अप्रैल 1853 को चालू हुई थी। उस समय भारतीय रेलों की लम्बाई 32 किलोमीटर थी। 1947-48 में अर्थात् भारत-विभाजन के पश्चात् इन रेलों की लम्बाई 54,814 किलोमीटर थी तथा इनमें 742 20 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। तब इनकी कुल आय 183 69 करोड़ रु और शुद्ध आय 19 75 करोड़ रु० थी। 1961 62 में इनसे 502 29 करोड़ रु की कुल आय और 109 93 करोड़ रुपये की शुद्ध आय हुई। 1961 62 में भारतीय रेलों से लगभग 1 71,28,39,000 लोगों ने यात्रा की तथा इनके द्वारा 16,18,86,000 टन माल ढोया गया, जिससे क्रमश 161 85 करोड़ रु और 300 80 करोड़ रु की आय हुई।

रेल-क्षेत्र

अगस्त 1949 से पहले भारत में 37 रेल-क्षेत्र थे। अब इनका वर्गीकरण करके इन्हें निम्नलिखित 8 रेल-क्षेत्रों में बांट दिया गया है (1) दक्षिण क्षेत्र (मुख्यालय मद्रास) (2) मध्य क्षेत्र (मुख्यालय बम्बई) (3) पश्चिम क्षेत्र (मुख्यालय बम्बई) (4) उत्तर क्षेत्र (मुख्यालय दिल्ली) (5) उत्तर-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय गोरखपुर) (6) उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र (मुख्यालय पाण्डु) (7) पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय कलकत्ता) तथा (8) दक्षिण-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय कलकत्ता)।

कुछ छोटी पटरी की रेल लाइनों को जो प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में थी पुनर्गठन योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेल-वित्त

पहले रेल-वित्त भी सामान्य वित्त में ही सम्मिलित था पर 1925 में उसे सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया और यह निर्णय किया गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार अंशदान करें।

योजनाओं के अन्तर्गत विकास

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलों के पुनर्स्थापन तथा विस्तार पर 423 73 करोड़ रु व्यय किए गए।

दूसरी योजना की अवधि में रेलों के लिए 1 121 50 करोड़ रु की व्यवस्था की गई। साथ में यह आशा थी कि यात्री-यातायात में 15 प्रतिशत की तथा माल-यातायात में 16 20 लाख टन की वृद्धि होगी 1 200 मील लम्बी नई रेल लाइनें बिछा दी जाएंगी 1 300 मील लम्बी रेल लाइनें दोहरी कर दी जाएंगी तथा 880 मील लम्बी रेल लाइनों पर बिजली की गाड़ियाँ चलने की व्यवस्था की जाएगी और रेल-इंजिनों सवारी-डिब्बों तथा माल-डिब्बों की संख्या बढ़ कर क्रमश 10,600 28,900 तथा 35 41 000 हो जाएगी।

तीसरी योजना में रेलों के विकास-कार्यक्रम के लिए 1 470 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (1) वर्ष 1965-66 के दौरान 26 40 लाख टन माल ढोने (2) यात्री-यातायात मे 15 प्रतिशत की वृद्धि करने (3) 2,090 रेल-इंजन 8,608 सवारी-डिब्बे तथा 1 27 464 माल डिब्बे प्राप्त करने (4) 3,928 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर दोहरी पटरी बिछाने (5) 8,000 किलोमीटर लम्बे मार्ग के नवीकरण (6) 2,498 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर बिजली लगाने (7) 2,400 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाने और (8) कर्मचारियों के लिए 54,000 नए क्वार्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

नए निर्माण-कार्य

पहली योजना की अवधि में पहले उखाड़ी गई 430 मील लम्बी लाइनें फिर से बिछाई गई 380 मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गई तथा 46 मील लम्बी छोटी लाइनों का मीटर लाइनों में बदला गया। इसके अतिरिक्त योजना की अवधि की समाप्ति के समय 454 मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा रही थी 52 मील लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जा रही थी तथा 2,000 मील से अधिक नई लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा था।

दूसरी योजना की अवधि मे 408 मील लम्बी नई बड़ी लाइनें और 382 मील लम्बी नई मीटर लाइनें बिछाई गई तथा 1 006 मील लम्बी बड़ी लाइनें और 251 मील लम्बी छोटी लाइनें बिछाई जा रही थी। इनके अतिरिक्त 8,2 3 मील लम्बी पटरी नवीकृत की गई तथा 7 102 मील लम्बे मार्ग पर पुराने स्लीपरों को बदला गया।

रेल-इंजन डिब्बे आदि

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेल में 496 रेल-इंजन 4,351 सवारी-डिब्बे तथा 41 192 माल-डिब्बे बने। दूसरी योजना की अवधि में 2,192 रेल-इंजन 7 515 सवारी डिब्बे और 97 994 माल-डिब्बे अतिरिक्त स्थान-पूर्ति स्थान में प्राप्त किए गए। 1961 62 में 336 रेल इंजन 1 628 नए सवारी-डिब्बे और 19,012 नए माल-डिब्बे चालू किए गए।

वर्कशाप, प्लांट और मशीनरी

दूसरी योजना के दौरान बहुत-से इंजन-शेडों और गाड़ी तथा वैगन वर्कशापों का विस्तार किया गया। आशा है कि 1963 में चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने में एक इस्पात ढलाईघर

काम प्रारम्भ कर देगा जिसकी वार्षिक ढलाई-क्षमता 10,000 टन होगी। चितरंजन कारखाने ने बिजली के इंजन बनाना भी प्रारम्भ कर दिया है। इस कारखाने ने मध्य रेलवे को अब तक 3,600 अश्वशक्ति के 10 बिजली के इंजन दिए हैं। पेराम्बूर के सवारी-डिब्बे कारखाने में इस समय प्रतिवर्ष 660 डिब्बे बन रहे हैं।

विद्युतीकरण

भारत में बिजली से चलनेवाली गाड़िया 1925 में शुरू की गई थीं। ये केवल कलकत्ता बम्बई और मद्रास में ही चलती हैं। 31 मार्च 1962 को विद्युतीकृत मार्ग की लम्बाई 1,285 55 किलोमीटर थी।

डीज़ल गाड़ियां

कुछ चुने हुए मार्गों पर डीज़ल गाड़ियां शुरू की गई हैं। 31 मार्च 1962 को 228 डीज़ल इंजन थे।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

हाल में यात्रियों—विशेषकर तीसरे दर्जे में यात्रा करनेवाले लोगों—को सुविधाएं देने के लिए काफी सुधार-कार्य किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों में लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डिब्बे सुरक्षित करने की व्यवस्था की गई, कुछ नई गाड़ियां चलाई गई तथा कुछ गाड़ियों का क्षेत्र-विस्तार किया गया। आठ सौ किलोमीटर से ऊपर यात्रा करनेवाले यात्रियों के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क के सोने की सुविधावाले 75 डिब्बे लगाए गए, गाड़ियों में भोजन आदि की व्यवस्था में सुधार किया गया तथा पीने के पानी पखों आदि की भी व्यवस्था की गई। कई नए प्रतीक्षालय पुल तथा प्लेटफार्म भी बनाए गए।

कर्मचारी-कल्याण

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में नए मकान बनाने तथा कर्मचारियों के हित के विभिन्न कार्यों पर प्रतिवर्ष औसतन लगभग 4 करोड़ रु व्यय किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 10 करोड़ रु व्यय करने का लक्ष्य था।

पहली योजना की अवधि में कर्मचारियों के लिए 40,000 क्वार्टर बनवाए गए थे। दूसरी योजना की अवधि में 57 000 क्वार्टर बनवाए गए। तीसरी योजना में मरम्मत कारखानों आदि से सम्बन्धित योजनाओं के अधीन बनाए जानेवाले क्वार्टरों के अतिरिक्त 54,000 नए क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था रखी गई है। 1961 62 में 13,000 से अधिक क्वार्टर बनवाए गए।

1961 62 के अन्त में रेल-कर्मचारियों के लिए 78 अस्पताल तथा 516 दवाखाने थे। क्षयरोग के रोगियों की चिकित्सा के लिए कुछ नए उपचारालय खोले गए। इसके अतिरिक्त, रोगी-शय्याओं की संख्या में वृद्धि की गई। रेल-कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 31 मार्च 1962 को 701 विद्यालयों में 90,839 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

जिन रेल-कर्मचारियों के बच्चे अपने माता-पिता से दूर रह कर विद्याध्ययन करते हैं उनके लाभ के लिए 12 सहायता प्राप्त छात्रावास स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दूरस्थ स्थानों पर नियुक्त रेल-कर्मचारियों के लिए चलते-फिरते पुस्तकालय भी बनाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय उत्तर-पूर्व रेल क्षेत्र में दिसम्बर 1958 में प्रारम्भ हुआ।

दिसम्बर 1957 में यह निश्चय किया गया कि सभी रेल-कर्मचारियों को इस बात की छूट दी जाए कि यदि वे चाहें तो पेन्शन योजना का लाभ उठा सकते हैं। फरवरी 1957 में पदों के पुनर्वितरण की एक बड़ी योजना प्रारम्भ की गई, जिससे 1 70,000 पराजपत्रित कर्मचारियों का लाभ पहुंचेगा। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी समिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।

संचालन आंकड़े

यात्री-यातायात तथा आय

1961 62 में 1 71 28,38,700 यात्रियों ने यात्रा की जिनमें से वातानुकूलित (एयर कण्डीशन्ड) डिब्बों में यात्रा करनेवाले यात्रियों की संख्या 1 58,000 और पहले दर्जे दूसरे दर्जे तथा तीसरे दर्जे में यात्रा करनेवाले यात्रियों की संख्या क्रमशः 41 41 600 1 10,93,600 तथा 1 66,04,45,500 थी। यात्रियों के किराए से रेल को 1 51 84,50,000 की आय हुई।

माल यातायात तथा उससे हुई आय

1961 62 में रेलों से 16,18,60,000 टन माल ढोया गया जिससे 3,00,79 67 000 रु की आय हुई।

किराया तथा भाड़ा

1 जनवरी 1962 से रेलों का सौंपे गए माल के बारे में सामान्य वाहक दायित्व संभालने से रेलों की जिम्मेदारी के क्षेत्र में मूल-भूत परिवर्तन पाया है।

रेलों ने यात्री-किराए के सम्बन्ध में 15 सितम्बर 1957 से और माल-भाड़े के सम्बन्ध में 1 अक्तूबर 1958 से दशमलव सिक्के अपनाए। रेलों के व्यावसायिक विभागों ने 1 अप्रैल 1960 से माप तौल की मीट्रिक प्रणाली अपनाई।

1 से 5 000 किलोमीटर तक की विभिन्न दूरियों के लिए यात्री-किराये और माल-भाड़े की दर-तालिकायें छाप कर जनता के लिए उपलब्ध कर दी गई हैं।

नई दिल्ली-हावड़ा नई दिल्ली-बम्बई और नई दिल्ली-मद्रास के बीच चलनेवाली वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की गाड़ियों में यात्रा करने पर पहले 800 किलोमीटर तक 1 5 रु प्रति किलोमीटर और उससे ऊपर 1 4 रु प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

रेल भाड़ा जांच समिति की सिफारिश पर 1 अक्तूबर, 1958 से संशोधित रेल भाड़े लागू किए गए।

प्रशासन

रेलों का समस्त नियन्त्रण तथा प्रबन्ध रेलवे बोर्ड के हाथ में है। रेलवे बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड में इस समय एक अध्यक्ष (जो केन्द्रीय रेल मन्त्रालय का पदेन महासचिव है) एक वित्तायुक्त तथा तीन सदस्य हैं जो रेल मन्त्रालय के सचिव पद के होते हैं। जनता तथा रेल प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखने के प्रयोजन से विभिन्न समितियां भी विद्यमान हैं।

सड़कें

1947 में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों (सड़कों) के निर्माण तथा उनकी देख भाल का दायित्व स्वयं सम्भाल लिया। भारत के नए संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज पथ केन्द्र के दायित्व में और राष्ट्रीय राजपथ जिलों तथा गांवों की सड़कें राज्य सरकारों के दायित्व में आती हैं।

राष्ट्रीय राजपथ

जब से केन्द्र ने राष्ट्रीय सड़कों का दायित्व स्वयं सम्भाला है तब से सड़कों में पर्याप्त सुधार हुआ है। अनुमान है कि 1 अप्रैल 1947 से 31 मार्च 1961 तक 1 386 मील लम्बी सम्पर्क मूलक सड़कों का निर्माण किया गया तथा 73 बड़े पुल बनाए गए 8,400 मील लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार किया गया और 2,300 मील लम्बी सड़कें चौड़ी की गईं।

राष्ट्रीय राजपथों में ये सड़कें सम्मिलित हैं अमृतसर-कलकत्ता आगरा-बम्बई, बम्बई बंगलौर-मद्रास मद्रास-कलकत्ता कलकत्ता-नागपुर-बम्बई, वाराणसी-नागपुर-हैदराबाद कुरनूल-बंगलौर-कन्याकुमारी अन्तरीप दिल्ली-अहमदाबाद-बम्बई, अहमदाबाद-काण्डला बन्दर (निर्माणाधीन) तथा अहमदाबाद-पोरबन्दर, अम्बाला-शिमला-तिब्बत-सीमा दिल्ली-मुरादाबाद-लखनऊ, लखनऊ-मुजफ्फरपुर-बरौनी (एक शाखा नेपाल की सीमा तक) असम प्रवेश सड़क और असम ट्रंक सड़क (एक शाखा मणिपुर होते हुए बर्मा तक)।

अन्य सड़कें

इसके अतिरिक्त भारत सरकार राज्यों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए भी सहायता देती है। ऐसी सड़कों में असम की पाशी-बदरपुर सड़क और केरल महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों की पश्चिमी तटवाली सड़कें उल्लेखनीय हैं। अप्रैल 1956 से दिसम्बर 1961 तक 415 मील लम्बी सड़कों का निर्माण अथवा सुधार किया गया।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय सड़कों के विकास के लिए मई 1954 में स्वीकृत विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी योजना में 925 मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया तथा 1 975 लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार किया गया। इस कार्य क्रम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 500 मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण करने तथा 1 000 मील लम्बी सड़कों का सुधार करने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त राज्यों तथा स्थानीय क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत दूसरी योजना की अवधि में 22,000 मील लम्बी पक्की सड़कें बनाई गईं। तीसरी योजना के दौरान लगभग 25,000 मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

बीस-वर्षीय योजना

सड़क विकास के लिए एक नई दीर्घकालीन योजना विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव को सड़क द्वारा मिला दिया जाएगा। यदि यह लक्ष्य पूरा हो गया तो प्रत्येक 100 वर्गमील क्षेत्र में औसतन 52 मील लम्बी सड़कें बन जाएंगी। इस समय इतने क्षेत्र में कुल 31 मील लम्बी सड़कें हैं।

सड़क परिवहन

मोटर गाड़ियां

31 मार्च 1947 को भारत में कुल 2,11 947 मोटर गाड़ियां थीं। 31 मार्च 1961 को यह संख्या 6,75,221 तक जा पहुंची। इनमें 90,126 मोटर साइकलें 5,293 आटो रिक्शा 2,59,994 प्राइवेट कारें 31,538 जीपें 57 049 सार्वजनिक गाड़ियां 21 979 टैक्सियां 1 71 045 मालवाहक (ट्रक आदि) तथा 37 197 विविध गाड़ियां थीं। आशा है कि मार्च 1966 तक 10 लाख मोटरगाड़ियां चलने लगेंगी।

प्रशासन

राज्यों में यात्री-परिवहन का विभिन्न मात्रा में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। कुछ राज्यों में अनुविहित निगम भी स्थापित किए गए हैं। दूसरी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं लगभग 18,000 मोटरगाड़ियां चला रही थीं। माल-परिवहन अभी निजी क्षेत्र में ही है। परन्तु असम और उत्तर-बंगाल क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं के परिवहन के लिए सरकारी तत्वावधान में एक सड़क परिवहन संगठन स्थापित किया गया है।

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सड़क परिवहन के विकास समन्वय तथा नियमन के लिए एक 'अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग' स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की परिवहन सेवाओं और केन्द्रीय तथा राज्यीय परिवहन नीतियों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने परिवहन विकास परिषद् सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति और केन्द्रीय परिवहन समन्वय समिति स्थापित की है।

अन्तर्देशीय जल-मार्ग

देश में नौ-परिवहन के योग्य जल-मार्गों की लम्बाई लगभग 5,000 मील है। अधिक महत्वपूर्ण जल-मार्गों में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां गोदावरी तथा कृष्णा और उनकी नहरें, केरल के बाग और नहरें, मध्यप्रदेश और मद्रास की बकिंघम नहर, पश्चिम तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी नहरें उल्लेखनीय हैं।

ब्रह्मपुत्र गंगा तथा उनकी सहायक नदियों में होनेवाले जल परिवहन के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सहयोग से 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड स्थापित किया गया।

इस समय 1 557 मील लम्बी नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएं तथा 3,587 मील लम्बे नदी-मार्गों में बड़ी नौकाएं चल सकती हैं। कुछ नहरें पानी को थोड़ा-बहुत नौ-परिवहन

के योग्य बनाया जा सकता है। परन्तु यह कार्य बड़ा व्ययसाध्य है। इसलिए विशेष प्रकार की नौकाएं चलाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए तीसरी योजना में लगभग 6 6 करोड़ रु लागत की केन्द्रीय योजनाएं शामिल की गई हैं। तीसरी योजना में राज्यों के खाते में भी इस मद में 1 48 करोड़ रु की व्यवस्था की गई है।

जहाजरानी

योजना-काल में प्रगति

दिसम्बर 1962 के अन्त में देश मे 10 14 लाख टन भार के जहाज थे। इनमें से 4 12 लाख टन के जहाज तटीय व्यापार में लगे थे और 6 02 टन के जहाज विदेशों के साथ व्यापार में।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में 9 5 लाख टन भार के जहाजों की व्यवस्था की जा चुकी थी।

नवम्बर 1961 के अन्त में भारत में 9 05 टन भार के 175 जहाज थे। इनमें निर्माणरत जहाज भी शामिल हैं। तीसरी योजना का लक्ष्य जहाजों की क्षमता में 5 5 लाख टन की वृद्धि करना है। इसमें से 1 6 लाख टन की वृद्धि 1962 के अन्त तक हो चुकी थी।

राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड

जहाजरानी के सम्बन्ध में नीति विषयक बातों पर सरकार को परामर्श देनेवाले राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड का पुनर्गठन 1961 में किया गया है।

जहाजरानी निगम

अक्तूबर 1961 मे पूर्वी तथा पश्चिमी जहाजरानी निगमों को मिला कर भारत जहाजरानी निगम की स्थापना की गई। इसके पास दो लाख टन भार के विभिन्न प्रकार के 27 जहाज हैं।

हिन्दुस्तान जहाज कारखाना

सरकार ने मार्च 1952 मे सिन्धिया कम्पनी से विशाखापट्नम् जहाज कारखाना खरीद कर उसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान जहाज कारखाना' को सौंप दिया। इसकी सारी हिस्सा-पूंजी सरकार के हाथ में है। इस कारखाने में बना प्रथम जहाज मार्च 1948 में पानी में उतारा गया। इस कारखाने में अब प्रतिवर्ष 4 जहाजों का निर्माण किया जा सकता है। अब तक 33 समुद्री जहाजो का निर्माण इस कारखाने में हो चुका है। इस समय इस कारखाने म 12 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है।

दूसरा जहाज कारखाना

कोचिन मे दूसरा जहाज कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसमें प्रतिवर्ष 60,000 टन भार के जहाज बनाए जाएंगे। बाद मे इसकी क्षमता 80,000 टन भार कर दी जाएगी।

इसके लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है और अब तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रशिक्षण संस्थान

जून 1962 में समाप्त होनेवाले वर्ष में प्रशिक्षण जहाज डफरिन में 79 शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके बाद उन्हें विभिन्न जहाजों पर नियुक्त किया गया।

5,729 शिक्षार्थियों ने सितम्बर 1962 के अन्त तक बम्बई के नाविक तथा इंजीनियरी कालेज में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया। 1962 में कलकत्ते के समुद्री इंजीनियरी कालेज की मार्च्यो दूसरी के शिक्षार्थियों में से 58 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

नाविकों को प्रशिक्षण देनेवाले भद्रता भद्रा तथा मेखलम्मी नामक जहाजों पर दिसम्बर 1962 के अन्त तक 14,536 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बन्दरगाह

भारत में 6 मुख्य बन्दरगाह हैं—कलकत्ता काण्डला कोचिन बम्बई, मद्रास तथा विशाखापट्टनम्। 1961 62 में इन बन्दरगाहों पर 339 लाख टन माल लादा-उतारा गया जब कि 1960-61 में 337 लाख टन माल लादा-उतारा गया था।

कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन बन्दरगाह न्यास बोर्डों के अधीन है तथा इन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है। काण्डला कोचिन तथा विशाखापट्टनम् के बन्दरगाहों का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन है।

तीसरी योजना में सभी छः प्रमुख बन्दरगाहों के विकास के लिए 75 करोड़ रु की व्यवस्था है।

छोटे बन्दरगाह

भारत के समुद्रतट पर लगभग 225 छोटे बन्दरगाह हैं जहां प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख टन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों पर है। पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन बन्दरगाहों का सुधार किया गया। तीसरी योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्न सुधार कार्यों के लिए 15 69 करोड़ रु की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड

बन्दरगाहों, विशेषकर छोटे बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए 1950 में राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें भारत सरकार, समुद्रतटीय राज्यों मुख्य बन्दरगाहों के अधिकारियों और व्यापार, उद्योग तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

असैनिक उड्डयन

196 में भारतीय विमानों ने कुल मिला कर लगभग 8 41 लाख किलोमीटर की उड़ान भरी और वे 11 8 लाख यात्रियों तथा लगभग 827 7 लाख किलोग्राम माल और डाक लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को गए।

विमान निगम

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के पास 13 वाइकाउंट, 3 स्काई मास्टर, 7 फाकर फ्रेंडशिप तथा 43 डकोटा विमान हैं। इसके विमान देश के मुख्य नगरों तथा पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका अफगानिस्तान नेपाल आदि पड़ोसी देशों के बीच उड़ान करते हैं।

1961 62 में 8,60,582 व्यक्तियों ने निगम के विमानों द्वारा यात्रा की और इन विमानों ने कुल 3,28,28,038 किलोमीटर की उड़ान की।

एयर-इण्डिया इन्टरनेशनल के 6 बोइंग 707 जेट विमान 21 देशों में पहुंचते हैं। 1961 62 में इसके विमानों से 1 56,535 व्यक्तियों ने यात्रा की तथा इसके विमानों ने 1,41 08,000 किलोमीटर की उड़ान की।

उड्डयन क्लब

भारत में 17 सहायता-प्राप्त उड्डयन क्लब 3 सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र तथा दो सरकारी सहायता-प्राप्त ग्लाइडिंग क्लब हैं। 1962 में इन उड्डयन क्लबों में 227 विमान-चालकों को प्रशिक्षण दिया गया।

हवाई अड्डे

भारत सरकार के असैनिक उड्डयन विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन में 82 हवाई अड्डे हैं। इनमें से कलकत्ता (दमदम) दिल्ली (पालम) तथा बम्बई (सान्ताक्रूज) के हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

बिहार के रक्सौल तथा जोगबनी नामक स्थानों में 2 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है।

वायु परिवहन समझौते

अफगानिस्तान अमेरिका आस्ट्रेलिया, इटली इराक चेकोस्लोवाकिया जापान थाईलैण्ड नीदरलैण्ड पाकिस्तान फ्रांस फिलीपीन ब्रिटेन मिस्र रूस श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन समझौते लागू हैं। ईरान नेपाल तथा पश्चिम-जर्मनी के साथ हुए ऐसे समझौतों की पुष्टि होना अभी शेष है।

पर्यटन

प्रशासकीय ढांचा

1949 में परिवहन मन्त्रालय के अधीन एक पर्यटन शाखा स्थापित की गई थी। उसके बाद अब तक कलकत्ता दिल्ली बम्बई, तथा मद्रास-जैसे प्रमुख नगरों में प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय और आगरा, औरंगाबाद, कोचिन जयपुर, बंगलोर, भोपाल तथा वाराणसी में पर्यटन-सूचना कार्यालय खोले जा चुके हैं। कोलम्बो टोरन्टो, पैरिस फ्रेंकफर्ट न्यूयार्क, मेलबोर्न सानफ्रांसिस्को तथा लन्दन में भी भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय हैं।

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में प्रमुख से एक पर्यटन विभाग स्थापित कर दिया गया है। सरकार को पर्यटन सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक पर्यटन विकास परिषद् विद्यमान है, जिसमें जनता यात्रा-व्यवसाय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

होटल

भारत में होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए 1957 में एक होटल मानक तथा दर निर्धारण समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों की सेवा करनेवाले होटलों के वर्गीकरण के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट 1963 के मध्य तक प्राप्त होने की आशा है।

पर्यटन सम्बन्धी नियमों में छूट

पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुलिस पंजीयन मुद्रा विनिमय नियन्त्रण और चुंगी आदि से सम्बन्धित नियम कुछ शिथिल कर दिए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल भी रियायती दरों पर टिकट जारी करती है। विद्यार्थियों यात्रियों तथा ग्रीष्मऋतु में पहाड़ी स्थानों को जानेवाले पर्यटकों को भी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इस समय देश में पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 41 यात्रा संस्थाएं हैं।

पर्यटन सम्बन्धी जानकारी

पर्यटन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंग्रेजी फ्रेंच स्पेनिश जर्मन इतालवी तथा भारतीय भाषाओं में गाइड पुस्तकें पुस्तिकाएं, फोटो कार्ड आदि प्रकाशित किए जाते हैं तथा देश-विदेश में इनका वितरण किया जाता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जा रही है। इसके अतिरिक्त विदेशों में प्रदर्शनार्थ पर्यटन सम्बन्धी चलचित्र भी बनाए जाते हैं। जापान और स्याम से आनेवाले पर्यटकों में वितरण के लिए जापानी और स्यामी भाषाओं में भी कुछ सामग्री प्रकाशित की गई है।

पर्यटकों की संख्या

भारत आनेवाले पर्यटकों की संख्या में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। 1951 में लगभग 16,829 पर्यटक भारत आए थे। अनुमान है कि 1962 में लगभग 1 34 लाख पर्यटक भारत आए।

विकास योजनाएं

पर्यटन व्यवसाय के विकास के लिए केन्द्र तथा कुछ राज्य सरकारों ने योजनाएं बनाई हैं। इनके अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में अधिक-से-अधिक निवास स्थानों परिवहन तथा मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी।

तीसरी योजना के अन्तर्गत पर्यटक यातायात के विकास के लिए केन्द्र की ओर से 3 5 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों की ओर से 4 5 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

अध्याय 23

संचार-साधन

31 मार्च 1962 को डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों की संख्या 3,95,906 थी तथा उस वर्ष इन पर पूंजीगत खर्च 159 75 करोड़ रु हुआ। 1 अप्रैल 1961 को इस विभाग के पास संगृहीत बचत के रूप में 31 65 करोड़ रु थे।

डाक तथा तार विभाग की प्रशासन व्यवस्था 14 दिसम्बर, 1959 को स्थापित डाक तथा तार बोर्ड के अधीन है।

डाक व्यवस्था

1961 62 में डाक तथा तार विभाग द्वारा डाक की 431 2 करोड़ वस्तुएं लाई-ले जाई गई जिनसे 45 62 करोड़ रु की आय हुई।

31 मार्च 1962 को देश में कुल 82,223 डाकघर थे जिनमें से 7 627 नगरों में तथा 74,596 गांवों में थे। उसी दिन नगरों तथा गांवों में क्रमश 41 251 तथा 1,34,982 लैटर बक्स थे।

1 अप्रैल 1962 तथा 31 अक्तूबर, 1962 के बीच 1 610 नए डाकघर खोले गए।

नगरों में चलते-फिरते डाकघर

कलकत्ता दिल्ली नागपुर, बम्बई तथा मद्रास में चलते-फिरते डाकघरों की व्यवस्था है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद ये चलते-फिरते डाकघर निर्धारित समय पर नगर के विभिन्न स्थानों का चक्कर लगाते हैं। इन डाकघरों में मनीआर्डर अथवा बचत बैंक का काम नहीं होता।

हवाई डाक

कलकत्ता दिल्ली नागपुर, बम्बई तथा मद्रास-जैसे मुख्य नगरों में रात को हवाई जहाज से डाक लाने-ले जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त देश में सब पत्रादि तथा मनीआर्डर सामान्यत बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा पहुंचाए जाते हैं।

विदेशों के साथ हवाई पार्सल सेवा

भारत तथा अधिकांश विदेशों के बीच हवाई डाक सेवाओं की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत और अर्जेन्टीन गणराज्य अदन अफगानिस्तान अमेरिका आयरलैण्ड आस्ट्रिया आस्ट्रेलिया इटली इण्डोनेशिया इथियोपिया ईराक उत्तरी बोर्नियो उरुग्वे क्यूबा एल सल्वाडोर, कनाडा कुवैत कोलम्बिया कोस्टारिका ग्वाटेमाला ग्रेनेडा घाना चिली चीन लोक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया जंजीबार, जमैका जर्मनी (लोकतान्त्रिक गणराज्य) जर्मनी (संघीय गणराज्य) जापान

जिब्राल्टर, ग्वाटेमाला ट्रिनीडाड, टोबैगो डेनमार्क डोमिनिकन गणराज्य डोमिनिका तुर्की दक्षिण-अफ्रीका संघ दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका न्यूजीलैण्ड नाइजीरिया नार्वे निकारागुआ नीदरलैण्ड, पनामा गणराज्य पाकिस्तान पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका पेरू, पैराग्वे पोलैण्ड फ्रांस फिनलैण्ड फिजी बर्मा बरमूडा बहामा ब्राजील बारबडोस ब्रिटिश गायना ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका ब्रिटिश हौण्डुरास ब्रिटेन बेचुआनालैण्ड बेल्जियम बहरीन मलय मारीशस मिस्र मैक्सिको यूनान युगोस्लाविया रूस रोडेशिया और न्यासालैण्ड संघ लेबनान वेनेजुएला श्रीलंका स्याम स्विट्जरलैण्ड स्वीडन सऊदी अरब साइप्रस सारावाक सियरा लियोन सीरिया सूडान, सूरीनाम हठ मूक्सिया हाङ्काङ हालैण्ड तथा हैती के बीच सीधे हवाई जहाज द्वारा पार्सल लाने-ले जाने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त भारत और अदन अमेरिका आयरलैण्ड आस्ट्रिया आस्ट्रेलिया कनाडा क्यूबा घाना चेकोस्लोवाकिया जंजीबार, जर्मनी (लोकतान्त्रिक गणराज्य) जर्मनी (संघीय गणराज्य) जापान डेनमार्क, तुर्की थाईलैण्ड नीदरलैण्ड पाकिस्तान ईरान की खाड़ी फ्रांस बर्मा ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका ब्रिटेन बेल्जियम मलय मिस्र यूनान रूस श्रीलंका स्विट्जरलैण्ड स्वीडन हांगकांग के बीच बीमा की हुई पार्सलें हवाई जहाज द्वारा लाने-ले जाने की व्यवस्था है।

डाकघर बचत बैंक (पोस्टल सेविंग्स बैंक)

देश के अधिकांश डाकघरों में बचत धन जमा कराने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बचत बैंक में एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक 15,000 रु. जमा करवा सकता है तथा संयुक्त खाते में 30,000 रु. जमा करवाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत तथा संयुक्त खाते में जमा क्रमशः 10,000 रु. और 20,000 रु. तक की राशि पर प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत तथा इससे ज्यादा की राशि पर प्रतिवर्ष 2½ प्रतिशत ब्याज मिलता है।

बचत बैंक का काम करने वाले सभी डाकघरों से सप्ताह में दो बार रुपया (अधिक-से-अधिक 1,000 रु.) निकाला जा सकता है। 1958 से चेक द्वारा रुपया जमा कराने अथवा निकलवाने की प्रणाली भी चालू कर दी गई। 1 अगस्त 1960 से बचत बैंक के लिए नामांकन-प्रणाली लागू की गई। बचत बैंक लेखा सेवा के कार्य-संचालन में गति लाने के लिए नई दिल्ली मुख्यालय में 'टसर पद्धति' चालू की गई है। इसके अन्तर्गत पास बुक के बिना पैसे जमा कराए जा सकते हैं तथा 150 रु. तक की राशि निकलवानेवालों को उपडाकघर का काउन्टर क्लर्क स्वयं ही कर सकता है।

डाक जीवन बीमा

1961 62 में डाक तथा तार विभाग के असैनिक डाक बीमा विभाग से 1 51 करोड़ रु. के मूल्य की 7,669 पालिसियां जारी की गईं। इस अवधि में सैनिक डाक बीमा विभाग ने 17 लाख रु. के मूल्य की 338 पालिसियां जारी कीं। अब तक असैनिक डाक बीमा विभाग 30 32 करोड़ रु. के मूल्य की कुल 1,49,449 बीमा-पालिसियां तथा सैनिक डाक बीमा विभाग 6 04 करोड़ रु. के मूल्य की कुल 9,363 बीमा पालिसियां जारी कर चुका है।

1961 62 में असैनिक डाक बीमा विभाग तथा सैनिक डाक बीमा विभाग की प्रीमियम

भारत तथा 72 देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की मार्फत रेडियो टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हैं।

रेडियो टेलीग्राफ सेवा

भारत और अफगानिस्तान अमेरिका आस्ट्रेलिया इटली इण्डोनेशिया इराक ईरान चीन जर्मनी (संघीय गणराज्य) जापान थाईलैंड पोलैंड फ्रांस फिलीपीन्स बर्मा, ब्रिटेन, मिस्र यूगोस्लाविया रूमानिया रूस स्विट्ज़रलैंड सिंगापुर, सीलोन तथा हनोई के बीच सीधी रेडियो फोटो टेलीग्राफ तथा चालू है। तमार के अन्य देशों के साथ भी यह व्यवस्था विद्यमान है।

रेडियो फोटो सेवा

भारत और अमेरिका इटली चीन जर्मनी (संघीय गणराज्य) जापान पोलैंड फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के बीच सीधी रेडियो फोटो सेवा की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, भारत से लन्दन की मार्फत आस्ट्रेलिया कनाडा घाना चेकोस्लोवाकिया दक्षिण-अफ्रीका नाइजीरिया नार्वे पुर्तगाल फिनलैंड बेल्जियम मिस्र यूनान यूगोस्लाविया स्विट्ज़रलैंड स्वीडन तथा सिंगापुर को भी फोटो भेजने की व्यवस्था है

अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा

इस सेवा का जो 16 जून 1960 को बम्बई अहमदाबाद तथा ब्रिटेन के बीच आरम्भ की गई, अब 41 देशों तक विस्तार कर दिया गया है। इस सेवा के अन्तर्गत एक स्थान का अभिदाता दूसरे स्थान के अभिदाता को टेलीप्रिंटर द्वारा सीधी तारें भेज सकता है।

विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों को उनके लाभ के लिए भारत सरकार की ओर से तथा भारत के बाहर विभिन्न पत्रों को कुछ समाचार एजेंसियों की ओर से समाचार भी भेजे जाते हैं। भारत की 12 प्रमुख हवाई मार्ग कम्पनियों के लिए पट्टों पर सर्किटों की भी व्यवस्था की गई है।

अध्याय 24

श्रम

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमिक कारखानों में काम करते हैं। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या 1961 में 39 12 लाख थी।

1961 की पहली छमाही में कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में इस प्रकार थी असम 80 000 आन्ध्रप्रदेश 2,28,000 उड़ीसा 33,000 उत्तरप्रदेश 3,38 000 पंजाब 1 32,000 पश्चिम बंगाल 7 39 000 बिहार 1 92,000 मद्रास 3,30 000 मध्यप्रदेश 1 90,000 केरल 1 72,000 गुजरात 3,61 000 महाराष्ट्र 8,27 000 मैसूर 1 78,000 राजस्थान 56,000 अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह 2 000 दिल्ली 72,000 हिमाचलप्रदेश 2,000 तथा त्रिपुरा 2,000।

1961 में कोयला खानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या 4,11 265 समस्त खानों में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या 6,70,986 तथा सूती वस्त्र उद्योग में काम करनेवाले श्रमिकों की कुल संख्या 9 17 717 थी। इस उद्योग में उस वर्ष काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या 7 94,398 थी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

पहले-पहल 1945 में देश भर में रोजगार केन्द्र (एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज) खोले गए। ये केन्द्र काम चाहनेवाले सभी लोगों को काम ढूंढने में सहायता करते हैं। 'रोजगार केन्द्र (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम 1960 द्वारा 25 या उससे अधिक लोगों को काम पर लगानेवाले मालिकों के लिए अपने रिक्त स्थानों की सूचना रोजगार केन्द्रों को देना अनिवार्य कर दिया गया है।

नवम्बर 1962 के अन्त में देश में 342 रोजगार केन्द्र तथा 20 विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय थे। इन केन्द्रों में उस वर्ष 34,63,376 व्यक्तियों के नाम लिखे गए तथा उनमें से 4 12,797 को काम दिलवाया गया।

1 नवम्बर, 1956 से रोजगार केन्द्रों का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। अब केन्द्रीय सरकार केवल नीति आदि बनाने तालमेल रखने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने का ही कार्य करती है।

1958 में स्थापित केन्द्रीय रोजगार समिति रोजगार सम्बन्धी विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में भारत सरकार को परामर्श देती है।

कारीगरों का प्रशिक्षण

कारीगरों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत देश में 201 प्रशिक्षण केन्द्र खुल

भारत तथा 72 देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की मार्फत रेडियो टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हैं।

रेडियो टेलीग्राफ सेवा

भारत और अफगानिस्तान अमेरिका आस्ट्रेलिया इटली इण्डोनेशिया इराक ईरान चीन जर्मनी (संघीय गणराज्य) जापान नाइजीरिया पोलैण्ड फ्रांस फिलीपीन बर्मा, ब्रिटेन मिस्र युगोस्लाविया रूमानिया रूस स्विट्जरलैण्ड सिंगापुर, सैगोन तथा हनोई के बीच सीधी रेडियो फोटो टेलीग्राफ सेवा चालू है। संसार के अन्य देशों के साथ भी यह व्यवस्था विद्यमान है।

रेडियो फोटो सेवा

भारत और अमेरिका इटली चीन जर्मनी (संघीय गणराज्य) जापान पोलैण्ड फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के बीच सीधी रेडियो फोटो सेवा की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत से लन्दन की मार्फत आस्ट्रेलिया कनाडा घाना चेकोस्लोवाकिया दक्षिण-अफ्रीका नाइजीरिया नार्वे पुर्तगाल फिनलैण्ड, बेल्जियम मिस्र यूनान युगोस्लाविया स्विट्जरलैण्ड स्वीडन तथा सिंगापुर को भी फोटो भेजने की व्यवस्था है

अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा

इस सेवा का जो 16 जून 1960 को बम्बई, अहमदाबाद तथा ब्रिटेन के बीच आरम्भ की गई, अब 41 देशों तक विस्तार कर दिया गया है। इस सेवा के अन्तर्गत एक स्थान का अभिदाता दूसरे स्थान के अभिदाता को टेलीप्रिंटर द्वारा सीधी तारें भेज सकता है।

विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों को उनके काम के लिए भारत सरकार की ओर से तथा भारत के बाहर विभिन्न देशों को कुछ समाचार ऐजेंसियों की ओर से समाचार भी भेजे जाते हैं। भारत की 12 प्रमुख हवाई मार्ग कम्पनियों के लिए पट्टों पर सर्किटों की भी व्यवस्था की गई है।

मजदूरी का नियमन

मजदूरी का नियमन 'मजदूरी भुगतान सम्बन्धी अधिनियम 1936' तथा 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' के अधीन किया जाता है ।

'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों के कर्मचारियों की मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का अधिकार सरकार को दिया गया है । 1957 में इस अधिनियम में संशोधन करके सूचीबद्ध नौकरियों में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की तिथि 31 दिसम्बर, 1959 तक बढ़ा दी गई थी ।

मजदूरी बोर्ड

मजदूरी बोर्डों का कार्य उचित मजदूरी के सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का एक ढांचा स्थिर करना है । भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र चीनी तथा सीमेन्ट उद्योगों के लिए नियुक्त किए गए केन्द्रीय मजदूरी बोर्डों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट दे दी हैं । पटसन उद्योग बागान लोहा तथा इस्पात और कोयला खान उद्योगों के लिए भी मजदूरी बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं ।

मजदूरी गणना योजना

इस योजना का उद्देश्य बड़े कारखानों खानों तथा बागानों मे काम करनेवाले श्रमिकों की मजदूरी की दरों तथा उनकी आय के आंकड़ों का संग्रह करना है । जुलाई 1958 में आरम्भ किए गए सर्वेक्षण मे लगभग 3,000 प्रतिष्ठानों से जानकारी एकत्र की गई । इन आंकड़ों का सामान्य और उद्योगवार रिपोर्टों में संकलन किया जा रहा है ।

स्थायी मजदूरी समिति

इस समिति में केन्द्र राज्य सरकारों और श्रमिकों तथा मालिकों के प्रतिनिधि हैं । यह समिति मजदूरी उत्पादन तथा मूल्यों की प्रवृत्तियों का अध्ययन और आवश्यक सामग्री का उद्योगवार तथा प्रदेशवार वर्गीकरण करती है ।

कोयला खान बोनस योजनाएं

'कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं अधिनियम 1948' के अन्तर्गत तैयार की गई कोयला खान बोनस योजनाएं जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर भारत की सभी कोयला खानों पर लागू हैं । सितम्बर 1962 के अन्त तक इन योजनाओं के अधीन 828 कोयला खानें आ चुकी थीं और 2,68,745 श्रमिकों को बोनस पाने का अधिकार मिला था । इन योजनाओं के अन्तर्गत असम के श्रमिकों को छोड़ कर शेष सभी कोयला खान श्रमिकों को बोनस के रूप में अपनी मूल आय की एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का अधिकार है । असम में सप्ताह तथा तिमाही के हिसाब से बोनस दिया जाता है ।

चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना, औद्योगिक श्रमिकों को सायंकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण देने की योजना तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कुछ केन्द्र खोलने की योजना आरम्भ की गई। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता में है। [illegible]-स्थित दूसरा केन्द्र बम्बई ले जाया जाएगा। 1961 में कानपुर में एक नया संस्थान शुरू किया गया। तीन नए प्रशिक्षण संस्थान मद्रास, लुधियाना तथा हैदराबाद में स्थापित किए जाएंगे और नई दिल्ली के केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् भी स्थापित की गई है। यह परिषद् सरकार को प्रशिक्षण की नीति सम्बन्धी सभी समस्याओं पर परामर्श देने के अतिरिक्त कारीगरों को कार्य-कुशलता का प्रमाणपत्र भी प्रदान करती है।

शिक्षार्थी अधिनियम 1961 का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों और सम्बन्धित मामलों में शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण का नियमन और नियन्त्रण करना है। इस अधिनियम के पूर्णतः लागू हो जाने से इस समय चल रही राष्ट्रीय शिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना रोक दी जाएगी।

राष्ट्रीय श्रम अनुसन्धान संस्थान

श्रम सम्बन्धी समस्याओं का अनुसन्धान करने के लिए एक राष्ट्रीय श्रम अनुसन्धान संस्थान स्थापित कर दिया गया है।

मजदूरी तथा आय

1961 में कारखानों में 200 रु० से कम आयवाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय असम में 1 237 रु०, उड़ीसा में 1 148 रु०, उत्तरप्रदेश में 1 201 रु०, गुजरात में 1 583 रु०, पंजाब में 1 000 रु०, पश्चिम-बंगाल में 1 310 रु०, बिहार में 1 484 रु०, मद्रास में 1,410 रु०, मैसूर में 1 270 रु०, राजस्थान में 727 रु०, केरल में 1,149 रु०, अन्दमान-निकोबार द्वीपसमूह में 1 149 रु० और दिल्ली में 1 495 रु० थी।

वास्तविक आय

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आय इस प्रकार रही

सारणी 34
श्रमिकों की वास्तविक आय का सूचकांक
(1947 = 100)

	1957	1960	1961
आय का सामान्य सूचकांक	170	183†	184†
अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य का सूचकांक	128	143	145
वास्तविक आय का सूचकांक	134	129†	126†

†आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, मद्रास, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

समझौता तन्त्र

केन्द्र के क्षेत्र में आनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक सम्बन्धों पर दृष्टि रखना मुख्य श्रम आयुक्त का उत्तरदायित्व है। इसकी सहायता के लिए प्रादेशिक श्रम आयुक्त समझौता अधिकारी श्रम निरीक्षक आदि हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकारों ने भी समझौता कराने की व्यवस्था कर रखी है।

अधिनिर्णयन (एडजुडिकेशन) की व्यवस्था

औद्योगिक विवादों का निर्णय करने के लिए भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है—श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। विवादों की प्रारम्भिक सुनवाई का इन सबको अधिकार है। दिल्ली तथा धनबाद में एक-एक श्रम न्यायालय के अतिरिक्त कलकत्ता धनबाद तथा बम्बई में एक-एक औद्योगिक न्यायाधिकरण भी है। दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के लिए एक औद्योगिक न्यायालय है। केन्द्रीय सरकार इसका भी उपयोग करती है। राज्यों के भी अपने-अपने न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालय हैं जो आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय क्षेत्र के विवादों का निर्णय करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों के रूप में बैठते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण भी स्थापित किए जाते हैं।

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का योगदान

29 औद्योगिक संस्थाओं के प्रबन्ध में श्रमिकों के योगदान की योजना लागू है। इस योजना का विस्तार यथासम्भव अधिक-से-अधिक उद्योगों के लिए करना श्रेयस्कर माना गया है तथा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस योजना को शीघ्र लागू करने के लिए विशेष अनुभाग स्थापित किए हैं।

कार्यक्षमता संहिता

दिसम्बर 1959 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा सुझाई गई कार्यक्षमता संहिता के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के लिए एक समिति नियुक्त की जा चुकी है। इस बारे में आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

श्रमिकों की शिक्षा

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में केन्द्र तथा राज्य सरकारों मालिकों के संगठनों के प्रतिनिधि तथा शिक्षा-शास्त्री हैं। दिसम्बर 1962 के अन्त तक 137 अध्यापक-प्रशासकों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड ने देश में 14 श्रमिक शिक्षा केन्द्र खोले हैं जिनमें दिसम्बर 1962 के अन्त तक 43,192 कार्यकर्ता अध्यापकों से प्रशिक्षण ग्रहण किया तथा 15,170 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

श्रमिक संघ

पंजीकृत श्रमिक संघ तथा उनकी सदस्य-संख्या

भारत में 1960-61 में 218 केन्द्रीय श्रमिक संघ तथा 10,950 राज्यीय

मालिक-श्रमिक सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद

1961 में देश में 1 357 औद्योगिक विवाद उठे जिनसे 5 12,000 श्रमिकों का सम्बन्ध था। इन विवादों के कारण 49 19 लाख मानव-दिनों की क्षति हुई।

उद्योगों में रोजगार सम्बन्धी स्थायी आदेश

'औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946' के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनमें 100 अथवा उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। 1961 में इसमें संशोधन करके सम्बन्धित सरकारों को इस 100 से कम श्रमिकों को काम पर लगानेवाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम गुजरात पश्चिम-बंगाल तथा महाराष्ट्र के उन सभी औद्योगिक संस्थानों में लागू कर दिया गया है, जिनमें 50 अथवा उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। असम में यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर (खानों पत्थर-खानों तेल-क्षेत्रों तथा रेलों को छोड़ कर) लागू होता है जिनमें 10 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। मद्रास में यह कानून 'कारखाना अधिनियम 1948' के अन्तर्गत दर्ज सभी कारखानों पर लागू होता है।

उद्योगों में अनुशासन

भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति की स्वीकृति से एक अनुशासन संहिता बनाई गई है। मालिक और श्रमिक उस संहिता की अवहेलना न करके अब अपने झगड़े वैध साधनों का उपयोग करके निबटाने लगे हैं। मूल्यांकन तथा निष्पादन संगठन 44 प्रतिशत झगड़ों में वादी दलों को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अपने केस वापस लेकर न्यायालय से बाहर उन्हें निबटाने के लिए राजी करने में सफल हुआ है।

कार्य समितियां

'औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947' के अन्तर्गत 1962 की दूसरी तिमाही के अन्त में केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में 908 कार्य समितियां काम कर रही थीं।

त्रिदलीय व्यवस्था

केन्द्र में भारतीय श्रम सम्मेलन स्थायी श्रम समिति तथा औद्योगिक समितियां हैं। इनके अतिरिक्त एक श्रम मन्त्री सम्मेलन भी है जो इनके साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है।

औद्योगिक समझौता

नवम्बर 1962 में कारखाना-मालिकों तथा श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बैठक में यह निश्चय किया कि संकटकाल की स्थिति में न तो काम बन्द होना चाहिए और न किसी प्रकार के उत्पादन में कमी आने देनी चाहिए। यह भी निश्चय किया गया कि प्रतिरक्षा का सभी सम्भव ढंग से प्रयत्न किया जाना चाहिए।

श्रमिक संघ थे जिनमें से सरकार को विवरण देनेवाले संघों की संख्या क्रमशः 165 तथा 6,660 थी। विवरण देनेवाले इन संघों की सदस्य-संख्या क्रमशः 4,40,494 तथा 33,41 100 थी।

अखिल भारतीय संगठन

1960 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध संघों की संख्या 860 तथा सदस्य-संख्या 10,53,386 थी हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध संघों की संख्या 190 तथा सदस्य-संख्या 2,86,202 थी आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध संघों की संख्या 886 तथा सदस्य-संख्या 5,08,962 थी और यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस से सम्बद्ध संघों की संख्या 229 तथा सदस्य-संख्या 1 10,034 थी। इस प्रकार, चारों संगठनों से सम्बद्ध संघों की कुल संख्या 2,165 तथा सदस्य-संख्या 19,58,584 थी।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948' उन सभी कारखानों पर लागू होता है, जो बारहों महीने चालू रहते हैं जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है तथा 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इसका लाभ 400 रु तक मासिक पानेवाले सभी श्रमिकों उनकों आदि को दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की गई है, उन क्षेत्रों के 18 65 लाख व्यक्ति इस के अन्तर्गत आ जाते हैं। 1961-62 के अन्त तक कर्मचारियों ने 5 43 करोड़ रु तथा मालिकों ने 4 02 करोड़ रु दिए। इसके अन्तर्गत बीमा-धारी कर्मचारियों को लाभ के रूप में लगभग 4 16 करोड़ रु दिए गए।

कर्मचारी भविष्य निधि (प्राविडेन्ट फण्ड)

प्रारम्भ में 'कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952' छः मुख्य उद्योगों में लागू किया गया था। दिसम्बर 1962 के अन्त में यह 70 उद्योगों में लागू हो चुका था। इसके अन्तर्गत वे कारखाने तथा प्रतिष्ठान आते हैं जिनमें 50 अथवा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं तथा जिनको काम करते 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिन श्रमिकों ने एक वर्ष निरन्तर काम किया हो अथवा एक वर्ष में वस्तुतः 240 दिन काम किया हो तथा जिनका मासिक वेतन (महंगाई भत्ता तथा खाद्य रियायत के नकद मूल्य सहित) 1 600 रु से अधिक नहीं है उन्हें अनिवार्य रूप से अपने मूल वेतन का तथा छः प्रतिशत चन्दा इस निधि में देना पड़ता है। मालिकों को भी इस निधि में इतना ही चन्दा देना पड़ता है। अक्तूबर 1962 के अन्त में यह योजना 21 086 प्रतिष्ठानों में लागू थी जिनमें काम करने-वाले 34,70,038 कर्मचारी इसके सदस्य थे। उस समय भविष्य निधि में कुल 383 46 करोड़ रु जमा हो चुके थे।

कोयला खान भविष्य निधि योजनाएं

अक्तूबर 1962 के अन्त में 1 222 कोयला खानों तथा संगठनों को इससे लाभ मिल रहा था। इन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों को अपनी कुल आय का आठ प्रतिशत भाग भविष्य निधि में जमा करवाना पड़ता है। ये योजनाएं जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में लागू हैं। अक्तूबर 1962 के अन्त में इस निधि की कुल परिसम्पत्ताएं लगभग 20 89 करोड़ रु की थी।

मातृत्व लाभ

लगभग सभी राज्यों में मातृत्व लाभ देने के कानून लागू हैं। तीन केन्द्रीय अधिनियमों—खान मातृत्व लाभ अधिनियम 1941 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 तथा बागान श्रमिक अधिनियम 1951—के अन्तर्गत भी मातृत्व लाभ देने की व्यवस्था है। मातृत्व लाभ के एक-समान मानदण्ड निश्चित करने के उद्देश्य से 1961 में इस सम्बन्ध में एक अधिनियम भी बना दिया गया।

श्रम-कल्याण

'कारखाना अधिनियम 1948', 'खान अधिनियम 1952' तथा 'बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के अन्तर्गत उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए कैन्टीनों शिशु-पालनगृहों विश्रामगृहों नहाने-धोने की सुविधाओं चिकित्सा-सहायता तथा कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कल्याण योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए भी कानून लागू हैं अथवा लागू किए जा रहे हैं। मोटर परिवहन कर्मचारियों को उक्त सुविधाएं जुटाने के लिए मई 1961 में मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम' पास किया गया। इस अधिनियम के अन्तगत बने नियम राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

कोयला खान श्रम-कल्याण निधि

इस निधि से 2 केन्द्रीय अस्पताल 8 प्रादेशिक अस्पताल तथा मातृत्व-शिशु कल्याण केन्द्र 2 दवाखाने 1 यक्ष्म-उपचारालय और 1 क्षयरोग अस्पताल चलाए जा रहे हैं। मलेरिया उन्मूलन का काम तथा घर में इलाज की योजना भी जारी है।

इसके अतिरिक्त इस निधि से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र महिला-कल्याण केन्द्र तथा शिशु उद्यान आदि भी चल रहे हैं। खान श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी एक योजना जारी है।

सहायता तथा ऋण योजना के अन्तर्गत 3,698 मकान बनाए गए तथा 103 मकान निर्माण-अधीन हैं। आवास योजना के अन्तर्गत कोयला श्रमिकों के लिए 12,162 मकान बना दिए गए हैं तथा 9,727 मकान निर्माण-अधीन हैं। इस निधि में इस वर्ष 2,75,00,000 रु जमा थे और सामान्य कल्याण कार्यों तथा आवास पर लगभग 34,27 000 रु व्यय हुए।

अभ्रक खान श्रम-कल्याण निधि

इस निधि से अभ्रक खानों के श्रमिकों को चिकित्सा शिक्षा तथा मनोरंजन की

सुविधाएं जुटाई जाती हैं। करमा (बिहार), कालिचेडु (आन्ध्रप्रदेश) तथा तीसरी (बिहार) में 3 अस्पताल स्थापित किए जा चुके हैं। एक अन्य अस्पताल मंडापुर (राजस्थान) में भी खोला जाएगा। अभ्रक खानों के श्रमिकों को अनेक दवाखानों से चिकित्सा की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त चलते-फिरते औषधालय भी हैं। इस निधि से अनेक प्राथमिक विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं तथा छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त पुस्तकें तथा लेखन सामग्री नि:शुल्क दी जाती है। 1962-63 में आन्ध्रप्रदेश को 4.5 लाख रु., बिहार को 17.2 लाख रु. तथा राजस्थान को 3.3 लाख रु. दिए गए।

लोहा खान श्रम-कल्याण

लोहे की खानों में काम करनेवाले श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, जिसमें इन श्रमिकों को भी कोयला और अभ्रक खानों में काम करनेवाले श्रमिकों-जैसी सुविधाएं उपलब्ध करने की व्यवस्था है।

खानों में सुरक्षा-उपाय

'खान अधिनियम 1952' तथा इसके अधीन बने नियम, विनियम तथा उपनियम खानों से सम्बन्धित श्रम-नियमन तथा सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। 1961 में कोयला खानों तथा सभी खानों में हजार-पीछे क्रमश: 0.66 तथा 0.61 व्यक्ति मरे। राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् स्थापित की जा रही है।

बागान श्रमिकों का कल्याण

'बागान श्रमिक अधिनियम 1951' के अन्तर्गत सभी बागानों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपने निवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के आवास की व्यवस्था करें और अस्पताल अथवा दवाखाने खोलें। कुछ बागानों में श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय भी खुले हुए हैं। इसके अतिरिक्त चाय बोर्ड की श्रम-निधि से कुछ चाय बागानों में मनोरंजन तथा कला-कौशल सिखाने की सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की श्रम-कल्याण निधि

श्रमिकों के कल्याण के लिए धन जुटाने की दृष्टि से 1946 में श्रम-कल्याण निधि चालू की गई। इसके अन्तर्गत कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्रम-कल्याण केन्द्र

अधिकतर राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सरकारें भी अनेक कल्याण केन्द्र चला रही हैं जिनमें श्रमिकों तथा उनके बच्चों के लिए मनोरंजन, शिक्षा तथा अन्य सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

अध्याय 25

आवास

भारत में आवास की समस्या एक अत्यन्त जटिल समस्या है। इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है तथा इस कमी का पूरा करना व्यक्तियों सहकारी संस्थाओं केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयत्नों पर निर्भर है। शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निवास स्थानों की भारी कमी है। जो कुछ मकान हैं भी वे बहुत निम्न स्तर के बने हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी के मुख्य कारण हैं 1921 से अब तक जनसंख्या में तेजी से वृद्धि ग्रामीण भागों का बहुत बड़ी संख्या में आकर शहरों में बसना गृह-निर्माण कार्यों पर सरकार अथवा नगरपालिका का पर्याप्त नियन्त्रण न होने से नगरों का असन्तुलित विकास तथा आवास की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में निजी क्षेत्र की एक सीमा तक असमर्थता।

देश के स्वतन्त्र होने से पहले ही सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवास की उचित व्यवस्था करने का दायित्व स्वीकार किया जा चुका था। इस दिशा में 1921 में बम्बई सरकार ने एक विकास विभाग की स्थापना करके पथ-प्रदर्शन किया। 15,000 मकान बनवाने के बाद यह प्रयत्न बीच में ही छोड़ दिया गया परन्तु 1949 में यह कार्य पुनः आरम्भ किया गया और एक विशेष आवास बोर्ड स्थापित किया गया। इस बोर्ड का काम था—औद्योगिक कर्मचारियों तथा अन्य कम आय-वर्गों के लोगों के लिए मकान बनवाना भूमि का विकास करना तथा निर्माण सामग्री के उत्पादन तथा वितरण में सहायता देना। कलकत्ता कानपुर बम्बई तथा मद्रास में भी सुधार न्यासों ने आवास का अभाव दूर करने का प्रयत्न किया। नगरपालिकाओं ने भी न केवल अपने कर्मचारियों के लिए, बल्कि समय-समय पर कम आय-वर्गों के लोगों के लिए भी मकान बनवाए।

1950 तक केन्द्रीय सरकार का प्रयत्न अपने कर्मचारियों विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए मकान बनवाने तक ही सीमित रहा। पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के कारण केन्द्रीय सरकार के सामने पहली बार अपने कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के लिए भी मकान बनवाने की समस्या आई। असम उड़ीसा बिहार, पंजाब तथा पश्चिम-बंगाल में राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार के प्रयत्न किए।

निजी क्षेत्र में मालिकों की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए आवास की एक-सी व्यवस्था नहीं हुई। यद्यपि बहुत-से मालिकों ने अपनी आय का एक अंश कर्मचारियों के लिए आवास की उत्तम व्यवस्था करने में लगाया परन्तु सामान्यतः युद्धोत्तर वर्षों में कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण बहुत कम हुआ। सहकारी आवास संस्थाओं ने विशेष रूप से उत्तरप्रदेश बम्बई तथा मद्रास में मध्यम और कम आय-वर्गों के लोगों के लिए मकानों की कुछ व्यवस्था की।

अधिकांश निर्माण कार्य निजी व्यक्तियों के ही हाथों में रहा जो अनेक कारणों से आवास सम्बन्धी मांग की पूर्ति करने में असमर्थ रहे।

1951 की गणना के अनुसार देश में कुल मिला कर 6,43,61 676 मकान थे। शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी और बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1951 61 के बीच लगभग 80 लाख नए मकान बनाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 करोड़ पुराने मकानों के स्थान पर नए मकान बना की आवश्यकता थी। 1961 के अन्त में शहरी क्षेत्रों में 55 लाख मकानों की कमी थी।

इस समस्या का हल करने के लिए एक उपयुक्त योजना को कार्य-रूप दिया जा चुका है। म 1952 में आवास का एक नया मन्त्रालय स्थापित किया गया तथा अधिकांश राज्य सरकार न आवास विभागों की स्थापना की। इस सिलसिले में वार्षिक सम्मेलन और अन्य सेमिना करके आवास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जाता है।

योजनाओं के अधीन प्रगति

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम के प्रारम्भिक विकास की ओर ध्यान दिया गया। शहरी क्षेत्रों में आवास की दो योजनाएं—सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना और कम आयवाले वर्गों के लिए आवास योजना—1 20,000 मकान बनाने के लिए 38 5 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से प्रारम्भ की गई। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं ने भी प्रयत्न किया। अनुमान है कि पहली योजना की अवधि में इन सरकारी संस्थाओं द्वारा लगभग 7 00,000 मकान बनाए गए।

दूसरी योजना की अवधि में विभिन्न आवास योजनाओं के लिए 84 करोड़ रु की व्यवस्था की गई। जीवन बीमा निगम द्वारा लगाए गए 17 2 करोड़ रुपये इसके अतिरिक्त थे। इसके अलावा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने अन्य आवास कार्यक्रम अलग से पूरे किए। इस प्रकार, दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपये आवास योजनाओं पर व्यय किए गए तथा 5,00,000 मकान बनाए गए। निजी क्षेत्र में लगभग 1 000 करोड़ रुपये मकान आदि बनाने पर लगाए जाने का अनुमान है।

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में 142 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जीवन बीमा निगम द्वारा दी जानेवाली लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि इसके अतिरिक्त होगी। संकटकाल के कारण अब इस राशि में कुछ कमी होने की सम्भावना है। फिर भी यह कोशिश की जाएगी कि औद्योगिक श्रमिकों गन्दी बस्तियों में रहनेवालों और कम आय-वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में कटौती न की जाए।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अच्छी आवास सुविधाओं की व्यवस्था के लिए शुरू की गई सार्वजनिक आवास योजना के अन्तर्गत की गई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना सितम्बर 1952 में आरम्भ हुई। इसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को तथा उनके द्वारा आवास बोर्डों, स्थानीय

नियोक्ताओं उद्योगपतियों तथा औद्योगिक श्रमिकों की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं-जैसी अन्य स्वीकृत संस्थाओं को उचित ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण तथा अनुदान दिए जाते हैं। यह सहायता 'कारखाना अधिनियम 1948' के अन्तर्गत आनेवाले औद्योगिक श्रमिकों तथा 'खान अधिनियम 1952' के अन्तर्गत आनेवाले खान श्रमिकों (कोयला तथा अभ्रक खान श्रमिकों को छोड़ कर) को मकान बनाने के लिए दी जाती है। इस योजना के अधीन 1962 के अन्त तक दी गई सहायता तथा स्वीकृत मकानों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है

सारणी 38

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास

	सहायता (करोड़ रुपयों में)			मकानों की संख्या
	ऋण	सहायता	जोड़	
राज्य सरकारें	22 69	21 72	44 41	1 20 474
निजी मालिक	3 38	2 33	5 71	26 870
औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारी संस्थाएं	1 18	0 50	1 68	5,513
केन्द्रीय सरकार (दिल्ली में)	—	—	0 96	2,664
जोड़	27 25	24 55	52 76	1 55,521

सितम्बर 1962 के अन्त तक 1 25,000 मकान बन कर तैयार हो चुके थे।

कम आयवाले लोगों के लिए आवास योजना

कम आयवाले लोगों के लिए आवास योजना नवम्बर 1954 में शुरू की गई। इस योजना के अधीन 6,000 रु वार्षिक से कम आयवाले लोगों को राज्य सरकारों द्वारा उचित ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को भूमि प्राप्त करने और उसका विकास करने के लिए अल्पकालीन ऋण भी देती है।

31 मार्च 1962 तक राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्र प्रशासनों ने 48 12 करोड़ रुपये प्राप्त किए। 1962-63 के दौरान इन्हें 5 39 करोड़ रुपये की राशि और दी जानी थी। 1962 के अन्त तक 1 04,000 मकानों की स्वीकृति दी गई जिनमें से सितम्बर 1962 तक 75,000 मकान बन कर तैयार हो गए।

बागान श्रमिक आवास योजना

बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के अधीन प्रत्येक बागान मालिक का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करे। बागान मालिकों विशेष कर के छोटे बागान मालिकों को यह उत्तरदायित्व पूरा करने में सहायता देने के लिए अधीन

1956 में बागान श्रमिक आवास योजना शुरू की गई। इस योजना के अधीन राज्य सरकारें बागान मालिकों को उचित ब्याज पर ऋण देती हैं। दिसम्बर 1962 के अन्त तक इस योजना के अधीन 20.98 लाख रुपये की सहायता दी गई।

गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना

गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना मई 1956 में लागू की गई। इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से नगरपालिकाओं और स्थानीय संस्थाओं को गन्दी बस्तियों के उन्मूलन के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह सहायता उन परिवारों को बसाने के लिए दी जाती है जिनकी आय कलकत्ता तथा बम्बई में 250 रु. प्रति मास से कम और अन्य नगरों में 175 रु. प्रति मास से कम है। यह योजना इस समय केवल अहमदाबाद, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में ही लागू की गई है क्योंकि इन नगरों में इस समस्या का अविलम्ब समाधान आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत 1962 के अन्त तक 18.62 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाले 60,714 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। सितम्बर 1962 तक 22,2(आवास इकाइयां बन कर तैयार हो गईं।

ग्राम आवास योजना

ग्राम आवास योजना अक्तूबर 1957 में आरम्भ की गई। इसके अन्तर्गत योजना की अवधि में उपयुक्त सामुदायिक विकास खण्डों के 5,000 चुने हुए गांवों में आवास परियोजनाएं लागू करने का कार्यक्रम बनाया गया। इस योजना के अन्तर्गत मकान की लागत का दो-तिहाई भाग या 2,000 रु. (जो भी कम हो) की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता ऋण के रूप में होती है। राज्य सरकारों तथा खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गांववालों को तकनीकी परामर्श तथा मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जाता है। ग्राम आवास विभाग जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में स्थापित किए जा चुके हैं। जनवरी 1963 तक 4,750 ग्राम चुने जा चुके थे। राज्य सरकारों द्वारा 37,330 मकानों के निर्माण के लिए 4.65 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी।

भूमि अर्जन तथा विकास योजना

यह योजना अक्तूबर 1959 में लागू की गई। इसके अधीन राज्य सरकारों को भूमि प्राप्त करने और उसके विकास के लिए ऋण के रूप में सहायता दी जाती है, जिससे मकान बनाने के इच्छुक व्यक्तियों, विशेषकर कम आयवाले वर्गों के लोगों को उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों ने इसके लिए 2.2 करोड़ रुपये लिये। तीसरी योजना में इसके लिए 26 करोड़ रु. की व्यवस्था है।

मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास योजना

यह योजना 1959 में आरम्भ की गई और इसके अधीन उन लोगों को मकान निर्माण ... वार्षिक आय 6,001 रु. से 15,000 रु. ...

अधिक-से-अधिक ऋण 20 000 रुपये प्रति मकान दिया जाता है। अब तक जीवन बीमा निगम ने इस प्रयोजन के लिए 14 18 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। जनवरी 1963 के अन्त तक 16.33 करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए किराये के मकानों की योजना

इस योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा अब तक 9 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। जनवरी 1963 के अन्त तक 9.03 रुपये की अनुमानित लागत के 8,895 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय भवन संगठन

राष्ट्रीय भवन संगठन की स्थापना जुलाई 1954 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य निर्माण सामग्री नमूनों नक्शों आदि के द्वारा कम लागत पर मकान बनाने में सहायता देना है। अब यह संगठन संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता संगठन के सहयोग से एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग के अन्तर्गत शुष्क-उष्ण प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय आवास केन्द्र के रूप में भी काम कर रहा है।

यह संगठन आनन्द चण्डीगढ़ नई दिल्ली बंगलौर रुड़की तथा जियपुर में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित 6 इंजीनियरी संस्थाओं के प्रादेशिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की भी देखभाल करता है।

अध्याय 26

राज्य तथा संघीय क्षेत्र*

असम

क्षेत्रफल : 78,529 वर्गमील†	जनसंख्या : 1,22,09,330†
राजधानी : शिलांग	मुख्य भाषाएं : असमिया तथा बंगला

राज्यपाल : विष्णु सहाय

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
विमल प्रसाद चालिहा	मुख्य मन्त्री, नियुक्तियां, गृह, राजनीतिक मामले, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, विधान, सूचना तथा प्रचार, सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित मामले, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़क तथा भवन और सामान्य समन्वय।
फखरुद्दीन अली अहमद	वित्त, कानून, पंचायतें और सामुदायिक परियोजनाएं।
कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी	बिजली, उद्योग (कुटीर उद्योग सहित), आवास तथा विकास, नगर तथा ग्राम आयोजना और श्रम तथा वाणिज्य।
सिद्धिनाथ शर्मा	राजस्व, वन, परिवहन और राजनीतिक पीड़ित।
देवकान्त बरुआ	शिक्षा, सहकारिता और पर्यटन।
बैद्यनाथ मुखर्जी	चिकित्सा, उत्पाद-शुल्क, मुद्रण तथा स्टेशनरी।
मोइनुल हक चौधरी	बाढ़-नियन्त्रण तथा सिंचाई, कृषि, पशु-चिकित्सा तथा पशु-पालन, मछली-पालन और संसदीय मामले।
रूपनाथ ब्रह्म	आपूर्ति, व्यापार तथा वाणिज्य, पंजीयन तथा स्टाम्प और सहायता तथा पुनर्वास।
महेन्द्रनाथ हजारिका	खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग तथा बुनाई, और जेल।
छत्रसिंह तेरो	जनजातीय क्षेत्र तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, स्थानीय स्वायत्त शासन और समाज-कल्याण।

*31 मई 1963 की स्थिति के अनुसार

†उ. पू. सीमान्त क्षेत्र तथा नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र सहित

आन्ध्रप्रदेश

क्षेत्रफल : 1 06,286 वर्गमील	जनसंख्या 3,59,83,447
राजधानी : हैदराबाद	मुख्य भाषा तेलुगु

राज्यपाल : एस एम श्रीनागेश

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
एन संजीव रेड्डी	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन पुलिस तथा गृह विभाग तथा चुनाव सेवाएं और बड़े उद्योग।
एन रामचन्द्र रेड्डी	राजस्व पंजीयन तथा स्टाम्प निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिग्रहण जागीर व्यवस्था न्यायालय प्रबन्ध बोर्ड भूमि-सुधार और सहायता तथा पुनर्वास।
के ब्रह्मानन्द रेड्डी	वित्त वाणिज्य-कर और सहकारिता।
एम चेन्ना रेड्डी	आयोजना अर्थनीति तथा सांख्यिकी ब्यूरो पंचायतें और पंचायती राज।
पी वी जी राजू	शिक्षा।
ए सी सुब्बा रेड्डी	सिंचाई और बिजली।
मीर अहमद अली खां	भवन सड़कें बन्दरगाह सार्वजनिक उद्यान शहरी जल-आपूर्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग वर्कशाप मुस्लिम वक्फ तथा वक्फ बोर्ड और सालारजंग जागीर।
डाक्टर शिवराज प्रसाद	स्वास्थ्य और चिकित्सा।
एम एन लक्ष्मीनरसय्या	मध्यम तथा लघु उद्योग औद्योगिक सहकार, स्टेशनरी तथा मुद्रण नियन्त्रित फर्मे लघु उद्योग निगम खानें खान निगम और क्षेत्रीय भण्डार क्रय।
राज्य मन्त्री	
एम आर अप्पा राव	उत्पाद-शुल्क मद्यनिषेध और समाज-कल्याण।
पी वी नरसिंह राव	विधि विधि न्यायालय विधि अधिकारी जेल सूचना तथा प्रचार और पर्यटन।
भाट्टम श्रीरामूर्ति / वासिरेड्डि वेंकटप्पैया	नगरपालिका प्रशासन और आवास।
श्रीमती टी एन सदालक्ष्मी	धार्मिक तथा धर्मार्थ सम्पत्ति स्थान नियन्त्रण और छोटी बचतें।

मद्दुरि चमराम रेड्डी	कृषि खाद्य-उत्पादन छूट-व्यवस्था ग्राम-ऋण ऋण-सहायता सहकारी तथा सहकार, राज्य गोदाम निगम पशु-पालन वन और मछली-पालन ।
वी वी गुरुमूर्ति	श्रम और परिवहन ।

मुख्य सचिव : एम पी पाई

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	पी चन्द्र रेड्डी
अन्य न्यायाधिपति	के उमामहेश्वरम पी सत्यनारायण राजू एम कृ॰ कृष्ण राव मनोहर प्रसाद पी जे रेड्डी पी॰ बासि रेड्डी एन कुमारय्य डी मुनिकनय्य वी॰ चन्द्रशेखर शास्त्री एच अनन्तनारायण अय्यर, के वी एल नरसिंहम सर्फुद्दीन अहमद, ई॰ वेंकटेशम गोपाल राव एकबोटे मुहम्मद मिर्जा
महाधिवक्ता	डी नरसराजू

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	गुलाम हैदर
सदस्य	वाई पिच्चि रेड्डी डब्ल्यू मन्नरस्वामी नायडू जी॰ सिद्दारि

विधान-सभा

अध्यक्ष बी वी सुब्ब रेड्डी उपाध्यक्ष वासुदेव कृष्णाजी नायक

सदस्य-संख्या 301

विधान-परिषद्

सभापति एम हनुमन्त राव उप-सभापति जी सुब्ब राजू

सदस्य-संख्या 90

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार आन्ध्रप्रदेश राज्य की राजस्वगत आय 116 43 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 119 01 करोड़ रुपये का था । 1963-64 के बजट अनुमानों में ये राशियां क्रमश: 119 35 करोड़ रुपये तथा 118 25 करोड़ रुपये हैं ।

आन्ध्रप्रदेश

क्षेत्रफल : 1 06,286 वर्गमील
राजधानी : हैदराबाद

जनसंख्या 3,59,83,447
मुख्य भाषा : तेलुगु

राज्यपाल : एस एम श्रीनागेश

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
एन संजीव रेड्डी	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन पुलिस तथा गृह, विधान तथा चुनाव सेवाएं और बड़े उद्योग।
एन रामचन्द्र रेड्डी	राजस्व पंजीयन तथा स्टाम्प निष्क्रान्त सम्पत्ति अति-भार जागीर व्यवस्था भूमि प्रबन्ध बोर्ड, भूमि-सुधार और सहायता तथा पुनर्वास।
के ब्रह्मानन्द रेड्डी	वित्त वाणिज्य-कर और सहकारिता।
एम चेन्ना रेड्डी	आयोजना अर्थनीति तथा सांख्यिकी ब्यूरो, पंचायतें और पंचायती राज।
पी वी जी राजू	शिक्षा।
ए सी सुब्ब रेड्डी	सिंचाई और बिजली।
मीर अहमद अली खां	भवन सड़कें बन्दरगाह, सार्वजनिक उद्यान शहरी जल-आपूर्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग वर्कशाप मुस्लिम वक्फ तथा वक्फ बोर्ड और सालारजंग जागीर।
वाई शिवराम प्रसाद	स्वास्थ्य और चिकित्सा।
एम एन लक्ष्मीनरसय्य	मध्यम तथा लघु उद्योग औद्योगिक सहकार, स्टेशनरी तथा मुद्रण नियन्त्रित जिन्सें लघु उद्योग निगम खानें खान निगम और केन्द्रीय भण्डार क्रय।
राज्य मन्त्री	
एम आर अप्प राव	उत्पाद-शुल्क मद्यनिषेध और समाज-कल्याण।
पी वी नरसिंह राव	विधि विधि न्यायालय विधि अधिकारी जेल सूचना तथा प्रचार और पर्यटन।
मालपल्लि वेंकटरमैया	नगरपालिका प्रशासन और आवास।
श्रीमती टी एन सदालक्ष्मी	धार्मिक तथा धर्मार्थ सम्पत्ति न्यास निकाय और छोटी बचतें।

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	श्री बी मिश्र
सदस्य	एम एल० पंडित श्री सी पटनायक

विधान-सभा

अध्यक्ष शिवराज पाणिग्रही | उपाध्यक्ष लोकनाथ मिश्र

सदस्य-संख्या 140

राजस्व-स्थिति

1962 63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उड़ीसा राज्य की राजस्वगत आय 65 68 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 68 72 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों में ये राशियां क्रमश: 67 59 करोड़ रुपये और 67 14 करोड़ रुपये हैं।

उड़ीसा

क्षेत्रफल : 60,164 वर्गमील	जनसंख्या 1 75,48,846
राजधानी : भुवनेश्वर	मुख्य भाषा : उड़िया

राज्यपाल : ए एन खोसला

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
बिजयानन्द पटनायक	मुख्य मन्त्री वित्त सहकारिता वन उद्योग सिंचाई तथा बिजली आयोजना तथा वाणिज्य (बन्दरगाह) खनिज तथा भूगर्भ-सम्पदा और कबायली तथा ग्रामीण कल्याण।
बीरेन मित्र	राजनीति तथा सेवाएं, स्वास्थ्य (स्थानीय स्वायत्त शासन) आयोजना तथा समन्वय सामुदायिक विकास और पंचायती राज।
सदाशिव त्रिपाठी	राजस्व और उत्पाद-शुल्क।
पवित्र मोहन प्रधान	शिक्षा कृषि तथा पशु-पालन (कृषि)।
नीलमणि राउत्रे	गृह, वाणिज्य (बन्दरगाह छोड़ कर) श्रम और आपूर्ति।
पी वी जगन्नाथराव	स्वास्थ्य (स्थानीय स्वायत्त शासन छोड़ कर) और कृषि तथा पशु-पालन (पशु-पालन)।
हरिहर सिंह मर्दराज	निर्माण-कार्य और परिवहन।
उप-मन्त्री	
वृन्दावन नायक	सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज और स्वास्थ्य (स्थानीय स्वायत्त शासन)।
टी संगन्न	कबायली तथा ग्रामीण कल्याण।
प्रह्लाद मलिक	सिंचाई तथा बिजली (सिंचाई)।
वीर विक्रमादित्य सिंह बारिहा	निर्माण-कार्य तथा परिवहन (परिवहन) कृषि और पशु-पालन।
श्रीमती सरस्वती प्रधान	शिक्षा।
सन्तोष कुमार साहू	सहकारिता और वन (सहकारिता तथा मछली-उद्योग)
जगन्मोहन सिंह	श्रम और गृह (जेल)।

मुख्य सचिव : श्री शिवरामन

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	आर एल नरसिंहम
अन्य न्यायाधिपति	एस पी बर्मन राजकिशोर दास पी के मिश्र
महाधिवक्ता	डी बसु

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष बी बी मिश्र
सदस्य एम एस पंडित बी सी पटनायक

विधान-सभा 1

अध्यक्ष लिंगराज पाणिग्राही उपाध्यक्ष लोकनाथ मिश्र

सदस्य-संख्या : 140

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उड़ीसा राज्य की राजस्वगत आय 65 68 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 68 72 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों में ये राशियां क्रमश: 67 59 करोड़ रुपये और 67 14 करोड़ रुपये हैं।

उत्तरप्रदेश

क्षेत्रफल : 1 13,654 वर्गमील — जनसंख्या : 7 37 46,401

राजधानी : लखनऊ — मुख्य भाषा : हिन्दी

राज्यपाल विश्वनाथ दास

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
चन्द्रभानु गुप्त	सामान्य प्रशासन उद्योग (ग्राम तथा लघु उद्योगों को छोड़ कर) गृह, चिकित्सा और बिजली।
हुकुम सिंह विसेन	राजस्व।
गिरधारी लाल	सार्वजनिक निर्माण कार्य।
श्रीमती सुचेता कृपालानी	सामुदायिक विकास पंचायती राज और श्रम।
चरण सिंह	कृषि पशु-पालन और मछली-पालन।
अली जहीर	न्यायिक और विधि प्रबन्ध।
कमलापति त्रिपाठी	वित्त बिक्री-कर, पंजीयन स्टाम्प और कोर्ट फीस।
हरगोविन्द सिंह	आयोजना।
जुगल किशोर	शिक्षा।
विचित्र नारायण शर्मा	स्थानीय स्वायत्त शासन।
मुजफ्फर हसन	परिवहन मुस्लिम वक्फ और राजनीतिक पेन्शनें।
राम मूर्ति	सिंचाई और सरकारी सम्पत्ति।
अलगूराय शास्त्री	वन मद्य-नीति तथा सांख्यिकी।
चतुर्भुज शर्मा	सहकारिता।
जगमोहन सिंह नेगी	खाद्य और असैनिक आपूर्ति।
फूल सिंह	ग्राम और लघु उद्योग।
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	समाज-कल्याण हरिजन-कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य।

राज्य मन्त्री	
सीताराम	उत्पाद-शुल्क सांस्कृतिक मामले और वैज्ञानिक अनुसन्धान।
गोविन्द सहाय	जेल सहायता तथा पुनर्वास और युवा-कल्याण।
दाऊ दयाल खन्ना	[illegible] विपणन और दुग्ध तथा [illegible] विकास।
बनारसी दास	सूचना और संसदीय मामले।

उप-मन्त्री	
श्रीमती प्रकाशवती सूद	समाज-कल्याण और हरिजन-कल्याण।

शान्ति प्रपन्न शर्मा	बिजली आयोजना सांस्कृतिक मामले और वैज्ञानिक अनुसन्धान।
बलदेव सिंह आर्य	खाद्य।
धर्म सिंह	लोक-स्वास्थ्य और चिकित्सा।
हेमवती नन्दन बहुगुणा	श्रम।
मदन किशोर	गृह (पुलिस)।
जयराम वर्मा	वित्त।
रामनारायण पाण्डेय	सिंचाई।
शिवप्रसाद गुप्त	ग्राम तथा लघु उद्योग।
शिवराज सिंह	कृषि।
कमलापति राय	शिक्षा।
संसदीय सचिव	**सम्बद्ध मन्त्री**
ब्रजबिहारी मिश्र	राजस्व मन्त्री।
नन्द कुमार देव वशिष्ठ	श्रम तथा सामुदायिक परियोजना मन्त्री।
मंगेश्वरी लाल	स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्री।
श्रीमती तारा अग्रवाल	मुख्य मन्त्री।
मुहम्मद शहीद फाखरी	परिवहन मन्त्री।
हरिदत्त कांडपाल	वन मन्त्री।
चन्द्रसिंह रावत	न्याय मन्त्री।
अजयकुमार बसु	सार्वजनिक कार्य मन्त्री।
मजीद इमाम	शिक्षा मन्त्री।
धर्म दत्त वैद्य	जेल मन्त्री।
मधीश्वर पाण्डेय	स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्री।
देवेन्द्र प्रताप सिंह	श्रम तथा सामुदायिक परियोजना मन्त्री।
वीर सेन	श्रम तथा सामुदायिक परियोजना मन्त्री।

मुख्य सचिव आर पी भार्गव

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	एम सी देसाई
अन्य न्यायाधिपति	वी भार्गव एन बेग वी जी ओक जे सहाय वी दयाल जे एन टकरू वी एन सिन्हा एच एच बेग एल के वर्मा जम्बू मूस डी एस माथुर, डी पी उनियाल एस एन द्विवेदी आर एन मिश्र के पी माथुर, एम लाल एस डी सिंह एस सी मनचन्दा टी रामभद्र वी डी गुप्त वी गुप्त

के बी अस्थाना एस एन काटजू, बी कुमार, आर एस पाठक

महाधिवक्ता — के एल मिश्र

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष — राधाकृष्ण

सदस्य — एस एस फारूकी आर डी मिश्र आर पी वर्मा जे एन उग्र

विधान-सभा

अध्यक्ष मदनमोहन वर्मा — उपाध्यक्ष होतीलाल अग्रवाल

सदस्य-संख्या 430

विधान-परिषद्

सभापति रघुनाथ विनायक धुलेकर — उप-सभापति निजामुद्दीन

सदस्य-संख्या 108

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उत्तरप्रदेश राज्य की राजस्वगत आय 193 15 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 193 18 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट प्रस्तावों के अनुसार ये राशियां क्रमश 201 82 करोड़ रुपये और 206 79 करोड़ रुपये हैं।

केरल

क्षेत्रफल : 15,002 वर्गमील — जनसंख्या 1 69 03,715
राजधानी : त्रिवेन्द्रम — मुख्य भाषा : मलयालम

राज्यपाल वी वी गिरि

मन्त्रिपरिषद

मन्त्री	विभाग
आर शंकर	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन एकत्वा आयोजना शिक्षा वित्त समाज-कल्याण सूचना तथा प्रचार, बीमा वाणिज्यिक कर, कृषि आय-कर, त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास स्टेशनरी तथा छपाई, अजायबघर, चिड़ियाघर तथा पुरातत्व और भंडार क्रय ।
पी टी चाको	गृह, विधि तथा न्याय और भूमि तथा राजस्व ।
क ए दामोदर मेनन	उद्योग वाणिज्य स्थानीय प्रशासन सामुदायिक विकास खनिज और भूगर्भ सम्पत्ति सीमेंट और लोहा तथा इस्पात ।
पी पी उमर कोया	सार्वजनिक निर्माण कार्य पर्यटन और लेस-कूद ।
क टी अच्युतन	परिवहन श्रम उत्पाद-शुल्क और मद्यनिषेध ।
ई पी पाउलास	खाद्य तथा कृषि पशु-पालन सिंचाई, असैनिक आपूर्ति सहकारिता और दुग्ध-उद्योग ।
के कुन्हम्बु	हरिजनोद्धार, पंजीयन आवास और मछली उद्योग ।
एम पी गोविन्दन नायर	सार्वजनिक स्वास्थ्य आयुर्वेद वन, देवस्वम और दातव्य संस्थाएं ।

मुख्य सचिव : एन एम पटनायक

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	एम एस मेनन
अन्य न्यायाधिपति	टी के जोसफ, पी टी० रमन नायर, सी ए वैद्यलिंगम्, एम वेंकटरमन अय्यर अन्ना चाण्डी, पी गोविन्द मेनन, टी सी राघवन एम माधवन नायर, पी गोविन्दन नायर, के के मैथ्यू

गुजरात

क्षेत्रफल : 72,245 वर्गमील	जनसंख्या 2,06,33,350
राजधानी : अहमदाबाद	मुख्य भाषा : गुजराती

राज्यपाल : मेहदी नवाज जंग

मंत्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
जीवराज एन. मेहता	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, आयोजना और वित्त।
रसिकलाल उमेदचन्द पारीख	गृह, सूचना, बिजली, बन्दरगाह, मछली-पालन और उद्योग।
गुलाबाई भूषणकर मडानी	सहकारिता, सामुदायिक परियोजना, पंचायतें, सड़कें, भवन और सर्वोदय।
श्रीमती इन्दुमती चिमनलाल	शिक्षा, समाज-कल्याण, मद्यनिषेध तथा उत्पाद-शुल्क और पुनर्वास।
हितेन्द्र के. देसाई	राजस्व, स्थान-नियन्त्रण, कानून और न्याय विभाग।
विजयकुमार माधवलाल त्रिवेदी	सिंचाई, वैदिक आपूर्ति, सड़क-परिवहन और नगर पालिकाएं।
रत्नुभाई शंकरलाल पारीख	कृषि तथा वन।
मोहनलाल पोपटलाल व्यास	स्वास्थ्य, श्रम, आवास तथा जेल।
उप-मन्त्री	
बहादुरभाई कुवरभाई पटेल	सड़कें, भवन और सिंचाई।
मलदेवजी मच्छीकजी ओडेदरा	वित्त और आयोजना।
श्रीमती उर्मिलाबेन प्रेमशंकर भट्ट	स्वास्थ्य और जेल।
देवेन्द्रभाई मोतीभाई देसाई	सहकारिता, सामुदायिक परियोजनाएं और पंचायतें।
रमणीकलाल त्रिकमलाल मणियार	गृह, उद्योग और बन्दरगाह।
मनुभाई मोतीभाई पटेल	शिक्षा, परिवहन और मद्यनिषेध।
माधवसिंह फूलसिंह सोलंकी	राजस्व और स्थान-नियन्त्रण।
भानुप्रसाद वासजीभाई पण्ड्या	कृषि और वन।
संसदीय सचिव	**सम्बद्ध मन्त्री**
करीम रहमानजी धीरा	मुख्य मन्त्री।

मुख्य सचिव : बी. ईश्वरन

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	के. टी. देसाई
अन्य न्यायाधिपति	जे. एम. शेलट, एन. एम. मियाभाई, वी. बी. राजू, पी. एन. भगवती, ए. आर. बक्षी, एम. आर. भारी, वी. ज. दीवान, एम. सी. वकील

जम्मू-कश्मीर

क्षेत्रफल 86,023 वर्गमील — जनसंख्या : 35,60 976

राजधानी : श्रीनगर — मुख्य भाषाएं : कश्मीरी डोगरी तथा उर्दू

सदर-ए-रियासत : युवराज कर्ण सिंह

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
बख्शी गुलाम मुहम्मद	प्रधान मन्त्री सामान्य प्रशासन कानून तथा व्यवस्था सेवाएं, मन्त्रिमण्डल असैनिक सचिवालय मिलिशिया पुलिस असैनिक सम्पर्क सूचना तथा प्रचार, परिवहन पर्यटन व्यापार एजेन्सियां लद्दाखी मामले योजना तथा सांख्यिकी राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास।
जी एम सादिक	शिक्षा पुस्तकालय अनुसन्धान तथा प्रकाशन राष्ट्रीय सैन्य विद्यार्थी दल कला संस्कृति तथा भाषा अकादेमी स्टेशनरी तथा मुद्रण युवा कल्याण और खेल-कूद।
जी एम शौकत	वित्त और बजट, राज्य वित्त निगम उत्पाद-शुल्क और कर, बैंकिंग और बीमा।
मीर कासिम	राजस्व और सहायता तथा पुनर्वास।
डी एन महाजन	कानून तथा न्याय वयस्क मतदान तथा विधान वन तथा मछली-पालन और शिकार-संरक्षण।
शमसुद्दीन	सड़कें तथा भवन सिंचाई, बिजली आवास और जल-आपूर्ति।
डी एम कोतवाल	लोक-स्वास्थ्य जेल टाउन एरिया कमेटी नगर पालिकाएं, चिकित्सा कल्याण और श्रम।
एम ए बेग	खाद्य तथा कृषि पशु-पालन सहकारिता रस तथा फार्म डेरी फार्म तथा बागवानी आपूर्ति और मूल्य नियन्त्रण।
डी पी धर	उद्योग औद्योगिक प्रशासन खनिज तथा भूगर्भ सम्पत्ति औद्योगिक जागीरें और कुटीर उद्योग।
भगत छज्जू राम	समाज-कल्याण अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग।
गुलाम नबी वानी सोगामी	रेशम-उद्योग वन उद्योग ईंट तथा टाइल कारखाने एम्पोरियम और ग्रामीण मन्दिया।
पुष्कर बहूमा	लद्दाखी मामले।

मुख्य सचिव : गुलाम अहमद

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	जे एन वज़ीर
अन्य न्यायाधिपति	एस फ्रांसिस घता
महाधिवक्ता	जगदम्ब सिंह

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	ए एच दुर्रानी
सदस्य	बलदेव सिंह साम्यास

विधान-सभा

अध्यक्ष हरबंस सिंह धाजाद उपाध्यक्ष मुहम्मद मकबूल खाँ

सदस्य-संख्या 75

विधान-परिषद्

सभापति शिवनारायण फोतेदार उप-सभापति पनानुद्दीन

सदस्य-संख्या : 36

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य की राजस्वगत आय 23 07 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 22 83 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 25 52 करोड़ रुपये और 23 15 करोड़ रुपये हैं।

पंजाब

क्षेत्रफल 47 108 वर्गमील	जनसंख्या 2,03,06,812
राजधानी चण्डीगढ़	मुख्य भाषाएं : पंजाबी और हिन्दी

राज्यपाल पट्टम ए थानु पिल्लै

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
प्रताप सिंह कैरों	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन (राजनीतिक पीड़ित सहित) उद्योग (कुटीर उद्योग को छोड़ कर) शिक्षा (तकनीकी चिकित्सा-सम्बन्धी और औद्योगिक शिक्षा सहित) सहकारिता छोटी बचतें परिवहन छपाई तथा स्टेशनरी जन-सम्पर्क सांस्कृतिक मामले और पर्यटन।
गोपीचन्द भार्गव	वित्त सांख्यिकी कुटीर उद्योग स्वास्थ्य और भाषाएं।
मोहनलाल	गृह (एकता सहित) सतर्कता खाद्य तथा आपूर्ति स्थानीय प्रशासन (पंचायतें छोड़ कर) न्याय जेल चुनाव और श्रम।
दरबारा सिंह	सामुदायिक विकास पंचायतें तथा पंचायती राज पैकेज कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों का विकास सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग भवन तथा सड़कें सार्वजनिक स्वास्थ्य आयोजना आवास और गन्दी बस्तियों का उन्मूलन।
गुरबन्ता सिंह	कृषि (बागबानी सहित) वन शिकार-संरक्षण मछली-पालन पशु-पालन तथा दुग्ध उद्योग हरिजन-कल्याण और पिछड़ी जातियां (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबीलों सहित) और समाज-कल्याण।
रामसरन चन्द मित्तल	उत्पाद-शुल्क तथा कर, राजधानी परियोजना नगर तथा ग्रामीण आयोजना और रमापारम।
रणबीर सिंह	सिंचाई और बिजली।
गज्जन सिंह	राजस्व पुनर्वास सहायता तथा पुनर्वास और भूमि-कर।
मुख्य संसदीय सचिव	
सुमेर सिंह	छपाई तथा स्टेशनरी जन-सम्पर्क सांस्कृतिक मामले पर्यटन राजनीतिक पीड़ित और परिवहन।

मुख्य सचिव ज्ञान सिंह काहलों

पश्चिम-बंगाल

क्षेत्रफल 33,829 वर्गमील	जनसंख्या 3,49,26,279
राजधानी : कलकत्ता	मुख्य भाषा : बंगला

राज्यपाल कु. पद्मजा नायडू

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
प्रफुल्ल चन्द्र सेन	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन राजनीतिक मामले, पुलिस प्रतिरक्षा विशेष मामले पासपोर्ट समाचार पत्र गृह (भ्रष्टाचार-विरोध) विकास खाद्य तथा आपूर्ति कृषि और स्वास्थ्य।
खगेन्द्र नाथ दास गुप्त	सार्वजनिक निर्माण कार्य और आवास।
अजयकुमार मुखर्जी	सिंचाई तथा जलमार्ग।
ईश्वर दास जालान	कानून।
राय हरेन्द्र नाथ चौधरी	शिक्षा।
तरुण कान्ति घोष	कुटीर तथा छोटे उद्योग सहकारिता वाणिज्य और उद्योग।
श्रीमती पूरबी मुखोपाध्याय	जेल समाज-कल्याण और छोटी बचतें।
श्यामदास भट्टाचार्य	भूमि तथा लगान।
जगन्नाथ कोले	प्रचार उत्पाद-शुल्क और विधान सम्बन्धी मामले।
शैल कुमार मुखर्जी	स्थानीय स्वायत्त शासन तथा पंचायतें सामुदायिक विकास तथा विस्तार सेवाएं और कबीला कल्याण।
श्रीमती आभा मैती	विस्थापित सहायता तथा पुनर्वास।
शंकरदास बनर्जी	वित्त तथा परिवहन।
एस एम फजलुर रहमान	पशु-पालन तथा पशु-चिकित्सा।
विजय सिंह नाहर	श्रम।
राज्य मन्त्री	
सौरेन्द्र मोहन मिश्र	शिक्षा।
धर्मजित बागची	पशु-पालन तथा पशु-चिकित्सा सेवाएं।
समरजित बन्द्योपाध्याय	कृषि।
चारुचन्द्र महान्ती	आपूर्ति।
विधुरंजन राय	सहकारिता।
अर्धेन्दु शेखर नस्कर	उत्पाद-शुल्क।
आशुतोष घोष	परिवहन।
विजय चन्द्र सेन	आवास विकास और सार्वजनिक निर्माण कार्य।
प्रबोध कुमार गुह	श्रम।

सुशीलरंजन चट्टोपाध्याय	स्वास्थ्य ।
प्रमथरंजन ठाकुर	कबीला-कल्याण ।

उप-मन्त्री

काजिम अली मिर्जा	सार्वजनिक निर्माण कार्य ।
जियाउल हक	स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायतें ।
श्रीमती माया बनर्जी	शिक्षा ।
तारापद राय	सिंचाई तथा जलमार्ग ।
श्रीमती राधारानी महताब	जेल और समाज-कल्याण ।
कनाई लाल दास	भूमि तथा लगान ।
जैनल आबेदीन	स्वास्थ्य ।
श्रीमती सकीला खातुन	विस्थापित सहायता तथा पुनर्वास ।
मुक्तिपद चटर्जी	शिक्षा ।
महेन्द्रनाथ डाकुआ	वाणिज्य तथा उद्योग ।

मुख्य सचिव आर गुप्त

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	एच के बोस
अन्य न्यायाधिपति	पी बी मुखर्जी आर एस बछावत डी एन सिन्हा पी एन मुखर्जी एस के सेन डी मुखर्जी पी के मित्र पी सी मल्लिक एन के दत्त यू सी ला बी एन बनर्जी ए एन राय एस पी मित्र एस के सिन्हा डी एन दास गुप्त के एन सेन पी चटर्जी ए सी राय सी एन लायक बी मुखर्जी आर एन दत्त डी डी बसु बी पी मित्र ए सी सेन
महाधिवक्ता —	एस एम बोस

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	डी दास गुप्त
सदस्य	के पी सेन पी सी रक्षित

विधान-सभा

अध्यक्ष केशवचन्द्र बसु　　उपाध्यक्ष : आशुतोष मल्लिक

सदस्य-संख्या 256

विधान-परिषद्

सभापति : सुनीतिकुमार चटर्जी उप-सभापति : प्रतापचन्द्र गुह राय

सदस्य-संख्या 75

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पश्चिम-बंगाल राज्य की राजस्वगत आय 105 73 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 115 26 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 117 05 करोड़ रुपये और 109 78 करोड़ रुपये हैं।

कमलदेव नारायण सिंह	शिक्षा स्थानीय स्वायत्त शासन आयोजना उद्यान आवास और धार्मिक न्यास।
मुंगेरी लाल	उत्पाद-शुल्क खाद्य आपूर्ति तथा वाणिज्य।
सहदेव महतो	सहकारिता और सहायता तथा पुनर्वास।
नवल किशोर सिंह	राजस्व पंजीयन भूमि-सुधार, भूमि-रखाली और प्राकृतिक संकटजन्य सहायता।

संसदीय सचिव	सम्बद्ध मन्त्री
श्रीमती सुमित्रा देवी	स्वास्थ्य मन्त्री।
श्रीमती मनोरमा पाण्डेय	मुख्य मन्त्री।
बालेश्वर राम	कल्याण मन्त्री।
हरदेव सिंह	सहकारिता मन्त्री।
बैद्यनाथ मेहता	शिक्षा मन्त्री।
बूमलाल बैठा	सिंचाई मन्त्री।

मुख्य सचिव : एस के मजूमदार

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	वी रामस्वामी
अन्य न्यायाधिपति	के अहमद, एस सी मिश्र आर के चौधरी के सहाय के सिंह, यु एन सिन्हा एन एल उन्तवालिया एच महापात्र तारकेश्वर नाथ, मनन्द सिंह, श्यामनन्दन प्रसाद सिंह, रामरत्न सिंह, जी एन प्रसाद एस पी सिंह
महाधिवक्ता	महावीर प्रसाद

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	वी एन राहुलकी
सदस्य	रामजतन सिंह, इकबाल हुसैन

विधान सभा

अध्यक्ष : लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' उपाध्यक्ष : सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल

सदस्य-संख्या : 318

विधान-परिषद्

सभापति : रामेश्वर मिश्र उप-सभापति : रिक्त

सदस्य-संख्या : 96

राजस्व-स्थिति

196 63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार बिहार राज्य की राजस्वगत आय 85 87 करोड़ रुपये की ओर राजस्वगत व्यय 91 21 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश 87 85 करोड़ रुपये और 85 52 करोड़ रुपये हैं।

मद्रास

क्षेत्रफल : 50,331 वर्गमील	जनसंख्या : 3,36,86,953
राजधानी : मद्रास	मुख्य भाषा : तमिल

राज्यपाल : विष्णुराम मेधी

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
के. कामराज	मुख्य मन्त्री, आयोजना, सामान्य प्रशासन, सामुदायिक विकास, पंचायतें, गृह और परिवहन।
एम. भक्तवत्सलम	वित्त, शिक्षा, श्रम, न्यायालय तथा जल, विधानमण्डल, निर्वाचन, खादी तथा ग्रामोद्योग, धर्मार्थ संस्थाएं और सरकारी भाषा।
आर. वेंकटरमण	उद्योग, वाणिज्य, कर, राष्ट्रीयकृत परिवहन, बिजली, आवास, तकनीकी शिक्षा, हथकरघा, सूत, वस्त्र, खानें और खनिज पदार्थ, लोहा तथा इस्पात नियन्त्रण।
पी. कक्कन	खाद्य और कृषि, छोटे सिंचाई-कार्य, पशु-पालन, हरिजन-कल्याण और मद्यनिषेध।
वी. रामय्या	सार्वजनिक निर्माण कार्य और राजस्व।
श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम	लोक-स्वास्थ्य और औषधियां, महिला और बाल कल्याण, अनाथालय और स्थान-नियन्त्रण।
लाल्सेनापति सरकारायर मन्राडियार	सहकारिता, मछली-पालन, वन और सिंकोना।
जी. भूवराहन	सूचना और प्रचार, पत्रादि, स्टेशनरी और सरकारी मुद्रणालय।
एस. एम. अब्दुल मजीद	नगरपालिका प्रशासन।

मुख्य सचिव : एस. के. चेत्तुर

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	एस. रामचन्द्र अय्यर
अन्य न्यायाधिपति	के. एस. रामामूर्ति, एम. अनन्तनारायणन, जी. आर. जगदीशन, के. वीरस्वामी, के. श्रीनिवासन, टी. वेंकटाद्रि, पी. रामकृष्णन, पी. एस. कैलासम, पी. के. कुट्टी, आर. सदाशिवम्, के. एस. वेंकटरमन।
महाधिवक्ता	वी. के. तिरुवेंकटाचारी

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	वी. आर. सुब्रह्मण्यम
सदस्य	वी. आर. नागराजन, ए. एम. [illegible] पिचई

विधान-सभा

अध्यक्ष एस चेल्ल पांडियन उपाध्यक्ष के पार्थसारथी

सदस्य-संख्या 207

विधान-परिषद्

सभापति पी बी चरियन उप-सभापति : बी क पलनिस्वामी गाउण्डर

सदस्य-संख्या 63

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार मद्रास राज्य की राजस्वगत आय 117 10 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 120 02 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 124 45 करोड़ रुपये और 1 7 19 करोड़ रुपये है।

रेवरसाल जांगे	वाणिज्य तथा उद्योग प्राकृतिक संसाधन पुनर्वास और कबीला-कल्याण।
जगदीश नारायण अवस्थी	राजस्व सर्वेक्षण बन्दोबस्ती तथा भूमि-रिकार्ड भूमि-सुधार और वन।

मुख्य सचिव : एम एस कामथ

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	पी वी दीक्षित
अन्य न्यायाधिपति	टी पी नायक अब्दुल हकीम खां बी पी नेवसकर, पी के तारे, एच आर कृष्णन के एल पाण्डेय एस पी श्रीवास्तव एस बी सेन पी आर शर्मा एम एम मोलवणकर, एस पी भार्गव
महाधिवक्ता	एम अधिकारी

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	एस पी मुशरान
सदस्य	लाल प्रद्युम्न सिंह

विधान-सभा

अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे — उपाध्यक्ष : एस पी श्रीवास्तव

सदस्य-संख्या : 288

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य की राजस्वगत आय 88 76 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 92 98 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 94 70 करोड़ रुपये और 95 18 करोड़ रुपये हैं।

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल 1 18,717 वर्गमील	जनसंख्या : 3,95,53,718
राजधानी बम्बई	मुख्य भाषा मराठी

राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
एम एस कन्नमवार	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन आयोजना भवन और सुधार-साधन।
पी के सावन्त	गृह।
जी डी खेडकर	ग्राम विकास।
एस एच भाइ	शिक्षा।
बी पी नायक	राजस्व।
एस के वानखेडे	उद्योग बिजली कानून और न्याय विभाग।
डी एस देसाई	कृषि।
एस बी चह्वाण	सिंचाई, बिजली और शहरी विकास।
एस जी बर्वे	वित्त।
एच जे एच तल्यारखां	अलौकिक आपूर्ति आवास मुद्रणालय मछली-पालन छोटी बचतें और पर्यटन।
डी पेड पवसपाभर	वन।
एच मम्मुस कादर	मद्यनिषेध और वक्फ।
श्रीमती निर्मला राजे भोसले	समाज-कल्याण।
एम डी चौधरी	लोक-स्वास्थ्य।
एम जी माने	श्रम।
के एस सोनवाणे	सहकारिता।
उप-मन्त्री	
जी डी पाटील	उद्योग और आयोजना।
कैलाश शिवनारायण	लोक-स्वास्थ्य।
वाई जे मोहिते	गृह।
एन एम तिडके	ग्रामीण विकास।
एम ए बैरागी	सिंचाई और बिजली।
आर ए पाटील	राजस्व।
एच जी वर्तक	शिक्षा।
बी जे खटाल	सहकारिता।
आर बकारिया	भवन और सुधार-साधन।
डी के खानविलकर	श्रम और खार भूमि विकास।

मैसूर

क्षेत्रफल : 74,210 वर्गमील	जनसंख्या 2,35,86,772
राजधानी बंगलोर	मुख्य भाषा कन्नड

राज्यपाल जय चामराज वाडियार

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
एस निजलिंगप्प	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन आयोजना बिजली और सिंचाई।
एस आर कण्ठी	शिक्षा।
बी डी जत्ती	वित्त।
एम वी कृष्णप्प	राजस्व पशु-पालन पशु-चिकित्सा और दुग्ध आपूर्ति।
एम वी रामराव	कानून न्यायालय उत्पाद-शुल्क तथा मद्यनिषेध संगठन तथा विधियां।
आर एम पाटील	गृह और पर्यटन।
श्रीमती यशोधरा दासप्प	समाज-कल्याण।
के मल्लप्प	वाणिज्य और उद्योग।
के नागप्प आल्वा	लोक-स्वास्थ्य और चिकित्सा।
वीरेन्द्र पाटील	सार्वजनिक निर्माण कार्य और बिजली।
बी रचय्य	वन मछली-पालन और रेशम-उद्योग।
रामकृष्ण हेगडे	सहकारिता विकास और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन।
डी देवराज अर्स	श्रम आवास और सड़क परिवहन निगम।
के पुट्टस्वामी	नगरपालिका प्रशासन।
जी नारायण गौड	कृषि और खाद्य-उत्पादन।
उप-मन्त्री	
अब्दुल गफ्फार	वित्त।
मकसूद अली खां	खान और भूगर्भ-सम्पत्ति।
श्रीमती ग्रेस टकर	शिक्षा।
जे एच अम्मुद्दीन	बिजली।
वाई रामचन्द्र	नगरपालिका-प्रशासन।
के प्रभाकर	समाज-कल्याण।
मल्लिकार्जुनस्वामी	आयोजना।
कोंडज्जी बासप्प	सहकारिता।
मलूर हनुमन्तप्प	छोटे सिंचाई-कार्य।
आर दयानन्द सागर	रेशम-उद्योग।

संसदीय सचिव

वी बी शंकरराव	सार्वजनिक निर्माण-कार्य।
बी देवय्य	कृषि।

मुख्य सचिव के बासवप्पन्

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	एन श्रीनिवास राव
अन्य न्यायाधिपति	एच होम्बे गौड़ ए आर सोमनाथ अय्यर, एम सदाशिवय्य के एस हेगड़े ए नारायण पाइ महमद अली खां बी एम कालगाटे वी के बी गोविन्द भट्ट मीर इक़बाल हुसैन तथा टी के तुकोल
महाधिवक्ता	टी कृष्णराव

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	आर चामिन रामय्य
सदस्य	नंजराज उर्स के आर माद देवगौड़ एस ए एम रज़वी एस डी कोठवाल

विधान-सभा

अध्यक्ष बी वैकुण्ठ बालिगा उपाध्यक्ष ए आर पंचगावी

सदस्य-संख्या 209

विधान-परिषद्

सभापति : जी बी हल्लिकेरि उप-सभापति श्रीमती एन आर लक्ष्मम्मा

सदस्य-संख्या 63

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार मैसूर राज्य की राजस्वगत आय 94 93 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 97 69 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश 99 11 करोड़ रुपये और 98 01 करोड़ रुपये हैं।

राजस्थान

क्षेत्रफल : 1 32,152 वर्गमील	जनसंख्या : 2,01 55,602
राजधानी : जयपुर	मुख्य भाषाएं राजस्थानी तथा हिन्दी

राज्यपाल : सम्पूर्णानन्द

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया	मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन राजनीतिक मामले नियुक्तियां राजस्व (दुर्भिक्ष-सहायता और आवास सहित) पंचायतें सामुदायिक विकास सहकारिता बड़े उद्योग खनिज उद्योग तथा खानें आयोजना आवास और सांख्यिकी ।
हरिभाऊ उपाध्याय	शिक्षा देवस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग अधीनिक आपूर्ति तथा उद्योग (बड़े और खनिज उद्योगों को छोड़ कर)
मथुरा दास माथुर	गृह कानून न्याय विधान-सभा निर्वाचन तथा प्रचार ।
नाथूराम मिर्धा	कृषि पशु-पालन बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, सरकारी औद्योगिक एवं खनिज उपक्रम और खाद्य ।
हरिश्चन्द्र	सार्वजनिक निर्माण कार्य परिवहन बिजली और मुद्रणालय ।
बी के कौल	वित्त उत्पाद-शुल्क तथा कर ।
भीखा भाई	सिंचाई (बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को छोड़ कर) वन श्रम आयुर्वेद समाज-कल्याण सहायता और पुनर्वास ।
बरकतुल्ला खां	चिकित्सा लोक-स्वास्थ्य स्थानीय स्वायत्त शासन और शहरी आयोजना ।
उप-मन्त्री	
भीकाराम	बड़े सिंचाई कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन और आयुर्वेद ।
श्रीमती कमला बेनीवाल	आयोजना तथा विकास कृषि तथा पशु-पालन दुर्भिक्ष सहायता तथा सरकारी उपक्रम ।
श्रीमती प्रभा मिश्र	चिकित्सा समाज-कल्याण कानून और लोक-स्वास्थ्य ।
पारसराम मदेरणा	सामान्य प्रशासन सहायता तथा पुनर्वास बिजली न्याय और आवास ।
भवानी शंकर नन्दवाना	सार्वजनिक निर्माण-कार्य श्रम पंचायतें और सामुदायिक विकास ।
रामप्रसाद लड्ढा	राजस्व खानें और देवस्थान ।

चन्दनमल बैद	उद्योग वित्त और मद्यनिषेध आपूर्ति।
दिनेश राज डांगी	मध्यम और छोटे सिंचाई कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग और छोटी बचतें।
निरंजन नाथ आचार्य	शिक्षा वन उत्पाद-शुल्क तथा कर।
भीम सिंह	गृह परिवहन और सहकारिता।

मुख्य सचिव बी मेहता

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	जे एस राणावत
अन्य न्यायाधिपति	डी एस दवे आई एन मोदी डी एम भण्डारी जे नारायण एस एन संगानी सी बी भार्गव वी पी बेरी पी एन सिंघल बी पी० त्यागी
महाधिवक्ता	जी सी कासलीवाल

लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	बी बी मासलीकर
सदस्य	एस एम माहुका श्याम लाल बी एल रावत।

विधान-सभा

अध्यक्ष : रामनिवास मिर्धा उपाध्यक्ष नारायण सिंह

सदस्य-संख्या : 176

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्थान राज्य की राजस्वगत आय 60 61 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 59 66 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 63 15 करोड़ रुपये और 66 13 करोड़ रुपये हैं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्रफल : 3,215 वर्गमील	जनसंख्या : 63,548	राजधानी : पोर्ट ब्लेयर

मुख्य आयुक्त : श्री एन माहेश्वरी

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राजस्वगत आय 1 63 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 2 89 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 1 81 करोड़ रुपये और 2 95 करोड़ रुपये हैं।

उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र

क्षेत्रफल 31 436 वर्गमील	मुख्यालय : शिलंग

उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से असम का राज्यपाल सम्भालता है। उसकी सहायता के लिए शिलंग में एक परामर्शदाता है और इस क्षेत्र के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है। इस क्षेत्र में पांच प्रशासनिक डिवीजन हैं कामेंग सीमान्त डिवीजन (मुख्यालय बोमडिला) सुबानसिरी सीमान्त डिवीजन (मुख्यालय जीरो) सियांग सीमान्त डिवीजन (मुख्यालय अलोंग) लोहित सीमान्त डिवीजन (मुख्यालय तेजू) और तिरप सीमान्त डिवीजन (मुख्यालय खोंसा)। ये सब डिवीजन एक-एक पालिटिकल आफिसर के अधीन हैं।

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र की राजस्वगत आय 36 86 लाख रुपये की और राजस्वगत व्यय 12 13 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 36 86 लाख रुपये और 13 69 करोड़ रुपये हैं।

गोआ दमन और दीव

क्षेत्रफल : 1 426 वर्गमील	जनसंख्या : 6,26,978	राजधानी पंजिम

उप-राज्यपाल : टी शिवशंकर

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार गोआ, दमन और दीव का राजस्वगत व्यय 4 82 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्वगत व्यय 4 55 करोड़ रुपये का है। राजस्वगत आय के पक्ष सामग्री के प्रेस जाने तक उपलब्ध नहीं थे।

दादरा और नगरहवेली

क्षेत्रफल 189 वर्गमील	जनसंख्या : 57 963	मुख्यालय सिलवासा

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार दादरा और नगरहवेली की राजस्वगत आय 52 20 लाख रुपये की और राजस्वगत व्यय 13 69 लाख रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 17 41 लाख रुपये और 14 07 लाख रुपये हैं।

दिल्ली

क्षेत्रफल 573 वर्गमील	जनसंख्या 26 58,612
राजधानी : दिल्ली	मुख्य भाषाएं हिन्दी उर्दू तथा पंजाबी

मुख्य आयुक्त भगवान सहाय

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार दिल्ली की राजस्वगत आय 14 64 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 16 07 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश 15 36 करोड़ रुपये और 18 68 करोड़ रुपये हैं।

नागालैण्ड

क्षेत्रफल 6,366 वर्गमील	जनसंख्या : 3,69 200	मुख्यालय : कोहिमा

8 फरवरी 1961 को राष्ट्रपति द्वारा घोषित 'नागालैण्ड (अन्तरिम व्यवस्था) विनियम 1961 के अधीन नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र को नागालैण्ड' के नाम से भारत का एक नया राज्य बना दिया गया। संसद् में इस सम्बन्ध में नागालैण्ड राज्य अधिनियम और संविधान (13-वां संशोधन) अधिनियम 1962 पास कर दिया है। नागालैण्ड की कबायली जातियों के निर्वाचित 45 सदस्यों की एक अन्तरिम संस्था बना दी गई है। नागालैण्ड के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक ग्राम-परिषद् भी गठित की गई है। हर गांव के लिए ग्राम-परिषद्, हर इलाके के लिए इलाका-परिषद् और हर कबीले के लिए एक कबीला-परिषद् का संगठन किया गया है।

कार्य-परिषद्

नागालैण्ड की कार्य-परिषद् में ये सज्जन हैं : शिलू आओ (मुख्य कार्यपालक सदस्य) अकुम इमलौंग, चेतन जमीर, जासोकी संगामी और होकिशे सेमा।

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार नागालैण्ड की राजस्वगत आय 15 40 लाख रुपये की और राजस्वगत व्यय 4 22 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 15 40 लाख रुपये और 6 05 करोड़ रुपये हैं।

पाण्डिचेरी

क्षेत्रफल : 185 वर्गमील	जनसंख्या : 3,69,079
राजधानी : पाण्डिचेरी	मुख्य भाषाएं : फ्रांसीसी तथा तमिल

फ्रांस सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार 1 नवम्बर, 1954 को भारत सरकार ने भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन बस्तियों में कारोमण्डल तट पर स्थित कारीकल तथा पाण्डिचेरी, आन्ध्र तट पर स्थित यनम और केरल तट पर स्थित माही सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों को भारत के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में फ्रांस तथा भारत की सरकारों के प्रतिनिधियों ने 28 मई, 1956 को नई दिल्ली में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी संसद् ने जुलाई 1962 में इस संधि की औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी। 16 अगस्त 1962 को नई दिल्ली में एतद्सम्बन्धी कागजात का आदान-प्रदान हुआ। पाण्डिचेरी और अन्य तीन क्षेत्र 'संविधान (14-वां संशोधन) अधिनियम 1962' के द्वारा भारतीय संघ की सूची में शामिल कर लिए गए। 6 नवम्बर, 1962 को राष्ट्रपति ने पाण्डिचेरी और अन्य सम्बद्ध मामलों के प्रशासन के लिए एक अध्यादेश जारी किया। मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये स्थान ला दिए गए। दिसम्बर 1962 में संसद् के एक अधिनियम ने अध्यादेश का स्थान ग्रहण किया। अब इस क्षेत्र का प्रशासन भारत सरकार की ओर से मुख्य आयुक्त चला रहा है।

मुख्य आयुक्त : एस. के. दत्त

सभासद

श्री वेंकटकृष्ण रेड्डियार	सार्वजनिक निर्माण कार्य, बिजली, [illegible] बन्दरगाह और आयोजना।
एदुआर्द गौबर्ट	वित्त, श्रम और उद्योग।
श्री ई. मारुतन	स्थानीय प्रशासन, शिक्षा और परिवहन।
मुत्तुस्वामी पिल्ले	राजस्व, पशु-चिकित्सा और सूचना।
श्री षण्मुगम्	कृषि, ग्राम-विकास और हरिजन-कल्याण।
मुहम्मद इस्माइल मारीकर	स्वास्थ्य, स्वच्छता और सहकारिता।

पाण्डिचरी प्रतिनिधि सभा

अध्यक्ष   ए एल कासेमन   सदस्य-संख्या : 39

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पाण्डिचरी की राजस्वगत आय 2 40 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 3.96 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 2 54 करोड़ रुपये और 3 76 करोड़ रुपये हैं।

मणिपुर

क्षेत्रफल : 8,628 वर्गमील   जनसंख्या : 7 80 037   राजधानी इम्फाल

मुख्य आयुक्त : जे एम० रैना

क्षेत्रीय परिषद्

अध्यक्ष : मैरेमबाम कोईरंग   सदस्य-संख्या : 30

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार मणिपुर की राजस्वगत आय 81 51 लाख रुपये की और राजस्वगत व्यय 4 53 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 86 85 लाख रुपये और 4 52 करोड़ रुपये हैं।

लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह

क्षेत्रफल : 11 वर्गमील   जनसंख्या 4,108   मुख्यालय कोजीकोड

प्रशासक एम रामुन्नि

हिमाचलप्रदेश

क्षेत्रफल 10,885 वर्गमील	जनसंख्या : 13,51 144
राजधानी : शिमला	मुख्य भाषाएं : हिन्दी और पहाड़ी

उप-राज्यपाल : बजरंग बहादुर सिंह

क्षत्रीय परिषद्

अध्यक्ष करम सिंह — सदस्य-संख्या : 41

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार हिमाचलप्रदेश की राजस्वगत आय 5 01 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 11 06 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश 5 26 करोड़ रुपये और 11 04 करोड़ रुपये हैं।

त्रिपुरा

क्षेत्रफल 4,036 वर्गमील	जनसंख्या 11 42,005	राजधानी : अगरतला

मुख्य आयुक्त एस पी मुकर्जी

क्षत्रीय परिषद्

अध्यक्ष एस एल सिंह — सदस्य-संख्या : 30

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार त्रिपुरा की राजस्वगत आय 60 60 लाख रुपये की और राजस्वगत व्यय 7 28 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश 62 16 लाख रुपये और 8 26 करोड़ रुपये हैं।

अध्याय 27

भारत तथा संसार

भारत के संविधान के एक निदेशक सिद्धान्त के अनुसार सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने और अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा सन्धि सम्बन्धी दायित्वों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने का प्रयास करती रहे। इन निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारत के वैदेशिक सम्बन्धों पर इन बातों का प्रभाव पड़ता रहा है (1) स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाए रखना और किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का प्रयास करना (2) पराधीन लोगों को स्वतन्त्र कराने के सिद्धान्त का समर्थन करना तथा जातिगत भेदभाव की नीति का विरोध करना और (3) *किसी भी राष्ट्र का अन्य किसी भी राष्ट्र द्वारा शोषण न होने* देने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा समृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना।

अन्य देशों के साथ सम्बन्ध

1962 में संसार के विभिन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों के विषय में नीचे उल्लेख किया गया है।

भारत के पड़ोसी राष्ट्र

अफगानिस्तान भारत ने अगस्त 1962 में काबुल में हुए अफगान जश्न (स्वाधीनता) समारोहों में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधियों में संगीतज्ञ कलाकार तथा एक हाकी खेलनेवाली टुकड़ी थी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री श्री मनुभाई शाह के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल 'भारत-अफगान व्यापार करार, 1960 पर विचार करने के लिए काबुल गया।

बर्मा : बर्मा के साथ भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे। बर्मी सरकार ने विद्रोही नागाओं द्वारा पकड़े गए चार भारतीय सैनिकों को मुक्त कराने तथा उनको सकुशल वापस लौटने में बहुमूल्य सहायता दी। जून 1962 में भारतीय नौ-सेना के दो जलयान सद्भावना यात्रा पर रंगून गए।

श्रीलंका : श्रीलंका के कर्मचारियों को भारत में प्राविधिक प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षणिक सुविधाएं दी गई। श्रीलंका की प्रधान मन्त्री के निमन्त्रण पर भारत के प्रधान मन्त्री अक्तूबर 1962 में श्रीलंका गए। श्रीलंका की प्रधान मन्त्री ने 6 तटस्थ राष्ट्रों—इण्डोनेशिया कम्बोडिया घाना बर्मा श्रीलंका तथा संयुक्त अरब गणराज्य—का दिसम्बर 1962 में एक सम्मेलन कोलम्बो में चीन तथा भारत की सहमति के सन्दर्भ में इसलिए बुलाया कि वे दोनों देश सीमा विवाद पर शान्तिपूर्ण समझौता कर सकें। श्रीलंका की प्रधान मन्त्री इस सम्बन्ध में पेकिंग तथा नई दिल्ली भी गईं।

हिमाचलप्रदेश

क्षेत्रफल 10,885 वर्गमील — जनसंख्या : 13,51,144

राजधानी : शिमला — मुख्य भाषाएं हिन्दी और पहाड़ी

उप-राज्यपाल : बजरंग बहादुर सिंह

क्षेत्रीय परिषद्

अध्यक्ष करम सिंह — सदस्य-संख्या : 41

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार हिमाचलप्रदेश की राजस्वगत आय 5.01 करोड़ रुपये की और राजस्वगत व्यय 11.06 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 5.26 करोड़ रुपये और 11.04 करोड़ रुपये हैं।

त्रिपुरा

क्षेत्रफल 4,036 वर्गमील — जनसंख्या 11,42,005 — राजधानी : अगरतला

मुख्य आयुक्त एस पी मुकर्जी

क्षेत्रीय परिषद्

अध्यक्ष एस एम सिंह — सदस्य-संख्या : 30

राजस्व-स्थिति

1962-63 के संशोधित अनुमानों के अनुसार त्रिपुरा की राजस्वगत आय 66.60 लाख रुपये की और राजस्वगत व्यय 7.28 करोड़ रुपये का था। 1963-64 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 62.18 लाख रुपये और 8.29 करोड़ रुपये हैं।

लाओस : जुलाई 1962 में जेनेवा में लाओस के सम्बन्ध में 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें लाओस की तटस्थता सम्बन्धी एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और लाओस की प्रभुसत्ता स्वतन्त्रता तटस्थता तथा क्षेत्रीय प्रखण्डता को स्वीकार करने तथा उसका सम्मान करने का निश्चय किया गया। लाओस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष पद भारत को प्राप्त है।

इण्डोनेशिया : भारतीय वायु-सेना के अधिकारियों की एक टुकड़ी अगस्त 1962 में एवरो-748 विमान लेकर इण्डोनेशिया गई और उसने कई प्रदर्शन-उड़ानें कीं। भारत ने अगस्त 1962 में जकार्ता में हुए चौथे एशियाई खेल-कूद समारोह में भाग लिया।

मलय मलय के प्रधान मन्त्री श्री टुंकु अब्दुल रहमान अक्तूबर 1962 में भारत आए। उन्होंने चीनी आक्रमण की निन्दा की और खुले शब्दों में भारत के प्रति सहानुभूति प्रकट की तथा भारत के पक्ष का समर्थन किया। मलय में एक 'लोकतन्त्र रक्षा निधि' की व्यवस्था की गई है और भारत को अब तक इस निधि से 10 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय नौ-सेना के 3 जलयान जुलाई में पेनांग गए और अगस्त 1962 में भारतीय वायु-सेना के अधिकारियों की एक टुकड़ी एवरो-748 विमान लेकर मलय गई।

न्यूज़ीलैण्ड न्यूज़ीलैण्ड की सरकार ने चीनी आक्रमण द्वारा उपस्थित संकट के प्रश्न पर भारत के साथ अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट की। अक्तूबर 1962 में एक भारतीय संगीत तथा नृत्य मण्डली न्यूज़ीलैण्ड गई। कोलम्बो योजना के अधीन न्यूज़ीलैण्ड भारत को पर्याप्त पूंजीगत सहायता दे रहा है।

सिंगापुर : भारतीय नौ-सेना के तीन जलयान जुलाई 1962 में सिंगापुर गए। सिंगापुर के प्रधान मन्त्री अप्रैल तथा सितम्बर 1962 में दो बार भारत आए।

फिलीपीन : फिलीपीन सरकार ने चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में भारत के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की है।

थाईलैण्ड : चीनी आक्रमण के प्रश्न पर थाई सरकार ने भारत के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की है तथा भारत के पक्ष का समर्थन किया है। अप्रैल 1962 में थाईलैण्ड के सर्वोच्च धर्माधिकारी भारत आए।

पूर्व-एशिया

चीन : 1962 में भारत के विरुद्ध चीन के अकारण आक्रमण के कारण भारत तथा चीन के सम्बन्ध तेजी से बिगड़ते गए। तत्सम्बन्धी विवरण अलग से परिशिष्ट में दिया गया है।

जापान : इस वर्ष जापान जानेवाले प्रतिष्ठित भारतीय यात्रियों में हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री बी पी सिन्हा वित्त मन्त्री श्री मोरारजी भाई देसाई सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री श्री एस के डे स्वास्थ्य मन्त्री डा सुशीला नय्यर वैदेशिक विभाग की राज्य मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी एन मेनन तथा राज्य-सभा की उपाध्यक्षा श्रीमती वायलट अल्वा।

भारत तथा जापान के बीच होनेवाले व्यापार में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए नवम्बर 1962 में जापान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मन्त्री श्री एच फुकुदा भारत आए।

17 नवम्बर, 1962 को उन्होंने कलकत्ता में भारत-जापान प्रोटोटाइप डिजाइन केन्द्र का भी उद्घाटन किया। कई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान के आयात के लिए जापान अब तक भारत को 102.37 करोड़ रुपए का ऋण दे चुका है।

कोरियाई प्रजातान्त्रिक लोक गणराज्य : मार्च 1962 में कोरिया के प्रजातान्त्रिक लोक गणराज्य तथा भारत के बीच वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित हुए।

कोरियाई गणराज्य : भारत तथा कोरिया गणराज्यों के बीच वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित हुए। अगस्त 1962 में कोरियाई आवास निगम का एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आया और उसने भारत की आवास व्यवस्था का सामान्य अध्ययन किया। सितम्बर 1962 में एक सद्भावना तथा सांस्कृतिक मण्डल भारत आया। भारत सरकार की आयोजना तथा बजट व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नवम्बर 1962 में कोरिया के मन्त्रिमण्डलीय आयोजन तथा नियन्त्रण महानिदेशक भारत आए। भारत-प्रशान्त मछली उद्योग परिषद् के 10-वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए एक भारतीय मछली उद्योग विशेषज्ञ अक्तूबर 1962 में दक्षिण कोरिया गया।

मंगोलियाई लोक गणराज्य : पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास के नियुक्तार्थ श्री पी... के बदलेमें मंगोलियाई लोक गणराज्य के 41-वें वार्षिक समारोहों में भाग लेने के लिए जुलाई 1962 में मंगोलिया गए। लोकसभा के अध्यक्ष श्री हुकम सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल सितम्बर-अक्तूबर 1962 में मंगोलिया गया।

पश्चिम-एशिया

संयुक्त अरब गणराज्य ने चीन के साथ भारत के विवाद पर भारत के साथ सहानुभूति प्रकट की। इस विवाद के समाधान के लिए 26 अक्तूबर, 1962 को राष्ट्रपति नासिर ने एक त्रिसूत्री प्रस्ताव रखा जिसका भारत ने तो स्वागत किया किन्तु जिसे चीन ने अस्वीकार कर दिया। संयुक्त अरब गणराज्य के प्रधान मन्त्री श्री अली साबरी भारत भी आए।

वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय के तत्कालीन विशेष सचिव श्री वी. एफ० एच० बी० तय्यबजी पश्चिम-एशिया की दूसरी यात्रा पर गए और 10 मई, 1962 से 1 जून 1962 तक उन्होंने तेहरान, बगदाद, अम्मान, अदन, दमिश्क, निकोसिया तथा बेरुत की यात्रा की। उन्होंने प्रमुख तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से समान समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और बेरुत में ईरान, सीरिया, लेबनान, संयुक्त अरब गणराज्य तथा सऊदी अरब स्थित भारतीय कूटनीतिक मिशनों के अध्यक्षों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें इन देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में वृद्धि करने के उपायों पर विचार किया गया। भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति तथा कश्मीर नीति का अधिकाधिक स्पष्टीकरण करने तथा इसके प्रति विदेशों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वैदेशिक मामलों के उपमन्त्री श्री दिनेश सिंह जुलाई 1962 में बगदाद, बेरुत, काहिरा तथा दमिश्क गए।

सितम्बर 1962 में यमन में एक क्रान्ति हुई और इमाम के शासन के स्थान पर वहां एक गणराज्य की स्थापना हुई। भारत ने अक्तूबर 1962 में यमन के नए अरब गणराज्य को अपनी मान्यता दे दी।

अफ्रीका

1962 में वैदेशिक मामलों की राज्य मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन इथियोपिया केनिया तांगानिका तथा युगाण्डा गई कानून मन्त्री श्री ए के सेन तथा वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय के महासचिव श्री आर के नेहरू नवम्बर 1962 में घाना गए और वैदेशिक मामलों के उप-मन्त्री श्री दिनेश सिंह ने अक्तूबर 1962 में युगाण्डा के स्वाधीनता समारोह में भारत की ओर से भाग लिया। सितम्बर 1962 में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू नाइजीरिया गए। भारत तथा नाइजीरिया के प्रधान मन्त्रियों ने पारस्परिक हित के कई मामलों पर विचार विनिमय किया और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में वर्तमान सहयोग पर सन्तोष प्रकट किया।

भारत ने 2 जुलाई, 1962 को अल्जीरिया को मान्यता दी और राजदूतावास के स्तर पर उसके साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। सद्भावना के रूप में भारत सरकार ने मोरक्को तथा ट्यूनीशिया से अपने घर वापस लौटनेवाले अल्जीरियाई शरणार्थियों के पुनर्वास तथा सहायता के लिए 60 000 रुपये के मूल्य की ओषधियां तथा तम्बू आदि भेंट में दिए। सरकार ने अप्रैल 1962 में दुर्भिक्ष-पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए 4 500 रुपये के मूल्य की सामग्री मेडागास्कर भेजी। सरकार न जंजीबार के बाढ़पीड़ित व्यक्तियों के लिए भारतीय रेडक्रास समिति के माध्यम से 2,700 रुपये के मूल्य के बहु-खाद्योज (मल्टी-विटामिन) तथा मैक्परीन गोलियां भेजीं।

सितम्बर-अक्तूबर 1962 में कैमरून के विदेश उप-मन्त्री के नेतृत्व में संघीय कैमरून गणराज्य का एक सद्भावनामण्डल भारत आया। भारत ने कांगो की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों का पूरा-पूरा समर्थन किया तथा उसे सक्रिय सहायता दी। कुल मिला कर लगभग 6,000 भारतीय सैनिक तथा विमान कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में लगे रहे। भारत कांगो सम्बन्धी कार्यों पर होनेवाले व्यय के अपने भाग के रूप म भी संयुक्त राष्ट्र संघ को योगदान देता रहा जो 30 जून 1962 तक 1 24,95 530 रुपये के लगभग हुआ।

यूरोप

1962 में यूरोप के देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे।

साइप्रस : अक्तूबर-नवम्बर 1962 में साइप्रस के राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस राजकीय यात्रा पर भारत आए। अपनी यात्रा के अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रधान मन्त्री के साथ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा पारस्परिक हित के प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया। राष्ट्रपति ने चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में भारत के साथ साइप्रस की सहानुभूति प्रकट की तथा भारत के पक्ष का समर्थन किया।

चेकोस्लोवाकिया : भारत के कानून मन्त्री श्री ए के सेन 1962 म चेकोस्लोवाकिया गए। चेक सरकार ने चेकोस्लोवाकिया में स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान के लिए भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। चेक सरकार ने मशीनों तथा उपकरणों के आयात के लिए 23 1 करोड़ रुपये के ऋण भी भारत को दिए।

फ्रांस : लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात् प्रधान मन्त्री श्री नेहरू सितम्बर 1962 में पेरिस गए और उन्होंने राष्ट्रपति द्गाल तथा फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री श्री पाम्पिदू के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा पारस्परिक हित के विषयों पर वार्तालाप किया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में फ्रांसीसी सरकार ने 250 करोड़ फ्रांसीसी फ्रैंक (लगभग 24 1 करोड़ रु) के मूल्य की पूंजीगत सामग्री के आयात के लिए भारत को ऋण दिया। बाद में यह ऋण की राशि को बढ़ा कर 300 करोड़ फ्रैंक कर दिया गया। इसी प्रकार, 14 28 करोड़ रुपये का ऋण तीसरी योजना की परियोजनाओं के लिए भी प्राप्त हुआ है। फ्रांस में भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं तथा विशेषज्ञों की सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है।

संघीय जर्मन गणराज्य : जर्मन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री एच ल्यूबके अपने विदेश मन्त्री के साथ नवम्बर-दिसम्बर 1962 में भारत आए। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित अक्तूबर-नवम्बर 1962 में संघीय गणराज्य की यात्रा पर गईं। पश्चिम जर्मनी के विमानिकों की एक टुकड़ी भी इस वर्ष भारत आई।

संघीय जर्मन गणराज्य के साथ आर्थिक सहयोग का आरम्भ राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 66 करोड़ मार्क (77 76 करोड़ रुपये) के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने के साथ फरवरी 1958 में हुआ। तब से गणराज्य की ओर से ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहायता अधिक से अधिक मात्रा में मिलती आ रही है। अब तक 287 76 करोड़ मार्क (342 55 करोड़ रुपये) का कुल ऋण प्राप्त हो चुका है।

पोलैण्ड : जनवरी 1963 में पोलैण्ड के विदेश मन्त्री श्री ए रापाकी भारत आए और उन्होंने भारत के प्रधान मन्त्री तथा उनके सहयोगियों के साथ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा पारस्परिक हित के विषयों पर विचार-विनिमय किया। पोलैण्ड की लोक गणराज्य सरकार अब तक भारत को 29 8 करोड़ रुपये के दो ऋण दे चुकी है।

रूमानिया : रूमानिया के राष्ट्रपति अपने प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री के साथ अक्तूबर 1962 में राजकीय यात्रा पर भारत आए। 1 जनवरी, 1962 को गौहाटी में उद्घाटित तेल शोधनालय के निर्माण में रूमानिया की सरकार ने प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता दी।

ब्रिटेन : भारत तथा ब्रिटेन के बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में सदा की भांति मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने रहे। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने सितम्बर 1962 में लन्दन में हुए वार्षिक राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने चीनी आक्रमण के अवसर पर भारत के साथ पूर्ण हार्दिक सहानुभूति प्रकट की तथा इसके पक्ष का समर्थन किया। इस आक्रमण का सामना करने के लिए ब्रिटेन से शस्त्र उपकरण आदि भी प्राप्त हुए। चीनी आक्रमण के पश्चात् भारत आनेवाले प्रतिष्ठित ब्रिटिश व्यक्तियों में राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध मन्त्री श्री डंकन सैंडिस थे।

ब्रिटिश सरकार कोलम्बो योजना के अधीन 1951 में इसके आरम्भ होने के समय से अनुदान के रूप में बहुमूल्य सहायता देती आ रही है। इसके साथ-साथ पिछले 5 वर्षों में ब्रिटेन से द्विपक्षीय करारों के अधीन दीर्घकालीन ऋण भी प्राप्त हुए हैं। अब तक 17 58 करोड़ पौण्ड (234 करोड़ रुपये) के ऋण प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की

अर्थ-व्यवस्था के लिए ब्रिटिश बैंकों के एक दल ने 1 15 करोड़ पौंड (15 33 करोड़ रुपये) का ऋण दिया है ।

सोवियत रूस : भारत-चीन विवाद के बावजूद सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्ध सदा की भांति मैत्रीपूर्ण बने रहे। जुलाई 1962 में सोवियत मन्त्रिपरिषद् के सर्वोच्च प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनस्तास मिकोयान भारत आए। सितम्बर-अक्तूबर 1962 में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल सोवियत रूस की यात्रा पर गया। मास्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के अतिरिक्त भारत ने इस वर्ष सोवियत रूस के साथ एक जहाजरानी करार पर भी हस्ताक्षर किए ।

सोवियत संघ भारत की विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा सीधे अनुदानों के रूप में पर्याप्त सहायता देता आ रहा है। अब तक सोवियत रूस की सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता की कुल राशि 384 96 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इस सहायता का अधिकांश भाग 2½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले ऋण के रूप में है । 10 लाख टन की क्षमतावाला भिलाई स्थित इस्पात संयन्त्र जिसकी क्षमता सोवियत रूस की सहायता के फलस्वरूप 25 लाख टन तक बढ़ाई जा रही है, भारत-सोवियत रूस सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ।

युगोस्लाविया : युगोस्लाविया के उपराष्ट्रपति श्री एडवर्ड कार्डेल्ज अपने वित्त मन्त्री के साथ भारत की सद्भावना यात्रा पर दिसम्बर 1962 में भारत आए। जनवरी 1960 में संघीय युगोस्लावियाई जन गणराज्य सरकार ने भारत द्वारा पूंजीगत सामग्री तथा उपकरण खरीदे जाने की सुगमता के लिए 19 05 करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार किया था। 3 87 करोड़ रुपये की सामग्री के लिए आर्डर पहले ही दिया जा चुका है।

भारत को प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता देनेवाले अन्य यूरोपीय देशों में हैं—आस्ट्रिया बेल्जियम इटली नीदरलैण्ड नार्वे तथा स्विट्ज़रलैण्ड ।

अमरिका महाद्वीप

ब्राज़ील : अगस्त 1962 में सामुदायिक विकास उप-मन्त्री श्री बी एस मूर्ति के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल पेट्रोपोलिस में हुए समाज-कार्य सम्मेलन में भाग लेने गया। एक अन्य भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल ने अक्तूबर-नवम्बर 1962 में ब्राज़ीलिया में हुए 51-वें अन्तः संसदीय सम्मेलन में भाग लिया ।

कनाडा : कनाडा के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज के 17 अधिकारियों की एक टुकड़ी मई 1962 में एक सप्ताह की यात्रा पर भारत आई। एक कनाडाई सैनिक अधिकारी ने वेलिंग्टन स्थित भारतीय प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारी कालेज में और एक भारतीय सैनिक अधिकारी ने किंग्स्टन स्थित कनाडाई सैन्य कर्मचारी कालेज में अध्ययन किया। भारत ने मई 1962 में कनाडा में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रतिरक्षा विज्ञान सम्मेलन तथा दूसरे राष्ट्रमण्डलीय अध्ययन सम्मेलन में भाग लिया ।

चीनी आक्रमण के अवसर पर भारत को पूर्ण हार्दिक सहयोग तथा समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ कनाडा विभिन्न परियोजनाओं—मुख्यतः कुण्डा मयूराक्षी तथा उम्रु बांध

परियोजनाओं और ट्राम्बे स्थित परमाणु भट्टी—के लिए पूंजी तथा प्राविधिक उपकरण भी दिया जा रहा है।

मेक्सिको : अक्तूबर 1962 में मेक्सिको के राष्ट्रपति श्री एडाल्फो लोपेज मातेओस भारत आए। औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों का पारस्परिक आदान-प्रदान स्वीकार किया गया। मेक्सिको का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल जनवरी 1963 में भारत आया।

अमरीका : भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री बी. पी. सिन्हा मई 1962 में अमेरिका गए। प्यूर्टोरिको में हुए मध्यम स्तरीय मानवशक्ति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री श्री एस. के. डे सम्मेलन के बाद अमेरिका गए। राज्य-सभा की उपाध्यक्षा श्रीमती वायलट अल्वा तथा वैदेशिक मामलों की राज्य मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन भी जुलाई 1962 में अमरीका गईं।

चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए अमरीका ने भारत को अपना पूर्ण समर्थन तथा तुरन्त सैनिक सहायता प्रदान की। भारत की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने तथा वर्तमान सैनिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नवम्बर 1962 में अमेरिका के सुदूर-पूर्व मामलों के सहमन्त्री श्री ऐवरेल हैरिमन भारत आए। भारत आने वाले अन्य यात्रियों में अमरीकी संसद् (सीनेट) के बहुसंख्यक दल के नेता के नेतृत्व में 11 संसत्सदस्यों का एक दल, संसत्सदस्य श्री मन्सफील्ड श्री पाल नीट्ज़े सहायक प्रतिरक्षा मन्त्री तथा अमेरिकी सरकार के वाणिज्य सचिव श्री लूथर एच. हाजेस सम्मिलित हैं।

1951 में गेहूं ऋण प्राप्त करने के बाद से भारत अनुदानों, दीर्घकालीन ऋणों, अमेरिकी प्राविधिज्ञों की सेवाओं तथा अमेरिकी संस्थाओं में भारतीय नागरिकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त करने के रूप में अमेरिका से काफी आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त कर चुका है। अमेरिकी सरकार ने रुपयों में भुगतान के आधार पर कृषिजन्य वस्तुएं भी काफी मात्रा में प्रदान की हैं। ये रुपये भारत को पारस्परिक रूप से स्वीकृत विकास परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अनुदानों के रूप में प्राप्त हुए। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन अब तक 4,34,91,50,000 डालर (20,70,66,00,000 रुपये) के मूल्य की सहायता का आश्वासन प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत को सार्वजनिक कानून 480 के अधीन 15,50,80,000 डालर के मूल्य की कृषिजन्य वस्तुओं के रूप में भी अमरीकी सहायता प्राप्त हो चुकी है।

भारत को अमेरिका के फोर्ड प्रतिष्ठान तथा राकफेलर प्रतिष्ठानों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जो 30 सितम्बर 1962 तक क्रमश: 5,09,46,926 डालर तथा 1,41,22,983 डालर तक पहुंच गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघीय संगठन

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशिष्ट संस्थाओं तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्रवाइयों में भारत द्वारा लिए गए भाग पर इस सन्दर्भ ग्रन्थ के पिछले संस्करणों में प्रकाश डाला जा चुका है। 1962 में भारत ने इस क्षेत्र में जो भाग लिया उसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है।

राजनीतिक

1962 में संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के 17-वें अधिवेशन में भाग लेनेवाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य इस प्रकार थे

प्रतिनिधि सर्वश्री वी के कृष्ण मेनन (अध्यक्ष) बी एन चक्रवर्ती एस सी कासली वाल आर्थर एस लाल मोहम्मद अजीम हुसैन।

वैकल्पिक प्रतिनिधि सर्वश्री गोविन्द सहाय के के मंजारिया ज एन खोसला।

संसदीय सलाहकार सर्वश्री जे सी अमीर, जे बी एम राव।

सलाहकार सर्वश्री ए बी भडकामकर, नरेन्द्र सिंह बी ए किदवई, रमेश भण्डारी बी सी मिश्र के नटवरसिंह जे भार हिरेमठ।

सलाहकार तथा महासचिव श्री वी एल शर्मा।

उपनिवेशवाद

उपनिवेशवाद-उन्मूलन के प्रश्न पर महासभा द्वारा अपने पिछले अधिवेशन के अवसर पर गठित 17 सदस्यों की विशेष समिति के अध्यक्ष पद पर भारत इस बार भी प्रतिष्ठित रहा। महासभा ने विशेष समिति के कार्य का समर्थन किया और इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 24 कर दी। पुर्तगाल अन्य देशों के अभिमत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की निरन्तर अवहेलना करता रहा। भारत ने इस आशय के प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें पुर्तगाल से उसके शासन के अधीन क्षेत्रों के स्वनिर्णय तथा स्वाधीनता के अधिकार को तुरन्त मान लेने का अनुरोध किया गया था।

निरस्त्रीकरण

भारत ने निरस्त्रीकरण समिति के एक सदस्य के रूप में जेनेवा में पूर्ण निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में होने वाली समझौता-वार्ताओं तथा विचार-विनिमय में सक्रिय रूप से भाग लिया। 7 अन्य तटस्थ सदस्यों के साथ भारत ने एक संयुक्त स्मरणपत्र प्रस्तुत किया जो परमाणविक परीक्षणों के बन्द किए जाने के सम्बन्ध में करार किए जाने के लिए परमाणविक राष्ट्रों द्वारा समझौता-वार्ता चलाने के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अन्य 36 देशों के साथ भारत द्वारा प्रस्तावित एक अन्य संयुक्त स्मरणपत्र का समर्थन किया गया जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि परमाणविक अस्त्रों के सब प्रकार के परीक्षण तुरन्त बन्द कर दिए जाने चाहिएं और किसी भी स्थिति में 1 जनवरी 1963 के बाद तो होने ही नहीं चाहिए।

भारत ने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर एक अन्य प्रस्ताव उपस्थित किया जिसे महासभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में जेनेवा स्थित निरस्त्रीकरण समिति को आदेश दिया गया कि वह सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण पर करार किए जाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

सहकारिता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय वर्ष

महासभा ने 1965 का अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मानने सम्बन्धी एक प्रस्ताव स्वीकार किया। 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित हुए पूरे 20 वर्ष हो जाएंगे।

यह सुझाव इसके पूर्व भारत के प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने महासभा को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को यह विचार प्रस्तुत करना चाहिए कि संसार का भविष्य सहकारिता पर आधारित है, मतभेद पर नहीं। 12 सदस्यों की एक प्रारम्भिक समिति से अनुरोध किया गया कि वह इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन महासभा के अगले अधिवेशन में प्रस्तुत करे।

संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाओं में नियुक्तियां तथा निर्वाचन

भारत के संसत्सदस्य श्री एन. सी. कासलीवाल महासभा के 17-वें अधिवेशन की तीसरी समिति (सामाजिक मानवीय तथा सांस्कृतिक) के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री बी. एन. चक्रवर्ती संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुदान समिति के सदस्य नियुक्त किए गए।

अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत श्री बी. के. नेहरू 1964 के अन्त तक के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय विनियोग समिति के सदस्य नियुक्त किए गए।

श्री आर. वेंकटरमन संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपने पद पर बने रहे।

श्री इन्द्रजीत रिखी को सरकारी तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री यू थांत का सैनिक सलाहकार नियुक्त किया गया। श्री ई. जे. वे. डार्टनेल को यमाना तथा मुक्ती मालक दो नए अधीनी राज्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वरिष्ठ सैनिक निरीक्षक नियुक्त किया गया। एक अन्य भारतीय कर्मचारी श्री बी. के. वर्मा के सहयोग से कर्नल डार्टनेल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के अनुसार बेल्जियाई सेनाओं की वापसी का निरीक्षण करेंगे। भारत प्राविधिक अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ जो अन्तरिक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों की जांच करेगा। शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राकेट व्यवस्था की स्थापना सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव का अध्ययन करनेवाले मण्डल की अध्यक्षता श्री डब्ल्यू. ए. सारामाई करेंगे।

1963 तथा 1964 के लिए भारत शान्ति निरीक्षण आयोग का पुनः सदस्य नियुक्त किया गया। भारत को शान्ति-स्थापना के कार्यों की अर्थ-व्यवस्था के विशेष उपायों का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित 21 सदस्यों के कार्यकारी मण्डल का सदस्य मनोनीत किया गया।

श्री एस. ए. केलोसी संयुक्त राष्ट्र संघ के अवर सचिव के सहायक और राजनीति तथा सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी मामलों के विभाग में निदेशक नियुक्त किए गए।

श्री सुधीर सेन पश्चिम इरियन स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासक के सहायक नियुक्त किए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग

अप्रैल-जून 1962 में जेनेवा में हुए आयोग के 14-वें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व श्री राधा विनोद पाल ने किया जो इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

आर्थिक तथा सामाजिक

7 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद 1 जनवरी 1962 को भारत पुन: संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् का सदस्य बन गया। अप्रैल 1962 में न्यूयार्क में परिषद् का 33-वां अधिवेशन हुआ जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित स्थायी भारतीय प्रतिनिधि ने किया। परिषद् का 34-वां अधिवेशन जुलाई 1962 में हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने वाद-विवाद में सक्रिय रूप से भाग लिया।

परिषद् के इन आयोगों में भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त है मानव अधिकार आयोग मादक औषधि आयोग सांख्यिकी आयोग तथा जनसंख्या आयोग। भारत ने मार्च-अप्रैल 1962 में न्यूयार्क में हुए मानव अधिकार आयोग के 18-वें अधिवेशन में भाग लिया। श्री ई एस कृष्णमूर्ति 3 मार्च 1963 को पांच वर्षों के लिए स्थायी केन्द्रीय अफीम मण्डल के सदस्य पुन: निर्वाचित हुए। श्री ए कृष्णस्वामी जनवरी 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भेदभाव-उन्मूलन तथा अल्पसंख्यक संरक्षण उप-आयोग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलन

भारत के योजना आयोग के सदस्य श्री एम एस ठाकर ने फरवरी 1963 में जेनेवा में अल्पविकसित क्षेत्रों के लाभ के लिए हुए संयुक्त राष्ट्र संघीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलन की अध्यक्षता की।

एशिया तथा सुदूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग

इस आयोग की अन्तर्देशीय परिवहन तथा संचारसाधन समिति का 11-वां अधिवेशन दिसम्बर 1962 में बैंकाक में हुआ जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व बैंकाक स्थित भारतीय दूतावास में स्थित इस आयोग के स्थायी भारतीय प्रतिनिधि ने किया। आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित एक संयुक्त राष्ट्र संघीय गोष्ठी में जिसका कार्य 8 दिनों तक चला 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोष्ठी का उद्घाटन भारत के उप-राष्ट्रपति ने दिसम्बर 1962 में नई दिल्ली में किया। इसी महीने भारत के निर्माण कार्य आवास तथा पुनर्निर्माण मंत्री ने आवास तथा निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में उपर्युक्त आयोग के 5 दिन के अधिवेशन का उद्घाटन किया।

खाद्य तथा कृषि संगठन

1962-63 में इस संगठन द्वारा आयोजित सभी महत्वपूर्ण बैठकों तथा सम्मेलनों में भारत ने भाग लिया। भारत इस संगठन द्वारा प्रतिपादित भूख-मुक्ति आन्दोलन में भाग लेता रहा। भारत अब तक एक कार्यक्रम के अधीन 270 टन चीनी ईरान को दे चुका है। भारत ने इस कार्यक्रम में 5 लाख डालर का योगदान करने का वचन भी दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

भारत अब तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 27 अभिसमयों (कन्वेन्शन) की पुष्टि कर चुका है। प्रबन्ध निकाय की 3 बैठकों और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून 1962 में हुए 46-वें अधिवेशन में भाग लेने के अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधि ने मई-जून 1962 में रासायनिक

औद्योगिक समिति के छठे अधिवेशन में भी भाग लिया। भारत ने 1962 में इस संगठन के प्राविधिक सहायता सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम के अधीन 3 विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कीं। 7 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया और 10 विदेशी प्रशिक्षणार्थी भारत आए।

संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संगठन

अप्रैल 1962 में टोकियो में इस संगठन द्वारा आयोजित एशियाई शिक्षा मन्त्री सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के सचिव ने किया। भारत ने जुलाई 1962 में हुए 25-वें अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन में तथा जुलाई-अगस्त 1962 में लन्दन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के सलाहकार श्री ए. आर. देशपाण्डे जुलाई 1962 में पेरिस में इस संगठन की साक्षरता विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने फ्रांस की अपनी राजकीय यात्रा के अवसर पर 21 सितम्बर, 1962 को पेरिस स्थित इस संगठन के मुख्यालय का निरीक्षण किया। राजकुमारी अमृत कौर ने नवम्बर-दिसम्बर 1962 में पेरिस में हुए इस संगठन के महा सम्मेलन के 12-वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। भारत ने दक्षिण एशिया की पाठ्यसामग्री को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी इस संगठन की क्षेत्रीय परियोजना तथा नूबिया (मिस्र) के ऐतिहासिक अवशेषों की रक्षा करने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय आश्वासन में भी भाग लिया। भारत सरकार के निमन्त्रण पर इस संगठन के कार्यवाहक महानिदेशक सितम्बर 1962 में राजकीय यात्रा पर भारत आए।

एशिया के शिक्षा कर्मचारियों के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सितम्बर 1962 में आयोजन किए जाने के बाद दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 दिसम्बर, 1962 को आरम्भ हुआ। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अध्ययन शोध परिषद् के नई दिल्ली स्थित भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के साथ भारत में पूर्वी तथा पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों के पारस्परिक प्रसार की बड़ी परियोजना को कार्यान्वित करने का कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। अप्रैल 1962 में राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों की एक बैठक हुई। इसके पूर्व नवम्बर 1962 में हुई विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक से अन्तर-सांस्कृतिक अध्ययन तथा शोधकार्य के कार्यक्रम की नींव पड़ी। अमेरिकी तथा भारतीय जीवन के परम्परागत मूल्यों के अध्ययन के लिए जनवरी 1963 में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस संगठन ने 1963-64 में छात्रवृत्तियों विशेषज्ञों की सेवाओं आदि के रूप में 3,84,000 डालर की प्राविधिक सहायता देना भी स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर स्थित केन्द्रीय मरुभूमि शोध संस्था तथा बम्बई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के लिए 1963 तथा 1964 में भी 10 लाख डालर की प्राविधिक सहायता देना तय हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

1962 में भारतीय प्रतिनिधि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनेक विशेषज्ञ समितियों तथा परामर्शदाता मण्डलों के सदस्य नियुक्त किए गए। इस संगठन ने अपनी नियमित प्राविधिक सहायता तथा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 11 27 824 डालर दिए। विभिन्न स्वास्थ्य

कार्यक्रमों से सम्बन्धित 32 परियोजनाओं का कार्य चालू है। 1962 में भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 23,93,143 रुपये दिए।

संयुक्त राष्ट्र सघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सकट कोष

इस कोष के कार्यकारी मण्डल ने जून तथा दिसम्बर 1962 म हुई अपनी बैठकों में भारत की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 67 92,500 डालर देना स्वीकार किया। दिसम्बर 1962 तक इस कोष स भारत को 3,90 27 757 डालर की कुल सहायता प्राप्त हुई। इस कोष के स्थानीय कार्यालय के रख-रखाव के लिए 5 लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त 1962 में भारत ने इस कोष को 30 लाख रुपये दिए।

तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार

भारत न अक्तूबर-नवम्बर 1962 में हुए इस संस्था के 20-वें अधिवेशन में भाग लिया। भारत ने इस सस्था के तत्वावधान में हुए 1960-61 के तटकर सम्मेलन म अमेरिका पूर्वी यूरोपीय साझामण्डी नार्वे स्वीडन तथा डनमार्क के साथ हुए अपने तटकर करारों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध म कदम उठाए। यूरोप में भारत के आर्थिक मामले के महा-आयुक्त (कमिश्नर जनरल) श्री टी स्वामीनाथन अप्रैल 1963 में इस सस्था के कार्यकारी सचिव के विशेष सलाहकार नियुक्त हुए।

संयुक्त राष्ट्र सघीय प्राविधिक सहायता कार्यक्रम

दिसम्बर 1962 तक इस कार्यक्रम के अधीन 1 262 विशेषज्ञ भारत आए और 1 203 भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययनार्थ विदेशों में छात्रवृत्तियां प्रादि दी गई। 1962 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सघीय विस्तृत प्राविधिक सहायता कार्यक्रम में 39 04,762 रुपये तथा विशेषज्ञों के जीवनयापन-व्यय के लिए 10 00,000 रुपये दिए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

भारत इस कोष का एक संस्थापक सदस्य है और इसमें इसका स्थान पाचवां है। इस कोष की स्थापना के समय से 31 दिसम्बर, 1962 तक भारत ने 274 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीदी जिसमें से 143 करोड रुपये की राशि चुकता कर दी गई।

सितम्बर 196 में वाशिंगटन म हुई इसकी 17-वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नतृत्व केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने किया। भारत सरकार से परामर्श करने के लिए दिसम्बर 1962 मे इस कोष का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बक

भारत इस बक का सस्थापक सदस्य है और इसकी पूजी के 5-व बड़े भाग का भागीदार है। 31 दिसम्बर, 196 तक भारत को इस बक द्वारा 389 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि में से 20 करोड़ रुपय पहली योजना म पहल व्यय किए गए, 14 करोड़ रुपये पहली योजना म व्यय किए गए और 23 करोड़ रुपय दूसरी योजना में व्यय किए गए। यन

132 करोड़ रुपये की राशि में से 64 करोड़ रुपये 31 दिसम्बर, 1962 तक व्यय किए जा चुके थे।

सितम्बर 1962 में बैंक के संचालक मण्डल (बोर्ड आफ गवर्नर्स) की वाशिंगटन में हुई 17-वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने किया।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था

यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से सम्बन्धित है। इससे भारत को 101 करोड़ रुपये के 11 ऋण प्राप्त हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष निधि

1962 में भारत ने इस विशेष निधि में अपने अंशदान के रूप में 20,55,000 डालर (97,85,714 रुपये) दिए। 1962 में इस निधि द्वारा भारत को सामान खरीदने विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने आदि के लिए 27,21,600 डालर (1,29,60,000 रुपये) की सहायता प्राप्त हुई।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष संस्थाएं

संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष संस्थाएं, जिनसे भारत सक्रिय रूप से सम्बद्ध है, ये हैं— अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार-साधन संघ विश्व डाक संघ विश्व मौसम-विज्ञान संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सलाहकार संगठन। सितम्बर 1962 में रोम में हुए अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के 14-वें अधिवेशन में भारत इस संगठन की परिषद् का 3 वर्षों के लिए पुनः सदस्य निर्वाचित हुआ।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

राष्ट्रमण्डल

राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्रियों का 11-वां सम्मेलन सितम्बर 1962 में लन्दन में हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधान मन्त्री ने किया। भारत ने नवम्बर 1962 में नाइजीरिया में हुए राष्ट्रमण्डलीय संसदीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

कोलम्बो योजना

कोलम्बो योजना के आरम्भ से अब तक भारत ने विभिन्न देशों के 2,296 व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दीं। इनमें से 233 व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं 1962-63 में दी गईं। 1962 के अन्त तक भारत को 271 विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुईं तथा कोलम्बो योजना के देशों में 2,990 भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुईं।

कोलम्बो योजना के आरम्भ होने के समय से अब तक भारत को आस्ट्रेलिया से 1 24 करोड़ पौंड (13 23 करोड़ रुपये) कनाडा से 27 53 करोड़ डालर (131 11 करोड़ रुपये) तथा न्यूजीलैण्ड से 26 लाख पौंड (3 4 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए। कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति का 14-वां अधिवेशन नवम्बर 1962 में मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में हुआ।

अध्याय 28

1962 के संसदीय कानून

विधेयक	प्रस्तुत करने की तिथि	उस सदन में पारित जिसमें विधेयक प्रस्तुत किया गया	दूसरे सदन द्वारा पारित	राष्ट्रपति की स्वीकृति	किस सदन में प्रस्तुत किया गया
1	2	3	4	5	6
1 संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक 1962	12-3-62	14-3-62	20-3-62	27-3-62	लोक-सभा
2. गोआ दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक 1962	12-3-62	14-3-62	20-3-62	27-3-62	लोक-सभा
3. विनियोजन विधेयक 1962	19-3-62	19-3-62	26-3-62	29-3-62	लोक-सभा
4. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक 1962	15-3-62	19-3-62	28-3-62	30-3-62	लोक-सभा
5. विनियोजन (रेल) विधेयक 1962	20-3-62	20-3-62	28-3-62	30-3-62	लोक-सभा
6. विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक 1962	24-3-62	24-3-62	29-3-62	30-3-62	लोक-सभा
7 राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक 1962	2-12-61	13-3-62	30-3-62	30-3-62	लोक-सभा
8. भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक 1962	28-11 61	13-3-62	28-3-62	30-3-62	लोक-सभा
9. गोदी मजदूर (रोजगार का नियमन) संशोधन विधेयक 1962	2-12-61	13-3-62	28-3-62	30-3-62	लोक-सभा
10. सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक 1962	15-3-62	19-3-62	29-3-62	30-3-62	लोक-सभा
11 अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का सामान) संशोधन विधेयक 1962	15-3-62	20-3-62	29-3-62	30-3-62	लोक-सभा
12. वित्त विधेयक 1962	14-3-62	28-3-62	29-3-62	30-3-62	लोक-सभा
13. विनियोजन (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1962	27-3-62	27-3-62	30-3-62	30-3-62	लोक-सभा

1	2	3	4	5	6
14. हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक 1962	12-3-62	30-3-62	19-3-62	30-3-63	राज्य-सभा
15 ऐडवोकेट (संशोधन) विधेयक 1962	12-3-62	28-3-62	30-3-62	30-3-62	लोक-सभा
16 टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) विधेयक 1962	28-11 61	26-3-62	30-3-62	30-3-62	लोक-सभा
17 भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक 1962	27-11 61	28-3-62	30-11 61 30-3-62	30-3-62	राज्य-सभा
18. वायु निगम (संशोधन) विधेयक 1962	28-11 61	29-3-62	30-11 61 30-3-62	30-3-62	राज्य-सभा
19 विनियोजन (रेल) सं 2 विधेयक 1962	4-5-62	4-5-62	10-5-62	16-5-62	लोक-सभा
20. विनियोजन (सं 2) विधेयक 1962	12-6-62	12-6-62	18-6-62	20-6-62	लोक-सभा
1 वित्त (सं 2) विधेयक 1962	23-4-62	16-6-62	21 6-62	22-6-62	लोक-सभा
22. बपत (संशोधन) विधेयक 1962	4-12-61	21 6-62	19-4-62	27-6-62	लोक-सभा
23. विनियोजन (सं 3) विधेयक 1962	19-6-62	20-6-62	25-6-62	28-6-62	लोक-सभा
24. विनियोजन (रेल) सं 3 विधेयक 1962	19-6-62	20-6-62	25-6-62	28-6-62	लोक-सभा
25. राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक 1962	1 6-62	16-6-62	26-6-62	28-6-62	लोक-सभा
26. एडवोकेट (दूसरा संशोधन) विधेयक 1962	8-6-62	16-6-62	26-6-62	4-7-62	लोक-सभा
27 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 1962	30-4-62	7-8-62	20-8-62	31 8-62	लोक-सभा
28. नागालैण्ड राज्य विधेयक 1962	21 8-62	29-8-62	3-9-62	4-9-62	लोक-सभा
29. विनियोजन (सं 4) विधेयक 1962	21 8-62	21 8-62	30-8-62	6-9-62	लोक-सभा
30. विनियोजन (रेल) सं 4 विधेयक 1962	21 8-62	21 8-62	30-8-62	5-9-62	लोक-सभा
31 असम राइफल्स (संशोधन) विधेयक 1962	22-6-62	7 8-62	3-9-62	11 9-62	लोक-सभा
32. भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक 1962	8-8-62	30-8-62	5-9-62	12-9-62	लोक-सभा
33. ऐडवोकेट (तीसरा संशोधन) विधेयक 1962	13-8-62	24-8-62	4-9-62	14-9-62	लोक-सभा
34. परमाणु शक्ति विधेयक, 1962	13-8-62	20-8-62	30-8 62	15-9-62	लोक-सभा
35. प्रत्यर्पण विधेयक 1962	10-8-62	8-8-62	4-9-62	15-9-62	लोक-सभा

36.	रिज़र्व बैंक प्राफ इण्डिया (संशोधन) विधेयक 1962	24-8-62	3-9-62	6-9-62	15-9-62	लोक-सभा
37	बैंकिंग कम्पनियां (संशोधन) विधेयक 1962	24-8-62	3-9-62	6-9-62	16-9-62	लोक-सभा
38.	उद्योग (विकास और नियमन) संशोधन विधेयक 1962	31 8-62	5-9-62	7-9-62	16-9-62	लोक-सभा
39.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, 1962	30-8-62	5-9-62	7-9-62	16-9-62	लोक-सभा
40.	मद्य नियन्त्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक 1962	27-8-62	4-9-62	6-9-62	16-9-62	लोक-सभा
41	संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक 1962	21 8-62	28-8-62	3-9-62	28-12-62	लोक-सभा
42.	संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक 1962	30-8-62	4-9-62	7-9-62	28-12-62	लोक-सभा
43.	विनियोजन (रेल) सं० 5 विधेयक 1962	16-11 62	16-11 62	19-11 62	24-11 62	लोक-सभा
44.	विनियोजन (सं 6) विधेयक 1962	20-11 62	20-11 62	22-11 62	24-11 62	लोक-सभा
45.	विदेशी कानून (प्रयोग और संशोधन) विधेयक 1962	13-11 62	19-11 62	20-11 62	24 11 62	लोक-सभा
46.	कम्पनियां (संशोधन) विधेयक 1962	13-11 62	16-11 62	19-11 62	28-11 62	लोक-सभा
47	बिजली (आपूर्ति) संशोधन विधेयक 1962	3-9-62	16-11 62	19-11 62	28-11 62	लोक-सभा
48.	हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण (संशोधन) विधेयक 1962	20-6-62	8-8-62	19-11 62	29-11 62	लोक-सभा
49.	बागू टोकन (संशोधन) विधेयक 1962	12-11 62	19-11 62	20-11 62	29-11 62	लोक-सभा
50.	भारतीय तटकर (संशोधन) विधेयक 1962	19-11 62	22-11 62	27-11 62	5-12-62	लोक-सभा
51	कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक 1962	22 8-62	28-11 62	16-11 62	5-12-62	राज्य-सभा
52.	पाण्डिचेरी (प्रशासन) विधेयक 1962	19-11 62	22-11 62	26-11 62	5-12-62	लोक-सभा
53.	पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि प्रयोग का अधिकार प्राप्त करना) विधेयक, 1962	12-11 62	19-11 62	20-11 62	7-12-62	लोक-सभा
54.	भारत-मदिरा विधेयक 1962	16-11 62	28-11 62	8-12-62	12-12-62	लोक-सभा
55.	सीमा शुल्क विधेयक 1962	15-6-62	21 11 62	23-11 62	13-12-62	लोक-सभा
56.	उपहार-कर (संशोधन) विधेयक 1962	16-11 62	4-12-62	10-12-62	13-12-62	लोक-सभा
57	करारोपण कानून (संशोधन) विधेयक 1962	23-11 62	5-12-62	10-12-62	13-12-62	लोक-सभा

1	2	3	4	5	6
58. मणिपुर (मोटर स्पिरिट तथा स्नेहक की बिक्री) कराधान विधेयक 1962	20-11 62	6-12-62	10-12-62	13-12-62	लोक-सभा
59. स्टेट एसोसिएटेड बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक 1962	19-11 62	28-11 62	3-12-62	14-12-62	लोक-सभा
60. दिल्ली मोटर गाड़ियां (कराधान) विधेयक 1962	3-12-62	6-12-62	10-12-62	15-12-62	लोक-सभा
61 पोताश्रय विषम विधेयक 1962	3-9-62	20-11 62	3-12-62	19-12-62	लोक-सभा
62. वैदिक बोर्ड (भाषागत उपबन्ध) विधेयक, 1962	3-12-62	6-12-62	10-12-62	19-12 62	लोक-सभा
63. बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक 1962	15-11 62	30-11 62	11 12 62	19-12-62	लोक-सभा
64. परिसीमन आयोग विधेयक 1962	16-11 62	3-12-62	12-12 62	19-12-62	लोक-सभा
65. आपात जोखिम (माल) बीमा विधेयक 1962	5-12-62	7-12-62	11 12-02	19-12-62	लोक-सभा
66. आपात जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक 1962	5-12 62	7-12-62	11 12-62	19-12-62	लोक-सभा
67 कर्मचारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक 1962	19-11 62	30-11 62	11 12-62	19-12-62	लोक-सभा
68. श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक 1962	7-9-62	6-12-62	12-12-62	19-12-62	लोक-सभा

अध्याय 29

1962 की महत्वपूर्ण घटनाएं

(टिप्पणी : भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में प्रमुख घटनाएं परिशिष्ट के अन्तर्गत विस्तार से दी गई हैं ।)

जनवरी

1 नूनमती (असम) में पहले सरकारी तेल-शोधनालय का उद्घाटन हुआ ।

— पंजाब सरकार ने सरकारी दस्तावेजों में धर्म सम्बन्धी प्रविष्टियों की व्यवस्था समाप्त कर दी ।

2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् की पहली बैठक जयपुर में हुई ।

3 प्रधान मन्त्री ने कटक में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 49-वें अधिवेशन का उद्घाटन किया ।

— प्रख्यात अन्तरिक्ष-भौतिक विज्ञानवेत्ता श्री एस० चन्द्रशेखर ने मद्रास में गणित विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया ।

— उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने तिरुपति में केन्द्रीय संस्कृत संस्थान की आधारशिला रखी ।

5 भारत सरकार ने लोहा-इस्पात उद्योग के लिए केन्द्रीय त्रिदलीय वेतन बोर्ड नियुक्त किया ।

6 अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता आरम्भ हुई ।

7 भारतीय टेलीफोन उद्योग (इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज) ने मुड़े हुए टेलीफोन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ किया ।

8 ताम्बरम से [illegible] तक बिजली की रेल-सेवा का उद्घाटन हुआ ।

— भारत और पाकिस्तान के जल-संसाधन विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमण्डलों ने ढाका में अपनी चौथी बैठक समाप्त की ।

9 रेडियो [illegible] ने वाराणसी में एक केन्द्र के रूप में प्रसारण-कार्य आरम्भ किया ।

— बम्बई में नूतन बेसिन गोदी का उद्घाटन हुआ ।

— राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद् की दिल्ली में बैठक हुई ।

— भारत सरकार ने सरकारी धन व प्रतिष्ठानों [illegible] के लिए [illegible] देने का निश्चय किया ।

10 सिकन्दराबाद के ई० एम० ई० सेंटर ने रोवर्स कप फुटबाल प्रतियोगिता जीत ली ।

11 दूसरे राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

— बर्मा के प्रधान मन्त्री ऊ नू राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे।

13 राष्ट्रपति ने अधिसूचनाएं जारी करके पंजाब केरल और केन्द्रशासित प्रदेशों को छोड़ कर, सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचकों से कहा कि वे लोक-सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनें।

— राज्यों के राज्यपालों ने विधान-सभाओं के चुनाव के लिए अधिसूचनाएं जारी की।

— भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री अजय घोष का देहान्त हो गया।

15 भारत ने मद्रास में इंग्लैण्ड के विरुद्ध पांचवां और अन्तिम टैस्ट मैच तथा रबर जीता।

— वैदिक पुनर्निर्माण की विश्व सभा त्रिवेन्द्रम में समाप्त हुई।

— भारतीय वकील संघ द्वारा वकीलों के लिए तैयार की गई आचार-संहिता प्रकाशित कर दी गई।

16 सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को जो अधिकार प्रदान किया गया है वह अदालतों और न्यायाधिकरणों पर देखरेख करने का है, न कि अपीली या पुनरीक्षणात्मक ढंग का।

— भारत ने राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् से कहा कि वह कश्मीर के प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने के पाकिस्तान के अनुरोध को रद्द कर दे।

17 भारत सरकार ने अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश जारी किया।

18 स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजना समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी।

— एटर्नी-जनरल श्री एम सी सीतलवाड रंगून में एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार समिति के 1962 के लिए अध्यक्ष चुने गए।

19 पहले अखिल भारतीय मुर्गी-पालन अनुसन्धान कार्यकर्ता सम्मेलन का हैदराबाद में उद्घाटन हुआ।

— श्रीलंका का एक पत्रकार शिष्टमण्डल मैसूर पहुंचा।

20 गोआ और बम्बई के बीच हवाई सेवा का उद्घाटन हुआ।

— सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के मामलों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया।

21 राष्ट्रपति ने पंजाब केरल दिल्ली और हिमाचलप्रदेश के 40 लोक-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों और पंजाब के 154 विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में आम चुनाव के लिए अधिसूचनाएं जारी की।

— राष्ट्रीय प्रयोगात्मक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा किए गए शहरी परिवारों के बचत के परिणाम प्रकाशित कर दिए गए।

— भारत को अहमदाबाद में हुई अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ।

22 डेनमार्क के प्रधान मन्त्री श्री विग्गो कैम्पमन ने भारत कृषि बस्ती बम्बई, में खाद्य और कृषि संगठन के चौथे कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

— भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर) का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

— जापान के युवराज अकिहितो तथा युवराज्ञी मिचिको कलकत्ता पहुंचे।

24 संयुक्त अरब गणराज्य के उप-राष्ट्रपति श्री अब्दुल हकीम आमेर 9 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

25 भारत में बनी पहली निशान पेट्रोल-चालित गाड़ी का उद्घाटन हुआ।

— सरकारी क्षेत्र के सर्वोत्तम औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 1960-61 के पुरस्कार घोषित किए गए।

— द्विवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय हाकी कांग्रेस का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

26 उदयपुर में निजी क्षेत्र में स्थापित होनेवाले भारत के पहले सीसा गलानेवाले कारखाने की आधारशिला रखी गई।

— नीवकारा बन्दरगाह परियोजना का शिलान्यास में उद्घाटन हुआ।

28 सन्तोष ट्राफी सम्बन्धी राष्ट्रीय फुटबाल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का अन्तिम खेल रेलवे ने जीत लिया।

— तेलुगु विश्वकोश के चौथे पांचवें और छठे खण्ड को हैदराबाद में प्रकाशित कर दिया गया।

29 राष्ट्रसंघीय शैक्षणिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित शैक्षणिक आयोजना विषयक गोष्ठी का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

— विश्व नक्षत्र विज्ञान संगठन के उपकरण और पर्यवेक्षण विधि आयोग के तीसरे अधिवेशन का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

30 'स्वदेशमित्रम' के सम्पादक श्री सी आर श्रीनिवासन का मद्रास में देहान्त हो गया।

31 मैसूर सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए स्थान-संरक्षण तथा उनके प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी।

फरवरी

1 अखिल भारतीय महिला हाकी टीम ने रबर जीत चुकने के बाद कोलम्बो में तीसरा टेस्ट मैच जीत लिया।

2 सर्वोच्च न्यायालय ने मत दिया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी की अवधि में किए जानेवाले अधिकारी कार्यों की जिम्मेदारी सरकार पर है।

3 कलकत्ता में एक भारत-सोवियत सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए।

— बस्तियों के सम्बन्ध में एक त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का बम्बई में उद्घाटन हुआ।

4 एशियाई लान टेनिस चैम्पियनशिप प्रतियोगिता के अन्तिम खेल में श्री आर० कृष्णन पराजित हुए।

5 अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ के प्रशासनिक बोर्ड की 16वीं—एशिया में पहली—बैठक का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

6 तीसरी योजना की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए कुल 124 मेगावाट क्षमता की तीन नई बिजली योजनाओं को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की।

7 ग्रामीण कार्य विषयक कार्यक्रम पर विचारार्थ अखिल भारतीय सम्मेलन हैदराबाद में समाप्त हुआ।

8 भारत सरकार ने विदेशों को भेजने के लिए 1 लाख टन चीनी तुरन्त निकालने का निश्चय किया।

9 भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता 10 लाख टन से बढ़ा कर 25 लाख टन करने के लिए उपकरण तथा सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी एक संविदा पर भारत और सोवियत रूस ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

— भारत के पहले सरकारी तेल-शोधनालय नूनमती शोधनालय द्वारा तैयार किया गया पेट्रोल और हल्का डीजल तेल नेपाल भेजा गया। नूनमती शोधनालय के उत्पादन के देश से बाहर भेजे जाने का यह पहला अवसर था।

— दुग्ध-चूर्ण बनाने का एक कारखाना जो कि एशिया का पहला दुग्ध-चूर्ण कारखाना है, मोगा (पंजाब) में कार्यशील हुआ।

10 स्त्रियों की दिक्कतों की जाँच करनेवाले दत्त आयोग के निष्कर्ष प्रकाशित कर दिए गए।

— भारतीय जीव-रसायन और प्रयोगात्मक औषधि संस्थान जो भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक होगी की जादवपुर में आधारशिला रखी गई।

11 भारत में बने एवरो-748 'सुब्रत' परिवहन विमान ने बम्बई में एक प्रदर्शनात्मक उड़ान भरी।

— राजा राममोहन राय स्मारक भवन की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई।

12 कोयली (गुजरात) में 20 लाख टन क्षमता के एक तेल-शोधनालय की परियोजना की रिपोर्ट तथा विवरण तैयार करने विषयक एक संविदा पर भारत और रूस ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

14 भारत में पहली बार विकसित एवं निर्मित हवाई रक्षा राडार सेट का पूना में उद्घाटन हुआ।

— माउंट एवरेस्ट के लिए दूसरा भारतीय अभियान दल नई दिल्ली से रवाना हुआ।

15 मध्यप्रदेश पुलिस जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

16 भारत में तीसरे आम चुनाव आरम्भ हुए।

— अंकलेश्वर का कच्चा तेल बम्बई के स्टैनवैक तेल-शोधनागार में पहुँचने लगा।

— सुप्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार श्री हेमेन्द्र प्रसाद घोष का कलकत्ता में देहान्त हो गया।

17 भारत इलेक्ट्रानिक्स ने निर्धारित समय से काफी पहले दस लाख रेडियो वाल्व तैयार करने की क्षमता प्राप्त कर लेने के उपलक्ष्य में समारोह किया।

18 भारत सरकार की जहाजरानी विकास निधि समिति ने सिंधिया जहाजरानी कम्पनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 13 नए माल-वाहक जहाज तैयार करने के लिए कम्पनी को 20.25 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

— श्री इमर्सन ने राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता के अन्तिम खेल में विजय पाई।

20 नई दिल्ली में सूचना-स्वातन्त्र्य सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय गोष्ठी आरम्भ हुई।

21 कटक के पास महानदी पर एक नए पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ।

22 पश्चिम-बंगाल की शिक्षा-प्रणाली सम्बन्धी सर जान सार्जेन्ट की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

— सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि 'बिहार सरकार कर्मचारी आचरण नियम 1956' का नियम 4-ए जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है संविधान के विरुद्ध और निरर्थक है।

23 भारत सरकार ने आकाशीय अनुसन्धान के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय समिति नियुक्त की।

26 मिट्टी में पौधों के लिए पोषण-तत्व की दृष्टि से रेडियो आइसोटोपों के प्रयोग के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का बम्बई में उद्घाटन हुआ।

— आन्ध्रप्रदेश विधान-सभा के अध्यक्ष श्री ए. कालेश्वर राव का विजयवाड़ा में देहान्त हो गया।

माघ

2 भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ विधिवत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए।

3 उड़ीसा में गणतन्त्र परिषद् का स्वतन्त्र पार्टी में विलय हो गया।

4 स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में एक डाक-टिकट जारी किया गया।

5 गोआ, दमन और दीव के केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और तत्सम्बन्धी अन्य मामलों के सन्दर्भ में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया।

6 भारत सरकार ने तिरुपति में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यालय खोलने का निश्चय किया।

7 पलाई बैंक के विघटन की अनुमति देने सम्बन्धी केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध की गई अपील सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दी।

8 श्री वाई. बी. चव्हाण के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नए मंत्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

— केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी वार्षिक श्वेतपत्र का नौवां अंक जारी किया।

10 श्री एन. संजीव रेड्डी ने कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र दे दिया।

— विज्ञान-भवन की रजतवार्षिकी मनाई गई।

11 डा. बी. सी. राय के नेतृत्व में पश्चिम-बंगाल के नए मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

— मास्टर तारा सिंह ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र दे दिया।

12 राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने संसद् के संयुक्त अधिवेशन में भाषण किया।

— अमरीकी राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती जैकलिन कैनेडी 9 दिनों की यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचीं।

— श्री एन. संजीव रेड्डी के नेतृत्व में आन्ध्रप्रदेश के नए मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

— तीसरे वित्त आयोग की रिपोर्ट सरकार द्वारा उस पर प्रस्तावित कार्रवाई-सहित संसद् में पेश की गई।

— सर्वप्रथम बधिर-मूक कांग्रेस का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

13 रेलवे बजट लोक-सभा में पेश किया गया।

14 मैसूर के नए मन्त्रिमण्डल के सात सदस्यों ने शपथ ग्रहण की।

— 1962-63 का अन्तरिम बजट लोक-सभा में पेश किया गया।

— श्री सी. बी. गुप्त के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश के नए मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

— गोआ, दमन और दीव को भारतीय संघ का हिस्सा करार देनेवाले 12-वें संविधान संशोधन विधेयक को लोक-सभा ने स्वीकार कर लिया।

15 श्री के. कामराज के नेतृत्व में मद्रास के नए मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

— पं. विनोदानन्द झा के नेतृत्व में बिहार के नए मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

16 श्री विमला प्रसाद चालिहा के नेतृत्व में असम के नए मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

19 न्यूज़ीलैण्ड के उप-प्रधान मन्त्री श्री जे. आर. मार्शल ने नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू से मुलाकात की।

— आयात-निर्यात नीति के सम्बन्ध में रामस्वामी मुदालियार समिति की रिपोर्ट संसद् में पेश की गई।

20 गुजरात का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।

— सुप्रतिष्ठित विज्ञानवेत्ता श्री बीरेशचन्द्र गुह का लखनऊ में देहान्त हो गया।

22 मैसूर का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।

— बम्बई ने रणजी ट्राफी जीत कर भारतीय क्रिकेट-चैम्पियनशिप प्राप्त कर ली।

24 भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ का वार्षिक अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ।

24 इथियोपिया के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति डा. मुहम्मद हुसा नई दिल्ली पहुंचे।

— नौस फ्रेजर और बाल फ्रेजर ने मद्रास में अखिल भारतीय हार्ड कोर्ट टेनिस चैम्पियनशिप की पुरुष-द्वय प्रतियोगिता में विजय पाई।

25 स्व. मधेशर्कर विद्यार्थी की स्मृति में एक डाक-टिकट जारी किया गया।

26 श्रीमती इन्दिरा गांधी वाशिंगटन में राष्ट्रपति कैनडी से मिलीं।

— *राजस्थान का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।*

27 मध्यप्रदेश का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।

28 ऋषिकेश में एक कीटाणुनाशक औषधि संयन्त्र स्थापित करने तथा मद्रास में शल्य-चिकित्सालय उपकरण परियोजना के विषय में नई दिल्ली में भारत सरकार के एक प्रतिष्ठान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा रूसी प्रतिष्ठान टेक्नो-एक्सपोर्ट के बीच दो संविदाओं पर हस्ताक्षर हुए।

29 हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी के स्ट्रेप्टोमाइसिन संयन्त्र का प्रधान मन्त्री ने उद्घाटन किया।

— प्रमुख उद्योगपति करमचन्द थापर का नई दिल्ली में देहान्त हो गया।

— फ्रांसीसी गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री विंसेण्ट आरियल नई दिल्ली पहुंचे।

30 भारत सरकार ने एक पशु कल्याण बोर्ड का संगठन किया।

31 भारत के राष्ट्रपति ने लोक-सभा को विघटित कर दिया।

अप्रैल

1 मीट्रिक माप-तौल की प्रणाली देश-भर में अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई।

— हैदराबाद में प्रतिरक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसन्धान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ।

— देहरादून के वन अनुसन्धान संस्थान ने पयाल से एक नई किस्म का अखबारी कागज तैयार किया।

2 राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र, राजस्थान उत्तरप्रदेश और बिहार के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए और कुमारी पद्मजा नायडू तथा श्री जयचामराज वाडियार से क्रमशः पश्चिम-बंगाल तथा मैसूर का राज्यपाल बने रहने का अनुरोध किया।

— भारत-पाकिस्तान चल सम्पत्ति तथा बैंकिंग करार के अन्तर्गत नियुक्त कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के बाद नई दिल्ली में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई।

— चुनाव-आयोग द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के द्वारा तीसरी लोक-सभा का संगठन हुआ।

3 नई दिल्ली में श्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस संसदीय दल के नेता पुनः निर्वाचित हुए।

4	प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने अपनी सरकार का त्यागपत्र प्रस्तुत किया।
—	भारत सरकार ने भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों में पैदा हुए या बसे हुए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की।
6	आम निरस्त्रीकरण तथा शान्ति के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ।
—	बख्शी गुलाम मुहम्मद ने जम्मू और कश्मीर के प्रधान मन्त्री पद की शपथ ली।
7	आयोजना और सम्बद्ध मामलों के विषय में एक चार-दिवसीय गोष्ठी नई दिल्ली में समाप्त हुई।
9	सरोजिनी नायडू स्मारक व्याख्यानमाला की पहली शृंखला का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।
10	नई केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् ने श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शपथ ग्रहण की।
—	श्री एस. के. मित्र भौतिक विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसन्धान प्राध्यापक नियुक्त किए गए।
12	उत्तरप्रदेश का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।
13	बंगलोर में 17-वीं राष्ट्रीय साइकिल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ।
14	प्रख्यात इंजीनियर और राजनीतिज्ञ एम. विश्वेश्वरय्या का बंगलोर में देहान्त हो गया।
—	बम्बई उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह का बम्बई में उद्घाटन हुआ।
16	तीसरी लोक-सभा का समारम्भीय अधिवेशन नई दिल्ली में आरम्भ हुआ।
—	केन्द्रीय सरकार के 6 राज्य मन्त्रियों और 11 उप-मन्त्रियों ने शपथ ग्रहण की।
17	श्री हुकुम सिंह लोक-सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
18	राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने संसद् के दोनों सदनों के एक संयुक्त अधिवेशन में भाषण किया।
—	नेपाल के राजा महेन्द्र नई दिल्ली पहुंचे।
—	भारत किंग्स्टन में पांचवें और अन्तिम क्रिकेट टैस्ट मैच में हार गया।
19	1962-63 का रेलवे बजट संसद् में पेश किया गया।
20	कलकत्ता के निकट बण्डेल में 26.8 करोड़ रुपये की लागत के तापीय बिजली संयन्त्र के निर्माण-कार्य का उद्घाटन हुआ।
21	1961 की सर्वोत्तम फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किए गए।
22	सिंगापुर के प्रधान मन्त्री श्री ली कुआन् यू नई दिल्ली पहुंचे।

23	सामान्य बजट संसद् में पेश किया गया।
25	संयुक्त राष्ट्र संघ को एक पत्र लिख कर भारत सरकार ने इस बात को दुहराया कि स्वयं परमाणविक अस्त्र बनाने या अपने प्रदेश में परमाणविक अस्त्र स्वीकार करने का उसका कोई इरादा नहीं है।
—	मराठा लाइट इन्फैन्ट्री ने माथा वां कप हाकी चैम्पियनशिप प्रतियोगिता जीत ली।
26	एक भारतीय सैनिक पर्वतारोही दल अब तक अपराजित कामेत (20,170 फुट ऊंचे) शिखर पर चढ़ने में सफल हुआ।
27	अविभाजित बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री ए. के. फजलुल हक का ढाका में देहावसान हो गया।
29	प्रस्तावित बोकारो इस्पात संयन्त्र के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजने की व्यवस्था अमरीका ने पूरी कर ली।

मई

1	पंचायती राज का महाराष्ट्र में समारम्भ हुआ।
2	मद्रास में प्रतिरक्षा मन्त्रालय के भारी गाड़ी कारखाने की प्रारंभिक शाखा का उद्घाटन हुआ।
3	भूटान के प्रधान मन्त्री श्री जिग्मे दोरजी ने नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू से मुलाकात की।
4	बर्मा शेल वितरण कम्पनी ने एक रुपया-कम्पनी में परिवर्तन होने के अपने निश्चय की घोषणा की।
6	कलकत्ता के ईस्ट बंगाल क्लब ने कलकत्ता में बटन कप हाकी प्रतियोगिता का अन्तिम खेल जीत लिया।
—	पश्चिम अफ्रीका स्वातन्त्र्य आन्दोलन द्वारा आयोजित एक शान्ति-यात्रा में भाग लेने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण बैरूत पहुंचे।
7	डा. जाकिर हुसैन भारत के उप-राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
8	संसद् के सदस्यों ने राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को अवकाश प्राप्त करने के अवसर पर एक मानपत्र अर्पित किया।
—	श्री ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार ने जनेवा में 15-वीं विश्व स्वास्थ्य-सभा का उद्घाटन किया।
9	दमकरण्य शरणार्थियों के लिए एक सहायक-इकाई के रूप में स्थापित अर्धाधिक तथा पॉलेस्टरीन कारखाने का विशेखापट्टनम में उद्घाटन हुआ।
11	डा. एस. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
13	डा. एस. राधाकृष्णन और डा. जाकिर हुसैन ने क्रमशः भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
—	डा. राजेन्द्र प्रसाद को 'भारतरत्न' के अलंकरण से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में एक विशेष डाक-टिकट भी जारी किया गया।

13 भारत सरकार ने स्टैण्डर्ड और पोर्टेबल हिन्दी टाइपराइटरों के लिए की-बोर्ड का एक सामान्य रूप निर्धारित कर दिया।

16 कोयना पनबिजली परियोजना के पहले जेनरेटर को चालू किया गया।

18 दुर्गापुर इस्पात कारखाने की तीसरी धमन-भट्ठी को चालू किया गया।

— हरिद्वार में बिजली के भारी उपकरण के उत्पादन से सम्बद्ध एक परियोजना के लिए रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में भारत और सोवियत संघ के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

21 चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए 33.9 करोड़ रुपये के अमेरिकी अनुदान के सम्बन्ध में भारत और अमेरिका ने पांच करार किए।

22 भारत सरकार ने कपड़े के सिवा सभी वस्तुओं पर तटीय माल-भाड़े में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निश्चय किया।

— लब्धप्रतिष्ठ मूर्धन्य और कर्नाटक संगीत विद्वान् श्री पलनी सुब्रमण्य पिल्लै का मद्रास में देहान्त हो गया।

28 हैदराबाद की प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला में सफेद सीमेण्ट तैयार करने की एक नई विधि निकाली गई।

— भारत सरकार ने गोआ, दमन और दीव में प्रवेश के लिए अनुमतिपत्र की प्रणाली 1 जून से समाप्त करने का निश्चय किया।

29 श्री टी. शिवशंकर गोआ, दमन और दीव के उप-राज्यपाल नियुक्त किए गए।

30 भारतीय पर्वतारोही दल खराब मौसम के कारण एवरेस्ट शिखर पर न पहुंच सका और उसने वापस लौटने का निश्चय किया।

31 विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की।

— हिन्दू धार्मिक सम्पत्ति आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी।

जून

2 राष्ट्रीय एकता परिषद् ने तीन समितियां नियुक्त कीं—एक, विश्वविद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के स्थान का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट देने के लिए और शेष दो प्रदेशवाद तथा सम्प्रदायवाद पर विचार करने के लिए।

3 राष्ट्रीय एकता परिषद् का दो दिनों का अधिवेशन नई दिल्ली में समाप्त हो गया।

— भाखड़ा बांध अपनी अन्तिम ऊंचाई, 740 फुट तक पहुंच गया।

4 डा. बी. वी. केसकर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

— केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने नए अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिए श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में प्रथम शासक-निकाय का गठन किया।

5 वाइस-ऐडमिरल बी. एस. सोमन ने कार्यवाहक नौ-सेनाध्यक्ष का पद ग्रहण किया।

5 विख्यात आयुर्वेद-विशेषज्ञ श्री ए. लक्ष्मीपति का मद्रास में देहान्त हो गया।

6 श्री संजीवय्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

7 राष्ट्रीय जल-आपूर्ति तथा सफाई समिति की रिपोर्ट लोक-सभा की मेज पर रखी गई।

8 श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के बिना विभाग के मन्त्री पद की शपथ ली।

9 व्यापार बोर्ड की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई।

— जम्मू और कश्मीर का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।

11 अभिनेता श्री छवि विश्वास का कलकत्ता में देहान्त हो गया।

12 असम का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।

15 ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डलीय मामलों के मन्त्री श्री डंकन सैंडस नई दिल्ली पहुंचे।

16 परमाणविक अस्त्र-विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारम्भ हुआ।

— भद्रावती स्थित मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स में एक नया लौहमिश्रित संयन्त्र चालू किया गया।

20 मैसूर के मुख्य मन्त्री श्री एस० आर० कान्ति ने अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र पेश किया।

— पाकिस्तान में गैर-कानूनी ढंग से नजरबन्द किए गए भारतीय सेना के लेफ्टिनेण्ट कर्नल भट्टाचार्य की सजा आठ साल से घटा कर चार साल कर दी गई।

21 मैसूर के नए मन्त्रिमण्डल ने श्री एस. निजलिंगप्पा के नतृत्व में शपथ ग्रहण की।

22 आन्ध्रप्रदेश का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।

24 विश्व बैंक ने कलकत्ता के नागरिक क्षेत्र में सड़क यातायात में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से हुगली नदी पर एक नए पुल के निर्माण के तकनीकी अध्ययन के निमित्त वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया।

— पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ।

26 सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धान के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् का गठन हुआ।

— भारत और अमेरिका ने टटकर और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत आयात शुल्क में रियायतों के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किए।

28 कोल्हापुर के छत्रपति शाहजी महाराज ने बंगलौर में राजकुमार दिलीपसिंह राव भोंसले को गोद लिया।

30 दक्षिण-भारतीय स्वास्थ्य संस्था के रजत जयन्ती उत्सवों का मद्रास में उद्घाटन हुआ।

— मद्रास का 1962-63 का बजट राज्य की विधान-सभा में पेश किया गया।

जुलाई

1 कलकत्ता उच्च न्यायालय की शताब्दी के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया ।

— पश्चिम-बंगाल के मुख्य मन्त्री डा. विधानचन्द्र राय का कलकत्ता में देहान्त हो गया ।

— भूतपूर्व कांग्रेस-अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन का इलाहाबाद में देहान्त हो गया ।

2 मैसूर मन्त्रिमण्डल के सात नए मन्त्रियों और आठ उप-मन्त्रियों ने बंगलौर में शपथ ग्रहण की ।

5 न्यायाधीश श्री के. टी. देसाई द्वारा प्रस्तुत बैंक पंचाट को भारत सरकार ने सम्पूर्णतः स्वीकार कर लिया ।

6 केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय आर्थिक आयोग के अध्यक्ष श्री वाल्टर हेल्स्टीन से विचार-विमर्श किया ।

7 1963 में भारत में बाल-रोग उपचार सेवाओं और प्रशिक्षण के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष ने 36,500 डालर की राशि स्वीकृत की ।

9 पश्चिम-बंगाल के नए मन्त्रिमण्डल ने श्री पी. सी. सेन के नेतृत्व में कलकत्ता में शपथ ग्रहण की ।

10 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने बम्बई बन्दरगाह के विकास के लिए 8.57 करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार किया ।

— हिन्दुस्तान दूरमुद्रक कारखाने के लिए मद्रास के पास गिण्डी में एक नई इमारत की आधारशिला रखी गई ।

11 राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ब्रिटिश अकादेमी के सम्मानार्थ सदस्य चुने गए ।

— सुप्रसिद्ध बांसुरी-वादक पल्लडम संजीव राव का कोयम्बतूर में देहान्त हो गया ।

12 भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों पाण्डिचेरी कराइकल माही और यनम के विधिवत् हस्तान्तरण सम्बन्धी फ्रांस-भारत सन्धि को फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा ने सम्पुष्ट कर दिया ।

13 केन्द्रीय सरकार के कुल 250 करोड़ रुपये के तीन समय-पूर्व-परिवर्तन ऋणों के लिए धन लेना बन्द कर दिया गया ।

14 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने सोन बांध परियोजना के लिए लगभग डेढ़ करोड़ डालर का ऋण देना स्वीकार किया ।

15 भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय ने राष्ट्रीय महत्व के लेखकों के व्यक्तिगत कागजात प्राप्त करने का निश्चय किया ।

16 लद्दाख के मुख्य लामा कुशक बकुला कश्मीर मन्त्रिमण्डल में राज्य मन्त्री नियुक्त किए गए ।

17	दो लाख टन बर्मी चावल की खरीद के लिए रंगून में भारतीय और बर्मी प्रतिनिधियों ने एक करार पर हस्ताक्षर किए ।
19	निर्यातजन्य सामान के किस्म-नियन्त्रण और जहाज पर चढ़ाने से पहले जांच के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए भारत सरकार ने एक निर्यात निरीक्षण परामर्शदात्री परिषद् का संगठन किया ।
—	भारत सरकार ने एक केन्द्रीय शिल्पवृत्ति परिषद् का संगठन किया ।
20	भारत सरकार ने कच्ची फिल्म के आयात में कटौती का परिमाण 50 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर देने का निश्चय किया ।
21	दिल्ली और आगरा के बीच ट्रंक-वाणिज्य टेलीफोन सेवा का उद्घाटन हुआ ।
22	भारत सरकार ने सोवियत मिग 21 जेट लड़ाकू विमान खरीदने का निश्चय किया ।
—	भारत सरकार ने 1962 63 में अहिन्दी-भाषी राज्यों के छात्रों को हिन्दी के उच्चतर अध्ययन के लिए 220 छात्रवृत्तियां देने का निश्चय किया ।
23	पश्चिम-बंगाल सरकार के गृह मन्त्री श्री कालीपद बनर्जी का देहान्त हो गया ।
—	फ्रांस की सीनेट ने उस विधेयक को स्वीकार कर लिया जिसके द्वारा भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के भारत को हस्तान्तरण विषयक संधि के पुष्टीकरण का अधिकार दिया गया ।
24	रूस की मन्त्रिपरिषद् के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनास्तास मिकोयान नई दिल्ली पहुंचे ।
—	भारत और फ्रांस के बीच अक्तूबर 1959 में हुए करार की अवधि 8 जून 1963 तक के लिए बढ़ा दी गई ।
26	इलाहाबाद के निकट *ग्राम-भारती नामक ग्रामीण विश्वविद्यालय की आधार* शिला प्रधान मन्त्री ने रखी ।
27	पूर्वगामी इलाकों में भारत की सम्पत्ति को जप्त करने से सम्बन्धित पूर्वगामी सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत सरकार ने एक कड़ा विरोधपत्र भेजा ।
—	अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने जकार्ता में होनेवाले चौथे एशियाई खेलों में 71 सदस्यों का एक दल भेजने का निश्चय किया ।
28	भारत सरकार ने दक्षिण-भारत में प्रस्तावित इस्पात संयन्त्र के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की ।
—	उड़ीसा मन्त्रिमण्डल के सात नए उप-मन्त्रियों ने भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण की ।
29	भारत सरकार ने एक प्रतिरक्षा अनुसन्धान और विकास परिषद् स्थापित की ।
30	वाशिंगटन में हुई भारत सहायता समुदाय की बैठक ने भारत को वर्ष के दौरान दी जानेवाली सहायता की राशि बढ़ा कर 10 करोड़ 70 लाख डालर कर दी ।

31 भारत सरकार द्वारा एक प्रायोगिक मानव-शक्ति अनुसन्धान संस्थान की स्थापना के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान ने 3,50,000 डालर के अनुदान की घोषणा की ।

अगस्त

1 भंगियों के काम-काज और रहन-सहन की स्थिति में सुधार से सम्बद्ध मामलों पर सलाह देने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की ।

2 राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने मैसूर के निकट बेलगोला में भारत राष्ट्रीय कागज मिल का उद्घाटन किया ।

— संसद्-सदस्य श्री हिफ्जुर्रहमान का नई दिल्ली में देहान्त हो गया ।

3 भारत सरकार ने अल्जीरियाई विस्थापितों की सहायता के लिए 60 हजार रुपये के मूल्य के कंबल और दवाएं भेजी ।

4 भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला ऐवरो-748 विमान कानपुर से दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के लिए एक प्रदर्शन-सह-बिक्री यात्रा पर रवाना हुआ ।

5 नहरेली स्थित तापीय बिजलीघर की प्रथम इकाई का उद्घाटन हुआ ।

— कलकत्ता के 'मिशनरीज आफ चैरिटी' समुदाय की मदर टेरेसा को अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ाने के लिए 1962 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला ।

6 राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय के शताब्दिक समारोह का उद्घाटन किया ।

7 14 राज्यों ने कुल 93 करोड़ 50 लाख रुपये के मूल्य के नए ऋणों के खुलने की घोषणा की ।

— श्रीमती ताराबाई मनाई केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा नियुक्त हुईं ।

— हेलसिंकी में हुए विश्व युवा समारोह में भारत ने तीन स्वर्ण-पदक दो रजत पदक और कई योग्यता के प्रमाणपत्र प्राप्त किए ।

8 विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कोयना परियोजना के लिए 1.75 करोड़ डालर ऋण की स्वीकृति दी ।

9 भारत सरकार ने छोटी कार परियोजना को स्थगित कर देने का निश्चय किया ।

— नंगल के भारी पानी संयन्त्र ने कार्यारम्भ किया ।

10 हिन्दू धार्मिक सम्पत्ति आयोग की रिपोर्ट लोक-सभा की मेज पर रखी गई ।

— राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई ।

11 नई दिल्ली में अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन आरम्भ हुआ ।

13 राउरकेला इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट लोक-सभा की मेज पर रखी गई ।

15 रमाबाई रानाडे के सम्मान में एक विशेष डाक-टिकट जारी किया गया।

— मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था की पांचवीं एशियाई विचार-गोष्ठी प्रारम्भ हुई।

16 भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी कागजात पर प्रधान मन्त्री और फ्रांसीसी राजदूत ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

17 हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बना 37-वां जहाज विशाखापट्टनम् में समुद्र में उतारा गया।

18 भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के तत्वावधान में एक प्रादेशिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र का बंगलोर में उद्घाटन हुआ।

19 प्रधान मन्त्री ने बम्बई में सरदार पटेल इंजीनियरी कालेज का उद्घाटन किया।

20 भारत सरकार ने राजस्थान के कोटा नामक स्थान के पास राणा प्रताप सागर में दूसरा परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के अपने निश्चय की घोषणा की।

21 श्री एन बी खुसाटी की अध्यक्षता में नियुक्त कृष्णा-गोदावरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी।

— गत मई में हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका पी एल 480 करार के अन्तर्गत लम्बे रेशेवाले अमेरिकी कपास की 5,355 गांठों की पहली किस्त बम्बई पहुंची।

22 औषधि-विज्ञान तथा शरीर-विज्ञान में अनुसन्धान के लिए एशिया में अपने ढंग की पहली संस्था पर्लेमिंग अनुसन्धान संस्थान का वेलोर में उद्घाटन हुआ।

24 उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय का भुवनेश्वर में उद्घाटन हुआ।

25 चौथे एशियाई खेल-कूद समारोह में दस हजार मीटर की दौड़ में श्री तरलोक सिंह की विजय के उपलक्ष्य में भारत को पहला स्वर्ण-पदक मिला।

— राष्ट्रपति ने श्री जे आर डी टाटा और श्री एस एस भेड़ा को परमाणु शक्ति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

26 भोपाल के भारी बिजली-उपकरण कारखाने में बनाए गए पहले ऊंचे वाल्टेज के ट्रांसफार्मर का सन्तोषजनक परीक्षण हुआ।

— एशियाई खेल-कूद समारोह में ग्रेको-रोमन कुश्ती के फ्लाइ-वेट मुकाबले में श्री मालवा की विजय के उपलक्ष्य में भारत को दूसरा स्वर्ण-पदक प्राप्त हुआ।

— केरल की मिली-जुली सरकार के स्वास्थ्य और बिजली विभाग के कांग्रेसी मन्त्री श्री वी के वेलप्पन का त्रिवेन्द्रम में देहान्त हो गया।

27 एशियाई खेल-कूद समारोह में चार सौ मीटर की दौड़ में श्री मिलखा सिंह की और ग्रेको-रोमन हेवी-वेट मुकाबले में श्री गनपत अन्धालकर की विजय के उपलक्ष्य में भारत को तीसरा और चौथा स्वर्ण-पदक प्राप्त हुआ।

— स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष श्री एन जी रंगा लोक-सभा के लिए चित्तूर निर्वाचन-क्षेत्र से हुए उप-चुनाव में विजयी घोषित किए गए।

28 एक पृथक् राज्य के रूप में नागालैण्ड की स्थापना से सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक को लोक-सभा ने स्वीकार कर लिया।

28 एशियाई खेल-कूद समारोह में 1 500 मीटर की दौड़ में श्री मोहिन्दर सिंह की विजय के उपलक्ष्य में भारत ने पांचवां स्वर्ण-पदक प्राप्त किया।

29 भारत ने एशियाई खेल-कूद समारोह में 4×400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण-पदक प्राप्त किया।

— लोक-सभा ने नागालैण्ड राज्य विधेयक 1962, स्वीकार कर लिया।

30 *एशियाई खेल-कूद समारोह में डिकैथलन में श्री गुरबचन सिंह की विजय के फलस्वरूप भारत को सातवां स्वर्ण-पदक मिला।*

31 जकार्ता के एशियाई खेल-कूद समारोह में लाइट-वेट मुक्केबाजी और लाइट हैवी-वेट फ्री-स्टाइल कुश्ती में भारत को दो और स्वर्ण-पदक प्राप्त हुए।

सितम्बर

1 दिल्ली के लिए 20-वर्षीय वृहत् योजना लागू हुई।

— श्री तिरलोक सिंह योजना आयोग के सदस्य नियुक्त हुए।

2 पत्राचार पाठ्यक्रम पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का सार प्रकाशित हुआ।

4 ब्रिटेन के राजकीय प्रतिरक्षा कालेज के 14 सदस्यों का एक दल 15 दिन के भारत-भ्रमण पर नई दिल्ली पहुंचा।

— ऊपरी सिलेरु परियोजना की संयुक्त कार्यान्विति के लिए आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के बीच समझौता हो गया।

— जकार्ता में एशियाई फुटबाल प्रतियोगिता के अन्तिम खेल में भारत विजयी हुआ।

5 देश में शिक्षक-दिवस मनाया गया।

— आचार्य विनोबा भावे पूर्वी पाकिस्तान में प्रविष्ट हुए।

6 नेपाल के विदेश मन्त्री श्री ऋषिकेश शाह ने नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू से मुलाकात की।

— केन्द्रीय सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया कि पदोन्नतिवाले कुछ पद अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रख जाएं।

7 राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधान मन्त्री लन्दन के लिए रवाना हुए।

— श्री एस. एम. श्रीनागेश ने आन्ध्रप्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की।

9 डा. राजेन्द्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी का पटना में देहान्त हो गया।

10 भावात्मक एकता समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को दे दी।

11 [illegible] और रीवा के बीच प्रथम डीजल मालगाड़ी-सेवा प्रारम्भ की गई।

— दलाई लामा बम्बई पहुंचे।

12 केरल के विझिंजम नामक स्थान में मछली पकड़नेवाले बन्दरगाह सम्बन्धी परियोजना का उद्घाटन हुआ।

14 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने डाक-तार विभाग के उपयोग के लिए भारत को 4.2 करोड़ डालर का ऋण दिया।

15 श्री ए. एन. खोसला ने उड़ीसा के राज्यपाल पद की शपथ ली।

16 कोयना में दूसरी टर्बो-जेनरेटर इकाई चालू हुई।

— दो सप्ताह की भारत यात्रा के बाद एक दक्षिण कोरियाई सद्भावनामण्डल कलकत्ते के लिए रवाना हुआ।

17 लोकसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में गए भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल का मास्को में राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने स्वागत किया।

— शहरी तथा ग्रामीण आवास विषयक आवश्यक सेवाओं पर एशिया और सुदूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एक गोष्ठी का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ।

18 केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाषण किया।

19 मध्य लन्दन में महात्मा गांधी की एक मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने एक स्थान की विधिवत् स्वीकृति दे दी।

20 फ्रांस की तीन दिनों की राजकीय यात्रा के सिलसिले में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू पेरिस पहुंचे।

21 सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि गुजरात विश्वविद्यालय को अपने सम्बद्ध कालेजों में मात्र गुजराती या हिन्दी को शिक्षा अथवा परीक्षा का माध्यम बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

22 भारत सरकार ने एक समाचारपत्र परामर्शदात्री समिति नियुक्त की।

— सिंगापुर के प्रधान मन्त्री श्री ली कुआन् यू नई दिल्ली पहुंचे।

23 प्रधान मन्त्री श्री नेहरू की यूरोप-यात्रा स्थगित हो गई।

— प्रधान मन्त्री श्री नेहरू नाइजीरिया की तीन दिन की राजकीय यात्रा के सिलसिले में लागोस पहुंचे।

24 विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति का 15-वां अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ।

— निर्वाचन आयोग ने उन 14 दलों की एक संशोधित सूची की घोषणा की जिन्हें राज्यवार मान्यता दी गई थी और जो विशिष्ट चिह्नों के अधिकारी थे।

5 परमाणु अस्त्रास्त्रों पर प्रतिबन्ध के लिए अपील करने के हेतु गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि सर्वश्री सी. राजगोपालाचारी आर. आर. दिवाकर और बी. शिवराव अमेरिका के लिए रवाना हुए।

— श्री पट्टम ताणु पिल्लै पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए।

26 श्री आर. शंकर ने केरल के मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली।

— बेरुबारी के सम्बन्ध में भारत-पाक सम्मेलन कलकत्ते में आरम्भ हुआ।

28 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि मेडिकल और इंजीनियरी कालेजों

में स्थान सुरक्षित रखने सम्बन्धी मैसूर सरकार का आदेश संविधान के विरुद्ध है।

28 आन्ध्रप्रदेश के मन्त्री श्री एम पलम राजू का हैदराबाद में देहान्त हो गया।

29 प्रधान मन्त्री श्री नेहरू काहिरा पहुंचे।

— एशिया और दूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के आवास और भवन सामग्री विषयक कार्यकारी दल का पांच दिनों का अधिवेशन नई दिल्ली में समाप्त हुआ।

30 कलकत्ता में हुई द्वितीय अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी में आन्ध्रप्रदेश को सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ।

अक्तूबर

2 भावात्मक एकता समिति की रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित हुआ।

— मतियार बांध का उद्घाटन हुआ।

4 केन्द्रीय सरकार ने एक होम्योपैथिक औषधि समिति का संगठन किया।

5 भारत सरकार ने उत्तर-पूर्व भारत में भारतीय सेना के पुनर्गठन का निश्चय किया।

6 मेक्सिको के राष्ट्रपति श्री मातियोस राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

— महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी सुब्बारायन का मद्रास में देहान्त हो गया।

7 केरल मन्त्रिमण्डल में कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सयोग समाप्त हो गया।

8 सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री आर एस किर्लोस्कर का बम्बई में देहान्त हो गया।

— संस्कृत में उच्चतर अध्ययन तथा अनुसन्धान के लिए एक संस्कृत विद्यापीठ का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

9 पोषण तत्वों के सम्बन्ध में दक्षिण-पूर्व एशियाई गोष्ठी का हैदराबाद में उद्घाटन हुआ।

— प्रख्यात शास्त्रज्ञ विद्वान श्री वेंकटरमण श्री कृष्णमूर्ति का मैसूर में देहान्त हो गया।

10 मेक्सिको के राष्ट्रपति श्री मातियोस और प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने नई दिल्ली में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की।

— देश की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए 'अस्थायी' अनुमान प्रकाशित कर दिए गए।

11 राष्ट्रपति ने सशस्त्र सेनाओं के 62 सदस्यों को विशिष्ट सेवाओं के लिए नई दिल्ली में पुरस्कार दिए।

12 प्रधान मन्त्री श्री नेहरू तीन दिनों की सद्भावना यात्रा पर श्रीलंका के लिए रवाना हुए।

श भर के वैदिक छात्रों का तीन दिनों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ हुआ ।

भोपाल के भारी बिजली उपकरण कारखाने से बाहरी कामों के लिए पहला ऊंचा वोल्टेज का सर्किट ब्रेकर तैयार होकर निकला ।

भारत और युगोस्लाविया ने बेलग्रेड में एक दीर्घकालीन व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए ।

फिलिपीन का यह निर्णय कि प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 50 भारतीय नागरिकों को इस देश में आने दिया जाएगा, मनीला में घोषित हुआ ।

उपकरण निर्यात संवर्द्धन परामर्शदात्री परिषद् का मद्रास में उद्घाटन हुआ ।

रूमानिया के राष्ट्रपति नई दिल्ली पहुंचे ।

राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ हुआ ।

प्रख्यात उद्योगपति श्री कावसजी जहांगीर का बम्बई में देहान्त हो गया ।

इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के तत्वावधान में विश्व व्यापार गोष्ठी कलकत्ता में आरम्भ हुई ।

मलय के प्रधान मन्त्री श्री टुंकू अब्दुल रहमान मद्रास पहुंचे ।

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों के सम्बन्ध में देसाई ट्रिब्युनल का पंचाट लागू हुआ ।

भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए केन्द्रीय खान और ईंधन मन्त्री श्री केशवदेव मालवीय मास्को पहुंचे ।

भारत को फ्रांसीसी निर्यात से सम्बद्ध 5 करोड़ फ्रांक के नए ऋण दिए जाने के सम्बन्ध में एक वित्तीय प्रोटोकोल पर पेरिस में हस्ताक्षर हुए ।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री टी सुब्रह्मण्यम का अन्नामलाई नगर में देहान्त हो गया ।

भारत और जर्मनी का प्रथम मेल-जोल समारोह नई दिल्ली में हुआ ।

पाण्डिचेरी बन्दरगाह पर एक नए पीयर का उद्घाटन हुआ ।

अपनी भारत यात्रा के सिलसिले में मलय के प्रधान मन्त्री श्री टुंकू अब्दुल रहमान नई दिल्ली पहुंचे ।

श्री कर्ण सिंह जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत निर्वाचित हुए ।

फोर्ड प्रतिष्ठान ने भारत के शिक्षा संस्थानों के लिए 20 लाख डालर से अधिक के मूल्य के अनुदानों की घोषणा की ।

श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ने पश्चिम-जर्मनी की 11 दिनों की यात्रा आरम्भ की ।

लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकार श्री सुरेन्द्रनाथ सेन का कलकत्ता में देहान्त हो गया ।

प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने रक्षा विभाग सम्भालने का निश्चय किया ।

श्री कृष्णमेनन को रक्षा उत्पादन मन्त्री के रूप में नियुक्त किया गया।

31 — माइसर के राष्ट्रपति मार्क फिलिप मकारियोस नई दिल्ली पहुँचे।

नवम्बर

1 — संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष राजनीतिक समिति ने उस अफ्रीकी एशियाई प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्र संघ के सदस्य देश दक्षिण-अफ्रीका पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डालें ताकि वह जातिभेद सम्बन्धी अपनी नीतियों को त्याग दे।

3 — प्रधान मन्त्री ने सहकारिता सप्ताह का उद्घाटन किया।

5 — गृह मन्त्री श्री शास्त्री ने समाचारपत्र परामर्शदात्री समिति का नई दिल्ली में उद्घाटन किया।

— राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में महिला ईसाई मण्डलियम संघ के चार दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

— राष्ट्रीय एकता परिषद् की प्रदेशवाद सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मन्त्री को दे दी।

6 — संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सब परमाणविक अस्त्रास्त्र परीक्षणों की निन्दा की और कहा कि 1 जनवरी तक उन्हें रोक दिया जाना चाहिए।

— सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि मूलभूत अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में संविधान के 32-वें अनुच्छेद के अन्तर्गत रिट दरख्वास्तों को प्रस्तुत करते समय 2,500 रु. की जमानत की कोई जरूरत नहीं होगी।

7 — असम सरकार और आयल इण्डिया लिमिटेड के बीच तेल की रायल्टी सम्बन्धी विवाद में श्री नेहरू ने अपना निर्णय दे दिया।

— मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र पाण्डिचेरी तक बढ़ा दिया गया।

9 — भारत-पाकिस्तान व्यापार-वार्ता नई दिल्ली में आरम्भ हुई।

— भारतरत्न प्रख्यात शिक्षाविद और समाजसेवक श्री धोण्डो केशव कर्वे का पूना में देहान्त हो गया।

10 — राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी रामस्वामी अय्यर समिति ने सिफारिश की कि संविधान में अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य की जो गारण्टी दी गई है, उसमें इस तरह संशोधन किए जाएं कि देश की एकता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार उपलब्ध हों।

11 — विश्व चिकित्सा संघ की 16-वीं महासभा का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

13 — केन्द्रीय सरकार ने सोने के वायदा सौदों पर रोक लगा दी।

14 — श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित महाराष्ट्र की राज्यपाल नियुक्त की गईं।

— राष्ट्रपति ने श्री वाई. बी. चव्हाण को रक्षा मन्त्री नियुक्त किया और श्री टी. टी. कृष्णमाचारी को आर्थिक एवं रक्षा समन्वय मन्त्री तथा

श्री के० रघुरामय्य की रक्षा-उत्पादन मन्त्री के रूप में नियुक्ति के द्वारा विभागों के पुनर्विभाजन की घोषणा की।

15 प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद में चिकित्सा इतिहास तथा चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान की आधारशिला रखी।

16 कोयले की खदानों और अन्य परियोजनाओं के लिए भारत को पोलैण्ड से मिलने वाले 18 करोड़ 50 लाख रुपये के ऋण के सम्बन्ध में एक करार पर वारसा में हस्ताक्षर हुए।

— इण्डियन रिफाइनरीज लि० ने 18 करोड़ रुपये की लागत के गूनमती तेल शोधनालय का क्रियात्मक नियन्त्रण ग्रहण किया।

17 हावड़ा में भारत-जापान प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन हुआ।

— पी० वी० काणे के ग्रन्थ 'हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र' के अन्तिम खण्ड के प्रकाशन के उपलक्ष में पूना में आयोजित समारोह की राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने अध्यक्षता की।

18 राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।

20 श्री जे० एन० चौधरी ने स्थल-सेनाओं के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद ग्रहण किया।

— श्री एम० एस० कन्नमवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नए मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।

21 श्री वाई० बी० चव्हाण ने केन्द्रीय रक्षा मन्त्री के पद की शपथ ली।

24 बर्मा से एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली पहुंचा।

25 डाक्टर रघुवीर भारतीय जन संघ के अध्यक्ष चुने गए।

26 श्री जयसुखलाल रक्षा और आर्थिक समन्वय के उप-मन्त्री नियुक्त हुए।

— पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका से भारत को 3 लाख 75 हजार गांठ लम्बे रेशे की कपास भेजे जाने के सम्बन्ध में एक करार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

28 केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त करने की वय-सीमा 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष कर देने का निश्चय किया।

— सुप्रसिद्ध नेत्रहीन गायक श्री के० सी० डे का कलकत्ता में देहान्त हो गया।

29 भारत के प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर सहमति प्रकट की कि दोनों देशों के बीच कश्मीर और अन्य सम्बद्ध मामलों को लेकर जो मतभेद चल आ रहे हैं उन्हें दूर करने लिए नए सिरे से बातचीत आरम्भ की जाए।

30 अमरीका के वाणिज्य सचिव श्री लूथर हाजेज चार दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

सितम्बर

1 केन्द्रीय सरकार ने मैसूर के राष्ट्रीयकृत कोलार सोना प्रतिष्ठानों को अपने हाथ में ले लिया ।

— आस्ट्रेलिया के विदेश मन्त्री श्री गारफील्ड बारविक नई दिल्ली पहुंचे ।

2 उपभोक्ता सहकारी समितियों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय परामर्शदाता बोर्ड का संगठन हुआ ।

— भारत सरकार ने एक फिल्म परामर्शदात्री समिति नियुक्त की ।

3 राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में 19-वीं अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र चिकित्सा कांग्रेस का उद्घाटन किया ।

6 स्वीडन द्वारा प्रतिवर्ष पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए भारत को आठ हजार टन कागज का दान दिए जाने के सम्बन्ध में एक करार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए ।

8 हीराकुड नियन्त्रण बोर्ड ने चिपलिमा में दो करोड़ रुपये की लागत से एक सहायक बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा ।

10 केरल में जापानी सहायता से एक भारी ट्रांसफार्मर कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर हुए ।

— राष्ट्रपति ने देहरादून के भारतीय सैनिक अकादेमी को नया झण्डा प्रदान किया ।

12 पंजाब के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता तथा प्रख्यात वकील श्री ठाकुरदास भार्गव का देहान्त हो गया ।

13 भारत और इराक के बीच एक नए व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए ।

— सरकारी स्वामित्ववाली इण्डियन आयल कम्पनी के पहले सेवा-केन्द्र (सर्विस स्टेशन) का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ ।

16 एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल रंगून पहुंचा ।

17 गंगा घाटी में कार्बोनेट ड्रिलिंग के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इटली की संस्था ई. एन. आई. के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए ।

18 युगोस्लाविया के उप-राष्ट्रपति श्री कार्डेल्ज राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

19 नई दिल्ली में अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक में उत्तरप्रदेश में प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विलय के प्रश्न पर विचार किया गया ।

20 संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात् कोष ने 2 करोड़ 64 लाख डालर के सहायता कोष की स्वीकृति दी जिसमें से 20 लाख डालर भारत के शिशु खाद्य कार्यक्रम के लिए थे ।

— राष्ट्रपति ने बम्बई में भारतीय विद्या भवन के रजत जयन्ती उत्सवों का उद्घाटन किया ।

21 सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम-बंगाल राज्य के उस मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के कोयला क्षेत्रों के अधिग्रहण सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के अधिकार को चुनौती दी गई थी।

— रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए श्री हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी।

22 केन्द्रीय सरकार ने आपातक सम्पत्ति नियन्त्रण आदेश की घोषणा की।

23 भारत 5 करोड़ 50 लाख रुपये के मूल्य के रेलवे और टेलीफोन सम्बन्धी उपकरण बाद में सहायमनी की शर्तों पर, श्रीलंका को भेजने को सहमत हुआ।

24 अक्तूबर 1962 से मार्च 1963 तक के 6 महीनों के लिए आयात नीति की घोषणा की गई।

26 इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (भारत) के मध्यप्रदेश केन्द्र के रजत जयन्ती अधिवेशन का उद्घाटन हुआ।

— भिलाई के इस्पात कारखाने ने 1962 के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 लाख टन इस्पात का उत्पादन को निश्चित समय से 5 दिन पहले पूरा कर लिया।

27 कश्मीर और सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान की मन्त्री स्तरीय वार्ता रावलपिण्डी में आरम्भ हुई।

28 पाकिस्तान और चीन ने निश्चय किया कि सिंकियांग और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भाग के बीच की 'वास्तव में विद्यमान सीमा के निर्धारण और स्पष्टीकरण' के आधार पर एक सीमा करार पर हस्ताक्षर किए जाएं।

— अजमेर में एक केन्द्रीय मशीनी औजार अनुसन्धान संस्थान की स्थापना में सहयोग देने के लिए भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

29 बिजली और ऊर्जा समिति की पहली बैठक का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।

30 दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् ने इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया कि देश से अलग होने की मांग को अविधान के विरुद्ध ठहरा दिया जाए।

अध्याय 30

सामान्य जानकारी

अधिकारियों का सम्मानजन्य क्रम-निर्धारण (पूर्वता-अधिपत्र)

(1 जनवरी 1963)

1 राष्ट्रपति ।
2 उप-राष्ट्रपति ।
3 प्रधान मन्त्री ।
4 राज्यपाल तथा जम्मू-कश्मीर का सदर-ए-रियासत (अपने-अपने क्षेत्र में) ।
5 भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा गवर्नर-जनरल ।
6 उप-राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र में) ।
7 भारत का मुख्य न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) ।
   लोक-सभा का अध्यक्ष ।
8 केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के मन्त्री ।
9 'भारतरत्न' से विभूषित महानुभाव ।
10 भारत स्थित विदेशी असामान्य तथा पूर्णाधिकारी राजदूत ।
   भारत स्थित राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) ।
11 17 तथा उनसे अधिक तोपों की सलामीवाले भारतीय रियासतों के शासक (अपनी-अपनी रियासत में) ।
12 राज्यपाल तथा जम्मू-कश्मीर का सदर-ए-रियासत (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर) ।
13 उप-राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर) ।
14 17 तथा उससे अधिक तोपों की सलामीवाले भारतीय रियासतों के शासक (अपनी-अपनी रियासत के बाहर) ।
15 राज्यों के मुख्य मन्त्री ।
16 केन्द्रीय राज्य मन्त्री ।
   योजना आयोग के सदस्य ।
   राज्य-सभा का उप-सभापति ।
   लोक-सभा का उपाध्यक्ष ।
17 15 अथवा 13 तोपों की सलामीवाले भारतीय रियासतों के शासक ।
18 भारत स्थित विदेशी असामान्य दूत तथा पूर्णाधिकारी अमात्य ।
19 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ।
20 विदेश मन्त्रालय का महासचिव ।
   मन्त्रिमण्डल का सचिव ।
   भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत (भारत आए हुए)* ।

---

*भारत आए हुए भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत क्रम सं 20 में पहुँचें अथवा क्रम सं 31 में, इसका निर्णय उस विशेष व्यक्ति के ज्येष्ठत्व (सीनियारिटी) के आधार पर विदेश मन्त्रालय करेगा ।

विदेशी राजदूत (भारत-यात्रा पर आए हुए)।
भारत के प्रथम श्रेणी के उच्चायुक्त (भारत आए हुए) तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायुक्त (भारत-यात्रा पर आए हुए)*।

21 विशिष्टार्थ तथा कार्यकारी उच्चायुक्त।

22. जनरल अथवा उसके समान पदवाले सेनाध्यक्ष (चीफ आफ स्टाफ)।

23. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति।
राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति।
राज्यों की विधान-सभाओं के अध्यक्ष।

24. राज्यों के कैबिनेट मन्त्री।
केन्द्रीय उप-मन्त्री।
महान्यायवादी (एटर्नी-जनरल)।
लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (कम्पट्रोलर ऐण्ड आडिटर जनरल)।

25. लेफ्टिनेण्ट-जनरल अथवा उसके समान पदवाले सेनाध्यक्ष (चीफ आफ स्टाफ)।

26. 11 अथवा 9 तोपों की सलामीवाले भारतीय रियासतों के शासक।

27 केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग का अध्यक्ष।
मुख्य चुनाव आयुक्त।
राज्यों के राज्य मन्त्री।

28. उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपति।

29. राज्यों के उप-मन्त्री।
राज्यों के विधानमण्डलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष।
संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र में)।

30. संसद्-सदस्य।

31 जनरल अथवा उसके समान पदाधिकारी।
राष्ट्रपति का सचिव।
भारत सरकार के सचिव तथा प्रधान मन्त्री का प्रधान निजी सचिव (प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी)।
भारत के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के राजदूत तथा उच्चायुक्त (भारत आए हुए)*।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित कबीला आयुक्त।
मेजर-जनरल अथवा उसके समान पदवाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष।
भारत के पूर्णाधिकारी अमात्य (भारत-यात्रा पर आए हुए) तथा विदेशी पूर्णाधिकारी अमात्य (भारत-यात्रा पर आए हुए)।
रेल बोर्ड का अध्यक्ष।
रेल वित्त आयुक्त।

---

*भारत आए हुए भारत के प्रथम श्रेणी के उच्चायुक्त क्रम सं. 0 में रहेंगे अथवा क्रम सं. 31 में, इसका निर्णय व्यक्ति के ज्येष्ठत्व (सीनियारिटी) के आधार पर किया जाया करेगा।

महान्यायवादी (सालिसिटर-जनरल)।
रेल बोर्ड के सदस्य।
32. पूर्णाधिकारी मंत्रियों से भिन्न विदेशी तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के मंत्रीगण।
लेफ्टिनेण्ट-जनरल अथवा उसके समान पदाधिकारी।
33. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव।
टटकर आयोग का अध्यक्ष।
केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग का अध्यक्ष।
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का उपाध्यक्ष।
वित्त मन्त्रालय (प्रतिरक्षा) का वित्तीय सलाहकार।
सशस्त्र सेनाओं के मेजर-जनरल अथवा उसके समान पदवाले मुख्य कर्मचारी अधिकारी (पी एस ओ)।
भारत के तृतीय श्रेणी के राजदूत तथा उच्चायुक्त (भारत आए हुए)।
सिक्किम स्थित राजनीतिक अधिकारी।
मुख्यकर विभाग का निदेशक।
34. राज्यीय लोक-सेवा आयोगों के अध्यक्ष।
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
वित्त आयुक्त।
केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग के सदस्य।
भारतीय जल-सेना टुकड़ी के फ्लैग-आफिसर-कमाण्डिंग।
राजस्व बोर्ड के सदस्य।
35. स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक।
डाक-तार विभाग का महानिदेशक।
रेलों के जनरल मैनेजर।
भारत सरकार का प्रशासन अधिकारी।
भारत सरकार के संयुक्त सचिव (मन्त्रिमण्डल का संयुक्त सचिव भी)।
भारत के चतुर्थ श्रेणी के राजदूत तथा उच्चायुक्त (भारत आए हुए)।
मेजर-जनरल अथवा उसके समान पदाधिकारी।
महा-सर्वेक्षण अधिकारी (सर्वेयर-जनरल)।
टटकर आयोग के सदस्य।
राज्यों के पुलिस इन्स्पेक्टर-जनरल।
डिवीजनों के कमिश्नर।
असैनिक उड्डयन विभाग का महानिदेशक।
आपूर्ति तथा निबटान विभाग का महानिदेशक।
अस्त्रशस्त्र निर्माणशालाओं (आर्डिनेन्स कारखानों) का महानिदेशक।
भारतीय नौसेना के कमोडोर-इन-चार्ज (नौसैनिक बन्दरगाह अथवा क्षेत्र)।
एयर-कमोडोर के पद के भारतीय वायु-सेना कमानों के सेनानायक।
जल-सेना तथा वायु-सेना के मुख्यालयों के कमोडोर तथा एयर-कमोडोर के समान पद-

वाले मुख्य कर्मचारी अधिकारी ।
समीप क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर) ।
आकाशवाणी का महानिदेशक ।
राष्ट्रपति का सैनिक सचिव ।
भारत स्थित विदेशों तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के वाणिज्य-दूत ।
उपलेखा-नियन्त्रक तथा उप-महालेखा परीक्षक (डिप्टी कम्पट्रोलर ऐण्ड आडिटर-जनरल)।

गणराज्य दिवस पर प्रदान किए जानेवाले सम्मान

भारतरत्न

यह सम्मान कला साहित्य तथा विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए किए गए असाधारण कार्य तथा सर्वोत्कृष्ट देश-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है ।

यह पदक पीपल के पत्ते के आकार का ठोस कांसे का बना हुआ $2\frac{5}{16}$ इंच लम्बा $1\frac{7}{8}$ इंच चौड़ा तथा $\frac{1}{8}$ इंच मोटा होता है । इसके मुख्य-भाग पर सूर्य की आकृति उत्कीर्ण होती है । इस आकृति का व्यास $\frac{5}{8}$ इंच होता है तथा इसके नीचे हिन्दी में 'भारतरत्न' लिखा होता है । इसके पृष्ठ-भाग पर राजचिह्न तथा हिन्दी में सूक्ति अंकित होती है । राजचिह्न सूर्य की आकृति तथा प्रान्त (रिम) प्लैटिनम का होता है और 'भारतरत्न' चमकीले कांसे के अक्षरों में लिखा होता है ।

1963 में निम्नलिखित महानुभावों को भारतरत्न से विभूषित किया गया

1 जाकिर हुसैन ।
2 पाण्डुरंग वामन काणे ।

पद्म-विभूषण

यह पदक किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण तथा विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है । इसमें राजकर्मचारियों की सेवा भी सम्मिलित है ।

यह पदक वृत्ताकार होता है तथा वृत्त पर एक ज्यामितिक प्रतिकृति का ठप्पा लगा होता है । वृत्ताकार भाग का व्यास $1\frac{3}{16}$ इंच तथा इसकी मोटाई $\frac{1}{8}$ इंच होती है । मुख्य-भाग के बीच हिस्से में कमल का पुष्प उभरा होता है । कमल के शीर्ष पर 'पद्म' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उत्कीर्ण होते हैं । पदक के पृष्ठ-भाग पर राजचिह्न तथा हिन्दी में सूक्ति होती है । यह पदक ठोस कांसे का होता है । पदक के मुख-भाग पर उत्कीर्ण 'पद्म-विभूषण' दोनों ओर की ज्यामितिक प्रतिकृतियां तथा परिधि के इर्द-गिर्द का किनारा चमकीले कांसे का होता है । पदक के दोनों ओर के उत्कीर्ण भाग निकल-चढ़े सोने के होते हैं ।

1963 में इन महानुभावों को पद्म-विभूषण से अलंकृत किया गया

1 हरि विनायक पाटस्कर ।
2 अर्काट लक्ष्मणस्वामी मुदलियार ।
3 सुनीति कुमार चटर्जी ।

पद्म-भूषण

यह पदक किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें राज-कर्मचारियों की सेवा भी सम्मिलित है।

इसकी भी बनावट 'पद्म-विभूषण' पदक-जैसी ही होती है। इसके मुख्य भाग पर कमल-पुष्प के शीर्ष पर 'पद्म' तथा नीचे 'भूषण' शब्द उत्कीर्ण होते हैं। पृष्ठ-भाग पर 'पद्म-भूषण' दोनों ओर की ज्यामितिक प्रतिकृतियां तथा परिधि के इर्द-गिर्द का किनारा चमकीले कांसे का होता है। पदक के दोनों ओर का उत्कीर्ण भाग स्टैण्डर्ड सोने का होता है।

1963 में इन महानुभावों को 'पद्म-भूषण' से अलंकृत किया गया

1. बद्रीनाथ प्रसाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गणित के प्राध्यापक।
2. हरिनारायण सिंह, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव।
3. कानुरि लक्ष्मण राव इंजीनियर और संसद्-सदस्य आन्ध्रप्रदेश।
4. एम एस सोनी दन्त-चिकित्सक दिल्ली।
5. माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी के लेखक और साहित्यकार, मध्यप्रदेश।
6. एन एन बरी दन्त-चिकित्सक दिल्ली।
7. नीतीश चन्द्र लहरी रोटेरियन, कलकत्ता।
8. अमियकुमार दास सार्वजनिक कार्यकर्ता असम।
9. आर पी सरैया अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन।
10. राहुल सांकृत्यायन विद्वान् और लेखक।
11. रामकुमार वर्मा हिन्दी के साहित्यकार, उत्तरप्रदेश।
12. तिरुवेंकट राजेन्द्र शेषाद्रि, दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन-शास्त्र विभाग के प्राध्यापक और अध्यक्ष।

पद्म-श्री

यह पदक किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें राजकर्मचारियों की सेवा भी सम्मिलित है।

इस पदक के मुख भाग पर कमल-पुष्प के शीर्ष पर 'पद्म' तथा नीचे 'श्री' शब्द हिन्दी में उत्कीर्ण होते हैं। मुख-भाग का 'पद्मश्री' दोनों ओर की ज्यामितिक प्रतिकृतियां तथा परिधि के इर्द-गिर्द का किनारा चमकीले कांसे का होता है। पदक के दोनों ओर का उत्कीर्ण अंश स्टेनलेस स्टील का होता है।

1963 में इन महानुभावों को 'पद्म-श्री' से अलंकृत किया गया

1. अहीन्द्र चौधरी अभिनेता कलकत्ता।
2. बिशन मान सिंह किसान उत्तरप्रदेश।
3. ब्रजकृष्ण चांदीवाला संयोजक भारत सेवक समाज (दिल्ली शाखा)।
4. जार्ज विलियम बैगोरी ग्रुप आफिसर-इन-चार्ज ब्लड ट्रान्सफ्यूजन डिपार्टमेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज पूना।
5. जोएल लकड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बिहार।

'महावीर चक्र' स्टैण्डर्ड चांदी का तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुख-भाग पर एक पंचकोना नक्षत्र उत्कीर्ण होता है, जिसके गुम्बदाकार मध्य-भाग में स्वर्णमण्डित राजचिह्न की उभरी हुई आकृति रहती है। पदक के पृष्ठ-भाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अंग्रेजी में 'महावीर चक्र' शब्द उत्कीर्ण होते हैं।

यह पदक सवा इंच चौड़ी सफेद और नारंगी रंग की पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी पट्टी बाएं कन्धे की ओर रहे।

1963 में 'महावीर चक्र' इन महानुभावों को प्रदान किया गया

1. स्क्वेड्रन लीडर जयमोहन नाथ।
2. सेकण्ड लेफ्टिनेण्ट श्यामल देव गोस्वामी।
3. ब्रिगेडियर तपेश्वर नारायण रैना।
4. नायक महावीर थापा (मरणोत्तर)।
5. सैसनायक राम बहादुर गुरुंग (मरणोत्तर)।
6. हवलदार स्वरूप सिंह (मरणोत्तर)।
7. मेजर धार्दूल सिंह रन्धावा।
8. मेजर धेर प्रताप सिंह श्रीकेंत।
9. नायक रवि लाल थापा।
10. मेजर मल्कित सिंह।
11. मेजर एम एस चौधरी।
12. मेजर गुरुमाल सिंह।
13. कैप्टेन महावीर प्रसाद।
14. सेकण्ड लेफ्टिनेण्ट जी वी पी राव।
15. सूबेदार सोनम स्तोपदान।
16. जमादार इष्ट दुप्पुप।
17. हवलदार सैतिनपियां फुंकोच।
18. सिपाही केवल सिंह।

वीर-चक्र

इस क्रम में 'वीर चक्र' तीसरा पदक है जो स्थल जल अथवा आकाश में शत्रु का सामना करते हुए अपूर्व शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है।

'वीर चक्र' चांदी का तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुख-भाग पर एक पंचकोना नक्षत्र होता है, जिसके मध्य में अशोक-चक्र अंकित रहता है। अशोक-चक्र के गुम्बदाकार मध्य-भाग पर स्वर्णमण्डित राजचिह्न अंकित होता है। पदक के पृष्ठ-भाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अंग्रेजी में 'वीर-चक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं।

यह चक्र सवा इंच चौड़ी नीली और नारंगी रंग की पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बाएं कन्धे की ओर रहे।

37. हवलदार तुलसी राम ।
38. नैस हवलदार धर्मसिंह ।
39. नायक मुधी राम (मरणोत्तर) ।
40. नायक चिम्मट दोर्जी (मरणोत्तर) ।
41. नायक बहादुर सिंह (मरणोत्तर) ।
42. लैन्सनायक राघवन ।
43. सिगनलमैन धर्मचन्द (मरणोत्तर) ।
44. सिपाही/टेम्पुमैन/प्रसिस्टेंट एन. आवरू (मरणोत्तर) ।
45. सिपाही दोर्जी फुंचोक ।
46. सिपाही मामम चानचुक (मरणोत्तर) ।
47. सिपाही सोवनाम चिरिंग (मरणोत्तर) ।
48. सिपाही सोनम रैवाज (मरणोत्तर) ।
49. राइफलमैन गुलशेराम थापा ।
50. स्क्वाड्रन लीडर मार्कंडेय शचीन्द्रनाथ विलियम्स ।
51. स्क्वैड्रन लीडर सूर्यकान्त बयवार ।
52. फ्लाइट मेसिटनेंण्ट कृष्णस्वामी लक्ष्मी नारायणन ।

अशोक-चक्र—प्रथम श्रेणी

यह पदक स्थल जल अथवा आकाश में असीम शौर्य साहस अथवा परम-बलिदान के सम्मानार्थ भेंट किया जाता है ।

यह पदक सोने से मढ़ा हुआ तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुख-भाग पर कमल-माल से घिरा हुआ अशोक-चक्र उत्कीर्ण होता है । पदक के किनारे-किनारे कमल की पंखुड़ियाँ, पुष्प और कलियाँ की आकृतियां बनी रहती हैं । पृष्ठ-भाग पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'अशोक-चक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं जिनके मध्य का स्थान कमल-पुष्पों से सुसज्जित रहता है ।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ जिसके मध्य में उसको दो समान भागों में विभक्त करनेवाली एक खड़ी नारंगी रेखा होती है, बाम वक्ष पर लगाया जाता है ।

1963 में यह पदक किसी को भी प्रदान नहीं किया गया ।

अशोक-चक्र—द्वितीय श्रेणी

यह पदक भी असीम शौर्य-प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है । यह स्टैण्डर्ड चांदी का तथा वृत्ताकार होता है । इसके मुख और पृष्ठ-भाग बिल्कुल 'अशोक-चक्र'—प्रथम श्रेणी' जैसे ही होते हैं ।

यह चक्र सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर तीन बराबर भागों में विभक्त करनेवाली दो खड़ी नारंगी रेखाएं होती हैं बाम वक्ष पर लगाया जाता है ।

1963 में यह पदक इन महानुभावों को प्रदान किया गया

1 नायक रणजीत सिंह (मरणोत्तर) ।
2 मसिलक वेंकट राव (मरणोत्तर) ।
3. फ्लाइट लेफ्टिनेण्ट कर्ण सेर सिंह कलसिया (मरणोत्तर) ।
4. लेफ्टिनेण्ट मोएम कसमन ।
5. प्रा/सीमैन बचन सिंह (मरणोत्तर) ।
6. प्रो/सीमैन विजेन्द्र पाल सिंह तोमर (मरणोत्तर) ।
7 राइफलमैन वीर सिंह नेगी ।
8. फ्लाइट लेफ्टिनेण्ट जयप्रकाश विश्वनाथन (मरणोत्तर) ।
9. फ्लाइट आफिसर वी गमधन (मरणोत्तर) ।
10. फ्लाइट लेफ्टिनेण्ट वासकृष्ण देशपाण्डे ।
11 सूबेदार मंगल बहादुर लिम्बू ।
12. यू पी /लैसनायक एम लक्ष्मणन ।
13. सेकण्ड लेफ्टिनेण्ट हीरावल्लभ काला ।
14. नायक धर्म सिंह ।
15. नायक सरदार सिंह ।

अशोक-चक्र—तृतीय श्रेणी

यह पदक भी वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाता है तथा उपर्युक्त दोनों चक्रों के समान ही होता है। अन्तर केवल इतना है कि यह कांसे का बना होता है।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ जिस पर चार बराबर भागों में विभक्त करनेवाली तीन खड़ी नारंगी रेखाएं होती हैं बाम वक्ष पर लगाया जाता है।

1963 में यह पदक इन महानुभावों ने पाया

1 लेफ्टिनेण्ट सतीशचन्द्र चड्ढा ।
2. सेकण्ड लेफ्टिनेण्ट धर्मदत्त सक्सेना ।
3. सेकण्ड लेफ्टिनेण्ट जय सिंह ।
4. सेकण्ड लेफ्टिनेण्ट हरिदत्त सिंह चुसम ।
5. नायक केसर सिंह ।
6. श्री रामासास ।
7 लैंसनायक प्रमसिंह ।
8. मजर मास सिंह ।
9. फ्लाइट लेफ्टिनेण्ट पलक्कड़ मुत्तुस्वामी रामचन्द्रन ।
10. लैंस हवलदार शिशुपाल सिंह (मरणोत्तर) ।
11 सिपाही हुक्म सिंह (मरणोत्तर) ।
12. ए/सब-लेफ्टिनेण्ट अली मुहम्मद ।
13. ए/सीमैन जसवन्त सिंह बाबा ।
14. प्रो/सीमैन बचन सिंह (मरणोत्तर) ।
15. प्रो/सीमैन मैमुएल जयमसन मधुनदास (मरणोत्तर) ।

16. कुलदीप चन्द चोपड़ा ।
17. कैप्टेन सोमनाथ ।
18. हवलदार नर बहादुर गुरुंग ।
19. लेफ्टिनेंट कर्नल आर जे सोलोमन ।
20. राइफलमैन केहर सिंह तोमर ।
21. हवलदार जसपाल सिंह ।
22. नायक राम प्रसाद बिष्ट ।
23. लांस नायक दिदार सिंह पठानिया ।

विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत फारसी और अरबी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों को 1958 से प्रतिवर्ष सम्मान-पत्र तथा 1 500 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है ।

1962 में इन महानुभावों ने ये पुरस्कार प्राप्त किए

संस्कृत

1. हरि दामोदर वेलंकर ।
2. ब्रह्मदत्त 'जिज्ञासु' ।
3. पद्मकुमार शास्त्री ।
4. अग्निहोत्रम् रामादेशिक ताताचारियर ।

अरबी और फारसी

1. मुहम्मद निजामुद्दीन 'फिरदौस' ।

अर्जुन पुरस्कार

वर्ष के सर्वोत्तम खिलाड़ियों को 'अर्जुन पुरस्कार' देने का निर्णय 1961 में किया गया । खेल-कूद की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाले खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर यह सम्मान प्रदान किया जाता है ।

1962 में पुरस्कार प्राप्त करनेवालों के नाम ये हैं

1. तरलोक सिंह (ऐथलेटिक्स) ।
2. विल्सन जोन्स (बिलियर्ड्स) ।
3. मीना शाह (बैडमिन्टन) ।
4. पद्म बहादुर माल (बाक्सिंग) ।
5. टी बलराम (फुटबाल) ।
6. नरेशकुमार (लान टेनिस) ।
7. नृपजीत सिंह (वालीबाल) ।
8. एम के दास (भार उत्तोलन) ।
9. मालवा (कुश्ती) ।

परिशिष्ट

संकटकाल (एमर्जेन्सी)

चीन द्वारा आक्रमण

1962 के दौरान भारत-चीन सीमा प्रश्न ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्षेत्र में विशेषकर सीमा के मध्य और पश्चिमी भागों में घुसपैठ की अपनी कार्रवाई के बाद चीनी सशस्त्र सेनाएं 8 सितम्बर को मान्य सीमा को पार करके पूर्वी भाग के कामेंग सीमान्त डिवीजन के थेदोंग क्षेत्र में बढ़ आईं।* इसके बाद 20 अक्तूबर, 1962 को चीन ने नेफा और लद्दाख क्षेत्रों में अचानक बिना किसी कारण के विश्वासघातपूर्ण बड़ा हमला कर दिया। यह घुसपैठ न रह कर एक पूरा हमला था। इस आकार प्रकार का हमला काफी लम्बे समय की योजनाबन्दी के बाद ही किया जा सकता था।

चीनी सैनिक बहुत अधिक संख्या में थे और उनके पास गोला-बारूद भी बहुत अधिक था जैसा कि हमलावर के पास शुरू-शुरू में हुआ करता है। भारतीय सैनिकों को अनेक चौकियों में बंटे होने के कारण इन बड़े और बार-बार किए गए हमलों के कारण पीछे हटना पड़ा। इस पर भी उन्होंने असाधारण बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया और चीनियों का बहुत अधिक जानी नुकसान किया। व्यक्तिगत साहस और बहादुरी के अनेक कारनामे भारतीय सशस्त्र सेना की सर्वोच्च परम्परा के अनुरूप थे और इन्हें लम्बे अर्से तक याद रखा जाएगा।

24 अक्तूबर, 1962 को अर्थात् 20 अक्तूबर के बड़े हमले के चार दिन बाद चीन सरकार ने सुझाव रखा कि दोनों देश चीन द्वारा परिभाषित 'वास्तविक नियन्त्रण की रेखा' को मानना स्वीकार करें और अपने सैनिक उस रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटा लें तथा लड़ाई से बाज आएं। ये शर्तें हथियार डालने की शर्तों के समान थीं जिन्हें भारत ने स्वीकार नहीं किया। इस पर चीन सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में और बड़े हमले किए और काफी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 21 नवम्बर को उन्होंने एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा की जिसका उद्देश्य हमले से प्राप्त किए गए इलाके को अपने कब्जे में बनाए रखना था। भारत ने युद्ध-विराम में दखल देने की कोई कार्रवाई नहीं की। चीनी सैनिक अनेक ऐसे क्षेत्रों से पीछे हट गए हैं जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे और भारतीय असैनिक प्रशासन ने उन इलाकों में काम शुरू कर दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

विश्व के अनेक देशों की सरकारों को प्रधान मन्त्री द्वारा भेजे गए चीनी हमले से सम्बन्धित पत्र के उत्तर में 80 देशों से सहानुभूति और समर्थन के सन्देश प्राप्त हुए। भारत में 'प्रधानमन्त्री सहायता कोष' की स्थापना की गई है ताकि भारत को हमले का मुकाबला करने में सहायता दी जा

---

*चीनी हमले से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनाओं का जनवरी 1962 से अप्रैल 1963 तक का तारीखवार ब्यौरा आगे दिया गया है।

सक । विदेशों में रहनेवाले भारतीय मूल के लोगों और विदेशों की अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों ने सामान तथा सन्देश भेज कर भारत के प्रति अपने सहयोग का विश्वास दिलाया।

कोलम्बो सम्मेलन

दोनों पक्षों के साथ बातचीत शुरू करने तथा सीमा-विवाद सम्बन्धी शान्तिपूर्ण समझौता कराने में सहायता देने के लिए बर्मा, कम्बोडिया श्रीलंका घाना इण्डोनेशिया और संयुक्त अरब गण-राज्य इन छः तटस्थ राष्ट्रों की कोलम्बो में *10 से 12 दिसम्बर, 1962 तक एक बैठक हुई, जिसमें* कुछ प्रस्ताव स्वीकार किए गए। भारत सरकार को कोलम्बो सम्मेलन के 6 देशों में से तीन देशों — श्रीलंका घाना और संयुक्त अरब गणराज्य—के प्रतिनिधियों ने उन प्रस्तावों की व्याख्या और स्पष्टी-करण पेश किया। इन प्रस्तावों और स्पष्टीकरणों पर संसद् ने विचार किया जिसके बाद सरकार ने अपने सम्मान के अनुरूप शान्ति के हित में इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया परन्तु अभी तक चीन सरकार ने इन प्रस्तावों को पूर्ण रूप से नहीं माना है।

रक्षा के उपाय

देश की सुरक्षा निरन्तर खतरे में पड़ जाने के कारण फौज को मजबूत करने और हथियार और साज-सामान से सम्बन्धित कमी को अन्दरूनी उत्पादन बढ़ा कर तथा आयात करके और बाहरी देशों से विशेष सहायता प्राप्त करके पूरा करने का यत्न किया गया है।

उपयुक्त संख्या में भर्ती पूरी करने के लिए भर्ती संगठन का विस्तार किया गया है। इण्डियन मिलिटरी अकादेमी का भी विकास किया गया है। एमरजेन्सी कमीशन प्रदान किए जा रहे हैं और अफसरों की अपेक्षित संख्या पूरी करने के लिए अफसरों के विशेष सूची कैडर में वृद्धि की गई है। स्थायी नियमित कमीशन कोर्स के दौरान स्थगित कर दिया गया है, सिवाय उन स्थितियों में जहां उम्मीदवार नेशनल डिफेन्स अकादेमी द्वारा चुने गए हों या आर्मी कैडेट कालेज नौगांव और नेशनल कैडेट कोर से लिए गए हों। सरकार ने असैनिक कर्मचारियों को भी फौजी सेवा में आने की पेशकश की है। ट्रेनिंग कार्यक्रम में संशोधन और सुधार किए गए हैं। ऐसा उत्तरी सीमा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया गया है।

राष्ट्रीय रक्षा परिषद्

6 नवम्बर, 1962 को राष्ट्रीय रक्षा परिषद् की स्थापना की गई। प्रधान मन्त्री इसके चेयरमैन हैं। परिषद् के कार्य इस प्रकार हैं—(1) स्थिति का अध्ययन करना और राष्ट्रीय रक्षा का प्रबन्ध करना तथा सरकार को रक्षा तथा अन्य सम्बन्धित मामलों में परामर्श देना (2) हमलावर से लड़ने की राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का निर्माण करना तथा उसका मार्गदर्शन करने में सहायता करना और (3) केन्द्रीय नागरिक समितियों को राष्ट्रीय रक्षा में लोगों के संसाधन के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक उपाय सुझाना।

परिषद् ने एक फौजी मामलों की समिति की स्थापना की है। इसके चेयरमैन प्रतिरक्षा मन्त्री हैं। एक अन्य समिति भी बनाई गई है जिसके चेयरमैन गृह मन्त्री हैं। पहली समिति रक्षा

व्यवस्था पर ध्यान देती है और दूसरी समिति सामान्यतः हमलावर के विरुद्ध राष्ट्रीय इच्छा शक्ति के निर्माण में सहायता करती है। अनेक राज्यों में भी रक्षा परिषदें गठित की गई हैं।

विदेशों से सहायता

बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो जाने के तुरन्त बाद भारत सरकार ने मित्र राष्ट्रों से इस अचानक हमले का मुकाबला करने के लिए सहायता भेजने की अपील की। इसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही। अनेक देशों ने शस्त्र और अन्य सामान भेजा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने विशेष रूप से भारतीय रक्षा दस्तों के लिए शस्त्र और सामान बहुत जल्दी भिजवाया। एक भारतीय-अमेरिकी अनुपूरक समझौते पर 14 नवम्बर, 1962 को हस्ताक्षर किए गए, जिसके अधीन अमेरिका से भारत को रक्षा सामान तथा शस्त्र मिलने की व्यवस्था है। भारत और ब्रिटेन के बीच 27 नवम्बर को इसी प्रयोजन के लिए एक लम्बी अवधि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य देशों में जिन्होंने शस्त्र गोला-बारूद हवाई जहाज पुर्जे ऊनी कपड़े और कम्बल तथा अन्य ऐसे सामान भेजे आस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस, इटली न्यूजीलैंड रोडेशिया और पश्चिमी जर्मनी शामिल हैं।

वैधानिक और अन्य उपाय

चीनी हमले से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए किए गए वैधानिक और अन्य उपाय नीचे दिए गए हैं

केन्द्रीय सरकार ने 25 अक्तूबर को 'विदेशी (चीनी मूल के लोगों पर पाबन्दी) आदेश 1962' जारी किया जिसमें यह व्यवस्था की कि भारत में रहनेवाले चीनी मूल के लोग अपने शहर, कस्बे या गांव को जिसके वे निवासी हैं छोड़ कर नहीं जाएंगे और न ही विहित सत्ता से इजाजत लिए बिना अपने पंजीकृत पते से 24 घण्टे से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रह सकेंगे।

संकटकाल की घोषणा

26 अक्तूबर को राष्ट्रपति ने संकटकाल की घोषणा की और भारत रक्षा अध्यादेश लागू किया जिसके द्वारा सरकार को इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए संकटकालीन शक्तियां दी गई। भारत रक्षा (संशोधन) अध्यादेश 3 नवम्बर को जारी किया गया जिसके द्वारा सरकार को संकटकाल के दौरान ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति दी गई, जो राष्ट्रीय प्रयत्नों में बाधा उपस्थित करते हों। बाद में दोनों अध्यादेशों के स्थान पर 'भारत रक्षा अधिनियम 1962' जारी किया गया। सरकार ने इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित नियम जारी किए हैं (1) भारत रक्षा नियम 1962, (2) असैनिक रक्षा सेवाएं नियम 1962, (3) भारत रक्षा (अचल सम्पत्ति प्राप्ति तथा कब्जा) नियम 1962 और (4) भारत रक्षा (राष्ट्रीय सेवा में तकनीकी लोगों की नियुक्ति) नियम 1963।

संकटकाल के दौरान केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उन मामलों के बारे में भी निदेश दे सकती है, जो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं। संसद राज्यों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद और राज्यीय विधानमण्डल एसे

कानून बना सकते हैं जिनसे अनुच्छेद 19 के अधीन दिए गए मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकें। लेकिन ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संकटकाल का मुकाबला करने के लिए यह अनिवार्य न समझा जाए। भारत रक्षा अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम बना सकती है जो मूल अधिकारों से मेल न खाते हों तथा कुछ विषय कानूनी अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर भी किए जा सकते हैं। इसके बाद केन्द्रीय सरकार के विभाग और राज्य सरकारें इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकती हैं।

सरकार ने 13 नवम्बर को सिक्किम में भी संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी।

विदेशियों पर पाबन्दी

विदेशी (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश जो कि 14 जनवरी 1963 को लागू हुआ द्वारा असम तथा पश्चिम-बंगाल उत्तरप्रदेश हिमाचलप्रदेश और पंजाब के कुछ जिलों में विदेशियों के दाखिल होने तथा रहने पर पाबन्दियां लगा दी गई हैं।

सरकार ने 30 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया (26 नवम्बर को इसके उपबन्धों को और कठोर करने के लिए इसमें संशोधन किया गया) जिसके द्वारा संकटकाल के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति के जो कि विदेशी है या भारतीय मूल का नहीं है इस अधिकार को कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 को लागू करने के लिए अदालत में अपील कर सकता है निलम्बित कर दिया गया। सरकार ने विदेशी कानून (प्रयोग और संशोधन) अध्यादेश 1962 के अधीन ये शक्तियां भी प्राप्त कर ली हैं कि वह ऐसे विदेशियों को गिरफ्तार कर सकेगी रोक सकेगी नजरबन्द कर सकेगी और स्थानबद्ध कर सकेगी जो भारत के विरुद्ध लड़ाई कर रहे देश या भारत पर हमला करनेवाले देश की सहायता दे रहे हों। चीनी मूल के सभी व्यक्तियों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो भारतीय नागरिक बन गए थे विदेशी मान कर उनके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। नवम्बर 1962 के अन्त तक असम और पश्चिम-बंगाल के 5 उत्तरी जिलों में रहनेवाले 2,000 चीनी मूल के लोगों को गिरफ्तार करके राजस्थान में देवली के स्थान पर सेन्ट्रल इन्टर्नमेन्ट कैम्प में स्थानबद्ध कर दिया गया है। देश के अन्य भागों में रहनेवाले चीनियों पर भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

रिजर्व बैंक ने 2 नवम्बर 1962 को बैंक आफ चाइना का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इस बैंक की कलकत्ता और बम्बई शाखाओं के व्यापार के परिसमापन की कार्रवाई चल रही है।

आर्थिक उपाय

आर्थिक मोर्चे पर पहला काम यह था कि आर्थिक ढांचे के सामान्य रूप को बिगाड़े बिना रक्षा के लिए शीघ्रता से साधन जुटाए जाएं।

1962-63 में 376 करोड़ रुपये के रक्षा बजट में संकटकाल को ध्यान में रखते हुए 95 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट जोड़ा गया परन्तु इस समय राजस्व बढ़ाने का कोई नया सुझाव नहीं रखा गया।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

राष्ट्रीय रक्षा कोष 27 अक्तूबर को शुरू किया गया। इसकी व्यवस्था एक समिति

कर रही है, जिसके चेयरमैन प्रधान मन्त्री हैं तथा कार्याध्यक्ष वित्त मन्त्री। इस कोष में स्वैच्छिक अंशदान के रूप में रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के लिए नकदी सोना प्राप्त किया जाता है। 18 मई 1963 तक इस कोष के केन्द्रीय खाते में 53 98 करोड़ रुपये (जिनमें विदेशों से प्राप्त 73 लाख रुपये भी सम्मिलित हैं) नकदी के रूप में और 21 32 लाख ग्राम सोना तथा सोने के जेवर प्राप्त हो चुके थे।

स्वर्ण बाण्ड योजना

विदेशी भुगतान की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने देश में उपलब्ध सोना प्राप्त करने के लिए 12 नवम्बर, 1962 को 15-वर्षीय स्वर्ण बाण्ड जारी किए जो फरवरी 1963 के अन्त तक बेचे जाते रहे। इसमें सोना सिक्के और सोने के जेवर लिए गए, जिनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार 995 की शुद्धता के प्रत्येक 10 ग्राम सोने का मूल्य 53 58 रुपए लगाया गया। इन बाण्डों पर 6 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है (यह ब्याज वर्ष में दो बार दिया जाएगा)। ये बाण्ड सम्पदा और पूंजीगत करों से मुक्त हैं और ये 15 वर्ष बाद नकदी के रूप में वापस लौटाए जाएंगे। 20 फरवरी 1963 तक 130 26 लाख ग्राम सोना इन बाण्डों में प्राप्त किया गया। 10 नवम्बर को रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे सोने पर दी गई पेशगियां वापस ले लें विशेष रूप से अग्रिम राशियां जो उत्पादक प्रयत्नों में न लगाई जा रही हों। 14 नवम्बर से सोने में वायदे के सौदे बन्द कर दिए गए, जिससे देश में चोरी से लाया गया सोना बेचना मुश्किल कर दिया गया। इससे अगले दिन सोने के कुछ अन्य सौदों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। चांदी के वायदे के सौदों पर भी पाबन्दी लगा दी गई।

सोना नियन्त्रण योजना

10 जनवरी 1963 को भारत रक्षा नियम 1962 के अधीन एक योजना लागू की गई, जिसके अधीन सोने और सोने की वस्तुओं के लेन-देन पर नियन्त्रण रखा जा सके। यह योजना सोने की मांग कम करने इसका मूल्य घटाने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश में उसे जारी रखने सोना बन्द करने के लिए लागू की गई है। उसी दिन एक स्वर्ण बोर्ड की स्थापना की गई जो सोना नीति से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देगा। इस नियन्त्रण योजना के अधीन 14 कैरेट से अधिक शुद्धतावाले सोने के जेवर और अन्य वस्तुएं बनाने पर पाबन्दी लगा दी गई है। स्वर्ण बोर्ड से विशेष इजाजत लिए बिना जेवर को छोड़ कर अन्य वस्तुएं बनाने पर पाबन्दी लगा दी गई है। रिफाइनरियों और व्यापारियों द्वारा कुछ अन्य वस्तुएं बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। इन नियमों के अधीन रिफाइनरियों और व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध सोने का विवरण देने तथा लाइसेंस लेने को कहा गया है। अन्य सब व्यक्तियों को एक निश्चित सीमा से अधिक जेवरों से भिन्न सोने का विवरण देने को कहा गया है। जेवरों से भिन्न सोने के व्यापार पर भी पाबन्दियां लगा दी गई हैं। इस नियन्त्रण योजना को लागू करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन कर विभाग को अधिकार दे दिए गए हैं।

नई सोना नीति का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि सोने की मांग कम की जाए तथा

चोरी-छिपे सोना लाने को कम किया जाए, बल्कि इससे देश के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में भी एक नया मोड़ आएगा। इससे यह भी पता चलता है कि हम देश की मुद्रास्फीति समस्या को कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं।

रक्षा बाण्ड और सर्टिफिकेट

नवम्बर 1962 में सरकार ने 4 1/2 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बाण्ड 1972 (9 मई 1963 तक बिक्री के लिए) जो कि 10 नवम्बर 1972 को वापस लौटाए जाएंगे तथा जिनका ब्याज अर्द्धवार्षिक रूप में दिया जाएगा जारी किए। बारह वर्षीय सर्टिफिकेट (जिन पर 4 प्रतिशत ब्याज है) के स्थान पर 10-वर्षीय 4 1/2 प्रतिशत रक्षा जमा सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। 12-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा सर्टिफिकेट (जिन पर 75 प्रतिशत अधिक राशि मिलेगी और जो 12-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत सर्टिफिकेटों के स्थान पर जारी किए गए हैं) भी जारी किए गए हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीयों और अभारतीयों को भारत में रुपया पूंजी लगाने के योग्य बनाने के लिए 10-वर्षीय रक्षा सर्टिफिकेट जिन पर 60 प्रतिशत अधिक राशि दी जाएगी वाशिंगटन में भारतीय दूतावास और लन्दन में भारतीय हाई कमीशन में 20 दिसम्बर, 1962 से बिक्री के लिए रखे गए हैं। यह व्यवस्था हांगकांग कनाडा और अन्य देशों में भी शुरू करने का फैसला किया गया है।*

रक्षा और विकास

आनेवाले वर्षों में रक्षा उपायों के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होगी जिसके कारण 1963-64 के योजना व्यय में योजना सम्बन्धी योजनाओं को प्रधानता देने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी ताकि हाथ में लिए गए काम को शीघ्रता से पूरा करने और रक्षा की जरूरतों से सीधे रूप से सम्बन्धित कार्यों का जल्दी शुरू करने का कार्य सफलतापूर्वक हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रक्षा उपाय और विकास कार्य मूलतः एक दूसरे से सम्बद्ध हैं राष्ट्रीय विकास परिषद ने फैसला किया कि अलबत्ता साधनों को कितने बड़े पैमाने पर और किस ढंग से काम में लाया जाए कि उससे हम रक्षा और विकास के प्रयत्नों को अपने उपलब्ध भौतिक साधनों के अनुरूप अधिकतम पूरा कर सकें। ये उद्देश्य पूरे करने के हमारे निश्चय को 1963-64 के बजट में दिखाया गया है जिसमें ये साधन जुटाने के लिए असाधारण व्यवस्था की गई है।

अनेक क्षेत्रों में—विशेष रूप से उद्योग खनिज यातायात और बिजली के क्षेत्र में योजना की गतिविधियों को तेज किया गया। और उन्हें बढ़ाया गया। इसी तरह, इस स्थिति का मुकाबला करने और आगे की हालत के लिए तैयार रहने के लिए अनेक कदम उठाए गए। महत्वपूर्ण उपायों में ये मुख्य हैं

इस्पात उद्योग का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है—विशेष रूप से इस्पात की उन किस्मों का जिनकी रक्षा के लिए आवश्यकता है। इसी तरह मशीनी औजारों का उत्पादन भी बढ़ाया गया है तथा इंजीनियरी और अन्य उद्योगों से उनकी क्षमता के अनुरूप पूरा काम लेने का यत्न किया जा रहा है। बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल और खनिज साधनों को बढ़ाने के लिए भी भरपूर प्रयत्न किए गए हैं।

रेलवे ने अपने कार्य में बहुत अधिक सुधार किया है। नवम्बर और दिसम्बर 1962 में रेल परिवहन 1961 के समान महीनों की अपेक्षा 15 और 23 प्रतिशत अधिक रहा। रेलवे वर्कशापों में डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि की गई। अनेक सड़कों में सुधार किए गए। सीमान्त इलाकों की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमान्त की मौजूदा सड़कों का सुधार किया जा रहा है और नई सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि इन इलाकों में आसानी से पहुंचा जा सके।

बिजली योजनाओं की पूर्ति जहां सम्भव हुआ समय से पूर्व की जा रही है और संकटकालीन प्रारक्षण के तौर पर जेनरेटिंग सेटों का एक समुच्चय तैयार किया जा रहा है।

कृषि को सफल बनाना हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। योजना आयोग ने राज्य सरकारों को विकास की दर बढ़ाने और त्रुटियां दूर करने को कहा है।

ग्राम स्वयंसेवक दल

सामुदायिक विकास संगठन के अधीन ग्राम स्वयंसेवक दल योजना समूचे राष्ट्र में शुरू की गई, ताकि प्रत्येक ग्राम में ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश की जा सके। इस योजना के अधीन एक रक्षा श्रम बैंक स्थापित करने की व्यवस्था है, जिसमें माह में कम-से-कम एक दिन का श्रम दान करने की व्यवस्था की गई है। या फिर उसके बदले में प्रत्येक शारीरिक रूप से योग्य वयस्क व्यक्ति आर्थिक अंशदान देगा। इस बैंक के साधन उत्पादन कार्यक्रमों को पूरा करने और लाभदायक सामुदायिक सम्पदा बनाने के काम में लाए जाएंगे। उत्पादन के अलावा इस योजना में जन शिक्षा और ग्राम रक्षा के कार्य भी सम्मिलित हैं।

तकनीकी कर्मचारी और प्रशिक्षण

तकनीकी कर्मचारियों—इंजीनियर, निरीक्षक कर्मचारी विभिन्न प्रकार के शिल्पी डाक्टर और अन्य विशेषज्ञ—के लिए तीसरी योजना के लक्ष्यों में बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं और रक्षा सेवाएं तथा सामान्य आर्थिक विकास के लिए श्रम साधनों का एक सांझा कार्यक्रम बनाया गया है। इस सम्बन्ध में अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि अधिक-से-अधिक लोग रक्षा कार्य में लगाए जा सकें।

इसी प्रकार वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम की गति तेज कर दी गई है। वैज्ञानिकों के समुच्चय में 300 के बजाय 500 व्यक्ति रखे गए हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाएं अब रक्षा की जरूरत के काम में लगाई जा रही हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की मात्रा में नैतिक बल और एकजुटता की भावना रखने के उद्देश्य से प्रयुक्त की जा रही हैं।

संकटकालीन जोखिम बीमा

यह विश्वास दिलाने के लिए कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट न पड़ जाए, सरकार ने व्यापार और उद्योग को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें दुश्मन के हमले के कारण नुकसान उठाना पड़े तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए संसद ने दिसम्बर

देशभक्ति को बढ़ावा दें। चीनी हमले का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए प्रयत्नों का भारतीय जन-अभिकार्यों ने खुले दिल से स्वागत किया।

सरकार ने विशेष सैनिक रक्षा उपाय भी किए, विशेषकर सीमान्त राज्यों और क्षेत्रों में। 'व्यक्तिगत चोटें (संकटकालीन उपबन्ध) अधिनियम 1962' पास किया गया जिसके अधीन संकटकाल के दौरान कुछ प्रकार की व्यक्तिगत चोटों के सिलसिले में कुछ सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।

भारत-चीन सम्बन्धों की महत्त्वपूर्ण घटनाएं

(जनवरी 1962 से अप्रैल 1963 तक)

जनवरी 1962

8 चीन ने पाकिस्तान के कब्जे के अधीन कश्मीर के विवादित क्षेत्र के लगभग 4 हजार वर्गमील इलाके पर दावा प्रस्तुत किया।

फरवरी

22 भारत सरकार ने चीन सरकार के पास लद्दाख में आक्रामक गश्त के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

अप्रैल

15 भारत ने लद्दाख में सुमदो से 6 मील पश्चिम में फौजी चौकी स्थापित करने के विरुद्ध चीन सरकार को विरोधपत्र भेजा।

18 भारत ने पूर्वी भाग में रोई गांव में चीनी घुसपैठ के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

30 चीन ने घोषणा की कि उसके सैनिक कराकोरम दर्रे से कोंगका दर्रे तक गश्त लगाएंगे उसने भारत से यह भी कहा कि वह वहां से अपनी वो चौकियां (जो पूर्णत भारतीय क्षेत्र में हैं) हटा ले नहीं तो चीन समूचे सीमान्त पर गश्त शुरू कर देगा।

मई

3 चीन और पाकिस्तान ने कराकोरम के पश्चिम में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीरी क्षेत्र में भारत-चीन सीमा के निर्धारण के बारे में बातचीत शुरू करना स्वीकार किया।

10 भारत ने चीन को बताया कि कश्मीर के किसी भी भाग के बारे में चीन-पाकिस्तान समझौता पूर्णतः अवैध है और उसका कोई कानूनी महत्त्व नहीं है।

13 चीन ने तिब्बत के साथ पड़ोसी देशों के व्यापार पर नए प्रतिबन्धों की घोषणा की। भारतीय रुपये पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

14 भारत ने चीन को लद्दाख के चिपचैप क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गश्त के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा और यह सुझाव फिर से रखा कि दोनों पक्ष पश्चिमी भाग में

अपनी सेनाएं पीछे हटा लें। भारत ने इस बात का भी संकेत दिया कि शान्ति के हित में वह चीनी असैनिक यातायात के लिए अक्साईचिन सड़क का प्रयोग करने की इजाजत दे देगा।

21 भारत ने स्पांगर के निकट नई चीनी चौकियां स्थापित करने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

23 प्रजा समाजवादी पार्टी की ओर से प्रस्तुत यह मांग कि चीन से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिए जाएं, लोक-सभा ने रद्द कर दी।

29 कलिम्पोंग में चीनी व्यापार एजेन्सी बन्द कर दी गई।

जून

2 1954 का भारत-चीन समझौता जिसका चीन ने हर तरह से उल्लंघन किया, समाप्त हो गया।

28 भारत ने चिपचैप नदी के निकट चीन द्वारा अवैध रूप से स्थापित चौकी से दक्षिण-पूर्व की ओर 6 मील की दूरी पर स्थापित नई चौकी के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

जुलाई

10 भारत ने गलवान नदी पर भारतीय चौकी को घेर लेने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा

12 भारत ने चिपचैप घाटी चेम्बो और पैंगोंग प्रदेशों में नई चीनी चौकियां स्थापित करने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

14 गलवान घाटी में भारतीय चौकी को घेरे में लेनेवाले चीनी सैनिकों के पीछे हटाए जाने की घोषणा की गई।

21 चीनियों ने लद्दाख में भारतीय सीमा रक्षकों पर गोली चलाई।

अगस्त

14 लोक-सभा ने सरकार की चीन सम्बन्धी नीति का अनुमोदन किया।

सितम्बर

8 चीन ने पूर्वी भाग में भारतीय क्षेत्र में नई घुसपैठ शुरू की।

13 मैकमहोन रेखा के दक्षिण में चीनी फौजों के एक दल की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई।

20 चीन ने नेफा में ढोला के निकट गोली चलाई।

28 ढोला चौकी के निकट भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गोली का जवाब गोली से दिया गया।

अक्तूबर

12 नेफा मोर्चे पर भारी लड़ाई की सूचना मिली।

20 चीन ने नेफा और लद्दाख में बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया।

24 चीन सरकार ने प्रस्ताव रखा कि दोनों देश वास्तविक नियन्त्रण की रेखा (चीन की परिभाषा के अनुसार) से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएं।

25 नेफा में तवांग पर चीनियों का कब्जा हो गया।

26 राष्ट्रपति ने देश में संकटकाल की घोषणा की।
— भारत रक्षा अध्यादेश जारी किया गया ।
31 भारत रक्षा अध्यादेश के सभी उपबन्ध लागू कर दिए गए।
— रक्षा और अन्य बाण्ड जारी करने की घोषणा की गई।
— राष्ट्रपति द्वारा विदेशी कानून (प्रयोग और संशोधन) अध्यादेश 1962 जारी किया गया।

नवम्बर

1 भारतीय सैनिक डटे रहे और पंग क्षेत्र में हल्के-फुल्के हमले करते रहे।
— भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने चीनी आक्रमण की निन्दा की और भारत सरकार की नीतियों का अनुमोदन किया।
— जन संघ की कार्यकारी समिति ने मांग प्रस्तुत की कि चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिए जाएं।
3 केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने स्वर्ण बाण्ड योजना की घोषणा की।
— अमेरिकी शस्त्रों की पहली किस्त भारत पहुँची।
4 भारतीय और चीनी दस्तों में वालोंग के नजदीक लड़ाई शुरू हुई।
— अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की कार्यकारी समिति ने सरकार को चीनियों को खदेड़ने में अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिलाया।
— प्रजा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि चीन के साथ 8 सितम्बर, 1962 से पूर्व चीनी दस्तों द्वारा अधिकृत स्थितियों पर लौट जाने के आधार पर बातचीत की जाए।
5 लद्दाख में दौलतबेग ओल्दी की चौकी चीन के कब्जे में चली गई ।
6 राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई ।
— स्वतन्त्र पार्टी के संसदीय बोर्ड ने कहा कि चीन के आक्रमण का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया जाए।
8 राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने नेफा के अग्रगामी क्षेत्रों का दौरा किया।
10 वालोंग के निकट एक भारतीय गश्ती टुकड़ी और चीनी सैनिकों के बीच गोली चलने की सूचना मिली।
12 गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा और सिख रेजीमेन्ट के सूबेदार जोगिन्दर सिंह को परमवीर-चक्र प्रदान किए गए।
13 सिक्किम में संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई।
14 लोक-सभा में भारतीय जनता के इस दृढ़ संकल्प की घोषणा की गई कि चीनी हमलावरों को भारतीय भूमि से खदेड़ दिया जाएगा।
— भारतीय दस्तों ने वालोंग के नजदीक चीनियों द्वारा अधिकृत एक चौकी पर हमला किया।
16 अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने ग्राम पंचायतों से कहा कि वे प्रत्येक ग्राम में ग्राम रक्षा के लिए स्वयंसेवक दल संगठित करें।
17 चुंग क्षेत्र में भारतीय अग्रगामी स्थितियों पर चीनी हमले पछाड़ दिए गए।

— 14 नवम्बर को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारत अमेरिकी सहायता देने के समझौते का मसविदा प्रकाशित कर दिया गया।

18 भारत में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने चीनी हमले के विरुद्ध पूर्ण सहयोग देने की प्रतिज्ञा की।

19 सेक्टर में वालोंग के अतिरिक्त सेला रिज चीनी कब्जे में आने की घोषणा की गई।

20 लोक-सभा ने रक्षा के लिए 95 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट मंजूर कर लिया।

— प्रधान मन्त्री ने लोक-सभा में बताया कि चीनी फौजें बोमडिला से कुछ आगे बढ़ आई हैं।

— सेना में एमरजेन्सी कमीशन जारी करने की घोषणा की गई।

21 प्रधान मन्त्री ने लोक-सभा को बताया कि 8 सितम्बर, 1962 से पहले की स्थिति पुनः कायम की जाए, तभी चीन के साथ बातचीत शुरू की जा सकेगी।

— चीन ने घोषणा की कि उसकी फौजें समूचे भारत-चीन सीमान्त पर मध्य रात्रि से युद्ध-विराम कर देंगी।

22 भारतीय रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश मिशन नई दिल्ली पहुंचे।

23 चीन को जानेवाले और वहां से आनेवाले सभी डाक-पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया।

24 भारत सरकार ने युद्ध-विराम सम्बन्धी नवीनतम चीनी वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

25 राष्ट्रीय रक्षा परिषद की नई दिल्ली में बैठक शुरू हुई।

27 भारत और ब्रिटेन के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ जिसके अधीन भारत को और फौजी सामान देने की व्यवस्था की गई।

— कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम-बंगाल राज्य परिषद ने कहा कि चीन के पिछले सभी वादों को तोड़ने और उसके नवीनतम हमले को ध्यान में रखते हुए युद्ध-विराम सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में भारत को पूर्णतः सचेत रहना चाहिए।

दिसम्बर

2 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने भारत पर बड़े पैमाने पर हमला किया है।

6 भारत ने ल्हासा और शंघाई में अपने वाणिज्यिक कार्यालय बन्द करने का फैसला किया।

7 प्रधान मन्त्री ने लोक-सभा को बताया कि युद्ध-विराम के बाद चीनी गोलियों से 2 भारतीय सैनिक मारे गए और 4 जख्मी हुए।

8 प्रधान मन्त्री ने राज्य-सभा को बताया कि चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी फौजें पूर्वी भाग में नियंत्रण रेखा से पीछे हटा लेगा लेकिन वह थौला और लांगजू की सैनिक चौकियां कायम रखना चाहता है।

9 चीन ने बम्बई और कलकत्ता में अपने वाणिज्यिक कार्यालय बन्द करने का फैसला किया।

10 कोलम्बो में भारत-चीन विवाद पर विचार करने के लिए 6 तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन शुरू हुआ।

— लोक-सभा ने भारत चीन विवाद सम्बन्धी सरकार की नीति का जोरदार समर्थन किया।

16 नेफा प्रशासन क अमले का पहला दल वालोंग वापस पहुंचा।

17 6 राष्ट्रों के कोलम्बो सम्मेलन के विचार दूत ने कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव प्रधान मन्त्री को पेश किए।

21 प्रधान मन्त्री ने बताया कि रूस को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि भारत अमेरिका और ब्रिटेन से फौजी और दूसरी सहायता प्राप्त करे।

जनवरी 1963

1 सरकारी अनुमानों के अनुसार चीनी हमले क दौरान 224 भारतीय सैनिक मारे गए और 468 घायल हुए।

— नेपाल सिक्किम भूटान और नेफा सीमान्त पर चीनी फौजों के बहुत बड़ी सख्या में मौजूद होने की सूचना मिली।

2 श्री चाऊ एन-लाई द्वारा पाकिस्तान के विदेश मन्त्री को भेजे गए नववर्ष के सन्देश से यह बात प्रकट हुई कि चीन पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में अधिकृत अंश पर उसकी प्रभुसत्ता मानता है।

3 एक अबाऊ भारतीय अर्धसैनिक पार्टी जंग पहुंची।

4 चीन ने सिकियांग और तिब्बत के ऊपर भारतीय फौजी हवाई जहाजों द्वारा क्षेत्र-उल्लंघन का आरोप लगाया।

6 भारतीय कम्युनिस्ट नेता श्री डांगे ने कहा कि रूस ब्रिटेन और इटली की कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की 8 सितम्बर, 1962 की रेखा को ठीक मानती हैं।

7 *श्री चाऊ तथा श्रीमती भण्डारनायक द्वारा पेकिंग से जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया प्रकट की है,* परन्तु उसमें चीन की वास्तविक प्रतिक्रिया को प्रकट नहीं किया गया।

9 स्वर्ण नियन्त्रण नियमों की घोषणा की गई। चांदी में वायदे के सौदे बन्द कर दिए गए।

10 सरकारी वक्ता ने बताया कि चीन ने युद्ध-विराम के पहले 11 दिनों में नेफा में 34 बार अपने एकपक्षीय युद्ध-विराम का उल्लंघन किया।

— लंका की प्रधान मन्त्री कोलम्बो प्रस्तावों की व्याख्या करने के लिए नई दिल्ली पहुंची।

13 कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में हुई कान्फ्रेंस क अन्त में नई दिल्ली में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें वार्ता का निचोड़ पेश किया गया। *भारत का फैसला तब तक के लिए रोका रखा गया जब तक संसद इन प्रस्तावों पर विचार न करले।* सरकारी वक्ता ने बताया कि प्रस्तावों में इस सिद्धान्त को माना गया है कि नवीनतम चीनी हमले से प्राप्त क्षेत्र को बातचीत शुरू करने से पहले खाली कर दिया जाए।

— चीन के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने घोषणा की कि चीनी सैनिक 14 और 15 जनवरी को समूच भारत-चीन सीमान्त पर पूर्वी भाग में 7 नवम्बर, 1959

की वास्तविक नियन्त्रण की रेखा' तक उत्तर की ओर पीछे हट जाएंगे तथा पश्चिमी भाग में 7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण की रेखा' से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे सिवाय उन 70 चौकियों के जहां असैनिक चौकियां कायम रखी जाएंगी।

14 कोलम्बो प्रस्तावों के सिद्धान्त भारत द्वारा स्वीकार कर लिए गए।

— यह घोषणा की गई कि श्रीलंका के फेलिक्स भण्डारनायके ने 11 जनवरी को श्री नेहरू को बताया कि चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव रद्द कर दिए हैं।

— सूचना मिली कि चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी चौकियां मजबूत कर रहा है।

15 घाना के न्याय मन्त्री नई दिल्ली से पेकिंग के लिए रवाना हुए। वे वहां श्री चाऊ एन-लाई से कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में चीन के नकारात्मक उत्तर पर पुनः विचार करने की सम्भावना पर बातचीत करेंगे।

18 श्री नेहरू ने कहा कि चीनियों के पीछे हटने या युद्ध-विराम या कोलम्बो प्रस्तावों से स्थिति में बहुत अधिक अन्तर नहीं आया है।

20 नवचीन न्यूज एजेन्सी ने सूचना दी कि चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में अपनी फौजें 7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण रेखा के उत्तर तक पीछे हटा ली हैं।

21 श्रीलंका संयुक्त अरब गणराज्य और घाना द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण सहित कोलम्बो प्रस्ताव संसद में पेश किए गए।

— प्रतिरक्षा मन्त्री ने लोक-सभा को बताया कि चीन ने 20 अक्तूबर, 1962 के बाद भारतीय क्षेत्र में 3 बार आकाश-मार्ग का उल्लंघन किया।

23 श्री नेहरू ने लोक-सभा में घोषणा की कि चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव और उनके स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किए हैं।

— कम्युनिस्टों को छोड़ कर सभी विरोधी पार्टियों ने लोक-सभा में कोलम्बो प्रस्ताव रद्द करने की मांग की।

25 लोक-सभा ने कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन किया।

28 सिक्किम ने तिब्बत के साथ अपनी सीमा बन्द कर दी।

29 सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सोवियत संघ सिद्धान्त रूप से भारत के रक्षा उत्पादन में सहायता करने को सहमत हो गया है।

30 संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रमण्डल का साझा हवाई मिशन नई दिल्ली पहुंचा।

फरवरी

9 चीन ने स्पांगुर झील क्षेत्र में भारतीय दस्तों द्वारा तथाकथित बार-बार घुसपैठ के विरुद्ध विरोध प्रकट किया।

12 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने भारत पर हमला करके मार्क्सवाद-लेनिनवाद का उल्लंघन किया है।

18 रक्षा उत्पादन कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय [illegible] समिति स्थापित की गई।

19 प्रधान मन्त्री ने घोषणा की कि समस्त सैनिक प्रिसहाल चीन द्वारा खाली किए गए इलाके में दाखिल नहीं होंगे।

24 पाकिस्तान के विदेश मन्त्री ने कहा कि चीन-पाकिस्तान समझौता तब तक अस्थायी माना जाएगा जब तक कश्मीर का मामला तय नहीं हो जाता।

28 1963-64 के बजट में रक्षा के लिए 867 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया।

मार्च

2 पकिंग में चीन-पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

— भारत ने चीन-पाकिस्तान समझौते के विरुद्ध चीन को विरोधपत्र भेजा।

— चीन ने भारत को सूचित किया कि समूचे भारत-चीन सीमान्त पर उसके एकपक्षीय पीछे हटने का काम पूरा हो गया है।

14 चीनी उप प्रधान मन्त्री श्री चेन यी ने कहा कि कोलम्बो प्रस्तावों में विरोधमूलक बातें हैं जो युक्तियुक्त नहीं हैं।

16 15 मार्च 1963 के भारतीय पत्र में लद्दाख में स्पांगुर झील क्षेत्र में भारतीय घुसपैठ के चीनी आरोप का भण्डाफोड़ किया गया।

अप्रैल

6 एक भारतीय मौसैनिक जहाज ने किसी विदेशी पनडुब्बी के 'प्वानिक' (सोनिक) की सूचना दी जो भारतीय समुद्र में पाया गया और चीनी माना जाता है।

15 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव में इस बारे विवाद का आरोप चीन पर लगाया गया।

18 राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने लद्दाख और नेफा के बहादुरों को बहादुरी के तमगे प्रदान किए।

22 श्री नेहरू ने कहा कि यदि हमला हुआ तो भारत सिक्किम और भूटान की रक्षा करेगा।

लोकसभा के लिए उप-चुनाव*

निर्वाचन-क्षेत्र मतदाताओं की संख्या और वैध मतों की संख्या	उम्मीदवारों के नाम	दल	प्राप्त मतों की संख्या
1	2	3	4
	गुजरात		
दोहद			
(4 43,236)	पुरुषोत्तम दास हरिभाई भील	स्वतन्त्र पार्टी	79,680
(1 47 095)	मरजीभाई काजीभाई डूंडिसाल	कांग्रेस	65,415

* अध्याय 3 का परिशिष्ट

1	2	3	4
राजकोट			
(3,93,279)	एम आर मसानी	स्वतन्त्र पार्टी	83,365
(1,62,686)	जेठालाल जोशी	कांग्रेस	68,214
	वालोठवी मंजी सामजी	निर्दलीय	2,425
	मध्यप्रदेश		
रायपुर			
(4,50,162)	श्रीमती रामकुमारी देवी	कांग्रेस	61,535
(1,17,782)	प्रताप सिंह	जन संघ	43,832
	बबन सिंह	निर्दलीय	9,212
	नारायण सिंह	निर्दलीय	2,903
	मैसूर		
बेलगांव			
(4,20,213)	एच वी कौजलगी	कांग्रेस	1,19,697
(1,84,225)	जगन्नाथ राव जोशी	जन संघ	30,811
	बी ए कट्टी	रिपब्लिकन	24,413
	एस बी बेलवणमवार	निर्दलीय	1,924
	उत्तरप्रदेश		
अमरोहा			
(4,29,060)	जे बी कृपलानी	निर्दलीय	1,28,724
(2,38,443)	मुहम्मद इब्राहिम	कांग्रेस	78,279
	जबर सिंह	निर्दलीय	10,832
	अली बहादुर खां	निर्दलीय	6,311
	राम प्रसाद सेवक	निर्दलीय	2,003
	बुद्ध राम	निर्दलीय	1,861
	हकीमुद्दीन एहसन नोमानी	रिपब्लिकन	1,075
	मासूम एफ	निर्दलीय	774
फर्रुखाबाद			
(4,77,099)	राम मनोहर लोहिया	समाजवादी	1,07,816
(1,87,201)	बी वी केसकर	कांग्रेस	50,228
	भरत सिंह राठौर	प्रजा समाजवादी	19,395
	छेदी लाल	निर्दलीय	5,422
जौनपुर			
(4,19,315)	राजदेव सिंह	कांग्रेस	1,27,650
(2,08,072)	दीनदयाल उपाध्याय	जन संघ	66,353
	हीरालाल प्रजापति	निर्दलीय	5,118

ललित कला अकादेमी के पुरस्कार, 1963†

चित्रकला	ज्योति भट्ट
	ज्योतिष भट्टाचार्य
	के एस कुलकर्णी
	लक्ष्मण पाई
	जेराम पटेल
	पीरजी सागर
	गौतम वघेला
मूर्तिकला	राघव कानेरिया
	एस एस बोहरा
ग्राफिक	सोमनाथ होर

संगीत-नाटक अकादेमी के पुरस्कार, 1962-63†

1962-63 के लिए पुरस्कारों की घोषणा अब तक नहीं हुई है।

साहित्य अकादेमी के पुरस्कार 1962†

भाषा	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम
बंगला	जापाने (यात्रा वृत्तान्त)	अन्नदाशंकर राय
गुजराती	उपायन ग्रन्थ (आलोचनात्मक निबन्धों का संग्रह)	वी आर त्रिवेदी
कन्नड़	महाक्षत्रीय (उपन्यास)	देवुडु नरसिंह शास्त्री
मराठी	अनामिकाची चिन्तनिका (दार्शनिक चिन्तन पर पुस्तक)	पी वाई देशपाण्डे
पंजाबी	रंगमंच (भारतीय नाट्यकला पर पुस्तक)	बलवन्त गार्गी
तमिल	अक्करद् चीमियाल	सि प सोमसुन्दरम्
तेलुगु	विश्वनाथ मध्याक्करलु (कविता-पुस्तक)	विश्वनाथ सत्यनारायण
उर्दू	यादें	अख्तरुल ईमान

† अध्याय 6 का परिशिष्ट

1962 में निर्मित चलचित्रों पर राजकीय पुरस्कार†

पुरस्कार	चलचित्र	निर्माता
1	2	3
सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक और 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार	दादा ठाकुर (बंगला)	श्यामलाल जालान कलकत्ता
द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाण-पत्र और 12,500 रुपये का नकद पुरस्कार	अभियान (बंगला)	अभियात्रिक कलकत्ता
तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	सौतेला भाई (हिन्दी)	आलोक भारती अमरावती
हिन्दी के सर्वोत्तम रूपक चल-चित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	साहब बीबी और गुलाम (हिन्दी)	गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई
असमिया के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	तेजीमोला (असमिया)	अनवर फिल्म्स कुमारपाड़ा गौहाटी
बंगला के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजतपदक	कांचेर स्वर्ग (बंगला)	प्रकाशचन्द्र नाग कलकत्ता
बंगला के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	निशीथे (बंगला)	अग्रगामी प्रोडक्शन्स कलकत्ता
कन्नड़ के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	नन्दादीप (कन्नड़)	श्रीभारती चित्र मद्रास
मराठी के सर्वोत्तम रूपक चल-चित्र के लिए राष्ट्रपति का रजतपदक	रंगल्या रात्रि ऐशा (मराठी)	महाराष्ट्र फिल्म इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पूना
मराठी के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	[illegible] मामा भला (मराठी)	मनीषा चित्र प्राइवेट लिमिटेड पूना
मराठी के तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	मराठा [illegible] (मराठी)	कमलाचित्र बम्बई

†अध्याय 11 का परिशिष्ट

1	2	3
मलयालम के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	पुतीय आकाशम पुतीय भूमि (मलयालम)	एसोसिएटेड प्रोड्यूसर्स मद्रास
मलयालम के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	कन्मदुकइ (मलयालम)	श्री नारायण सिने प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड इरिंजलकुडा
तमिल के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजतपदक	नमवीत्तु ऊर मलयम (तमिल)	चित्रालय मद्रास
तमिल के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	प्रजइ (तमिल)	ए वी एम प्रोडक्शन्स मद्रास
तमिल के तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	शारदा (तमिल)	ए माई श्रीनिवासन मद्रास
उड़िया के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	सूर्यमुखी (उड़िया)	श्री सौमेन्द्र मिश्र कटक
उड़िया के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	लक्ष्मी (उड़िया)	गंगा मन्दिर, कटक
तेलुगु के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजतपदक	महामन्त्री तिम्मरसु (तेलुगु)	गौतमी प्रोडक्शन्स मद्रास
तेलुगु के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	कुल गोत्रलु (तेलुगु)	ए वी सुब्बाराव मद्रास
तेलुगु के तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	श्री सम्पदलु (तेलुगु)	वी वेंकटेश्वरलु, मद्रास
पंजाबी के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	चौधरी करनैल सिंह (पंजाबी)	स्टार आफ इण्डिया पिक्चर्स बम्बई
सर्वोत्तम वृत्तचित्र के लिए राष्ट्रपति का स्वर्णपदक और 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार	फ्लेर सैंचुरीज एगो (अंग्रेजी)	चलचित्र विभाग भारत सरकार, बम्बई

जहां भी आप जाएंगे

आप जायेंगे रम बिरमें
और मनमोहक दृश्यों की अनूठी
झांकी
कश्मीर से कन्या कुमारी तक और
एक सागर तट से दूसरे सागर
तट तक।
हवाई रेल और सड़क मार्ग के
शीघ्रगामी और सुखद परिवहन
साधन
आपकी इस यात्रा को
और भी सुरम्य बना देंगे

भारत को जानने के लिए भारत देखिये

पर्यटन विभाग
भारत सरकार

भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय —

न्यूयार्क सानफ्रांसिस्को टोरन्टो
लन्दन पेरिस फ्रैंकफर्ट मेलबोर्न
बम्बई कलकत्ता दिल्ली मद्रास
आगरा बंगलौर औरंगाबाद
भोपाल कोचीन जयपुर वाराणसी

MJIDPD/63—14

MODEL OF
BEAS DAM

कारीगरी के शिखर पर
सैन्चुरी के
फैशन
सारे संसार में सुप्रसिद्ध